SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु

मध्य प्रदेश शासन

2025 का प्रतिवेदन संख्या-9

खंड-I

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त अवधि हेतु

मध्य प्रदेश शासन

2025 का प्रतिवेदन संख्या-9

विषय सूची

विवरण	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
अध्याय–I: विहंगावलोकन		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	1
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय	1.3	2
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	4
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	5
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण	1.7	7
अभिस्वीकृति	1.8	18
अध्याय–II: निष्पादन लेखापरीक्षा		
सामान्य प्रशासन विभाग		
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा	2.1	19
अध्याय–III: अनुपालन लेखापरीक्षा		
उच्च शिक्षा विभाग		
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा	3.1	57

विषय सूची

विवरण	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
राजस्व विभाग		
भूमि व्यपवर्तन पर लेखापरीक्षा	3.2	97
आदिवासी जनजातियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा पर लेखापरीक्षा कंडिका	3.3	106
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा	3.4	109

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विवरण	159
1.2	व्याख्यात्मक नोट के लिए लंबित कंडिकाओं का विभागवार विवरण	160
1.3	31 मार्च 2024 की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त पी.ए.सी. की अनुशंसाओं पर कार्रवाई विवरण टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.)	161
2.1	अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान आयोजित परीक्षाओं की सूची	162
2.2	आयोग का संगठन	165
2.3	रिक्तियों की स्थिति उपलब्ध न कराए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में हुए विलंब का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक	166
2.4	रिक्तियों को इस प्रकार प्रतिवेदित करने का विवरण जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आरक्षण नीति के अनुपात में रिक्तियों की स्थिति का उल्लेख नहीं हुआ को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	168
2.5	वर्ष 2016 एवं 2017 अधिसूचनाओं में प्रकाशित सहायक प्राध्यापकों के पदों की तुलना	171
2.6 (क)	परीक्षाओं के कैलेंडर में नियोजित लेकिन अविज्ञापित परीक्षाओं का विवरण	172
2.6 (ख)	वार्षिक कैलेंडर में शामिल किए बिना विज्ञापन प्रकाशित करना/परीक्षा आयोजित करना	173
2.7	विज्ञापन के प्रकाशन में एक माह से अधिक विलंब	175
2.8	चयन प्रक्रिया में विलम्ब	177

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.9	विभागीय पदोन्नति समिति में विलम्ब	180
2.10	विभागीय जांच के निराकरण में विलंब	183
2.11	अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन न करना	198
2.12	आयोग के भर्ती नियमों से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग से पत्राचार की स्थिति	200
2.13 (क)	परीक्षा प्रश्न पत्र के मुद्रण पर टी.डी.एस. का कटोत्रा नहीं किये जाने का विवरण	206
2.13 (ख)	परीक्षा पत्र के मूल्यांकन परिणाम पर टी.डी.एस. कटोत्रा न किये जाने का विवरण	208
2.14	मुद्रक को जी.एस.टी. के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	210
3.1.1	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के शिक्षण विभाग	212
3.1.2	वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए आय एवं व्यय	213
3.1.3	मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लंबित अन्य अग्रिम प्रकरण	214
3.1.4	लंबित अग्रदाय प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण	215
3.1.5	विभिन्न एजेंसियों के पास लंबित अग्रिम प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण	217
3.1.6	विभिन्न महाविद्यालयों में परीक्षा के लिए लंबित अग्रिम प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण	218
3.1.7	सहायक रजिस्ट्रार को कई बार दिए गए अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण	218

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट संख्या	**विवरण**	**पृष्ठ संख्या**
3.1.8	संबद्धता शुल्क की बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण	219
3.1.9	छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण प्रश्नावली	224
3.1.10	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के चयनित नमूना संबद्ध महाविद्यालय	226
3.1.11	अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का विवरण	230
3.1.12	मान्यता प्राप्त न करने वाले महाविद्यालयों का विवरण	233
3.1.13	भूमि की कमी वाले महाविद्यालयों का विवरण	236
3.1.14	महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विवरण	239
3.1.15	महाविद्यालयों के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के संबंध में विवरण	242
3.1.16	स्वीकृत एवं कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विवरण	243
3.1.17	शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए महाविद्यालयों में उपलब्ध न होने वाली सुविधाओं का विवरण	246
3.1.18	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दर्शाने वाला विवरण	254
3.2.1	चयनित जिलों और उपखंड/तहसीलों का विवरण	256
3.2.2	लागू नियमों के प्रावधानों के विपरीत भूमि व्यपवर्तन	257
3.2.3	पंचायत उपकर के अवनिर्धारण के कारण राजस्व हानि	270
3.2.4	अव्यपवर्तित भूमि पर कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्रदान करना	272
3.2.5	अव्यपवर्तित भूमि पर अवैध कॉलोनी के विकास से राजस्व हानि	273

परिशिष्टों की सूची		
परिशिष्ट संख्या	**परिशिष्ट संख्या**	**परिशिष्ट संख्या**
3.2.6	विक्रय विलेख/बँटवारे के माध्यम से शासकीय भूमि के पंजीकरण से जुड़े प्रकरण	274
3.3.1	गैर-अधिसूचित क्षेत्र में विधिसम्मत प्राधिकार के बिना आदिवासी जनजातियों की भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को अंतरण	275
3.3.2	धारा 170 बी के तहत दर्ज किए गए आपत्ति वाले प्रकरणों का सारांश	281
3.4.1	जिला-वार चंदा निगरानी की मांग, प्राप्ति एवं बकाया शेष	283
3.4.2	नमूना जांच की गई वक्फ संपत्तियों के संबंध में राजस्व अधिकारियों के उत्तरों की स्थिति	287
3.4.3	धारा 36 के तहत नमूना जांच की गई वक्फ पंजीकरण फाइलों का विवरण	290
3.4.4	धारा 41 के तहत नमूना जांच की गई वक्फ पंजीकरण फाइलों का विवरण	293
3.4.5	मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली शासकीय भूमि का विवरण	294
3.4.6	मार्च 2023 की स्थिति में बोर्ड में स्वीकृत पद एवं पदस्थ कर्मियों की संख्या	313
3.4.7	वक्फों की सूची जहां संयुक्त सर्वेक्षण किया गया	314
	संक्षिप्तों की शब्दावली	316

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा तथा राजस्व विभागों की निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो अवधि 2023-24 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने पर संज्ञान में आए। प्रकरण जो पूर्व वर्षो में संज्ञान में आ चुके थे, परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

अध्याय-I
विहंगावलोकन

अध्याय-I: विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न लेखापरीक्षित विभागों की निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का मूलभूत उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को राज्य विधान सभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा और बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं क्षेत्र, लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया तथा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही को वर्णित करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत लेखापरीक्षित 25[1] विभागों द्वारा तीन वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान किये गये व्यय का सारांश नीचे **तालिका 1.1** में दिया गया है:

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	24,194.34	20,367.12	23,851.49
2.	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	5,661.58	14,276.39	14,987.80
3.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	7,226.08	9,719.12	10,426.28
4.	आयुष विभाग	436.03	577.74	546.12
5.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,770.65	2,033.93	2,742.15
6.	जनजातीय कार्य विभाग	6,858.82	7,364.68	9,089.01
7.	अनुसूचित जाति विकास विभाग	1,282.96	1,488.06	1,407.36
8.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	896.15	1,399.96	1,514.38
9.	विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विभाग	17.57	18.44	19.39
10.	महिला एवं बाल विकास विभाग	4,833.02	4,774.85	5,761.21

[1] मध्य प्रदेश शासन के 55 में से शेष 30 विभाग, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल के कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

क्र. सं.	विभाग का नाम	2020-21	2021-22	2022-23
11.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग	668.90	3,787.15	4,009.61
12.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग	109.98	117.44	118.13
13.	स्कूल शिक्षा विभाग	20,953.88	22,286.89	24,433.90
14.	उच्च शिक्षा विभाग	2,634.92	2,736.97	2,816.43
15.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	967.50	1,127.88	1,644.60
16.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	145.26	199.61	452.68
17.	श्रम विभाग	938.05	1,601.76	1,793.55
18.	गृह विभाग	7,338.56	7,350.06	8,659.59
19.	जेल विभाग	423.91	447.13	519.93
20.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	1,537.62	1,504.63	1,870.63
21.	सामान्य प्रशासन विभाग	602.77	668.83	846.57
22.	जनसंपर्क विभाग	331.48	369.88	648.78
23.	राजस्व विभाग	12,095.11	7,287.22	5,861.38
24.	संसदीय कार्य (राज्य विधानसभा) विभाग	80.49	78.47	92.68
25.	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	47.83	47.49	70.50
योग		**1,02,053.46**	**1,11,631.70**	**1,24,184.15**

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के विनियोग लेखे और मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग से एकत्र किए गए आँकड़े

1.3 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से 25 विभागों के साथ-साथ आठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पी.एस.यू.) एवं तीन स्वायत्त निकायों[2] की लेखापरीक्षा की जाती है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के निर्देशों के तहत, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर का कार्यालय, मध्य प्रदेश राज्य के 25 शीर्ष विभागों तथा उनके अधीन स्थानीय निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

[2] मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (50 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित)।

करने के लिए उत्तरदायी है। इनमें से, वर्ष 2022-23 के दौरान एक शीर्ष लेखापरीक्षा इकाई[3] की लेनदेन आधारित लेखापरीक्षा को सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के लिए की गई निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अंतर्गत लगभग ₹28,530.57 करोड़ (जो कुल व्यय का 22.97 प्रतिशत है) की राशि की भी लेखापरीक्षा की गई।

1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 सहपठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें), अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा का प्राधिकार उद्भूत है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक डी.पी.सी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर शासन के विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13[4] के अन्तर्गत की जाती है;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(1)[5] के अन्तर्गत की जाती है;
- ***स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2)[6] एवं 20(1)[7] के अन्तर्गत की जाती है;
- ***स्थानीय निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है;

इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14[8] के अन्तर्गत शासन द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित ***अन्य स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा भी की जाती है।

---

[3] जेल विभाग

[4] (i) राज्य की संचित निधि से सभी लेन-देन ;(ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन तथा (iii) राज्य के किसी भी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलना-पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

[5] शासकीय कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

[6] राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की संबंधित विधान के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा।

[7] राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जिन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं शासन सहमत हों की लेखापरीक्षा।

[8] (i) राज्य की संचित निधि से अनुदानों अथवा ऋणों से पर्याप्त वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण के प्राप्ति एवं व्यय तथा; (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ इन निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम का अनुदान अथवा ऋण प्रदत्त न हो, की प्राप्ति एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम सहित अन्य दिशानिर्देशों, नियमावली एवं निर्देशों में निर्धारित हैं।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न प्रवाह-चित्र दर्शाता है:

प्रवाह-चित्र 1.1: लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी

जोखिम का आकलन-इकाईयों/योजनाओं आदि की लेखापरीक्षा के लिये योजना, जोखिम आकलन में शामिल कुछ मानदंडों पर आधारित है जैसे,

- किया गया व्यय
- लेखापरीक्षा का अंतराल
- गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता
- शासन द्वारा गतिविधि के लिये दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रण का आकलन
- हितधारकों का हित, आदि

लेखापरीक्षा की योजना में विनिश्चित करना शामिल है

- लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रकार-वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं क्रियाविधि
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिये लेखापरीक्षा इकाईयों एवं लेन-देनों का नमूना चयन

निरीक्षण प्रतिवेदन निम्न आधार पर जारी किये जाते हैं

- अभिलेखों की संवीक्षा/आँकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जाँच
- लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख/स्थानीय प्रबंधन से चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है

- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण जो निरीक्षण प्रतिवेदनों या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हों
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये, एवं
- राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुतीकरण हेतु राज्यपाल को सौंपा जाना।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करते हुए इकाई प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष अथवा तो निराकृत हो जाते हैं अथवा अनुपालन के लिये आगामी कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रतिक्रियाओं पर समुचित विचारोपरांत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संभावित समावेश के पूर्व प्रारूप कंडिकाओं के रूप में शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेश के पूर्व, विशिष्ट मुद्दों, विषयों, योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रारूप भी शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करवाने हेतु सौंपे जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पूर्व निरक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुख एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा उचित सुधारात्मक कार्यवाही करना आवश्यक है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में संसूचित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर आवधिक अंतरालों पर जिला/राज्य स्तर पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के अधिकारियों की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भी चर्चा होती है।

मार्च 2024 की स्थिति में, पूर्व वर्षों से संबंधित 14,102 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 57,600 कंडिकायें निराकरण हेतु लंबित थीं जैसा नीचे वर्णित है। इनमें से, 1,769 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 12,410 कंडिकाओं (21.55 प्रतिशत) के संबंध में प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुए। विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

तालिका-1.2

वर्ष	31 मार्च 2024 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या		31 मार्च 2024 की स्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकायें जिन पर प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए।	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ
2018-19 एवं पूर्व वर्षों में	12899	44580	1112	4175
2019-20	1023	8243	487	3706
2020-21	61	417	59	411
2021-22	24	470	17	269
2022-23	95	3860	94	3849
योग	**14102**	**57600**	**1769**	**12410**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित अभिलेख

निरीक्षण प्रतिवदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को बनाये रखने के जोखिम को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम एवं अप्रभावी प्रदाय, कपट, भ्रष्टाचार एवं शासकीय कोष को नुकसान हो सकता है। इसलिये, राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं की समीक्षा करने के लिये एवं इनमें चिन्हित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इनकी प्राप्ति से विशिष्ट समयावधि[9] के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करना आवश्यक है। हमने एक निष्पादन, तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं एक लेखापरीक्षा कंडिका संबंधित विभागो[10] के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिये एवं दो/चार सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित किया। यह उनके वैयक्तिक ध्यान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, में शामिल किया जाना है एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाना

[9] लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2020 की कंडिका 137 एवं 138 के अनुसार।

[10] पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा राजस्व विभाग।

वांछनीय होगा। विभाग द्वारा निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रस्तुत प्रत्युत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर उनके राज्य विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर[11], की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही को अंकित करते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिये, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। 31 मार्च 2024 की स्थिति में, वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 6 विभागों की 10 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थी। विवरण ***परिशिष्ट-1.2*** में दिया गया है।

1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासकीय विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर प्राप्ति के दिनांक से छः माह[12] के भीतर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना आवश्यक है। मार्च 2024 की स्थिति में, 09 विभागों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 50 कंडिकाओं पर 22 ए.टी.एन. अप्राप्त थे। विवरण ***परिशिष्ट-1.3*** में दिया गया है।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के चार विभागों[13] के लेखों एवं लेन-देनों की नमूना जाँच से उद्भूत एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं तीन अनुपालन लेखापरीक्षाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करता है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है।

1.7.1 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एम.पी.पी.एस.सी.) की स्थापना 1 नवम्बर 1956 को की गई थी। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति माननीय राज्यपाल द्वारा छः वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु तक के लिए, जो भी पहले हो, की जाती है। व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित

---

[11] भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.30 के अनुसार।

[12] भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.33 के अनुसार।

[13] पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा राजस्व विभाग।

होते हैं तथा वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु सौंपा जाता है।

आयोग, श्रेणी-I, II (राजपत्रित) तथा श्रेणी-III (कार्यकारी) पदों के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती करने के साथ-साथ प्रत्यायन समिति द्वारा की गई अनुशंसा (नवंबर 2016) के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.) आयोजित करने के लिए भी उत्तरदायी है। आयोग ने अवधि 2018-23 के दौरान 48 परीक्षाएँ आयोजित कीं तथा 9,511 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति अनुशंसायें जारी की। इसके अतिरिक्त, आठ परीक्षाओं के परिणाम मार्च 2023 के बाद घोषित किए गए।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

पाँच विभागों ने 101 रिक्तियों की सूचना आयोग को देने में 31 से 68 माह का समय लिया।

(कंडिका 2.1.8.1)

आयोग ने गृह विभाग द्वारा दर्शाई गई रिक्तियों की अनुमानित संख्या का सत्यापन नहीं किया और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.) के पद हेतु 128 स्थान रिक्त होने के बावजूद केवल 37 अभ्यर्थियों की भर्ती की।

(कंडिका 2.1.10.1)

आयोग ने अवधि 2018-23 के दौरान कैलेंडर में निर्धारित 44 में से केवल 22 परीक्षाएँ आयोजित कीं। इसके अतिरिक्त, 21 परीक्षाएँ नियोजित समय-सीमा के बाद आयोजित की गईं।

(कंडिका 2.1.12.1)

आयोग ने 48 में से 18 परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया विलंब से पूर्ण की। इनमें नौ एक-स्तरीय परीक्षाएँ एक से 10 माह के विलंब से, आठ द्विस्तरीय परीक्षाएँ सात से 25 माह के विलंब से तथा एक त्रिस्तरीय परीक्षा 11 माह के विलंब से पूर्ण की गई।

(कंडिका 2.1.12.3)

वाणिज्यिक कर विभाग वैधता अवधि के भीतर पूरक सूची से तीन कर निरीक्षकों तथा चार वाणिज्यिक कर अधिकारियों की नियुक्ति करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ निरस्त हो गईं।

(कंडिका 2.1.13.1)

वाणिज्यिक कर विभाग ने उन चार अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ निरस्त करने में विलंब किया, जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था, जिसके कारण प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को सूची जारी नहीं की जा सकी और अंततः पात्र अभ्यर्थी रोजगार के अवसरों से वंचित रह गए।

(कंडिका 2.1.13.2)

आयोग ने उप-पंजीयक पदों के लिए नियुक्तियों को निरस्त करने संबंधी महानिरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्प के पत्र पर कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की अनुशंसा करने में विफलता हुई।

(कंडिका 2.1.13.3)

परिवहन विभाग ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.) पदों के लिए एक ही रिक्तियों के लिए दो बार मांग प्रस्तुत की। विभाग की वास्तविक आवश्यकता को सत्यापित किए बिना, आयोग ने परीक्षा दो बार आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप केवल 13 उपलब्ध ए.आर.टी.ओ. रिक्तियों के विरूद्ध 26 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई।

(कंडिका 2.1.14.1)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुरोध के आधार पर आयोग ने खंड विकास अधिकारी के 71 पदोन्नति पदों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) अभ्यर्थियों के लिए अनियमित रूप से आरक्षण की अनुमति दी।

(कंडिका 2.1.14.2)

सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.) द्वारा राय/आदेशों के विलंब से जारी करने के कारण, पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (अप्रैल 2016) से पूर्व आयोजित 47 विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप, विभिन्न विभागों के कार्मिकों और अधिकारियोंको समय पर पदोन्नति से वंचित रहना पड़ा।

(कंडिका 2.1.14.3)

आयोग द्वारा वर्ष 2018 से विषय विशेषज्ञ सूची को अद्यतन करने की विफलता परीक्षा नियमावली का उल्लंघन है, जिसमें प्रत्येक वर्ष जून/जुलाई में पेपर सेटिंग, मोडरेटिंग और मूल्यांकन के लिए विषय विशेषज्ञ पैनलों का चयन और अद्यतन करने का प्रावधान है।

(कंडिका 2.1.14.5)

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम में सदस्य के भाग लेने की अस्पष्टता के कारण, 16 में से 15 साक्षात्कार बोर्डों के नमूना जांच अभिलेखों में, आयोग ने केवल अध्यक्ष और विषय विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार बोर्ड गठित किए, जबकि बोर्ड में आयोग का कोई सदस्य शामिल नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.14.6)

आयोग की सेवा विनियमों में संशोधन हेतु क्षेत्रों की पहचान किए जाने के दस वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रस्ताव न तो स्वीकृत किया गया और न ही प्रकाशित किया गया।

(कंडिका 2.1.15.3)

अवधि 2018-23 के दौरान विभिन्न केंद्रों पर परीक्षाओं के आयोजन हेतु जारी की गई कुल ₹51.18 करोड़ की राशि में से ₹4.99 करोड़ से संबंधित 199 प्रकरणों में से 34 प्रकरणों में जिला कलेक्टरों/आयुक्तों, आयोग को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे।

(कंडिका 2.1.16.2)

आयोग को अवधि 2018-23 के दौरान 21 से 24 प्रतिशत तक की स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 को छोड़कर, दो स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल एक परीक्षा नियंत्रक कार्यरत था। साथ ही, सुरक्षा एवं सतर्कता अधिकारी का एक पद (2018-19 से 2019-2020 तक), प्रधान सिस्टम एनालिस्ट का एक पद (2018-19 से 2020-21 तक) तथा सिस्टम एनालिस्ट का एक पद (2018-19 से 2021-22 तक) रिक्त रहा।

(कंडिका 2.1.17)

आयोग ने मुद्रकों के देयकों से ₹46.55 लाख के टी.डी.एस. (आयकर) तथा ₹14.88 लाख के जी.एस.टी. के टी.डी.एस. का कटोत्रा नहीं किया और परीक्षाओं में खराब निष्पादन के बावजूद मुद्रक की ₹30 लाख की निविदा प्रतिभूति जब्त करने में भी विफल रहा।

(कंडिका 2.1.18.2 एवं 2.1.18.4)

अनुशंसाओं का सारांश:

मध्य प्रदेश शासन सभी विभागों/आयोग को निर्देश जारी कर सकता है-

i. *वार्षिक रिक्तियों की त्वरित सूचना देकर आयोग को समयबद्ध तरीके से भर्तियों की प्रक्रिया करने में सक्षम बनाना।*

ii. *परीक्षा कैलेंडर समय पर अद्यतन किया जाना और सभी परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित करना।*

iii. *साक्षात्कार के सुचारू और समय पर आयोजन की सुविधा के लिए सभी बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।*

iv. *प्रतिवेदन में बताई गई चूकों जैसे मांग प्रस्तुत करने में कमियां और विलंब, दोहरी भर्ती, सीमित विभागीय परीक्षा को नई भर्ती में बदलना, प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की भर्ती न करना आदि के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित करना।*

1.7.2 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, जो पूर्व में भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की स्थापना वर्ष 1970 में भोपाल में की गई थी। विश्वविद्यालय अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा विभिन्न संकायों में स्थित विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के माध्यम से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। विश्वविद्यालय के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रबंधन संस्थान (सी.आर.आई.एम.) विभिन्न प्रबंधन विषयों में पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अतिरिक्त, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आई.ओ.डी.ई.) पत्राचार के माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करता है। विश्वविद्यालय का अधिकार-क्षेत्र आठ जिलों में है। मार्च 2023 की स्थिति में, विश्वविद्यालय में 26 शिक्षण विभाग थे, जिनमें 2,115 छात्र अध्ययनरत थे तथा 383 सम्बद्ध महाविद्यालयों में कुल 1.33 लाख विद्यार्थी नामांकित थे। अनुपालन लेखापरीक्षा अवधि 2018-2023 के लिए आयोजित की गई थी।

(कंडिकाएं 3.1.1 एवं 3.1.3)

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद, राज्य शासन द्वारा आठ वर्ष के पश्चात भी वार्षिक लेखों की तैयारी हेतु प्रपत्र निर्धारित नहीं किए गए थे, जिनमें प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र (बैलेंस शीट) शामिल हैं। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय उपचय (एक्रुअल) आधारित लेखा पद्धति का अनुसरण करने के स्थान पर अपने वार्षिक लेखा नकद आधार पर ही तैयार करता रहा। इस पद्धति के अंतर्गत लंबित व्यय, परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ तथा प्राप्त होने वाली आय जैसी महत्वपूर्ण मदों को शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तैयार किए गए वित्तीय विवरण विश्वविद्यालय की वास्तविक वित्तीय स्थिति को सही रूप में प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे।

(कंडिका 3.1.4.2)

एम.पी. ऑनलाइन ने वर्ष 2019-20 में ₹2.88 करोड़ की शुल्क राशि एकत्र की, परंतु उक्त राशि जून 2021 तक विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं कराई गई। यह विलंब कमजोर समाशोधन (रिकॉन्सिलिएशन) प्रक्रियाओं तथा निधि अंतरण के समय पर सत्यापन के अभाव को दर्शाता है, जिससे संभावित वित्तीय कुप्रबंधन की आशंका उत्पन्न होती है।

(कंडिका 3.1.4.3)

विश्वविद्यालय ने पूर्व में जारी अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹30.15 करोड़ की अग्रिम राशि जारी कर अपने वित्तीय संहिता के नियम 172 एवं 174 का उल्लंघन किया। मृतक एवं सेवानिवृत्त

कर्मचारियों एवं बाहरी एजेंसियों को प्रदान किए गए अग्रिम, 20 वर्ष से अधिक अवधि तक बकाया बने रहे। यद्यपि नियमों के अनुसार सभी अग्रिमों का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक किया जाना अनिवार्य था, तथापि विश्वविद्यालय द्वारा इन बकायों की वसूली अथवा समायोजन सुनिश्चित किए बिना ही कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई।

(कंडिका 3.1.4.4)

उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) सात वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत ₹14.21 करोड़ की राशि में से केवल ₹5.68 करोड़ ही प्राप्त हो सके।

(कंडिका 3.1.4.5)

कार्य परिषद द्वारा अगस्त 2022 में लिए गए निर्णय के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा अपने आवासीय क्वार्टरों के लिए संशोधित विद्युत शुल्कों को लागू करने में 13 माह का विलंब किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹22.40 लाख की राजस्व हानि हुई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अक्टूबर 2014 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित संशोधित लाइसेंस शुल्कों को लागू करने में विफल रहा।

(कंडिका 3.1.4.8)

विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से प्राप्त एवं वापस की गई जमानत राशि (कॉशन मनी) का अभिलेख संधारित करने में विफल रहा, जिसके कारण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त, वापस की गई अथवा बकाया देनदारी की राशि का निर्धारण संभव नहीं हो सका।

(कंडिका 3.1.4.9)

जनवरी 2024 की स्थिति में, विश्वविद्यालय 65 महाविद्यालयों से ₹1.07 करोड़ की बकाया सम्बद्धता शुल्क राशि वसूल करने में विफल रहा। इनमें से 11 महाविद्यालयों पर ₹26.66 लाख की राशि पाँच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थी, जिनमें से आठ महाविद्यालय आगे की अवधि के लिए बंद हो चुके हैं।

(कंडिका 3.1.4.10)

विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2018 में अकादमिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं को लागू नहीं किया। यह वार्षिक अथवा दीर्घकालिक योजना, जिसमें वर्षवार गतिविधियाँ और संबंधित वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण हो, को तैयार करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की निगरानी अथवा मूल्यांकन के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, न तो अल्पकालिक और न ही दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकी।

(कंडिका 3.1.5.1)

विश्वविद्यालय ने डिजिटलीकरण के लिए एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (आई.यू.एम.एस.) को लागू करने की योजना बनाई थी और अवधि 2019 से 2023 के बीच ₹1.75 करोड़ का आवंटन किया था। तथापि, अवधि 2019 से 2022 के बीच केवल ₹5.84 लाख का ही उपयोग किया गया, जबकि विश्वविद्यालय की ऑनलाइन सेवाओं का 60 प्रतिशत एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर निर्भर है। इस अत्यधिक निर्भरता से महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय परिचालनों में व्यवधान आने का गंभीर जोखिम उत्पन्न होता है।

(कंडिका 3.1.5.2)

विश्वविद्यालय को वर्ष 2020 के बाद निम्न एन.ए.ए.सी. अंको के कारण पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए यू.जी.सी. सम्बद्धता खोनी पड़ी। परिणामस्वरूप, इसकी आय वर्ष 2018-19 में ₹43.56 लाख से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹1.80 लाख रह गई।

(कंडिका 3.1.5.4)

कार्य परिषद ने यह निर्णय नहीं लिया कि वार्षिक सम्बद्धता शुल्क जारी रखा जाए अथवा एकमुश्त शुल्क संरचना अपनाई जाए। इसके बावजूद, विश्वविद्यालय ने यू.जी.सी. नियमों का उल्लंघन में, नौ स्वायत्त महाविद्यालयों से ₹1.05 करोड़ वार्षिक सम्बद्धता शुल्क के रूप में वसूल किया।

(कंडिका 3.1.9.1)

चयनित महाविद्यालयों में प्रमुख आवश्यकताओं का पालन नहीं पाया गया, जिनमें यू.जी.सी. मानकों के अनुसार वेतन एवं भत्तों का भुगतान न करना, प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन) का अभाव तथा भूमि एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी हैं।

(कंडिकाएं 3.1.10 से 3.1.14)

विश्वविद्यालय ने डिग्री प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश स्थापित नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप छह माह से लेकर पाँच वर्ष से अधिक का महत्वपूर्ण विलम्ब हुआ।

(कंडिका 3.1.15.1)

विश्वविद्यालय ने अवधि 2018 से 2023 के दौरान 125.06 लाख उत्तर-पुस्तिकाएँ क्रय कीं, परंतु उनकी मांग, वितरण एवं उपयोग से संबंधित समुचित अभिलेख संधारित नहीं किए। प्रयुक्त अथवा अप्रयुक्त उत्तर-पुस्तिकाओं का कोई लेखा उपलब्ध नहीं था, न ही वापस प्राप्त की गई उत्तर-पुस्तिकाओं से संबंधित कोई अभिलेख था।

(कंडिका 3.1.15.2)

विश्वविद्यालय को मानव संसाधन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अवधि 2018–23 के दौरान प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक के 48 से 65 प्रतिशत पद रिक्त रहे। जैव-रसायन (बायोकेमिस्ट्री) एवं प्रबंधन जैसे विभाग पूर्णतः अतिथि प्राध्यापकों पर निर्भर रहे।

(कंडिका 3.1.16.1)

विश्वविद्यालय दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाएँ उपलब्ध कराने के अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव पाया गया, जिसमें दीवारों एवं छतों में सीलन, सी.सी.टी.वी. कैमरों की अनुपलब्धता, अग्निशमन उपकरणों का अभाव तथा सुरक्षित पेयजल हेतु आर.ओ. प्रणालियों की कमी शामिल है।

(कंडिकाएं 3.1.16.4 एवं 3.1.16.5)

अनुशंसाओं का सारांश:

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को समय पर वित्तीय स्थिति की पूर्ण एवं समग्र जानकारी सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक लेखा प्रणाली स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक निकायों का गठन कर सकता है तथा सतत शैक्षणिक एवं अधोसंरचनात्मक उन्नयन के माध्यम से प्रत्यायन स्थिति में सुधार सुनिश्चित कर सकता है।

1.7.3 भूमि व्यपवर्तन पर लेखापरीक्षा

जब किसी एक उद्देश्य के लिए चिन्हित भू-खंड का उपयोग, किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रस्तावित हो, जैसे कृषि से आवासीय अथवा आवासीय से वाणिज्यिक, तब भूमि का व्यपवर्तन किया जाता है। भूमि के विभिन्न उपयोगों जैसे आवासीय भवन, शैक्षणिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए निर्धारित दरों पर भू-राजस्व का आकलन किया जाना आवश्यक है।

भूमि का व्यपवर्तन राजस्व विभाग के उप खंड अधिकारी (एस.डी.ओ.) द्वारा किया जाता है, जो भूमि स्वामी द्वारा प्रतिवेदित न किए गए किसी भी अनियमित भूमि व्यपवर्तन की निगरानी करने तथा उसका स्वतः संज्ञान लेने के लिए भी उत्तरदायी होता है।

चयनित दस जिलों के 20 उप-खंडों में वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023) के दौरान लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकित किया:

छ: जिलों (भोपाल, इंदौर, धार, दमोह, शहडोल एवं जबलपुर) के सात उप-खंडों के 107 प्रकरणों (जिनमें 109 भूमि व्यपवर्तन शामिल थे) में संबंधित उपखंड अधिकारियों द्वारा विकास योजना

में निर्धारित भूमि उपयोग के विपरीत कुल 8,36,618 वर्ग मीटर भूमि के व्यपवर्तन के आदेश पारित किए गए।

(कंडिका 3.2.2)

दस चयनित जिलों के 20 उप-खंड कार्यालयों में 705 भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में पंचायत उपकर की गणना प्रीमियम एवं पुनर्निर्धारित राजस्व के योग पर किये जाने के स्थान पर केवल पुनर्निर्धारित राजस्व पर की गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 2.85 करोड़ के राजस्व का कम निर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.2.3)

कलेक्ट्रेट बालाघाट में कॉलोनी विकास की अनुमति से संबंधित 12 प्रकरणों में से चार मामलों में कलेक्टर द्वारा 0.74 हेक्टेयर अव्यपवर्तित भूमि पर अनुमति प्रदान की गई।

(कंडिका 3.2.4)

उप-खंड अधिकारी (राजस्व)–कुक्षी (धार) एवं आरोन (गुना) के अधिकार क्षेत्र में कुल 41 कॉलोनियाँ अव्यपवर्तित भूमि (43.333 हेक्टेयर भूमि शामिल) पर विकसित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.99 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.2.5)

गुना जिले में, छः आवासीय कॉलोनियाँ शासकीय भूमि पर विकसित की गईं, जिनमें पांच सर्वे नंबरों में कुल 4.999 हेक्टेयर भूमि शामिल थी। इसके अतिरिक्त, उक्त सर्वे नंबरों में, 1.0715 हेक्टेयर भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित निजी भूमि के रूप में खसरा में दर्शाया गया था।

(कंडिका 3.2.6)

तहसील आरोन (गुना) में 50 नामांतरण (म्युटेशन) मामलों की जाँच में पाया गया कि पांच प्रकरणों में कुल 6.43 हेक्टेयर भूमि, जिसे राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज था, निजी व्यक्तियों के नाम बिक्री विलेख (सेल डीड) के माध्यम से स्थानांतरित कर दी गई थी।

(कंडिका 3.2.7)

चयनित दस जिलों में संभावित व्यपवर्तित भूमि से संबंधित पोर्टल डेटा के अनुसार, कुल 26,514.31 हेक्टेयर भूमि को 'संभावित व्यपवर्तित भूमि' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेकिन उक्त भूमि के व्यपवर्तित अथवा अव्यपवर्तित होने की स्थिति की पटवारी/राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल सत्यापन के माध्यम से पुष्टि नहीं की गई, न ही उप-खंड अधिकारी द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग के संदर्भ में राजस्व पुनर्निर्धारण के लिए इसकी मांग की गई।

(कंडिका 3.2.8.1)

अनुशंसाओं का सारांश:

शासन यह सुनिश्चित कर सकता है कि शासकीय भूमि पर आगे के व्यपवर्तन एवं अतिक्रमण को रोकने हेतु पटवारियों/ राजस्व निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण की प्रणाली स्थापित किया जाए। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाए गए प्रत्येक व्यपवर्तन/ अतिक्रमण के लिए जिम्मेदारी तय की जाए तथा शासकीय भूमि के लिए अनधिकृत बिक्री विलेखों के निष्पादन को रोकने हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए।

1.7.4 मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, भोपाल (बोर्ड) की स्थापना वर्ष 1961 में हुई। यह एक निगमित संस्था है, जिसे बेमियादी उत्तराधिकार और सामान्य मुहर प्राप्त है। बोर्ड को संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने तथा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त है और यह उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है तथा मुकदमे का सामना भी कर सकता है। बोर्ड के पास 14,967 वक्फ सम्पत्तियाँ जैसे मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें आदि एवं 33,392 अचल वक्फ संपत्तियाँ (मार्च 2023 की स्थिति में) जैसे स्कूल, दुकानें, कृषि भूमि आदि पंजीकृत हैं।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए 'मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली' पर की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान बोर्ड के बजट अवास्तविक पाए गए, क्योंकि अनुमानित आय और व्यय की तुलना में वास्तविक आय और व्यय में महत्वपूर्ण कमी रही। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश शासन ने बोर्ड द्वारा स्वीकृति हेतु भेजे गए बजट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे बोर्ड और मध्य प्रदेश शासन के बीच संप्रेषण का अभाव पैदा हुआ।

(कंडिका 3.4.5.1)

बोर्ड ने ₹ एक लाख से ज़्यादा की वार्षिक शुद्ध आय वाले 95 प्रतिशत से ज़्यादा वक्फ की लेखापरीक्षा नहीं की। वर्ष 2018 से 2023 तक की अवधि के लिए वक्फ की लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं की गयी थी।

(कंडिका 3.4.5.4)

चंदा निगरानी के रूप में वसूली योग्य राशि लगातार बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹2.90 करोड़ से 2021-22 में ₹ 4.12 करोड़ हो गई, जो बोर्ड की वक्फों से बकाया राशि का निर्धारण और वसूली न करने की निष्क्रियता को दर्शाता है।

(कंडिका 3.4.5.5)

वक्फ संपत्तियाँ पट्टा (संशोधन) नियम, 2020 के अनुसार किराए में संशोधन न किए जाने के कारण बोर्ड को पट्टे पर दी गई वक्फ संपत्तियों के लिए अनुमानित ₹1.35 करोड़ की आय की हानि हुई।

(कंडिका 3.4.5.7)

81 वक्फों के पंजीकरण अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 79 मामलों में संबंधित भूमि अभिलेख कार्यालयों द्वारा राजस्व अभिलेखों में हकदारी का हस्तांतरण बोर्ड के पक्ष में नहीं किया गया था। अतः, बोर्ड के पक्ष में संपत्तियों की हकदारी का हस्तांतरण लंबित रहने की स्थिति में, केवल संपदा/ओक़ाफ़ पंजी में संपत्तियों का वक्फ के रूप में पंजीकरण किया जाना, स्वयमेव ऐसी संपत्तियों के स्वामित्व/ प्रबंधन अधिकार बोर्ड में निहित नहीं करता है।

(कंडिका 3.4.6.1)

बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत ओक़ाफ़ पंजी में अहस्तांतरणीय शासकीय भूमि जिसमें वन भूमि भी शामिल है, निजी स्वामित्व वाली भूमि तथा बैंक के पास बंधक रखी गई भूमि का अनियमित रूप से पंजीकरण एवं प्रविष्टि की गई।

(कंडिका 3.4.6.2)

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा एक भूमि का वक्फ के रूप में अनियमित रूप से पंजीकरण किया गया, जबकि स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध थे कि उक्त भूमि अन्य समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में थी।

(कंडिका 3.4.6.3)

कुल मिलाकर, नमूना-जांच की गई 81 संपत्तियों में से 33 संपत्तियाँ (41 प्रतिशत), जिनका क्षेत्रफल 2,09,639.48 वर्ग मीटर तथा मूल्य ₹77.07 करोड़ था, बोर्ड द्वारा वक्फ के रूप में पंजीकृत की गईं, जबकि ये संपत्तियाँ शासकीय थीं।

(कंडिका 3.4.6.6)

निरीक्षक, लेखापरीक्षक, जांच अधिकारी, राजस्व अधिकारी, लेखा अधिकारी तथा विधि सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों की कमी ने भी संभवतः बोर्ड के कार्यों को प्रभावित किया।

(कंडिका 3.4.7.3)

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान न तो बोर्ड द्वारा और न ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) द्वारा किसी भी वक्फ के संबंध में निरीक्षण किया गया तथा न ही कोई वक्फ सर्वेक्षण कराया गया। वक्फों के निरीक्षण, जांच एवं सर्वेक्षण के अभाव के कारण अनेक अपात्र संपत्तियाँ ओक़ाफ़ पंजी में पंजीकृत कर दी गईं।

(कंडिकाएं 3.4.7.4 एवं 3.4.7.5)

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बोर्ड के वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक के लेखा (अगस्त 2024 तक) अलेखापरीक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1968-69 से 2015-16 की अवधि से संबंधित 459 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ निपटान हेतु लंबित थीं।

(कंडिका 3.4.7.6)

<u>अनुशंसाओं का सारांश</u>

नया वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 दिनांक 05 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित विद्यमान प्रावधानों में संशोधन शामिल हैं।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन को चाहिए कि:

1. *यह सुनिश्चित करे कि संपत्तियों को वक़्फ़ के रूप में पंजीकृत करने से पूर्व तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा बोर्ड के पक्ष में उनका नामांतरण किए जाने हेतु प्रकरणो को जिला कलेक्टरों को अग्रेषित किये जाए।*
2. *उन सभी प्रकरणो की समीक्षा करे, जिनमें शासकीय भूमि पर वक़्फ़ के रूप में पंजीकरण किए गए हैं, तथा संबंधित बोर्ड अधिकारियों एवं जिला प्राधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करे।*
3. *अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उचित माध्यमों से बोर्ड के सभी रिक्त पदों को भरे।*
4. *राज्य में स्थित सभी वक़्फ़ संपत्तियों का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए, ताकि उनके स्वामित्व से संबंधित किसी भी विवाद अथवा पंजीकरण से जुड़ी त्रुटियों की पहचान कर उनका निराकरण किया जा सके।*
5. *वक़्फ़ द्वारा वार्षिक लेखे तैयार किए जाने तथा बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का निर्माण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए।*
6. *संशोधित पट्टा नियमों के अनुसार सभी मौजूदा पट्टों की समीक्षा एवं नियमितीकरण किया जाए तथा विचलनों को सुधारकर यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित दरों के अनुसार राजस्व प्राप्त हो।*

1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर राज्य शासन के अधिकारियों के द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता के लिये आभार प्रकट करता है।

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा

अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग

2.1 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना (नवंबर 1956) की थी। आयोग राज्य की सेवाओं (श्रेणी-I, II (राजपत्रित) अधिकारियों और तृतीय-श्रेणी कार्यकारी पदों) की नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है और सिविल सेवाओं/सिविल पदों पर भर्ती के तरीकों, एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने, शासकीय कर्मचारी को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक प्रकरणों से संबंधित सभी प्रकरणों आदि पर परामर्श किया जाना वांछित था।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या आयोग और राज्य शासन के विभाग विभिन्न सेवाओं हेतु सभी विभागों में रिक्त पदों का आकलन करने तथा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मानव संसाधनों की समयबद्ध भर्ती के लिए समन्वय में हैं। परिचालन क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को भी इस लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए आयोग के अभिलेखों की नमूना जाँच की।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में आयोग और राज्य शासन के विभागों के बीच समन्वय की कमी पाई गई क्योंकि विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना देने में विलंब देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती में विलंब हुआ। आयोग ने विभागों के लिए रिक्तियों की रिपोर्ट करने के लिए न तो समय-सीमा तय की और न ही विभाग से आवश्यकताओं की मांग की। 101 रिक्तियां 31 से 68 माह के विलंब के साथ प्रस्तुत की गईं। आयोग ने शासन की आरक्षण नीतियों के अनुरूप मांग पत्र में रिक्तियां होने की जांच करने के लिए कोई आंतरिक प्रक्रिया स्थापित नहीं की।

आयोग ने पदों की कम मांग/निरस्तीकरण के लिए विभागों से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया, जिसके कारण पात्र अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए। हमने देखा कि उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों को बार-बार परिवर्तित किया, जिससे चयन की प्रक्रिया में चार वर्ष का विलंब हुआ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयोग अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान 44 नियोजित परीक्षाओं के विरुद्ध 28 परीक्षाओं को विज्ञापित कर सका, जो उसकी ओर से योजना में कमी को दर्शाता है। आयोग ने 94 विज्ञापनों में से 30 विज्ञापन जारी करने में एक माह की उचित अवधि के अतिरिक्त औसतन 136 दिन लिए। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विज्ञापन की तिथि से क्रमशः एक स्तरीय, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय परीक्षाओं के लिए 6, 12 और 18 माह के निर्धारित समय की तुलना में एक से 25 माह के बीच विलंब के साथ चयन प्रक्रिया पूर्ण की। एक उदाहरण पाया गया जिसमें आयोग ने मांग प्राप्त करने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करने में 20 माह का समय लिया।

आयोग के पास प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप वैधता अवधि से पूर्व प्रतीक्षारत सूची के सात अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा नियुक्ति निरस्त करने में विलंब के कारण प्रतीक्षा सूची के पांच अभ्यर्थी रोजगार के अवसरों से वंचित हो गए।

इसके अलावा, परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने त्रुटिवश दो बार सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के 13 पदों की मांग भेजी और आयोग ने तदनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जो आंतरिक नियंत्रणों के अभाव को दर्शाता है जबकि आयोग/विभाग स्तर पर ऐसी गलतियों को रोका जा सकता था।

सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.) ने समय पर राय/आदेश जारी नहीं किया जिसके कारण आयोग ने डी.पी.सी. के 47 प्रकरणों पर कार्रवाई नहीं की जिसके कारण पदोन्नति में विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, आयोग ने विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की। आयोग ने 373 विभागीय जांच प्रकरणों में से 42 के निराकरण में 32 से 267 दिन का समय लिया। आयोग ने वर्ष 2018 से विषय विशेषज्ञ सूची अद्यतन नहीं की। साक्षात्कार बोर्ड के गठन में कमी थी क्योंकि नमूना जाँच किये गए 16 साक्षात्कार बोर्डों में से 15 में अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग के किसी भी अन्य सदस्य को शामिल नहीं किया गया था।

आयोग ने अपने निर्णय (जुलाई 2014) का उल्लंघन करते हुए 19 वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में से केवल पांच का आयोजन ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया। आयोग ने वर्ष 2013 से अपनी नियमावली को अद्यतन नहीं किया, जिसके कारण शासन/आयोग के निर्देशों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

आयोग का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान 42 प्रतिशत निधि का समर्पण किया गया। आयोग ने परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए कलेक्टरों/आयुक्तों को निधि प्रदान की, जिन्होंने अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान

₹51.18 करोड़ में से ₹4.99 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान 21 से 24 प्रतिशत के बीच मानव संसाधन की कमी थी तथा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकृति का पद एक संविदा कर्मचारी से भरा गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयोग द्वारा चार वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आवेदकों को परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया गया। इसके अलावा, आयोग द्वारा भुगतान की प्रक्रिया में कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाते हुए ठेकेदार के देयकों से ₹61.43 लाख का स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) वसूल नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, आयोग ने एक ठेकेदार को ₹14.13 लाख के अतिरिक्त जी.एस.टी. का भुगतान किया, एक मुद्रक को सुरक्षा जमा राशि राजसात न करके अनुचित लाभ प्रदान किया तथा परीक्षा निरस्त होने/त्रुटिपूर्ण परीक्षा परिणाम घोषित होने के कारण पर लगने वाली दंड राशि की कम/कटौती नहीं की गयी।

अनुशंसाओं का सारांश:

मध्य प्रदेश शासन सभी विभागों/आयोग को निर्देश जारी कर सकता है

i. *वार्षिक रिक्तियों की त्वरित सूचना देकर आयोग को समयबद्ध तरीके से भर्तियों की प्रक्रिया करने में सक्षम बनाना।*

ii. *परीक्षा कैलेंडर समय पर अद्यतन किया जाना और सभी परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित करना।*

iii. *साक्षात्कार के सुचारू और समय पर आयोजन की सुविधा के लिए सभी बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति सुनिश्चित करना।*

iv. *प्रतिवेदन में बताई गई चूकों जैसे मांग प्रस्तुत करने में कमियां और विलंब, दोहरी भर्ती, सीमित विभागीय परीक्षा को नई भर्ती में बदलना, प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की भर्ती न करना आदि के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित करना।*

2.1.1 परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों और कार्यों[1] में राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना है और सिविल सेवाओं / सिविल पदों पर भर्ती के तरीकों, एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण करने, एक शासकीय कर्मचारी को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामले, आदि से संबंधित सभी प्रकरणों पर परामर्श किया जाना अपेक्षित था।

[1] भारत के संविधान का अनुच्छेद 320।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्य के माननीय राज्यपाल द्वारा छह वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है। आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। आयोग को किये गए कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल को विधानसभा के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत करना होता है।

आयोग केवल श्रेणी I, II (राजपत्रित) अधिकारियों और तृतीय श्रेणी (कार्यकारी पदों) की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। नोडल एजेंसी होने के कारण आयोग प्रमाणन समिति द्वारा की गई अनुशंसा (नवंबर 2016) के अनुसार राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.) भी आयोजित करता है।

आयोग ने अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान अधिसूचित पदों[2] के लिए 48 परीक्षाएं[3] आयोजित कीं और 9,511 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति अनुशंसा (***परिशिष्ट-2.1***) जारी की। मार्च 2023 के बाद आठ परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आयोजित परीक्षाओं और उनके परिणामों की स्थिति[4] नीचे **चार्ट 2.1** में दर्शाई गई है:

चार्ट 2.1 आयोजित की गई परीक्षाएं एवं घोषित किये गए परिणाम

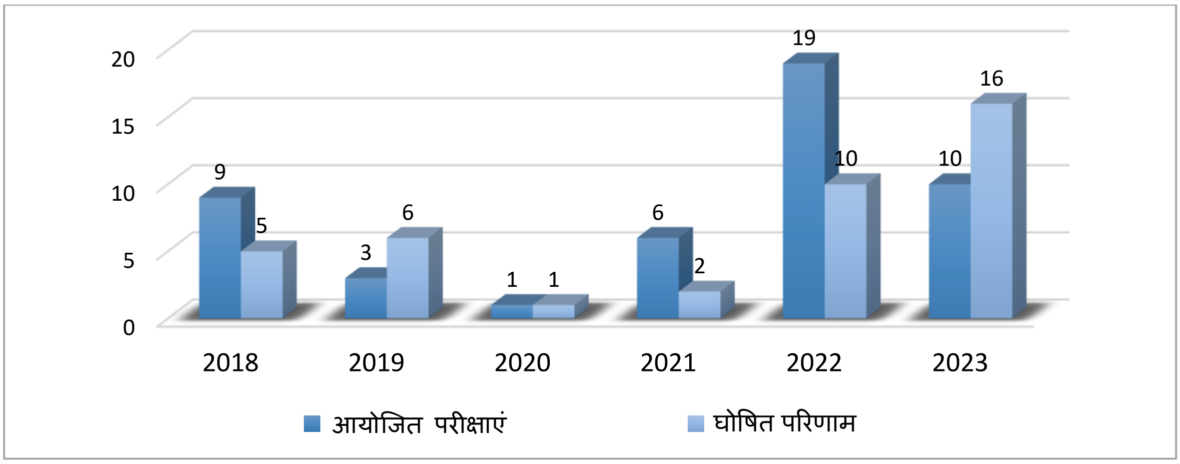

(स्रोत: आयोग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य के माननीय राज्यपाल, विनियम द्वारा, आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करता हैं। आयोग के कार्यालय प्रमुख सचिव होते हैं, जिन्हें माननीय राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयोग में अध्यक्ष और तीन सदस्य शामिल (मार्च 2023) थे। संगठनात्मक ढांचा ***परिशिष्ट-2.2*** में दर्शाया गया है।

---

[2] श्रेणी I, II (राजपत्रित अधिकारी) और तृतीय श्रेणी (कार्यकारी पद)।

[3] वर्ष 2015 से 2022 के दौरान अधिसूचनाएं जारी की गईं।

[4] मार्च 2023 के बाद आठ परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया था।

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या आयोग और राज्य शासन के विभाग, विभिन्न सेवाओं हेतु सभी विभागों में रिक्त पदों की स्थिति का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आकलन करने तथा उसके अनुरूप मानव संसाधनों की भर्ती के लिए आपसी समन्वय में है। परिचालन क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता को भी इस लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का मूल्यांकन भारत के संविधान, लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973, प्रक्रिया नियम (नियमावली), एम.पी.पी.एस.सी. के परिपत्र और आयोग की बैठक के कार्यवृत्त, राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015, शासकीय आदेश/परिपत्र, और प्रासंगिक न्यायालय आदेश/निर्णय, मध्य प्रदेश बजट नियमावली, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता और मध्य प्रदेश भण्डारण क्रय नियमों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर किया गया था।

2.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

अवधि 2018-19 से 2022-23 तक के लिए लेखापरीक्षा इंदौर स्थित आयोग में अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच की गई। लेखापरीक्षा में, अवधि 2018-23 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित सभी 48 परीक्षाओं को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में नस्तियों की जांच और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करना शामिल था।

अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और सचिव, एम.पी.पी.एस.सी. के साथ जुलाई 2023 में एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के क्षेत्र, उद्देश्यों, मानदंडों और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। एम.पी.पी.एस.सी. से निर्गम सम्मेलन के परिणाम और प्राप्त प्रतिक्रिया (जून 2024) को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किया गया है।

2.1.6 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, इस लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, सामान्य प्रशासन विभाग और आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।

2.1.7 आयोग और राज्य शासन के विभागों के बीच समन्वय

विभाग आवश्यकतानुसार एम.पी.पी.एस.सी. की वेबसाइट के माध्यम से भर्ती के लिए आयोग को रिक्तियों की स्थिति भेजते हैं। आयोग राज्य सिविल सेवा, वन सेवा और अभियांत्रिकी सेवाओं

के माध्यम से अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए संबंधित विभागों से श्रेणी-वार रिक्ति की स्थिति की मांग करता है। चयन प्रक्रिया आयोग और उससे जुड़े विभागों के प्रयासों से पूर्ण होती है।

विभागों द्वारा प्रतिवेदित की गयी रिक्तियों के आधार पर, आयोग विज्ञापन प्रकाशित करता है जिसे सामान्य प्रशासन विभाग (जी.ए.डी.) और संबंधित विभागों को भेजा जाता है। नियुक्तियों में विलंब और रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन के प्रकरणों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

2.1.8 विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना विलंब से देने के कारण भर्ती में विलंब

सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया (अप्रैल 2014) कि वे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार करने के लिए समय पर आयोग को रिक्तियों की मांग प्रस्तुत करें।

2.1.8.1 रिक्तियों को प्रतिवेदित करने के लिए समय-सीमा का निर्धारण न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उम्मीदवारों के उपयोग हेतु आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर की तैयारी के लिए, आयोग ने विभागों के लिए रिक्तियों की सूचना देने के बावत न तो समय-सीमा तय की और न ही राज्य सेवा परीक्षाओं (सिविल, वन और अभियांत्रिकी) के आयोजन को छोड़कर विभागों से आवश्यकताओं की मांग की।

सात विभागों[5] से प्राप्त सूचनाओं की जांच से पता चला है कि आयोग को अवधि 2017-18 से 2022-23 के दौरान पांच विभागों[6] में 101 रिक्तियों को प्रतिवेदित करने में 31 माह से 68 माह लगे (***परिशिष्ट-2.3***)।

उपयोगकर्ता विभागों की ओर से रिक्तियों को प्रतिवेदित करने में विलंब के कारण आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि सामान्य प्रशासन विभाग के साथ समन्वय में बैठकें आयोजित करके विभागों से अधिक से अधिक रिक्तियां प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्गम सम्मेलन के दौरान की गई टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि रिक्तियों के संग्रह और अंतिम रूप देने में सामान्य प्रशासन विभाग की भूमिका कुछ वर्षों में बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग को समय सीमा के भीतर रिक्तियां आयोग को भेजने के निर्देश भी जारी किए गए।

---

5 जिसमें रिक्तियों की सूचना देने में लगने वाले समय से संबंधित जानकारी प्रदान की गई थी।

6 ऊर्जा विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, जेल विभाग, मध्यप्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास बोर्ड और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।

2.1.8.2 रिक्तियों को प्रतिवेदित करने में विलंब

आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 एवं वन सेवा परीक्षा 2019 के माध्यम से भर्ती की जाने वाली विभिन्न पदों के लिए विभागों से रिक्तियों की आवश्यकता आमंत्रित (31 जुलाई 2018) की, जिसमें मांग प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 31 अगस्त 2018 थी।

विभागों द्वारा समय पर मांग प्रस्तुत न करने के कारण आयोग ने अक्टूबर 2019 तक विभागों को अनुस्मारक जारी किए। इसके बाद नवंबर 2019 तक विभागों द्वारा रिक्तियों की आवश्यकता प्रदान की गई थी।

इसके बाद, आयोग द्वारा रिक्तियों का विवरण मांगने की तिथि से 14 माह के बाद 330 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया (14 नवंबर 2019) गया था। विभागों द्वारा आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने में विलंब के परिणामस्वरूप परीक्षाओं के आयोजन में विलंब हुआ।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण के प्रतिशत में परिवर्तन के कारण विभागों को अपने आरक्षण रोस्टर को परिवर्तित करना पड़ा जो रिक्तियों को प्रतिवेदित करने में विलंब का कारण था।

आयोग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा[7] संशोधन अध्यादेश 2019 को, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षण मानदंडों को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए मार्च 2019 में पेश एवं 19 अगस्त 2019 से लागू किया गया था जबकि रिक्तियों को प्रतिवेदित करने की अंतिम तिथि उपरोक्त उद्धृत परीक्षा के लिए 31 अगस्त 2018 थी।

2.1.9 रिक्तियों को प्रतिवेदित करने के लिए प्रारूप

आयोग की कार्य नियमावली में यह निर्धारित किया गया है कि वह संबंधित विभागों द्वारा भेजे गए मांग पत्र की जांच करेगा और विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि मांग पत्रों, भर्ती नियमों, परीक्षा की प्रक्रिया, आयोग के निर्णय, संबंधित अधिनियम और शासन द्वारा जारी परिपत्र में एकरूपता है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा[8] संशोधन अध्यादेश 2019[9] द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) श्रेणी के लिए आरक्षण मानदंडों को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 50 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया।

---

[7] अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण।

[8] अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण।

[9] मार्च 2019।

आयोग द्वारा संबंधित विभागों को रिक्तियों की सूचना आयोग को देने के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया (2014) गया था, जिसमें संचयी रिक्तियों के पृथक्करण को इस तरीके से दिखाया जाना था (क) बैकलॉग रिक्तियां, (ख) पदोन्नति/सेवानिवृत्ति द्वारा सृजित रिक्तियां, (ग) नई रिक्तियां और (घ) संशोधित मांग पत्र के भाग-II के अंतर्गत चयन किए जाने वाले श्रेणी-वार विवरण के साथ संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित की गई कुल रिक्तियां।

रिक्तियों के पहले तीन खंडों की गणना कुल रिक्तियों के चौथे खंड में की जाती है जो कुल रिक्तियों के भीतर उचित आरक्षण को दर्शाता है। आयोग पुराने प्रारूप के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व विभाग द्वारा प्रदान की गई श्रेणीवार रिक्तियों का सत्यापन कर सकता था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2019[10] से आयोग द्वारा मांग पत्र के भाग II में सूक्ष्म संशोधन किया गया था, जिसमें रिक्तियों के पहले तीन खंडों अर्थात बैकलॉग रिक्तियों, पदोन्नति/सेवानिवृत्ति द्वारा सृजित रिक्तियों और नई रिक्तियों को पुराने प्रारूप से हटा दिया गया था। इसके अलावा, उपयोगकर्ता विभागों ने 2019 से संशोधित प्रारूप में कुल रिक्तियों के लिए रिक्तियों की मांग भेजने की प्रथा को अपनाया।

अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान आयोग द्वारा प्राप्त 446 मांगों में से 120 परीक्षण की गई मांगों के आगे विश्लेषण ने दर्शाया कि 25 प्रकरणों (21 प्रतिशत) में रिक्तियों को राज्य की आरक्षण नीति (***परिशिष्ट-2.4)*** के अनुपात में वर्णित नहीं किया गया था।

इसलिए, पुराने प्रारूप (जिसमें बैकलॉग, पदोन्नति/सेवानिवृत्ति एवं नए सृजित पदों से निर्मित रिक्तियां शामिल हैं) के अनुसार अपेक्षित सूचना के अभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकी कि आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति का अनुसरण किया जा रहा है अथवा नहीं। लेखापरीक्षा को प्रारूप में परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं दिया गया था।

इस प्रकार, आयोग ने एक आंतरिक प्रक्रिया नहीं रखी जो यह सुनिश्चित कर सके कि मांग पत्र में रिक्तियां शासन की आरक्षण नीतियों के अनुरूप थीं।

आयोग ने अपने उत्तर (जून 2024) में पुराने प्रारूप में रिक्तियों के लिए मांग करने का आश्वासन दिया।

यह प्रतिक्रिया एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा इस तरह के परिवर्तन करने और परिवर्तनों के संभावित प्रभाव के विश्लेषण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को संबोधित नहीं कर सकी।

इस प्रकरण में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

---

10 सहायक प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग।

2.1.10 विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं किया जाना

विज्ञापन और विभागीय भर्ती नियमों के प्रकाशन से संबंधित आयोग की नियमावली के अध्याय 13 में प्रावधानित है कि विज्ञापन के प्रकाशन से पूर्व यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि मांग पत्र, भर्ती नियम, परीक्षा योजना और आयोग से संबंधित प्रासंगिक स्थायी अधिनियम के साथ-साथ शासकीय परिपत्रों में भी एकरूपता हो। यदि कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो विज्ञापन के प्रकाशन से पूर्व इसे शासन/संबंधित विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिए। अनियमितताएं अनुवर्ती कंडिकाओं में दर्शाई गई हैं:

2.1.10.1 गृह विभाग द्वारा रिक्तियों की कम मांग

गृह विभाग ने आयोग द्वारा पदोन्नति कोटा से सीधी भर्ती कोटा के 128 उप पुलिस अधीक्षकों (जी.डी.) की भर्ती के लिए सहमति (जून 2021) मांगी। आयोग ने निर्णय (जुलाई 2021) लिया कि विनियमन[11] के संशोधित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में, सीधी भर्ती कोटा के पद को पदोन्नति कोटा के पदों में परिवर्तित करने की सहमति नहीं दी जा सकती है। हमने आगे देखा कि गृह विभाग ने राज्य सिविल परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.) के इन 128 रिक्त पदों के विरूद्ध 37 पदों की मांग[12] आयोग से की[13] थी। इस प्रकार विभाग द्वारा की गई मांग में 91 पदों की कमी थी।

आयोग ने इस तथ्य (जून 2024) को स्वीकार करते हुए कहा कि कम मांग के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था और रिक्तियों को विभाग की मांग के अनुसार अधिसूचित किया गया था। इसके अलावा, निर्गम सम्मेलन में यह कहा गया था (जून 2024) कि अब सामान्य प्रशासन विभाग के साथ समन्वय में, आयोग विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई रिक्तियों में आवश्यक परिवर्तनों के आकलन के लिए विभागों के साथ सक्रिय रूप से संवाद करता है।

2.1.10.2 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सात पदों को निरस्त करना

आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के 2,371 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी (फरवरी 2016) की। अधिसूचना को निरस्त कर दिया (अगस्त 2017) गया था और आयोग ने 2,968 पदों के लिए एक नई अधिसूचना फिर से जारी (दिसंबर 2017) की जिसे 3,462 पदों में संशोधित किया गया (अगस्त 2019) था।

---

[11] मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा नियम, 2000 के नियम 6 के साथ अनुसूची-दो की क्रम संख्या 2 पर है।

[12] 24.08.2021 और 28.12.2022।

[13] 15 (विज्ञापन संख्या 10/2021) और 22 (विज्ञापन संख्या 11/2022)।

हमने देखा कि वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में जारी अधिसूचना में पदों को जोड़ा और हटाया गया था। हमने आगे देखा कि गृह विज्ञान में सात (अनारक्षित) पद, अरबी में तीन पद (एक अनारक्षित और 2 अनुसूचित जनजाति), भूविज्ञान में नौ (अनारक्षित) पद, लोक प्रशासन में तीन पद (2 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जाति), रक्षा विज्ञान में तीन पद (अनारक्षित) और संगीत में दो पद (अनारक्षित) निरस्त कर दिए गए थे जैसा कि ***परिशिष्ट-2.5*** में वर्णित है और इन पदों के संबंध में कोई रिक्ति संशोधित अधिसूचना में प्रकाशित नहीं की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा में पदों को ऐसे हटाने/समाप्त करने के कारणों का समर्थन करने वाला कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

मांग में पदों के परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण मांगने में आयोग द्वारा प्रयासों की कमी लेखापरीक्षा में देखी गई। इसके कारण रिक्तियों का एक भाग वर्षों से प्रकाशित होने के लिए लंबित था, जिससे चिन्हित लोक सेवा के लिए कर्मियों की उपलब्धता से वंचित होना पड़ा।

सचिव, एम.पी.पी.एस.सी. ने निर्गम सम्मेलन (जून 2024) में कहा कि अब सामान्य प्रशासन विभाग के साथ समन्वय के माध्यम से, आयोग विभाग द्वारा सूचित की गई रिक्तियों में आवश्यक परिवर्तनों के आकलन के लिए विभाग के साथ सक्रिय रूप से संवाद करता है।

यह प्रतिक्रिया भविष्य के लिए कार्यक्रम की रुपरेखा को दर्शाती है। तथापि, यह अनुशंसा की जाती है कि गलत रिक्तियों की सूचना देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

2.1.11 दिव्यांगजन रिक्तियों के लिए आरक्षित पद सुनिश्चित नहीं करने के कारण भर्ती में विलंब

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश (फरवरी 2011) दिया कि वे मांग पत्र भेजते समय दिव्यांगजन आवेदकों के लिए छह[14] प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करें और ऐसे आरक्षित पदों को आयोग द्वारा विज्ञापन में अधिसूचित किया जाना था। सामान्य प्रशासन विभाग ने आगे विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश (नवम्बर, 2013) दिया। यह भी निर्देश दिया गया कि संबंधित विभागों और चयन संस्थान पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक के 2,371 रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी (फरवरी 2016) की गयी। अधिसूचना को निरस्त कर दिया (अगस्त 2017) गया था और आयोग द्वारा 2,968 पदों के लिए एक नई अधिसूचना फिर से जारी की (दिसंबर 2017) गयी जिसे 3,462 पदों में संशोधित किया (अगस्त 2019) गया था।

[14] परिपत्र संख्या एफ 8-2/2011 दिनांक 14-02-2011 के अनुसार।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयोग ने मुख्य रूप से उच्च शिक्षा विभाग (एच.ई.डी.) की मांग पर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों को बदलने की आवश्यकता के कारण बार-बार विज्ञापन के लिये शुद्धिपत्र जारी किया, जैसा कि **तालिका-2.1** में वर्णित है:

तालिका-2.1: सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए जारी शुद्धिपत्र

प्रकाशन की तिथियां	कुल रिक्तियां	दिव्यांगजन रिक्तियों का विवरण			दिव्यांगजन की कुल रिक्तियां
		गतिशीलता	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
19-02-2016	2,371	44	44	43	131
12-12-2017	2,968	73	131	131	335
12-04-2018	3,422	92	147	145	384
19-08-2019	3,462	72	70	69	211
15-06-2020	3,462	99	147	155	401
08-02-2021	3,462	85	77	81	243
24-05-2022	3,462	92	147	145	384

स्रोत: आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख

यह देखा गया कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी यह निर्देश (फरवरी 2021) दिया कि दिव्यांगजनों के लिए कोटा की गणना स्वीकृत संख्या के आधार पर की जानी चाहिए, न कि केवल अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर। दूसरे शब्दों में, दिव्यांगजन कोटा की गणना पहले से भरे गए संवर्ग के पदों और अधिसूचित रिक्तियों के आधार पर की जाएगी।

अप्रैल 2018 से मई 2022 के दौरान दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों में बार-बार परिवर्तन के परिणामस्वरूप चयन की प्रक्रिया में लगभग चार वर्ष का विलंब हुआ।

अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्गम सम्मेलन के दौरान कहा (जून 2024) कि रिक्तियों को एकत्र करने और अंतिम रूप देने में सामान्य प्रशासन विभाग की भूमिका कुछ वर्षों में बढ़ गई है और सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो सामाजिक न्याय और कल्याण विभाग के अनुमोदन से दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तियों को अंतिम रूप देने में विभाग को सुविधा प्रदान करती है।

आयोग के सचिव ने आश्वासन दिया कि सामान्य प्रशासन विभाग की बढ़ती भागीदारी से भर्ती प्रक्रिया में सुधार होगा और अब आयोग इसे प्रकाशित करने से पहले रिक्तियों के सुधार या निरस्त करने की संभावनाओं की पहचान के संबंध में उपयोगकर्ता विभागों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करता है।

यह प्रतिक्रिया आयोग की ओर से रिक्तियों की आवश्यकता और परिवर्तनों की समीक्षा की अपनी भूमिका की पहचान में विलंब को दर्शाती है।

2.1.12 राज्य शासन के लिए मानव संसाधन की भर्ती करना

आयोग संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदित रिक्तियों के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित करता है और आयोग द्वारा तैयार किए गए कैलेंडर में निर्धारित अनुसूची के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करता है। परीक्षा आयोजित करने के बाद, आयोग चयनित और प्रतीक्षा सूची दोनों अभ्यर्थियों के लिए परिणाम घोषित करता है और अपनी वेबसाइट पर रैंकिंग के साथ एक सूची प्रकाशित करता है। इसके बाद आयोग चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए संबंधित विभागों को अनुशंसा जारी करता है। विज्ञापनों और परीक्षाओं में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.12.1 कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन न किया जाना

हमने देखा कि आयोग ने अवधि 2018 से 2023 में वार्षिक कैलेंडर में शामिल करते हुए 44 परीक्षाओं की योजना बनाई थी। अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि नीचे **तालिका-2.2** में दर्शाई गई है:

तालिका-2.2: लक्षित परीक्षाओं और उनके विज्ञापनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लक्षित परीक्षाओं की संख्या	विज्ञापित परीक्षाएं	आयोजित की गई परीक्षाएं
2018	4	2	2
2019	12	5	5
2020	13	6	6
2021	6	6	6
2022	2	2	2
2023	7	7	1
योग	**44**	**28**	**22**

स्रोत: आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख

इस प्रकार, इन 44 नियोजित परीक्षाओं में से, आयोग ने केवल 28 परीक्षाओं (22 परीक्षाएं आयोजित की गईं और 6 परीक्षाएं प्रक्रियाधीन थीं) के लिए विज्ञापन दिए। यद्यपि, आयोग ने 44 नियोजित परीक्षाओं में से 16 के लिए विज्ञापन प्रकाशित नहीं किए। आगे, हमने देखा कि आयोग ने 6,550 पदों हेतु 28 अतिरिक्त परीक्षाओं (21 परीक्षाएं आयोजित की गईं और सात परीक्षाएं प्रक्रियाधीन थीं) के लिए भी विज्ञापन दिए जो उक्त अवधि में वार्षिक कैलेंडर का हिस्सा नहीं थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.6 (क) एवं 2.6 (ख)*** में वर्णित है।

इस प्रकार, आयोग के पास वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं को शामिल करके परीक्षाओं के कैलेंडर को समय पर तैयार करने के लिए कोई उचित तंत्र नहीं था। आयोग

की ओर से उचित योजना की कमी के कारण, अभ्यर्थियों को परीक्षा कार्यक्रम की समय पर सूचना नहीं मिल सकी।

आयोग ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2024) और कहा कि उसने संबंधित विभागों से मांगों की समय पर प्राप्ति के लिए प्रतिवर्ष अक्टूबर/नवंबर के बजाय जुलाई में संबंधित विभागों के साथ बैठकें आयोजित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि कैलेंडर अधिक योजनाबद्ध और संगठित तरीके से तैयार और प्रकाशित किया जा सके।

2.1.12.2 विज्ञापन के प्रकाशन में विलंब

नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन शाखा राज्य के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांगों की जांच करने और आयोग के अनुमोदन के बाद विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

हमने देखा कि आयोग द्वारा विभाग से मांग प्राप्त होने के बाद विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गयी। हालांकि, लेखापरीक्षा में यह एक बेहतरीन कार्य प्रणाली जिसे अन्यत्र भी अपनाया जा सकता है, केरल लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में एक माह की समय-सीमा निर्धारित की है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि आयोग ने अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान 12,336 पदों के लिए 58[15] परीक्षाओं से संबंधित 94 विज्ञापन जारी किये थे। आयोग ने मांग की तिथि से एक माह के बाद, 94 विज्ञापनों[16] में से 30 विज्ञापन जारी करने के लिए औसतन 136 दिनों का समय लिया जैसा कि ***परिशिष्ट-2.7*** में वर्णित है।

अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा (जून 2024) कि वर्ष 2022 से, सामान्य प्रशासन विभाग एक पोर्टल विकसित कर रहा है जहां रिक्तियों को संबंधित विभागों द्वारा ऑनलाइन दर्ज और अपलोड किया जाएगा। इससे आयोग को विज्ञापन के प्रकाशन में होने वाले विलंब से बचने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, कोविड महामारी/मुकदमेबाजी/आरक्षण परीक्षा में विलंब के प्रमुख कारण थे।

अपेक्षित समय-सीमा न होने के कारण विज्ञापन जारी करने में विलंब हुआ जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया में विलंब हुआ। वर्ष 2022 से रिक्तियों को अपलोड करने के लिए एक पोर्टल का विकास न होना उस क्षेत्र को प्राथमिकता की कमी को दर्शाता है जो आयोग की भर्ती प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

---

[15] लेखापरीक्षा अवधि (2018-23) के दौरान विज्ञापित परीक्षाएं शामिल हैं, लेकिन बाद में आयोजित की गईं।

[16] 3,883 रिक्तियों के लिए।

2.1.12.3 परीक्षा आयोजित करने में विलंब

आयोग की प्रक्रिया के अनुसार एक स्तरीय[17] परीक्षा की चयन प्रक्रिया को विज्ञापन की तिथि से छह माह के भीतर द्विस्तरीय[18] को 12 माह के भीतर एवं तीन स्तरीय[19] को 18 माह के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए ।

हमने देखा कि आयोग ने अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान 13,357 पदों के लिए 48 परीक्षाएं आयोजित की। आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है जैसा कि ***परिशिष्ट-2.8*** में वर्णित है और नीचे **तालिका 2.3** में सारांशित है:

तालिका-2.3: परीक्षाओं को अंतिम रूप देने में विलंब का सारांश

परीक्षा का प्रकार	आयोजित परीक्षाओं की संख्या	पदों की संख्या	विलंब की सीमा (माह में)
एक स्तरीय	9	2509	1 से 10
द्विस्तरीय	8	322	7 से 25
त्रिस्तरीय	1	260	11

स्रोत: आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन और परिणाम

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि कोविड महामारी/मुकदमेबाजी/आरक्षण परीक्षा कार्यक्रम के विलंब होने के प्रमुख कारण थे।

तथ्य यह है कि कोविड-19 के प्रभाव के अलावा परीक्षाओं के आयोजन में विलंब विभागों से मांग प्राप्त होने में विलंब और आयोग द्वारा उस पर कार्रवाई करने में विलंब के कारण हुआ, जैसा कि निम्नलिखित **केस स्टडी 2.1** में चर्चा की गई है:

केस स्टडी: 2.1

विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में विलंब

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने आयोग को सहायक निदेशक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (सांख्यिकी) के रिक्त पद पर भर्ती हेतु मांग भेजी (मार्च 2018) जिसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित अथवा कृषि में स्नातकोत्तर एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता दर्शाई गई थी।

आयोग ने विभाग को सलाह (नवंबर 2018 और फरवरी 2019) दी कि वे अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और गणित जैसे विषयों की अनिवार्यता को हटा दें और सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की एकरूपता

17 केवल साक्षात्कार।

18 लिखित परीक्षा और साक्षात्कार।

19 प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार।

बनाए रखें ताकि विषय में परीक्षा आसानी से आयोजित की जा सके। विभाग ने इसके लिए अपनी असहमति व्यक्त (दिसंबर 2018 और नवंबर 2019) की। प्रक्रिया में हुए विलंब को **तालिका-2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.4: सहायक निदेशक, किसान कल्याण और कृषि विकास (सांख्यिकी) के पद के लिए रिक्ति को अंतिम रूप देने में समयबद्धता

मांग पत्र जारी करने की तिथि	विज्ञापन की तिथि	साक्षात्कार की तिथि	अंतिम परिणाम की तिथि	चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को अग्रेषित करने की तिथि
03-03-2018	26-11-2019	27-10-2020	28-10-2020	04-11-2020

इस प्रकार, आयोग ने मांग प्राप्त करने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करने में लगभग 20 माह का समय लिया, जिसके परिणामस्वरूप ढाई वर्षों में अभ्यर्थियों की भर्ती हुई।

सचिव, आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि कोविड महामारी/मुकदमेबाजी/आरक्षण परीक्षा के विलंब होने के प्रमुख कारण थे।

आयोग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलंब का मुख्य कारण (नवंबर 2018 और फरवरी 2019) विभाग को विषयों की अनिवार्यता को दूर करने के लिए आयोग की सलाह थी, जिसे विभाग द्वारा अपनी आवश्यकताओं के साथ असंगत होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया था जिसके कारण विज्ञापन जारी करने और चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने में विलंब हुआ।

2.1.13 प्रभावी और कुशल तरीके से भर्ती/नियुक्ति नहीं की गई

आयोग राज्य में विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों के लिए राज्य सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। प्रक्रिया के नियमों की कंडिका 6.2(2) में प्रावधानित है कि आयोग द्वारा प्रकाशित चयनित और प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों की सूची अनुशंसा पत्र[20] जारी होने की तिथि से क्रमशः एक वर्ष और डेढ़ वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त, कंडिका प्रावधानित है कि ऐसी कोई भी सूची तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि न्यूनतम एक वर्ष अथवा दो वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, की समाप्ति के बाद नई सूची प्रकाशित न हो जाए।

2.1.13.1 प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की नियुक्ति न करना

राज्य सेवा परीक्षा 2013 के माध्यम से चयनित वाणिज्यिक कर विभाग (सी.टी.डी.) के कर निरीक्षकों और वाणिज्यिक कर अधिकारियों की प्रतीक्षा सूची पर अनुशंसाओं से संबंधित अभिलेखों

[20] आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी का संबंधित विभाग को जारी पत्र।

की जांच से पता चला है कि चयनित अभ्यर्थियों की मुख्य सूची और पूरक सूची की वैधता क्रमशः 15 अगस्त 2017 और 15 फरवरी 2018 थी। हमने आगे देखा कि:

पद का नाम	विषय
कर निरीक्षक	• वाणिज्यिक कर विभाग ने अपने विभाग में कर निरीक्षकों की मुख्य सूची से चयनित तीन अभ्यर्थियों को अन्य विभाग में चयन के कारण कार्यमुक्त कर (अक्टूबर 2017) दिया। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर विभाग ने आयोग को पत्र (16 नवंबर 2017 और 10 जनवरी 2018) भेजकर पूरक सूची से उनके स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों के नाम भेजने का अनुरोध किया। • आयोग ने उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पूरक सूची से तीन अभ्यर्थियों की अनुशंसा (16 जनवरी 2018 और 6 फरवरी 2018) की। हालांकि, अनुशंसित अभ्यर्थियों को वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं दी गई। इस बीच, पूरक सूची की वैधता अवधि समाप्त हो (15 फरवरी 2018) गई और इन अभ्यर्थियों का चयन अंततः निरस्त कर दिया गया क्योंकि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सका।
वाणिज्यिक कर अधिकारी	• वाणिज्यिक कर विभाग ने आयोग से (जनवरी 2018 और फरवरी 2018 में) पूरक सूची से चार वाणिज्यिक कर अधिकारियों (सी.टी.ओ.) की अनुशंसा करने का अनुरोध किया क्योंकि दो अभ्यर्थियों को अन्य पदों के लिए चयनित किये गए थे और दो अभ्यर्थियों ने पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। आयोग ने पूरक सूची से वाणिज्यिक कर विभाग को चार अभ्यर्थियों की अनुशंसा (6 फरवरी 2018) की। ये सभी चार अभ्यर्थी पहले से ही राज्य शासन के विभिन्न विभागों में सेवारत थे। • वाणिज्यिक कर विभाग ने संबंधित विभागों से मूल दस्तावेज, चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि (फरवरी 2018) मांगे। हालांकि, विभागों ने पूरक सूची की वैधता अवधि समाप्त होने अर्थात 15 फरवरी 2018 के पश्चात क्रमशः मार्च 2018 और मई 2018 में वांछित दस्तावेज भेजे। आगे, वाणिज्यिक कर विभाग ने पद पर उपरोक्त आवेदकों की नियुक्ति के संबंध में आयोग से स्पष्टीकरण मांगा (मार्च 2018) क्योंकि वाणिज्यिक कर अधिकारियों की पूरक सूची की वैधता अवधि 15 फरवरी 2018 को समाप्त हो गई थी। • अनुपूरक सूची की वैधता समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों के चयन के लिए अतिरिक्त समय मांगने वाले विभागों के मुद्दे के संबंध में आयोग ने

पद का नाम	विषय
	(अप्रैल 2018) सामान्य प्रशासन विभाग से सभी संबंधित विभागों को अपने स्तर पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि वे, जहां आयोग पूरक सूची से अभ्यर्थियों के नाम अग्रेषित करता है। • वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी चार आवेदकों को सूचित (फरवरी 2019) किया कि सामान्य प्रशासन विभाग की राय के अनुसार, पूरक सूची की वैधता अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए उनकी नियुक्तियों के लिए विभाग स्तर पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि वाणिज्यिक कर अधिकारियों के प्रकरण में विभाग ने नियुक्ति पत्र निरस्त करने के डेढ़ माह के विलंब के साथ प्रस्ताव भेजा। आयोग स्तर पर कोई विलंब नहीं हुआ। हालांकि, इस तरह के विलंब से बचने के लिए पूरक सूची से उम्मीदवारों के चयन के लिए विभाग द्वारा पूरक सूची से अभ्यर्थियों का चयन करने के निर्देशों के साथ मुख्य सूची के साथ अभ्यर्थियों के सभी दस्तावेजों सहित पूरक सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2017) गया।

इस प्रकार, कार्य पद्धति में कमियों और आयोग, सामान्य प्रशासन विभाग और वाणिज्यिक कर विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण ये अभ्यर्थी नियुक्ति के योग्य होने के बाद भी रोजगार से वंचित रह गए।

2.1.13.2 मुख्य सूची से नियुक्ति के निरस्तीकरण में विलंब के कारण प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की नियुक्ति न हो पाना

आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2014 के माध्यम से वाणिज्यिक कर विभाग (सी.टी.डी.) में आबकारी उप-निरीक्षक के पद के लिए परीक्षा आयोजित की और चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को प्रदान की। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए मुख्य और पूरक सूची की वैधता अवधि क्रमशः 13 दिसंबर 2017 और 13 जून 2018 तक थी। तदनुसार, आबकारी आयुक्त ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने से 30 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने की शर्त के साथ नियुक्ति आदेश जारी (मार्च 2017) किया।

हमने देखा कि पूरक सूची से एक अभ्यर्थी और मुख्य सूची के तीन अभ्यर्थियों ने वाणिज्यिक कर विभाग में चयनित पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया । इसके बाद, आबकारी आयुक्त ने वैधता अवधि के बाद क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद क्रमशः जून 2019 और मार्च 2021 में इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त कर दी। इस प्रकार, विभाग द्वारा नियुक्ति

आदेशों को निरस्त करने में विलंब के कारण उसी परीक्षा से प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं की गई, जिससे अभ्यर्थी उक्त अवधि के दौरान रोजगार के अवसरों से वंचित हो गए।

इस ओर इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा यह बताया गया कि उपरोक्त पदों पर नियुक्ति निरस्त करने पर शासन से उत्तर प्राप्त न होने के कारण विलंब हुआ। इस प्रकार, नियुक्ति आदेशों को निरस्त करने में विलंब के कारण भी आयोग की आगामी परीक्षा में इन रिक्तियों को शामिल नहीं किया गया।

आयोग ने इस तथ्य को स्वीकार (जून 2024) किया और कहा कि आयोग द्वारा विभाग के साथ पत्राचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेखापरीक्षा की अनुशंसा पर भविष्य में कार्रवाई की जाएगी।

2.1.13.3 प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न होना

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश (जुलाई 2016) के अनुसार यदि अभ्यर्थी मूल चयन सूची के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं करता है अथवा त्यागपत्र/मृत्यु एवं अन्य कारणों से पद रिक्त हो जाते हैं तो प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि के दौरान अथवा एक वर्ष की अवधि (जो भी कम हो) के दौरान उत्पन्न रिक्तियों को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक (आई.जी.आर.एस.) ने उपपंजीयक, रीवा के रूप में अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी (जनवरी 2018), जिनकी नियुक्ति आदेश जारी होने (जुलाई 2017) से पहले 7 जून 2017 को मृत्यु हो गई थी और नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची से एक नए अभ्यर्थी की अनुशंसा करने का अनुरोध वाणिज्यिक कर विभाग से किया। तथापि, प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थी की अनुशंसा के लिए न तो विभाग और न ही आयोग ने कोई कार्रवाई की।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक ने दिवंगत अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त करने की सूचना दी, लेकिन, विभाग से प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी के चयन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक ने 8 जनवरी 2018 को इस मामले में पत्र की प्रति आयोग को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए पृष्ठांकित किया था। बहु-सेवा प्रदाताओं द्वारा उनकी भूमिकाओं और प्रक्रियाओं की समझ न होने के कारण शब्दों के अर्थ संबंधी मुद्दों पर आगे कार्रवाई नहीं की गई।

2.1.14 भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं

2.1.14.1 विद्यमान रिक्तियों के विरुद्ध दो बार सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (ए.आर.टी.ओ.) का चयन

नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन शाखा राज्य के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांगों की जांच करने और आयोग के अनुमोदन के बाद विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

परिवहन विभाग ने सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों 13 पदों पर भर्ती के लिए मांग आयोग को प्रेषित (फरवरी 2014) की। आयोग ने परीक्षा आयोजित की और नियुक्ति के लिए 13 अभ्यर्थियों की अनुशंसा (अगस्त 2016) की और बाद में विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश (दिसंबर 2016) भी जारी किए गए।

इस बीच, परिवहन विभाग ने गलती से सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अन्य 13 पदों की मांग आयोग को पुनः भेज (सितंबर 2014) दी, जिसके लिए आयोग ने फिर से परीक्षा आयोजित की और उनकी नियुक्ति के लिए परिवहन विभाग को अनुशंसा जारी (दिसंबर 2016) की।

इस प्रकार, आयोग ने 13 पदों की विद्यमान रिक्तियों के विरूद्ध सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पद के लिए 26 चयनित अभ्यर्थियों[21] की नियुक्ति के लिए परिवहन विभाग को अनुशंसा जारी की। प्रारंभ में चयनित 13 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र दिसंबर 2016 में परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए थे। तथापि, बाद में चयनित 13 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र परिवहन विभाग द्वारा जारी नहीं किए गए थे।

तदुपरांत, बाद में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के कारण, मध्य प्रदेश शासन के मंत्रिमंडल ने 19 उपलब्ध पदोन्नति पदों के विरुद्ध बाद में चयनित 13 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्णय (जनवरी 2018) लिया। परिणामस्वरूप, परिवहन विभाग ने उन नौ आवेदकों को नियुक्ति पत्र जारी (मई 2018) किए, जिन्होंने न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी।

आयोग ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि विभाग से मांग पत्र प्राप्त होने के बाद उनको सत्यापित करने का कोई प्रावधान नहीं था।

आयोग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं था क्योंकि अपनाई गई प्रक्रिया में कमी थी और आंतरिक नियंत्रणों का आभाव परिलक्षित हुआ जिससे आयोग/विभाग स्तर पर ऐसी गलतियों को दूर किया जा सकता था। मध्य प्रदेश शासन को इन कमी के प्रकरण में दो चरणों में जिम्मेदारी तय करनी

[21] एस.एस.ई. 2013 से 13 और एस.एस.ई. 2014 से 13।

चाहिए अर्थात (क) गलत मांगें प्रस्तुत करना और (ख) प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई।

2.1.14.2 पदोन्नति पदों में अनियमित आरक्षण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) ने राजपत्र अधिसूचना में अधिसूचित (जनवरी 2014) किया कि खंड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। शेष 50 प्रतिशत पद अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति एवं सीमित विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से प्रत्येक 25 प्रतिशत के अनुपात में भरे जाएंगे।

मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अनुसार पदोन्नति के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था केवल अनुसूचित जाति (16 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति (20 प्रतिशत) के सदस्यों के लिए की गई थी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आयोग से खंड विकास अधिकारी के 71 पदों (अनारक्षित के लिए 36 पद, अनुसूचित जाति के लिए 11 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद) के लिए सीमित विभागीय परीक्षाएं आयोजित करने का अनुरोध किया। बाद में, आयोग ने विज्ञप्ति जारी (मार्च 2016) की, परीक्षा आयोजित की और अंत में 71 खंड विकास अधिकारी के सफल अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित (नवंबर 2017) किया।

इसके बाद, आयोग ने पदोन्नति वाले पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से स्पष्टीकरण (नवंबर 2017) मांगा और परिणाम को रोक (10 नवंबर 2017) दिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट (जनवरी 2018) किया कि 71 खंड विकास अधिकारी की भर्ती को पदोन्नति के विरुद्ध भर्ती के बजाय नई भर्ती के रूप में माना जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह भ्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) के सेवा और भर्ती नियम 1988 की कंडिका संख्या 2 की अनुसूची में 'पदोन्नति' शब्द के कारण उत्पन्न हुआ। आयोग ने विभागीय उत्तर के आधार पर अंतिम रूप से 71 पदों के लिए परिणाम घोषित (मई 2018) किया और आवश्यक अनुशंसा जारी की।

इस प्रकार, यद्यपि पदोन्नति वाले पदों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विरुद्ध 10 पदों को त्रुटिपूर्ण तरीके से भर दिया गया था।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि विभाग से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर चयन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि खंड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विभाग में सेवारत व्यक्तियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी जिसे सीधी भर्ती नहीं माना जा सकता है।

2.1.14.3 आयोग द्वारा आयोजित डी.पी.सी. की समीक्षा न करना

आयोग ने विभागीय पदोन्नति प्रकरणों के निराकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी। आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान को निरस्त करने (अप्रैल 2016) के कारण सामान्य प्रशासन विभाग से पदोन्नति में आरक्षण पर स्पष्टीकरण (मई 2016) मांगा, जिसे एस.एल.पी. संख्या 13954/2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, जिसमें आदेश दिया गया था कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। हालांकि, प्रतिक्रिया न मिलने के कारण आयोग इस प्रकरण पर राय लेने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अनुस्मारक[22] भेजता रहा।

आगे, आयोग ने विभागीय पदोन्नति में आरक्षण पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र (जनवरी 2019) भेजा। सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग को सूचित (फरवरी 2019) किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (मई 2016) के परिपेक्ष्य में, पदोन्नति की प्रक्रिया में एक बाधा है। हालांकि, बाद में सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग को स्पष्ट (अप्रैल 2019) किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश (मई 2016) से पहले आयोजित डी.पी.सी. के प्रकरणों को तय करने में बाधा नहीं थी।

इस प्रकार, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय पर राय/आदेश जारी न किए जाने के कारण, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (अप्रैल 2016) से पूर्व आयोजित किए गए डी.पी.सी. के 47 प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय पर निर्णय न लेने के कारण विभिन्न विभागों के कार्मिक/अधिकारी समय पर पदोन्नति पाने से वंचित रह गए। विवरण (***परिशिष्ट-2.9)*** में दिया गया है।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय पर स्पष्टीकरण जारी न करने के कारण विलंब हुआ। आगे, डी.पी.सी. के ऑनलाइन निपटान के लिए एक पोर्टल प्रक्रियाधीन था।

यह स्पष्ट है कि यदि सामान्य प्रशासन विभाग और आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समय पर समन्वय और उचित विश्लेषण किया होता तो डी.पी.सी. की समीक्षा पहले ही की जा सकती थी।

[22] 2 जून 2016, 29 जून 2016, 18 जनवरी 2017 और 26 अक्टूबर 2018।

2.1.14.4 विभागीय जांच प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा

आयोग ने विभागीय जांच के प्रकरणों के निराकरण में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की।

हमने 373 प्रकरणों में से 42 विभागीय जांच प्रकरणों की नमूना जांच की और पाया कि आयोग ने अवधि 2018-19 से 2021-22 के दौरान निराकरण के लिए 32 से 267 दिन (***परिशिष्ट-2.10***) का समय लिया। एक प्रकरण जुलाई 2014 से अभी तक लंबित है। यह आयोग द्वारा विभागीय प्रकरणों की अपर्याप्त कार्यवाही को दर्शाता है।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि यह कमियों और प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण था। आयोग ने सूचित किया कि अनावश्यक विलंब से बचने के लिए एक सप्ताह/दस दिनों के भीतर इसे विभाग को वापस भेजना शुरू कर दिया है।

2.1.14.5 अद्यतन विषय विशेषज्ञ सूची का संधारण न करना

आयोग की परीक्षा नियमावली में निर्धारित किया गया है कि परीक्षा नियंत्रक प्रतिवर्ष जून/जुलाई के माह में पेपर सेटिंग, मॉडरेटिंग और मूल्यांकन के लिए विषय विशेषज्ञों के पैनल के चयन/अद्यतन के लिए राज्य या राज्य के बाहर विश्वविद्यालय/प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के साथ पत्राचार करेगा। नियमावली में यह भी निर्धारित किया गया है कि विशेषज्ञ का चयन शिक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त पद की प्रकृति पर विचार करते हुए प्रशासनिक/न्यायपालिका सेवाओं से भी किया जाएगा। विशेषज्ञ पैनल की सूची आयोग के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की अनुशंसा, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और पूर्व से चयनित विषय विशेषज्ञों की सलाह पर तैयार की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक विशेषज्ञ का पैनल अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो जांच के बाद अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि आयोग ने अवधि 2018-23 के दौरान परीक्षा (पेपर सेटिंग और मॉडरेशन) के लिए 1,375 पेपर सेटर्स और 1,138 मॉडरेटर को सूचीबद्ध किया, जिसे अंतिम बार वर्ष 2018 में अद्यतन किया गया था और तब से पैनल को अद्यतन करने के लिए परीक्षा नियंत्रक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार विभिन्न परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों की सूची को अनुमोदित किया जा रहा था। आयोग ने सूची को अद्यतन करने हेतु उचित उपाय नहीं किया।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसानुसार भविष्य में विषय विशेषज्ञों की सूची में संशोधन किया जाएगा।

2.1.14.6 साक्षात्कार बोर्ड के गठन में कमियां

एम.पी.पी.एस.सी. प्रक्रिया नियम के नियम 5.7 के अनुसार, साक्षात्कार बोर्ड का गठन आयोग के एक या एक से अधिक सदस्यों के साथ किया जाएगा, अध्यक्ष / सदस्य सभी साक्षात्कार बोर्डों में अध्यक्षता करेंगे। जब दो या दो से अधिक सदस्य संबद्ध होते हैं, तो वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों सदस्य वरिष्ठता में समान हैं, तो अध्यक्ष अपनी सुविधा के अनुसार उन सदस्यों में से किसी को भी साक्षात्कार बोर्ड की अध्यक्षता करने का अवसर देता है। इसके अलावा, यह भी निर्धारित किया गया है कि अध्यक्ष द्वारा एक या एक से अधिक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का चयन किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह नियम स्वयं इस बारे में अनिश्चितता पैदा करता है कि अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की साक्षात्कार बोर्डों में हमेशा उपस्थिति है अथवा नहीं, अथवा केवल अध्यक्ष ही प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ मिलकर बोर्ड का गठन कर सकता है। इस अस्पष्टता के कारण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विभिन्न पदों के लिए आयोजित 16 में से 15[23] साक्षात्कार बोर्ड केवल अध्यक्ष और विशेषज्ञों के साथ गठित किये गये, जबकि आयोग के अन्य सदस्यों की इसमें भागीदारी नहीं रही।

आयोग ने अपने उत्तर (जून 2024) और निर्गम सम्मेलन (जून 2024) में इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि साक्षात्कार बोर्ड के गठन के बारे में स्पष्टता लाने के लिए प्रक्रिया नियमों में संशोधन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लागू किया जाएगा। आगे यह भी कहा गया कि अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों (पी.एस.सी.) की तुलना में सदस्यों की कमी थी।

नियम में संशोधन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

2.1.15 अन्य मुद्दे

2.1.15.1 ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा का आयोजन न करना

ऑनलाइन अथवा कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं अभ्यर्थियों का तीव्र और अधिक सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करती हैं। यह डिजिटल निगरानी और एन्क्रिप्शन के माध्यम से पेपर लीक और कदाचार के जोखिम को कम करके पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, कंप्यूटर-आधारित परीक्षा लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल हैं।

आयोग ने निर्णय (जुलाई 2014) लिया कि परीक्षाएं ऑनलाइन/कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएंगी।

[23] जिसके परिणाम घोषित किए गए।

हमने देखा कि आयोग ने 19 वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं[24] में से केवल पांच (***परिशिष्ट-2.11***) का आयोजन ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया। इसका अर्थ यह हुआ कि आयोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से केवल 26 प्रतिशत परीक्षाएं आयोजित करने में सक्षम था जो आयोग के निर्णय (जुलाई 2014) का उल्लंघन था।

इस ओर इंगित किए जाने पर आयोग ने उत्तर (जून 2024) दिया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की परीक्षाओं में मौजूदा सेवा प्रदाता एजेंसी (एस.पी.ए.) के विरूद्ध कार्रवाई के कारण ऑनलाइन परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया था और ऑनलाइन मोड परीक्षाओं के लिए नए सेवा प्रदाता एजेंसी को अंतिम रूप देने तक ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, निविदा की गुणवत्ता-सह-लागत आधारित समाधान विधि पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए शासन और वित्त विभाग के साथ पत्राचार प्रगति पर था और इस पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, तथ्य यह रहा कि आयोग कल्पना के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं था।

2.1.15.2 नियमावली का अद्यतन न किया जाना

नियमावली में विभाग की नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए इसके नियमों और विनियमों के बारे में जानकारी शामिल है। अद्यतित नियमावली कार्य में स्पष्टता और स्थिरता प्रदान कर सकती है, साथ ही एक संदर्भ और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है जिस पर कोई भरोसा कर सकता है और एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और विकास उपकरण के रूप में उपयोग कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयोग की नियमावली को 2013 से अद्यतन नहीं किया गया था, जिसके कारण शासन/आयोग के निर्देशों को शामिल नहीं किया गया और प्रलेखित प्रक्रियाओं और आयोग के भीतर अपनाई जाने वाली वास्तविक प्रथाओं के बीच विसंगतियां थीं। आगे, कुछ प्रथाओं जैसे ओ.एस.डी. (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी), सिस्टम एनालिस्ट और ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित परीक्षा शाखा के कार्य को नियमावली में शामिल नहीं किया जा सका। इस प्रकार, महत्वपूर्ण अनुदेशों और सूचनाओं को नियमावली में संकलित नहीं किया जा सका।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि नियमावली को अद्यतन करने के संबंध में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। तथापि, इस पर लेखापरीक्षा की अनुशंसा पर विचार किया जाएगा।

24 राज्य सिविल सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा को छोड़कर।

आयोग पूर्वोक्त अनुदेशों सहित नियमावली को अद्यतन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

2.1.15.3 सेवा विनियमों के संशोधन में विलंब

एम.पी.पी.एस.सी. (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973 में आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित किया, जिसमें कार्यकाल, सदस्यों की पेंशन शर्त, अवकाश, पारिश्रमिक और यात्रा एवं चिकित्सा भत्ते के लिए पात्रता शामिल है।

हमने पाया कि आयोग ने उक्त विनियमों में संशोधन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को 36 बार प्रस्ताव भेजा और सामान्य प्रशासन विभाग ने अवधि 2013 से 2023 के दौरान संशोधन और परिवर्तनों के लिए इसे 18 बार वापस किया। प्रस्ताव को वापस करने के कारण तुलनात्मक विवरण तैयार न किया जाना, संशोधित विनियमों के कारण वित्तीय भार का आकलन और इसे हिन्दी और अंग्रेजी आदि में प्रस्तुत करना इत्यादि थे जैसा कि ***परिशिष्ट-2.12*** में वर्णित है।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि कार्यवाही शासन स्तर पर लंबित थी।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि दस वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद सेवा विनियमों में संशोधन की पहचान होने के बावजूद न तो अनुमोदन दिया गया और न ही प्रकाशन किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग दोनों ने आयोग के बेहतर और अधिक कुशल कार्यप्रणाली के लिए सेवा विनियमों को संशोधित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए।

2.1.15.4 आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

आयोग ने विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) मॉड्यूल लागू किए थे, जिनमें (i) मांग पत्र प्रबंधन प्रणाली, (ii) पदों के लिए ऑनलाइन वरीयता, (iii) परीक्षा प्रबंधन प्रणाली, (iv) न्यायालय प्रकरण प्रबंधन प्रणाली, (v) उत्तर पुस्तिका स्कैनिंग और ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली, (vi) साक्षात्कार के समय ऑनलाइन दस्तावेज़ सत्यापन, (vii) ऑनलाइन आवेदन पत्र, (viii) ऑनलाइन प्रवेश पत्र उत्पन्न करना, आदि शामिल हैं।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन मॉड्यूल में एकीकरण की कमी थी और वे एक-दूसरे के साथ इंटरफेस नहीं करते थे, जिससे उन्हें एकल डेटाबेस के रूप में व्यवस्थित करना कठिन हो जाता है। एकीकरण की अनुपस्थिति के कारण डेटा विसंगतियाँ पैदा हुईं, जिससे प्रसंस्करण में विलम्ब हुआ और प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता कम हो गई।

आयोग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2024) में अपनी आई.टी. प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

2.1.16 वित्तीय प्रबंधन

2.1.16.1 उपयोग न होने के कारण निधियों का समर्पण

वित्त विभाग ने निर्देश जारी (2012) किया कि बचत का पुनर्विनियोजन और समर्पण वित्तीय वर्ष के 15 जनवरी से पहले किया जाएगा ताकि वित्त विभाग उपलब्ध निधि का उपयोग कहीं और कर सके।

बचत राशि को समर्पित करने के अतिरिक्त, आयोग आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सभी प्रकार की वसूली को शासन के उपयुक्त प्राप्ति शीर्ष में भी जमा करता है।

हमने पाया कि आयोग को ₹272.92 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसमें से ₹115.83 करोड़ (42.50 प्रतिशत) अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान 15 जनवरी के बाद समर्पण कर दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, निधियों को अधिकांशतः मार्च माह में समर्पित किया गया था जिससे अन्य विभागों द्वारा निधियों के उपयोग की गुंजाइश बहुत कम रह गई थी। विवरण **तालिका-2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5: आवंटन, व्यय और समर्पण का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	समर्पित की गई राशि	समर्पण का प्रतिशत	समर्पण की तिथि
2018-19	46.34	32.65	13.69	30	31 मार्च 2019
2019-20	45.48	35.89	9.59	21	31 मार्च 2020
2020-21	45.95	17.62	28.33	62	05 फरवरी 2021 से 30 मार्च 2021 तक
2021-22	65.04	32.81	32.23	50	31. मार्च 2022
2022-23	70.11	38.12	31.99	46	31 मार्च 2023
योग	272.92	157.09	115.83	42	

(स्रोतः आयोग के अभिलेख)

यह देखा गया कि अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान समर्पित की गई राशि आवंटन के 21 से 62 प्रतिशत के बीच थी और कुल समर्पण राशि 42 प्रतिशत थी। उपयोग न किए जाने के कारण, कुछ परीक्षाओं का आयोजन न किया जाना तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन का निर्माण/ नवीनीकरण न किया जाना था। आगे, आवंटित की गई ₹115.83 करोड़ की धनराशि समर्पण वित्तीय वर्ष के अंत में आयोग की खराब वित्तीय योजना को दर्शाती है।

आयोग ने आश्वासन दिया (जून 2024) कि भविष्य में निधि के समर्पण के लिए समयबद्धता का पालन किया जाएगा।

2.1.16.2 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना

आयोग मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चयनित केंद्रों में परीक्षा आयोजित करता है। आयोग परीक्षा आयोजित करने के लिए विभिन्न जिला कलेक्टरों/ आयुक्तों को व्यय के लिए निधि भी प्रदान करता है जिसमें पर्यवेक्षकों, स्टाफ, ड्राइवरों को देय मानदेय और आवेदकों का यात्रा भत्ता शामिल है। उपयोग न की गई राशि संबंधित जिला कलेक्टरों/ आयुक्तों द्वारा परीक्षा के 15 दिनों के बाद आयोग को वापस की जानी है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) पर उपलब्ध बजट वितरण शीट की जांच से पता चला कि आयोग ने अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए ₹51.18 करोड़ आवंटित किए। तथापि, जिला कलेक्टरों/ आयुक्तों ने घटकवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जिसके कारण जिला कलेक्टरों/ आयुक्तों द्वारा किए गए व्यय और अव्ययित राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। आवंटित राशि और परीक्षा आयोजित करने पर हुए व्यय का विवरण नीचे **तालिका-2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.6: आवंटित राशि, किए गए व्यय और प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल डी.डी.ओ. की संख्या	आवंटित निधि	किया गया व्यय	यू.सी. प्रस्तुत करने वाले डी.डी.ओ. की संख्या	राशि के लिए प्राप्त यू.सी.	यू.सी. प्राप्त नहीं हुआ
2018-19	8	4.16	2.11	4	1.32	0.79
2019-20	52	12.43	6.65	37	4.97	1.68
2020-21	34	5.53	4.43	22	2.70	1.73
2021-22	52	11.73	11.03	51	10.88	0.15
2022-23	53	17.33	13.05	51	12.41	0.64
योग	**199**	**51.18**	**37.27**	**165**	**32.28**	**4.99**

(स्रोत: आयोग के अभिलेख)

यह देखा गया कि मार्च 2023 तक, संबंधित जिला कलेक्टरों/आयुक्तों ने अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान 199 प्रकरणों में से 34 में ₹51.18 करोड़ में से ₹4.99 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किया था।

सचिव, आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि संबंधित अधिकारियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र एकत्र करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.16.3 अतिथि गृह के नवीनीकरण में विलंब

मध्य प्रदेश शासन ने नए अतिथि गृह के निर्माण और आयोग के उपयोग के लिए अतिथि गृह के रूप में पुराने भवन के नवीनीकरण के लिए ₹4 करोड़ स्वीकृत और अनुमोदित (जनवरी 2017) किये। यह कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई[25] द्वारा किया गया था। हालांकि, पी.आई.यू. ने सुझाव दिया कि आयोग का भवन एक विरासत भवन था इसलिए नया निर्माण नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुराने भवन का केवल नवीनीकरण किया जा सकता है।

बाद में, आयोग द्वारा आयोजित की जा रही सभी परीक्षाओं के परीक्षा पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अतिथि गृह की आवश्यकता और अतिथि गृह के अभाव में, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए एवं सभी गोपनीय कार्यों के लिए आमंत्रित किये गए विशेषज्ञों को स्थानीय बाजार के होटलों में रहना पड़ेगा, को दर्शाते हुए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को ₹1.47 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन भेजा गया (फरवरी 2021) था। प्राक्कलन के अनुसार कार्य पूर्ण करने का प्रस्तावित समय छह माह था।

सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग के पुराने कार्यालय भवन को गेस्ट हाउस में बदलने के लिए ₹ 1.47 करोड़ के अनुमानित बजट के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान (मार्च 2021) किया। आयोग ने कार्य पूर्ण करने के लिए बाद में (अवधि 2021-22 और 2022-23 के दौरान) पी.डब्ल्यू.डी. (पी.आई.यू.) को ₹1.47 करोड़ हस्तांतरित किए।

पी.आई.यू. के कार्यपालन यंत्री[26] ने आयोग को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा (अगस्त 2023) और उल्लेख किया कि 22 मार्च 2023 को कार्य पूर्ण हो गया था। निर्धारित समय के लगभग 15 माह बाद कार्य पूर्ण किया गया था। हालांकि, इसे अगस्त 2023 तक आयोग को नहीं सौंपा गया था। हमने यह भी पाया कि आयोग द्वारा अवधि जनवरी 2022 से मार्च 2023 के दौरान होटलों में अपने परीक्षकों और साक्षात्कारकर्ताओं को रुकवाने पर कुल ₹ 94.84 लाख खर्च किए गए थे।

आयोग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (जून 2024) कि अतिथि गृह पर आधिपत्य मिलने के बाद गोपनीय कार्य की गोपनीयता और मितव्ययिता बनाए रखी जाएगी।

उत्तर से पता चलता है कि आयोग को जून 2024 तक भी कब्जा नहीं मिला है। इस प्रकार, अतिथि गृह के निर्माण में विलंब के परिणामस्वरूप परीक्षकों को रुकवाने पर परिहार्य व्यय किया गया।

---

[25] लोक निर्माण विभाग।

[26] पी.डब्ल्यू.डी., संभाग -1।

2.1.17 मानव संसाधन का प्रबंधन

मानव संसाधन से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि अवधि के दौरान आयोग के 206 स्वीकृत पदों में से 21 से 24 प्रतिशत पद रिक्त थे। वर्ष 2019-20 को छोड़कर आयोग में परीक्षा नियंत्रक के दो पदों की स्वीकृति के विरुद्ध केवल एक व्यक्ति कार्यरत था। इसी तरह, सुरक्षा और सतर्कता अधिकारी, प्रमुख सिस्टम एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट का एक-एक पद क्रमशः अवधि 2018-19 से 2019-20, अवधि 2018-19 से 2020-21 और अवधि 2018-19 से 2021-22 के लिए रिक्त रहा।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि सिस्टम एनालिस्ट का पद संविदात्मक कर्मचारियों से भरा गया था। इसके अतिरिक्त, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश (जनवरी 2022) के तहत प्रमुख सिस्टम एनालिस्ट के पद के विरुद्ध विशेष कर्त्तव्यस्थ पर अधिकारी का पद स्वीकृत किया गया था, जबकि दोनों पदों को अलग-अलग कार्य सौंपा गया था। स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और कमी का विवरण नीचे **तालिका-2.7** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.7: स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और मानव संसाधन की कमी का विवरण

वर्ष	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कमी	आधिक्य	मानव संसाधन की कमी (प्रतिशत)
2018-19	206	162	44	-	21.35
2019-20	206	158	48	-	23.30
2020-21	206	158	49	1[27]	23.80
2021-22	206	158	49	1	23.80
2022-23	206	161	46	1	22.30

स्रोत: आयोग द्वारा प्रस्तुत जानकारी

आयोग ने निर्गम सम्मेलन (जून 2024) में इस तथ्य को स्वीकार किया और आई.टी. प्रणाली को मजबूत करने का आश्वासन दिया, लेकिन कहा कि वर्तमान वेतन संरचना में उपयुक्त तकनीकी मानव संसाधन भी उपलब्ध नहीं है।

2.1.17.1 संवेदनशील प्रकृति के महत्वपूर्ण पद को संविदा कर्मचारी द्वारा भरा जाना

सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग में आई.टी. सेल की स्थापना के लिए एक प्रमुख सिस्टम एनालिस्ट, एक सिस्टम एनालिस्ट और दो प्रोग्रामर (प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक और सीधी

[27] एक स्वीकृत पद के विरुद्ध दो लेखा अधिकारी कार्य कर रहे थे। इसमें से एक लेखा अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश (अक्टूबर 2019) के अनुसार कार्य कर रहा था।

भर्ती पर एक) के नए पदों का सृजन (फरवरी 2019) किया। आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को एक पत्र भेजा (जून 2019) कि आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए तकनीकी विभागों से प्रत्येक पद के लिए कम से कम तीन नामों का एक पैनल प्रदान किया जाए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने आयोग को सूचित किया (सितंबर 2019) कि तकनीकी विभाग के तहत मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए एजेंसी (एम.ए.पी.आई.टी.) में ऐसे कोई कर्मचारी/अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग से इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार के स्थान पर अनुबंध के आधार पर एम.ए.पी.आई.टी. के माध्यम से भरने का अनुरोध (नवम्बर 2019) किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन पदों को संविदात्मक पदों के रूप में घोषित किया (दिसंबर 2019) और कहा कि इन्हें सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जा सकता है।

आयोग ने इन पदों की स्वीकृति के ढाई वर्ष बाद सिस्टम एनालिस्ट के एक पद के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित (जून 2022) किया। आगे, आयोग ने ₹0.50 लाख प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर संविदात्मक आधार पर एक सिस्टम एनालिस्ट की नियुक्ति की।

सिस्टम एनालिस्ट परीक्षा परिणाम, परिणाम सॉफ्टवेयर का परीक्षण, मॉड्यूल के सत्यापन और आयोग द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य करता है। पद पर तैनात कार्मिक आयोग के लिए महत्वपूर्ण और गोपनीय गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और एक संविदा व्यक्ति द्वारा इस पद को भरना अनुचित माना जाता है।

अतः मानव संशाधन की कमी ने आयोग के कार्य को प्रभावित किया जिसे इस प्रतिवेदन की विभिन्न कंडिकाओं यथा अधिसूचनाओं के विज्ञापन और परीक्षाओं के आयोजन आदि में सम्मिलित किया गया है।

आयोग ने आई.टी. प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के संबंध में तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान वेतन संरचना में उपयुक्त तकनीकी मानव संशाधन भी उपलब्ध नहीं था। तथापि, आयोग ने उपयुक्त मानव संशाधन की भर्ती के लिए समुचित प्रयास करने का आश्वासन दिया।

2.1.18 अनुबंध प्रबंधन और अन्य अनियमितताएं

2.1.18.1 आवेदकों को परीक्षा शुल्क की वापसी न करना

हमने देखा कि आयोग ने सहायक प्राध्यापक 2014 (जुलाई 2014) और 2016 परीक्षा (फरवरी 2016) के पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसे क्रमशः सितंबर 2015 और अगस्त 2017 में निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद, आयोग ने परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को सूचित (4 मई 2018) किया। तदनुसार, सितंबर 2018 से

दिसंबर 2018 की अवधि के दौरान परीक्षा शुल्क ₹81.71 लाख[28] की वापसी के लिए कार्यवाही की गयी । हालांकि, परीक्षा शुल्क वापसी की प्रक्रिया के दौरान ₹81.71 लाख में से ₹7.55 लाख का लेनदेन विफल रहा। आयोग ने चार वर्ष के काफी विलंब के बाद पुनः शेष राशि हस्तांतरित करने का प्रयास किया और दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान आवेदकों को केवल ₹0.65 लाख (₹7.55 लाख बकाया के विरुद्ध) की राशि दी गई। तथापि, आयोग ने आवेदकों को शेष ₹6.90 लाख वापस करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आगे, उन आवेदकों के विवरण, जिनके विरुद्ध शुल्क वापसी देय था, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि केंद्रीय कोष प्रबंधन प्रणाली (सी.एफ.एम.एस.) से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) में ट्रेजरी भुगतान मॉड्यूल में बदलाव के कारण, सी.एफ.एम.एस. डेटा नहीं दिखाया जा रहा था। हालांकि, शुल्क वापस करने का दावा करने वाले आवेदकों को भुगतान किया जा रहा था।

आयोग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयोग को असफल लेनदेन का विवरण रखना चाहिए था और परीक्षा निरस्त होने के तुरंत बाद आवेदकों को परीक्षा शुल्क वापस करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए था।

2.1.18.2 ठेकेदार से टी.डी.एस. की वसूली न होना

(क) आयकर

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ग के अनुसार, किसी अनुबंध के अनुसरण में कोई भी कार्य कराए जाने के लिए किसी राशि का भुगतान किए जाने पर, आयोग को ऐसी राशि को खाते में जमा करने के समय अथवा उसके भुगतान के समय, उस राशि का दो प्रतिशत आयकर (आई.टी.) के रूप में कटौती करनी चाहिए। इसी प्रकार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ञ के अनुसार, व्यावसायिक अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के संबंध में स्त्रोत पर कर की कटौती 10 प्रतिशत की दर से की जानी है।

प्रश्न-पत्रों के मुद्रण के लिए मुद्रकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं धारा 194ग के अंतर्गत आती हैं जिन पर दो प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर लगाया जाता है तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा से संबंधित सेवाएं व्यावसायिक और तकनीकी सहायता श्रेणी के अंतर्गत आती हैं जिन पर 10 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए धारा 194 ञ का प्रावधान है।

हमने देखा कि आयोग ने अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान परीक्षा आयोजित करने और परिणामों की घोषणा के लिए विभिन्न मुद्रण अनुबंध प्रदान किए, जिसमें वस्तुनिष्ठ और

---

[28] सहायक प्राध्यापक 2014 परीक्षा के 808 आवेदकों के विरुद्ध ₹1.31 लाख और सहायक प्राध्यापक 2016 परीक्षा के 7,707 आवेदकों के विरुद्ध ₹80.40 लाख।

वर्णनात्मक प्रश्न पत्र पुस्तिका और प्रश्न उत्तर पुस्तिका का मुद्रण शामिल था। इन अनुबंधों में परिणामों की तैयारी और घोषणा का कार्य भी शामिल था जिसमें ओ.एम.आर. शीट और डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से परिणामों की स्कैनिंग, संपादन और मूल्यांकन शामिल था, जिसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समर्थन और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

हमने पाया कि आयोग ने अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान परीक्षा प्रश्न पत्रों के मुद्रण के लिए ₹3.48 करोड़ के साथ जी.एस.टी. का भुगतान किया था। तथापि, आयोग ने मुद्रक के देयकों से ₹6.96 लाख (@ 2 प्रतिशत) के टी.डी.एस. का कटोत्रा नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.13 (क)*** में वर्णित है।

आगे, आयोग ने परिणामों की घोषणा के कार्य के लिए मुद्रक को किए गए ₹3.96 करोड़ के साथ जी.एस.टी. के भुगतान से ₹39.59 लाख (@ 10 प्रतिशत) के टी.डी.एस. का कटोत्रा नहीं किया। जैसा कि ***परिशिष्ट–2.13 (ख)*** में वर्णित है।

इस प्रकार, आयोग ने शासन के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं की।

इस ओर इंगित किए जाने पर आयोग ने कहा (जून 2024) कि उक्त अवधि के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने से संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसियों से प्राप्त किए गए हैं।

आयोग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मुद्रकों से प्राप्त आयकर विवरणियां सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थीं और आयोग को आयकर नियमों में यथा निर्धारित अनुसार संबंधित मुद्रक को भुगतान करते समय संबंधित मुद्रक का टी.डी.एस. काटना अपेक्षित था और ऐसा न करने पर आयकर अधिनियम के तहत अर्थदंड लगाया जा सकता है।

(ख) वस्तु एवं सेवा कर

सी.जी.एस.टी. नियम 66 के साथ पठित सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 में प्रावधानित है कि एकत्र किए गए जी.एस.टी. पर टी.डी.एस. कर योग्य वस्तुओं और/अथवा सेवाओं के लिए आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से काटा जाना है, जहां व्यक्तिगत अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य ₹2,50,000 से अधिक है। टी.डी.एस. का भुगतान उस माह के अंत से 10 दिनों के भीतर किया जाएगा जिसमें कर काटा जाता है और उसी का रिटर्न प्रपत्र जी.एस.टी.आर.-7 में फाइल किया जाएगा।

हमने यह भी पाया कि अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान मुद्रक को किए गए भुगतान पर ₹14.88 लाख (***परिशिष्ट-2.13 (क)*** के अनुसार ₹6.96 लाख और ***परिशिष्ट-2.13 (ख)*** के अनुसार ₹7.92 लाख) की जी.एस.टी. राशि सी.जी.एस.टी. नियम 66 के साथ पठित सी.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अनुपालन में मुद्रक के देयकों से वसूल नहीं की गई थी।

इस प्रकार, आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रकों के देयकों से ₹61.43 लाख (₹6.96 लाख + ₹39.59 लाख + ₹14.88 लाख) की टी.डी.एस. का कटोत्रा नहीं किया गया। यह मुद्रकों को भुगतान की प्रक्रिया में कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को भी दर्शाता है।

आयोग ने कहा (जून 2024) कि गोपनीय प्रकृति के कार्य को निष्पादित किए जाने के कारण, संबंधित एजेंसियों से संबंधित अवधि के लिए जी.एस.टी. विवरण फाइल करने का प्रमाणन प्राप्त किया गया है।

आयोग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयोग नियमों में निर्धारित दर पर मुद्रक एजेंसियों को भुगतान के समय टी.डी.एस. के कटोत्रे के लिए उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, आयोग ने लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए।

2.1.18.3 ठेकेदार को जी.एस.टी. का अधिक भुगतान

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अध्याय 48 और 49 में निर्धारित है कि जहां प्रकाशक द्वारा केवल सामग्री की आपूर्ति की जाती है और प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए उपयोग किए गए कागज सहित अन्य भौतिक सामग्री प्रिंटर की होती है तों ऐसे प्रकरणों में, जी.एस.टी. 12 प्रतिशत (सी.जी.एस.टी.-छह प्रतिशत और एस.जी.एस.टी.-छह प्रतिशत) की दर से लगाया जाएगा।

ओ.एम.आर. शीट, उत्तर पुस्तिकाओं/परीक्षा पुस्तिकाओं के लोगो की छपाई के अंतर्गत आने वाली अन्य विनिर्माण सेवाओं पर 18 प्रतिशत (सी.जी.एस.टी.-9 प्रतिशत और एस.जी.एस.टी.-9 प्रतिशत) जी.एस.टी. लगेगा।

हमने पाया कि आयोग ने मुद्रक को परीक्षा आयोजित करने के लिए जिसमें, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक प्रश्न पत्र पुस्तिका, प्रश्न-उत्तर पुस्तिका का मुद्रण, और परिणाम तैयार करना शामिल है जिसमें ओ.एम.आर. शीट और डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से परिणाम का मुद्रण, स्कैनिंग, संपादन और मूल्यांकन करना शामिल है, का अनुबंध दिया। इसलिए, जी.एस.टी. के प्रावधान के अनुसार, प्रश्न पत्र के मुद्रण के लिए अनुबंध मूल्य का 12 प्रतिशत जी.एस.टी. शुल्क लिया जाएगा एवं परिणाम तैयार करने के लिए अनुबंध मूल्य का 18 प्रतिशत जी.एस.टी. शुल्क लिया जाएगा।

हमने पाया कि आयोग ने प्रश्नपत्रों के मुद्रण के कार्य के विरुद्ध मुद्रकों को 21 प्रकरणों में ₹2.36 करोड़ का भुगतान किया था, जिसमें 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से ₹42.40 लाख का जी.एस.टी. शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप ₹14.13 लाख का जी.एस.टी. का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट-2.14*** में वर्णित है।

इस ओर इंगित किए जाने पर आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, तथ्य यह रहा कि आयोग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कारण मुद्रकों को जीएसटी का अधिक भुगतान करना पड़ा जिसे वसूल करने की आवश्यकता है।

2.1.18.4 प्रतिभूति राशि जब्त न होने के कारण मुद्रक को अनुचित लाभ

प्रश्न पत्र आधारित ऑनलाइन परीक्षा के लिए समग्र अनुबंध (एंड-टू-एंड कॉन्ट्रैक्ट) से संबंधित प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ़.पी.) की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई निविदाकार मूल्यांकन प्रक्रिया में अनैतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठे अथवा भ्रामक दस्तावेज़/प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो उसकी निविदा प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।

हमने पाया कि आयोग ने प्रश्न पत्र आधारित ऑनलाइन परीक्षा के समग्र अनुबंध के लिए मध्य प्रदेश निविदा पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित (11 सितंबर 2019) की थी। एल-1 निविदाकार को आशय पत्र (एल.ओ.आई.) जारी किया गया (28 फरवरी 2020) था जिसे स्वीकार कर लिया गया (04 मार्च 2020) और 6 मार्च 2020 को एक गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। निविदाकार ने ₹30 लाख की निविदा प्रतिभूति और 3 मार्च 2026 तक वैधता के साथ ₹2 करोड़ की निष्पादन बैंक प्रतिभूति जमा की थी।

हमने पाया कि आयोग ने पूर्व की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में खराब निष्पादन के लिए अर्थदंड लगाने के संबंध में[29] निविदा जमा करने के समय तथ्यों का प्रकटन न करने के आधार पर मुद्रक के साथ समझौते को समाप्त कर (14 अक्टूबर 2020) दिया। तथापि, आयोग ने आर.एफ.पी. के अनुसार मुद्रक की ₹30 लाख की निविदा प्रतिभूति जब्त नहीं की।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि सफल निविदाकार ने कोई कार्य नहीं किया इसलिए निविदाकार को निविदा प्रतिभूति (ई.एम.डी.) वापस कर दी गई। तथापि, यदि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आर एफ पी के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, तथ्य यह रहा कि आयोग द्वारा निविदा प्रतिभूति की कटौती न करके मुद्रक को अनुचित लाभ दिया गया था।

2.1.18.5 परीक्षा निरस्त होने के कारण सेवा प्रदाता एजेंसी पर अर्थदंड की कम कटौती

सेवा प्रदाता एजेंसी (एस.पी.ए.) और आयोग के बीच परीक्षाएं आयोजित करने और निष्पादित करार के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन हेतु आर.एफ.पी. के दंड प्रावधान[30] में प्रावधानित

---

[29] 16 जुलाई 2017 को आयोजित राज्य सिविल प्री-परीक्षा, 2017, 21 जून 2018 को आयोजित सहायक अध्यापक परीक्षा-उर्दू और 21 जून 2018 को आयोजित सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा में पाई गई विसंगतियों के कारण समझौते को निरस्त कर दिया गया।

[30] प्रस्ताव के लिए अनुरोध का बिंदु क्रमांक 7-7.1 (ई)।

करता है कि यदि सेवा प्रदाता एजेंसी के नियंत्रणाधीन कारणों से केन्द्र पर परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी तो सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और इसके कारण परीक्षा पुनः आयोजित करने के लिए किए गए व्यय के साथ ₹20 लाख का अर्थदंड सेवा प्रदाता एजेंसी पर लगाया जाएगा।

हमने पाया कि आयोग ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा, 2017 (उर्दू) आयोजित (जून 2018) की जिसमें 229 आवेदक उपस्थित हुए। हालांकि, तकनीकी खराबी के कारण आवेदक प्रश्नपत्र की भाषा नहीं समझ पाए[31] और परीक्षा निरस्त कर दी गई। इसके बाद, आयोग ने जांच की जिसमें यह पाया गया कि सेवा प्रदाता एजेंसी की तकनीकी और परिचालन टीम ने यूनिक कोड फॉन्ट के साथ *उबंटू* ऑपरेटिंग सिस्टम की सुसंगतता का परीक्षण किया होता, तो ऐसी घटना (तकनीकी खराबी) से बचा जा सकता था, इसलिए, सेवा प्रदाता एजेंसी परीक्षा निरस्त करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था।

तथ्यों पर विचार करने के बाद आयोग ने (फरवरी 2019) आर.एफ.पी. में निर्धारित शर्तों के अनुसार अर्थदंड के रूप में ₹20 लाख के स्थान पर ₹5.44 लाख (पुन: परीक्षा पर खर्च ₹2.72 लाख+₹ 2.72 लाख के अर्थदंड की समान राशि) वसूल करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाता एजेंसी से ₹17.28 लाख की दंड की राशि की कम वसूली हुई।

आयोग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (जून 2024) और कहा कि सेवा प्रदाता एजेंसी की चूक के कारण सेवा प्रदाता एजेंसी से दंड के रूप में ₹2.72 लाख वसूले गए थे।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि आयोग ने पूर्वोक्त आर.एफ.पी. के प्रावधान के अनुसार दंड की पूर्ण राशि वसूल नहीं की ।

2.1.18.6 त्रुटिपूर्ण परिणाम की घोषणा के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी पर अर्थदंड न लगाया जाना

प्रकरण-I

परीक्षा आयोजित करने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए आर.एफ.पी. के दंड प्रावधान 7.1.(ग) में निर्धारित किया गया है कि यदि सम्पूर्ण परिणाम की गलत तरीके से गणना की जाती है तो सेवा प्रदाता एजेंसी पर ₹ 1 करोड़ का अर्थदंड लगाया जाएगा।

आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, 2015 क्रमशः जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में आयोजित की थी। मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया (अगस्त 2016) गया था और साक्षात्कार मार्च 2017 और अप्रैल 2017 के बीच आयोजित किए गए थे। साक्षात्कार परिणाम

[31] उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक कोड फॉन्ट नहीं होने के कारण आवेदकों ने उर्दू भाषा का प्रश्न पत्र नहीं पढ़ा।

(अप्रैल 2017) के आधार पर, चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची और पूरक सूची तैयार की गई थी, एवं तत्संबंधी अनुशंसाएं (मई 2017) नियुक्तियों के लिए विभागों को भेजी गई ।

हमने पाया कि अभ्यर्थियों ने उपर्युक्त परीक्षा के परिणामों की त्रुटिपूर्ण घोषणा पर आयोग को अभ्यावेदन दिया। इसके बाद, आयोग ने विभागों को सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तैयार किए गए परिणामों में त्रुटियों को देखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश (मई 2017) दिया। तत्पश्चात, आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची को संशोधित किया और साक्षात्कार के लिए 15 और अभ्यर्थियों को शामिल करने का निर्णय (जून 2017) लिया। आयोग द्वारा लेखापरीक्षा को यह सूचित किया गया कि वे अनियमितताएं सेवा प्रदाता एजेंसी के स्तर पर हुई थी, इसलिए संशोधित अंतिम परिणाम जारी किए गए थे। हालांकि, आयोग ने सेवा प्रदाता एजेंसी पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया था और केवल एक चेतावनी पत्र जारी किया गया था।

आयोग ने उत्तर दिया (जून 2024) कि परीक्षा परिणाम घोषित करने का कार्य बहुत गोपनीय और जटिल प्रकृति का था। इसलिए इस प्रकार के कार्य को करने के लिए सीमित निर्दिष्ट एजेंसियां थी। यदि एजेंसी को आर्थिक रूप से दंडित किया गया होता और काली सूची में डाला गया होता, तो आगामी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना संभव नहीं हो सकता था। तथ्यों पर विचार करने के बाद, अध्यक्ष ने निर्णय लिया था और तदनुसार कार्रवाई की गई थी। आगे यह भी कहा गया कि ये परीक्षाएं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ.एम.आर.) आधारित (ऑफलाइन मोड) थीं और ऑनलाइन परीक्षाओं के आर.एफ.पी. दस्तावेज लागू नहीं थे, इसलिए इसे लागू करना संभव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा की गई गलती गंभीर प्रकृति की थी क्योंकि इसने न केवल आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित किया बल्कि कई अभ्यर्थियों के भविष्य को भी प्रभावित किया। आगे, आयोग की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा के आर.एफ.पी. की धारा 7.1 ग में यथा निर्धारित दंड के समान प्रावधान को ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ.एम.आर.) आधारित (ऑफलाइन मोड) परीक्षा के आर.एफ.पी. दस्तावेजों में भी शामिल किया जा सकता है। ओ.एम.आर. आधारित ऑफलाइन परीक्षा के लिए आर.एफ.पी. दस्तावेज लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

प्रकरण-II

आयोग ने 5 दिसंबर 2016 को राज्य सेवा परीक्षा 2017 (प्रारंभिक) के संचालन के लिए विज्ञापन दिया था और यह परीक्षा फरवरी 2017 में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के परिणाम मार्च 2017 में घोषित किए गए थे।

हमने देखा कि:

(i) राज्य सेवा परीक्षा 2017 (प्रारंभिक) में सेवा प्रदाता एजेंसी के स्तर पर तकनीकी त्रुटि के कारण छह अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परिणाम से हटा दिया गया था और 15 नए सफल अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम में शामिल किया गया था।

तथापि, आयोग ने सेवा प्रदाता एजेंसी को केवल चेतावनी जारी की और सेवा प्रदाता एजेंसी के विरुद्ध अर्थदंड लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

आयोग ने कहा (जून 2024) कि ये परीक्षाएं ओ.एम.आर. आधारित (ऑफलाइन मोड) हैं जो ऑनलाइन परीक्षाओं के आर.एफ.पी. दस्तावेजों से संबंधित नहीं हैं इसलिए इसे कार्यान्वित करना संभव नहीं था।

आयोग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित आर.एफ.पी. की धारा 7.1.ग में निर्धारित दंड के समान प्रावधान को ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ.एम.आर.) आधारित ऑफलाइन मोड के आर.एफ.पी. दस्तावेजों में शामिल किया जाना चाहिए।

2.1.19 निष्कर्ष और अनुशंसाएं

2.1.19.1 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में विभागों और आयोग के बीच समन्वय की कमी पाई गई जिसके कारण परीक्षाओं में विलंब हुआ और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हो गए। आयोग के पास कोई उचित वार्षिक परीक्षा कैलेंडर नहीं था क्योंकि आयोग द्वारा विज्ञापित 28 परीक्षाओं को इसके कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया था। साथ ही, आयोग ने मांग प्राप्त होने के बाद विज्ञापन के प्रकाशन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की थी, जिसके कारण इसके प्रकाशन में विलंब हुआ। आयोग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 का उल्लंघन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को शामिल करके पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए खंड विकास अधिकारियों (विभागीय पदोन्नति पद) के 10 पदों की अनियमित रूप से अनुशंसा की थी। आयोग ने 2018 से परीक्षा के लिए पेपर सेटर्स और मॉडरेटर के पैनल को अद्यतन करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। आयोग ने केवल अध्यक्ष और विषय विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार बोर्डों का गठन किया और आयोग के किसी भी सदस्य को बोर्ड में शामिल नहीं किया। इसके अलावा, आयोग के सेवा विनियमों में संशोधन के लिए क्षेत्रों की पहचान के दस वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, प्रस्ताव को न तो अनुमोदित किया गया था और न ही प्रकाशित किया गया था।

2.1.19.2 अनुशंसाएं

मध्य प्रदेश शासन सभी विभागों/आयोग को निर्देश जारी कर सकता है

i. वार्षिक रिक्तियों की त्वरित सूचना देकर आयोग को समयबद्ध तरीके से भर्तियों की प्रक्रिया करने में सक्षम बनाना। (सन्दर्भ कंडिका 2.1.8)

ii. परीक्षा कैलेंडर समय पर अद्यतन किया जाना और सभी परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित करना। (सन्दर्भ कंडिका 2.1.12)

iii. साक्षात्कार के सुचारू और समय पर आयोजन की सुविधा के लिए सभी बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति सुनिश्चित करना। (सन्दर्भ कंडिका 2.1.14.6)

iv. प्रतिवेदन में बताई गई चूकों जैसे मांग प्रस्तुत करने में कमियां और विलंब, दोहरी भर्ती, सीमित विभागीय परीक्षा को नई भर्ती में बदलना, प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की भर्ती न करना आदि के लिए जिम्मेदारियां निर्धारित करना। (सन्दर्भ कंडिका 2.1.8.2, 2.1.9, 2.1.13.1, 2.1.13.2. 2.1.13.3, 2.1.14.1 एवं 2.1.14.2)

अध्याय-III

अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 "बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा

3.2 "भूमि व्यपवर्तन" पर लेखापरीक्षा

3.3 "आदिवासी जनजाति के भूमि अधिकारों की सुरक्षा" पर लेखापरीक्षा कंडिका

3.4 "मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा

अध्याय-III: अनुपालन लेखापरीक्षा

उच्च शिक्षा विभाग

3.1 “बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली” पर लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय), जिसे पहले भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 1970 में भोपाल में हुई थी और यह मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम) द्वारा शासित है। महान स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बरकतउल्ला भोपाली की गौरवपूर्ण स्मृति में विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर (1988) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय कर दिया गया। यह विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों और शिक्षण विभागों में विभिन्न संकायों[1] में पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण श्रृंखला को सम्मिलित करता है। विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रबंधन संस्थान (सी.आर.आई.एम.) प्रबंधन के विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आई.ओ.डी.ई.) पत्राचार माध्यम से स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान (बी.यू.आई.टी.) और फार्मेसी विभाग स्व-वित्तपोषित प्रणाली से संचालित हैं। विश्वविद्यालय परिसर लगभग 400 एकड़ भूमि में है और इसका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र आठ[2] जिलों में है।

मार्च 2023 की स्थिति में विश्वविद्यालय में 2,115 विद्यार्थियों के साथ 26 शिक्षण विभाग (***परिशिष्ट-3.1.1***) हैं। 383 संबद्ध महाविद्यालयों[3] में 1.33 लाख विद्यार्थी नामांकित थे। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.)[4] द्वारा विश्वविद्यालय को बी ग्रेड और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सी.जी.पी.ए.) 2.49 के साथ मान्यता दी (मार्च 2023) गई। बी ग्रेड 'अच्छा' अस्तित्व दर्शाता है।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति (चांसलर) हैं। माननीय राज्यपाल द्वारा नियुक्त कुलपति[5] (वाइस चांसलर), विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रशासनिक और

---

[1] कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, विधि, अभियांत्रिकी, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा।

[2] बैतूल, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा और राजगढ़।

[3] शासकीय महाविद्यालय-70, स्वायत्त महाविद्यालय-9 और निजी महाविद्यालय-304

[4] एक स्वायत्त निकाय जो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करता है।

[5] दिनांक 23 अप्रैल 2024 से कुलपति का नाम परिवर्तित कर कुलगुरु कर दिया गया है।

शैक्षणिक अधिकारी होते हैं। कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन में, कुलसचिव (रजिस्ट्रार), अधिशिक्षक (रेक्टर), वित्त नियंत्रक, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, संकायों के अधिष्ठाता आदि अधिकारी उनकी सहायता करते हैं।

विश्वविद्यालय के पास प्रशासन संचालन हेतु महत्वपूर्ण निकाय (प्राधिकरण) जैसे विश्वविद्यालय कोर्ट, कार्य परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति, संकाय, अध्ययन बोर्ड तथा शैक्षणिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड हैं।

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, कार्यप्रणाली और मानदंड

हमने अवधि 2018-23 (अवधि) में निर्धारित मानदंडों के अनुपालन के स्तर का आकलन करने के लिए विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा की। यह लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत की गई है। हमने सभी 26 शिक्षण विभागों और 383 संबद्ध महाविद्यालयों में से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति द्वारा चयनित 76[6] महाविद्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। इसके अतिरिक्त, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण[7] भी किया गया और इस प्रतिवेदन के लिए प्राप्त सूचनाओं पर विचार किया गया।

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, विनियम, दिशानिर्देश और अधिसूचनाएं, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के समावेशी और गुणात्मक विस्तार पर प्रतिवेदन, विश्वविद्यालयों की वित्तीय संहिता, अध्यादेश और कानून, मध्य प्रदेश शासन के आदेश और अधिसूचनाएं आदि अधिनियम/नियमों के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के आकलन के लिए लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोत हैं।

अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), उच्च शिक्षा विभाग (एच.ई.डी.), मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) के साथ अगस्त 2023 में आयोजित प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। अभिलेखों की जांच, प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण, लेखापरीक्षा पृच्छा और विभिन्न स्तरों पर विश्वविद्यालय कार्यकारिणी के उत्तरों के बाद लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए। प्रारूप प्रतिवेदन 16 अक्टूबर 2024 को शासन को भेजा गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन आयोजित किया (जनवरी 2025) गया।

---

6 भोपाल-26, हरदा-4, नर्मदा पुरम-7, रायसेन-9, राजगढ़-6, सीहोर-12, विदिशा-12

7 सर्वेक्षण किये गये विद्यार्थियों की संख्या: विश्वविद्यालय में 100 और चयनित महाविद्यालयों में 748

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के उत्तर मार्च 2025 में प्राप्त हुए। उत्तर एवं निर्गम सम्मेलन की प्रतिक्रिया को आवश्यकतानुसार अग्रेतर टिपण्णी के साथ शामिल किया गया है।

3.1.4 वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय की आय के प्रमुख स्रोत महाविद्यालयों से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा राज्य शासन, केन्द्र सरकार या अन्य संस्थाओं से प्राप्त अनुदान आदि हैं। विश्वविद्यालय द्वारा वेतन एवं भत्ते, स्थापना, परीक्षा, निर्माण एवं रख-रखाव आदि पर व्यय किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि को संधारित रखने की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के परिनियम संख्या 26 के अनुसार अपनाई गई है, जो कर्मचारियों की सदस्यता और निधि में नियोक्ता के योगदान के प्रावधानों को रेखांकित करती है।

3.1.4.1 आय और व्यय

विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के नियम 142 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय के अनुमानित आय-व्यय विवरण, अनुपूरक और अतिरिक्त अनुदान तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करता है। अवधि के लिए विश्वविद्यालय के बजट की अनुमानित तथा वास्तविक स्थिति और उससे सम्बंधित व्यय नीचे **तालिका 3.1.1** में दर्शाए गए है-

तालिका 3.1.1: बजटीय और वास्तविक आय और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजटीय आय	बजटीय व्यय	वास्तविक आय (प्रतिशत)	वास्तविक व्यय (प्रतिशत)
2018-19	133.01	148.80	131.46(-1)	113.29(-24)
2019-20	121.92	131.05	147.93(21)	102.92(-21)
2020-21	149.62	149.62	97.94(-35)	94.65(-37)
2021-22	130.02	139.53	101.19(-22)	106.90(-23)
2022-23	142.41	153.85	95.46(-33)	119.74(-22)

(स्रोत: बजट अनुमान और वार्षिक प्रतिवेदन (वास्तविक आय और वास्तविक व्यय का घटकवार विवरण *परिशिष्ट-3.1.2* में दिया गया है)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वास्तविक आय बजट अनुमान से 35 प्रतिशत की कमी से 21 प्रतिशत की अधिकता के बीच परिवर्तित हो रही थी तथा वास्तविक व्यय बजट अनुमान से 21 प्रतिशत से 37 प्रतिशत की कमी के बीच परिवर्तित हो रहा था। आय में यह परिवर्तन जुलाई 2019 से सितम्बर 2022 तक बैतूल जिले को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से हटा दिए जाने के कारण हुआ।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि: -

- विश्वविद्यालय को वर्ष 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः ₹67.91 करोड़ और ₹67.80 करोड़ परीक्षा शुल्क प्राप्त हुआ, जो जुलाई 2019 से सितंबर 2022 तक विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में कमी के कारण वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में घटकर क्रमशः ₹40.86 करोड़, ₹49.30 करोड़ और ₹27.11 करोड़ रह गया।
- अवधि 2018-23 में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के कारण वेतन और भत्ते ₹34.40 करोड़ से बढ़कर ₹46.64 करोड़ हो गये।
- वर्ष 2021-22 में कॉर्पस फंड अंशदान के लिए विश्वविद्यालय की बकाया देनदारी के विरुद्ध शासन द्वारा ₹3.90 करोड़ का अनुदान जारी किया गया और समायोजित किया गया। हालाँकि, इस अनुदान को न तो प्राप्ति के रूप में दर्ज किया गया और न ही व्यय में दिखाया गया, जिसके परिणामस्वरूप आय/व्यय ₹3.90 करोड़ कम दिखाया गया।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार (मार्च 2025) किया और कहा कि बजट अनुमान तैयार करते समय उचित सावधानी बरती जाएगी।

3.1.4.2 वार्षिक लेखे तैयार न करना

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24-ए में प्रावधान है कि वित्त समिति वार्षिक लेखा तैयार करेगी और समय पर वार्षिक लेखापरीक्षा पूर्ण करेगी। अधिनियम की धारा 48 में यह भी प्रावधान है कि लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कार्य परिषद द्वारा राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने न तो वार्षिक खातों को बनाने के लिए कोई प्रारूप निर्धारित किया है और न ही राज्य विधानसभा को प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सारिणी निर्धारित की। लेखे में प्राप्ति और भुगतान खाते, आय और व्यय विवरण और बैलेंस शीट शामिल होनी चाहिए। विश्वविद्यालय ने नकद आधार पर वर्ष 2022-23 तक केवल आय और व्यय विवरण तैयार किया था। उपचय आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार न करने के कारण, आय और व्यय विवरण में बकाया व्यय, अग्रिम, पूर्व-भुगतान व्यय, संपत्ति, देनदारियां और प्राप्य आय शामिल नहीं थी। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को सत्य और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित नहीं करते थे जिससे विश्वविद्यालय के सतत क्रियाशील संस्था होने के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित परिसंपत्तियों, देनदारियों, प्राप्य एवं देय राशियों की

जानकारी भी उपलब्ध नहीं थी और जिससे अनधिकृत प्रकटन, दुर्विनियोजन आदि का जोखिम बना रहा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु शासन को केवल आय-व्यय का सारांश ही प्रस्तुत किया।

इसी तरह की लेखापरीक्षा टिप्पणी 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन, मध्य प्रदेश शासन में समाहित "विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन और निजी महाविद्यालयों की संबद्धता" के अंतर्गत भी की गई थी। प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की गई थी कि *"शासन द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करना चाहिए। वार्षिक लेखे उपचय आधार पर तैयार किए जाने चाहिए"* हालाँकि, राज्य शासन द्वारा अभी तक इस अनुशंसा को लागू नहीं किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन में तथ्यों को स्वीकार (जनवरी 2025) किया और कहा कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति के सत्य और निष्पक्ष चित्रण के लिए, लेखों को उपचय के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और इसमें केवल आय और व्यय विवरण के बजाय प्राप्ति और भुगतान लेखा, आय और व्यय विवरण और बैलेंस शीट भी शामिल होनी चाहिए।

वार्षिक लेखे उपचय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए और शासन को वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए प्रपत्र निर्धारित करना चाहिए।

3.1.4.3 बैंक खाते का रोकड़ बही से मिलान न होना

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने निर्देश जारी (अक्टूबर 2009) किया कि सभी शासकीय विभाग तिमाही आधार पर अपने बैंक खातों और रोकड़ बहियों का मिलान करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2023 तक विश्वविद्यालय के आठ बैंक खाते[8] थे, लेकिन वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की रोकड़ बही और बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से एकत्र किए गए ₹2.88 करोड़ को विश्वविद्यालय की रोकड़ बही में आय के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन खातों के मिलान के बाद जून 2021 में बैंक खाते में जमा किया गया। इस प्रकार, मिलान न होने के कारण, धनराशि पंद्रह माह के विलंब से जमा की गई।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में बताया कि वर्ष 2023-24 तक मिलान पूर्ण हो चुका है और एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त राशि को वास्तविक समय के आधार पर सत्यापित करने के लिए त्वरित और सुदृढ़ प्रणाली विकसित

[8] पाँच बचत और तीन चालू खाते

करने का आश्वासन भी दिया। हालांकि, उक्त अवधि का बैंक समाशोधन विवरण और संसाधित रोकड़ बही लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए।

विश्वविद्यालय को अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के साथ-साथ अपने वित्तीय विवरणों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए समय पर बैंक समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

3.1.4.4 अग्रिम राशि का समायोजन न किया जाना

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता 2002 के नियम 172 और 174 में प्रावधान है कि परियोजना अग्रिमों को छोड़कर अन्य सभी अग्रिमों का निपटान एक माह के भीतर किया जाना चाहिए। विशेष प्रकरणों में कुलपति तीन माह तक की समय वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन सभी बकाया अग्रिमों का समायोजन वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व किया जाना चाहिए। यदि कार्मिक समय पर अग्रिमों के समायोजन के लिए लेखा प्रस्तुत नहीं करता है, तो अग्रिमों के निपटान तक उस कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। पूर्वोक्त के नियम 171 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव विश्वविद्यालय कोष से दिए गए अग्रिमों के निपटान के लिए जिम्मेदार होंगे।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय ने खेल गतिविधियों, अग्रदाय, चिकित्सा उपचार, एजेंसियों को निर्माण कार्य के निष्पादन आदि के लिए कर्मचारियों/विभागों को ₹30.15 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया था, जो 20 वर्षों से अधिक समय तक असमायोजित रहा, जैसा कि नीचे **तालिका 3.1.2** में वर्णित है:

तालिका 3.1.2: बकाया अग्रिमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रकरणों की संख्या	राशि
20 वर्ष से अधिक	488	1.21
10 वर्ष से 20 वर्ष	508	10.50
5 से 10 वर्ष	223	13.52
1 से 5 वर्ष	122	4.62
3 महीने से 1 वर्ष	22	0.30
कुल	**1,363**	**30.15**

(स्रोत: अग्रिम पंजी और विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

हमने आगे पाया कि:

- पांच कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु हो गई थी, को ₹4.86 लाख दिए गए, तथा 69 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹51.65 लाख दिए गए, जिससे अग्रिम राशि के

अप्राप्य/असमायोज्य रह जाने का जोखिम पैदा हो गया तथा विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त भार पड़ा, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.3*** में वर्णित है।

- विश्वविद्यालय ने 77 कर्मचारियों को ₹6.60 लाख का अग्रदाय भुगतान किया। इनमें से 23 कर्मचारियों को निर्देशों की अनदेखी करके कई बार अग्रदाय भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा किये जाने तक यह राशि अभी भी कर्मचारियों से वसूल नहीं की गई है, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.4*** में दर्शाया गया है।
- 56 प्रकरणों में, विविध या जमा कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों[9] को ₹23.15 करोड़ का अग्रिम दिया गया था, जो लेखापरीक्षा अवधि तक समायोजित नहीं किया गया था और कुछ प्रकरणों में, अग्रिम राशि वर्ष 2002 से समायोजित नहीं की गई थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.5*** में वर्णित है।
- अवधि 1978 से 2020 के मध्य परीक्षा आयोजित करने के लिए नौ महाविद्यालयों[10] को ₹1.28 करोड़ की राशि दी गई थी, यह राशि लेखापरीक्षा अवधि तक समायोजित नहीं गई थी। विवरण ***परिशिष्ट-3.1.6*** में दर्शाया गया है।
- पूर्व बकाया अग्रिमों का समायोजन किए बिना 36 प्रकरणों में सहायक रजिस्ट्रार को ₹4.20 लाख दिए गए जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.7*** में वर्णित है।

इस प्रकार, संबंधित कार्मिकों की लापरवाही के कारण न तो अग्रिमों का समय-सीमा के भीतर समायोजन किया गया और न ही यह सुनिश्चित किया गया कि नया अग्रिम स्वीकृत करने से पूर्व अधिकारियों द्वारा पूर्व में लिए गए किसी भी अग्रिम का समायोजन किया गया हो। विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले उन कर्मचारियों से भी अग्रिम राशि की वसूली नहीं की गई, जिनके विरुद्ध अग्रिम बकाया था।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जनवरी 2025 और मार्च 2025) कि संबंधित एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किए जा रहे हैं और दोषी कार्मिकों की पहचान की जाएगी एवं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

विश्वविद्यालय को उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता के प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

---

[9] मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, एम.पी. हाउसिंग बोर्ड, भोपाल, भोपाल विकास प्राधिकरण, संभागीय परियोजना यांत्रिक।

[10] शासकीय गीतांजली महाविद्यालय भोपाल, शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय भोपाल, शासकीय एन.एम.वी., नर्मदापुरम, शासकीय एम.एल.बी महाविद्यालय, भोपाल, शासकीय नूतन महाविद्यालय, भोपाल, शासकीय सरोजिनी नायडू महाविद्यालय भोपाल, शासकीय जे.एच. महाविद्यालय बैतूल और नेताजी सुभाष चंद्र महाविद्यालय, सीहोर, शासकीय, एम.वी.एम. महाविद्यालय, भोपाल

3.1.4.5 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सामान्य विकास सहायता अनुदान का लाभ न उठाना

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में यू.जी.सी. ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को ₹14.21 करोड़ का सामान्य विकास सहायता (जी.डी.ए.) अनुदान स्वीकृत किया था, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रथम किस्त आवंटन का 20 प्रतिशत थी और अनुदान की द्वितीय और बाद की किस्तें पिछले अनुदान के प्रगति प्रतिवेदन और व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी.) प्राप्त होने पर जारी की जानी थीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य विकास सहायता के रूप में ₹14.21 करोड़ स्वीकृत किया और ₹5.68 करोड़ (अगस्त 2012 में ₹2.44 करोड़ तथा जुलाई 2013 में ₹3.24 करोड़) जारी किये। विश्वविद्यालय ने प्राप्त अनुदान का समय पर उपयोग नहीं किया। विश्वविद्यालय ने किस्त जारी होने की तिथि से सात वर्ष बीत जाने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ₹6.51 करोड़ (मार्च 2021) का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय शेष किस्त ₹8.53 करोड़ से वंचित रह गया। इस वित्तपोषण अवसर चूक ने अवधि 2021-22 और 2022-23 के दौरान विश्वविद्यालय के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और साथ ही संबंधित विकास को भी प्रभावित किया।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि विश्वविद्यालय ने प्राप्य अनुदान के लिए योजना न बनाने के कारण अवसर खो दिया।

3.1.4.6 विशेष सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान का उपयोग न किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विशेष सहायता कार्यक्रम (एस.ए.पी.) के अंतर्गत अवधि 2018-23 के लिए विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग को ₹70 लाख स्वीकृत (मई 2018) किये थे। इस अनुदान का उपयोग भौतिकी विभाग को विभागीय अनुसंधान सहायता (डी.आर.एस.)-III से विशेष सहायता विभाग (डी.एस.ए.)-I में उन्नयन/जारी रखने[11] के लिए किया जाना था।

[11] उपकरण: ₹20 लाख, भवन (आवास और नए उपकरणों की स्थापना के लिए मौजूदा प्रयोगशाला का उन्नयन/संवर्द्धन विस्तार): ₹20 लाख, पीजी/परीक्षण/अनुसंधान प्रयोगशाला का संवर्द्धन: ₹5 लाख, आकस्मिक/कार्य व्यय: ₹2.5 लाख, रसायन/उपभोग्य वस्तुएं/कांच के बर्तन: ₹5 लाख और अन्य आवर्ती मदें (यात्रा/विजिटिंग फेलो/सेमिनार/तकनीकी सहायता की सेवाएं लेना आदि): ₹17.50 लाख।

विश्वविद्यालय को आवर्ती मदों के लिए प्रथम किस्त के रूप में ₹ 7 लाख का अनुदान प्राप्त (अक्टूबर 2018) हुआ। विभाग ने केवल ₹1.73 लाख का उपयोग सेवा लेने, उपभोग्य सामग्रियों और सलाहकार समिति के मद में किया तथा शेष ₹5.27 लाख पाँच वर्षों से अधिक समय तक अव्ययित पड़ा रहा। अनुदान की द्वितीय और बाद की किस्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी नहीं की गई क्योंकि विश्वविद्यालय, अनुदान की प्रथम किस्त का समय पर उपयोग नहीं कर सका। इस प्रकार, भौतिकी विभाग की अकुशलता के कारण विश्वविद्यालय ₹63 लाख के अनुदान से वंचित रह गया तथा पहले से प्राप्त ₹5.27 लाख के अनुदान का उपयोग नहीं कर सका।

शासन ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि स्वीकृत अनुदान में से केवल ₹1.73 लाख ही समय पर व्यय किए जा सके और शेष राशि को विस्तारित अवधि में व्यय करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति मांगी गई, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई उत्तर नहीं मिला। इसके अलावा, सलाहकार समिति का यह भी मत था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

3.1.4.7 पी.एच.डी./एम.फिल. प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त शुल्क वापस न किया जाना

विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष पी.एच.डी./एम.फिल.[12] अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए डॉक्टरेट प्रवेश परीक्षा-2017 के लिए अधिसूचना जारी (जुलाई 2017) की। अधिसूचना के अनुसार आवेदकों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ₹5,000 और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ₹4,000 का शुल्क जमा करना था। विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के लिए पुनः संशोधित अधिसूचना जारी (अगस्त 2017) की और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क घटाकर ₹2,500 और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ₹1,000 कर दिया।

हमने पाया कि अधिसूचना में संशोधन से पहले 2,036 आवेदकों ने प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किए थे और विश्वविद्यालय ने ₹98.42 लाख का शुल्क संग्रहित किया था। हालांकि, कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचना जारी करके विद्यार्थियों से संग्रहित अतिरिक्त प्रवेश शुल्क को वापस करने का निर्णय (दिसंबर 2017) लिया। आवेदकों को शुल्क वापसी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बैंक खाता प्रस्तुत करना आवश्यक था। विश्वविद्यालय ने ₹52.59 लाख का अतिरिक्त शुल्क संग्रहित किया था, लेकिन दिसंबर 2017 से जनवरी 2020 के दौरान 1,481 आवेदकों को ₹38.35 लाख वापस किये।

---

[12] पी.एच.डी.:डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और एम.फिल.:मास्टर ऑफ फिलॉसफी।

555 आवेदकों के शेष ₹14.24 लाख छह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं किए गए।

इस प्रकार, परीक्षा के लिए आवेदन के साथ अभ्यर्थियों का पता और मोबाइल नंबर होने के बावजूद, उन्हें अतिरिक्त शुल्क की वापसी के बारे में सूचित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, अतिरिक्त भुगतान किया गया ₹14.24 लाख का शुल्क 555 आवेदकों को नहीं मिल सका। यदि विश्वविद्यालय द्वारा लेखों का रखरखाव और संचालन उपचय आधार पर किया जाता, तो इसे लेखों में देयता के रूप में दिखाया जा सकता था।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया (मार्च 2025) और कहा कि 555 आवेदकों से लिए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं तथा विवरण के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया जा रहा है।

3.1.4.8 कर्मचारियों से ऊर्जा शुल्क और लाइसेंस शुल्क की कम वसूली

क) विश्वविद्यालय ने थोक ऊर्जा श्रेणी के अंतर्गत ऊर्जा शुल्क का भुगतान करके मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एम.पी.एम.के.वी.वी.सी.एल.) से स्वतंत्र फीडर के माध्यम से 11 के.वी. आपूर्ति कनेक्शन लिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक आवास को बिजली की आपूर्ति की गई थी, एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता/व्यक्तियों द्वारा खपत की गई वास्तविक ऊर्जा पर लगाए गए बिजली की दरों के बजाय आवास के प्रकार के आधार पर नियत प्रभार लगाए गए थे। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कार्य परिषद द्वारा दिसंबर 2010 में कर्मचारी आवास [13] के प्रकार के आधार पर नियत टैरिफ निर्धारित किए गए थे और कार्य परिषद द्वारा अगस्त 2022 में दरों के संशोधन के लिए अनुमोदन दिया गया था। संशोधित[14] दरों को 13 माह के विलंब से सितंबर 2023 में लागू किया गया, जिससे विश्वविद्यालय को ₹22.40 लाख[15] का राजस्व नुकसान हुआ।

ख) लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), मध्य प्रदेश शासन ने विश्वविद्यालय को निर्देश (नवंबर 2015) दिया कि शासकीय आवासों का लाइसेंस शुल्क सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य

---

[13] टाइप ई.- ₹1500, टाइप एफ.-₹1200, टाइप जी-₹900, टाइप एच.-₹750, टाइप आई.-₹600.

[14] टाइप ई.-₹3800, टाइप एफ.-₹3400, टाइप जी.-₹2800, टाइप एच.-₹2200, टाइप आई.-₹1400.

[15] आवासों की संख्या (टाइप ई.-8, टाइप एफ.-24, टाइप जी.-8, टाइप एच.-46, टाइप आई.-24)* दर का अंतर (₹2300, ₹2200, ₹1900, ₹1450, ₹800)* माह का विलंब अर्थात 13 = ₹2.39 लाख+₹6.86 लाख+₹1.98 लाख+₹8.67 लाख+₹2.50 लाख। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने आवासों में रहने वालों की संख्या नहीं बताई, इसलिए सभी आवासों में रहने वालों को ध्यान में रखते हुए राजस्व हानि की गणना की गई।

प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दरों (11 सितंबर 2014) पर अक्टूबर 2014 से वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मई 2023 तक निर्धारित (जुलाई 2000) कम दरों पर कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क वसूलना जारी रखा था, यद्यपि लोक निर्माण विभाग ने अक्टूबर 2014 में दर को संशोधित किया था। लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ किए जाने (जनवरी 2024) पर विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 में लाइसेंस शुल्क की संशोधित दर को लागू करने के निर्देश जारी किया और विद्यमान कर्मचारियों से दस किश्तों में बकाया वसूल किया।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में तथ्यों को स्वीकार किया और कुलसचिव को निर्देश दिया कि वे वितरण कंपनियों से इस मामले पर चर्चा करें और आवासीय क्वार्टरों के लिए व्यक्तिगत ऊर्जा कनेक्शन हेतु आवेदन करें क्योंकि कर्मचारी नियत विद्युत प्रभार के विरुद्ध असीमित बिजली की खपत कर सकते हैं। अपर मुख्य सचिव ने कुलसचिव को लाइसेंस शुल्क में समय पर संशोधन और कार्यान्वयन के भी निर्देश दिए क्योंकि विलंबित निर्णय विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। शासन ने यह भी बताया (मार्च 2025) कि संबंधित कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क की राशि वसूल की जा रही थी और खाली किए गए आवासों का लाइसेंस शुल्क संबंधित कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से जमा किया गया।

3.1.4.9 जमानत राशि (कॉशन मनी) का लेखा न रखना

वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन को निर्देश जारी (फरवरी 1971) किया कि विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई जमानत राशि 'राजस्व जमा' है और उस पर व्यपगत के नियम लागू होंगे। उक्त अधिसूचना में आगे प्रावधान है कि विद्यार्थियों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां जैसे जमानत राशि जमा आदि, जो उन्हें वापस किये जाने योग्य हैं, को लघु शीर्ष[16] के अंतर्गत लेखांकित किया जाना चाहिए। निर्देश के अनुपालन में, शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्राचार्य मार्गदर्शिका 1987 में भी दोहराया गया कि महाविद्यालयों को विद्यार्थियों द्वारा जमा की गई और उन्हें वापस की गई जमानत राशि का रजिस्टर संधारित करना था। यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष बाद भी जमानत राशि की वापसी के लिए आवेदन नहीं करता है, तो राशि जब्त कर ली जाएगी और शासकीय खाते में जमा कर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने प्रत्येक वर्ष प्राप्त और वापस की गई जमानत राशि का कोई लेखा अथवा अभिलेख नहीं रखा, न ही इसने अपनी स्थापना अर्थात 1970 से

[16] लघु शीर्ष 123 “शैक्षणिक संस्थाओं की जमा राशि”

जमानत राशि की कुल देयता का पता लगाया, इसलिए लेखापरीक्षा, समीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त, वापस की गई जमानत राशि तथा जमानत राशि की देयता का पता नहीं लगा सकी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि यदि विश्वविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर दावा नहीं किया जाता है तो छात्रों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में लेखा अनुभाग जमानत राशि का समग्र लेखा संधारित करेगा।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद, बिना आवेदन किए विद्यार्थियों को जमानत राशि की स्वतः वापसी के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना है।

विश्वविद्यालय को जमानत राशि के संग्रहण के संबंध में अभिलेख रखने में सुधार करना चाहिए तथा धन वापसी के लिए स्वचालित प्रणाली बनानी चाहिए।

3.1.4.10 संबद्धता शुल्क की प्राप्ति न होना

परिनियम 27 की धारा 13(3) में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में स्वीकृत प्रत्येक महाविद्यालय या संस्थान (अस्थायी/स्थायी) को अनुमोदित दर पर प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर (विधि पाठ्यक्रमों के लिए) और 28 फरवरी (अन्य पाठ्यक्रमों के लिए) तक वार्षिक संबद्धता शुल्क का भुगतान करना होगा। संबद्धता शुल्क के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में, 15 नवंबर (विधि पाठ्यक्रमों के लिए) और 15 मई (अन्य पाठ्यक्रमों के लिए) तक संबद्धता शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि देय शुल्क का भुगतान उसमें निर्दिष्ट तिथि तक नहीं किया जाता है, तो संस्थान/महाविद्यालय की संबद्धता रद्द की जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 65 महाविद्यालयों ने जनवरी 2024 की स्थिति में ₹1.07 करोड़ का अपना संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.8*** में वर्णित है। 65 में से 11 महाविद्यालयों ने ₹26.66 लाख का अपना संबद्धता शुल्क पांच वर्ष से अधिक समय से जमा नहीं किया है। 65 में से आठ महाविद्यालय पहले ही बंद हो चुके हैं, जिससे उनके विरुद्ध लंबित ₹13.56 लाख के संबद्धता शुल्क की वसूली की बहुत कम गुंजाइश बची है।

विश्वविद्यालय ने उन महाविद्यालयों की संबद्धता वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने परिनियम के अनुसार निर्दिष्ट तिथि तक अपने संबद्धता शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

विश्वविद्यालय ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि संबद्धता शुल्क की अप्राप्ति को नियंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र लागू किया जाएगा।

शासन ने बताया (मार्च 2025) कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर ने महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए संबद्धता शुल्क का एक तिहाई जमा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, प्रकरण पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना है और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त अंतरिम निर्णय शैक्षणिक सत्र 2024-25 से संबंधित है।

विश्वविद्यालय को संबद्ध महाविद्यालयों से देय संबद्धता शुल्क के लेखांकन और समय पर वसूली के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

3.1.5 शैक्षणिक गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी

3.1.5.1 दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं का क्रियान्वयन न होना

अधिनियम, 1973 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक अकादमिक योजना और मूल्यांकन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्य[17] अधिनियम के अनुसार होंगे। उक्त बोर्ड के कर्तव्यों में विश्वविद्यालय की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना तैयार करना, नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों का सुझाव देना, नवीन शैक्षणिक विभाग की स्थापना के लिए प्रस्ताव देना और विश्वविद्यालय के क्रियाकलाप का मूल्यांकन करना शामिल है।

अकादमिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड ने अपनी बैठक (दिसंबर 2018) में अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को अनुमोदित किया। अल्पकालिक योजनाओं में प्रत्येक दो वर्ष बाद पाठ्यक्रम में संशोधन, डिजिटल मोड में शिक्षण, दृश्य-श्रव्य स्टूडियो की स्थापना आदि शामिल थे। इसी तरह, दीर्घकालिक योजना के लक्ष्यों में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनना, अध्ययन केंद्रों की स्थापना, छात्र सहायता केंद्र/शिकायत प्रकोष्ठ को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर, विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) एवं महात्मा गांधी पीठ की स्थापना आदि शामिल थे। अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का गठन भी किया जाना था।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय ने अकादमिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों एवं वित्तीय व्यय की वार्षिक योजनाएँ तैयार नहीं कीं। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के

---

[17] कुलपति, रेक्टर, संकायों के अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद के अधिष्ठाता अथवा निदेशक, विश्वविद्यालय के तीन विभागों और अध्ययन स्कूल के प्रमुख, दो महाविद्यालय प्राध्यापक, तीन विद्वान, उद्योग, कृषि और वाणिज्य के दो प्रतिनिधि।

आवधिक मूल्यांकन के लिए निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया। परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक योजनाओं में दर्शाई गई गतिविधियों का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रयास किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय को अपनी योजना एवं क्रियान्वयन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए तत्काल एवं व्यापक कार्रवाई करनी चाहिए।

3.1.5.2 एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन न होना

विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में किए जाने वाले सभी कार्यों[18] के डिजिटलीकरण के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (यू.एम.एस.) लागू करने का निर्णय (जनवरी 2017) लिया। विश्वविद्यालयों की समन्वय समिति ने अपनी 93वीं बैठक (अक्टूबर 2017) में मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (आई.यू.एम.एस.) से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। आई.यू.एम.एस. के क्रियान्वयन को विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक योजना में भी शामिल (दिसंबर 2018) किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2019-23 के दौरान आई.यू.एम.एस. के सॉफ्टवेयर के विकास और संचालन पर व्यय के लिए ₹1.75 करोड़[19] का बजट प्रावधान किया गया था। यद्यपि, अवधि 2019-22 के दौरान आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ पर ₹5.84 लाख[20] खर्च किए गए, जो कि निष्फल रहा क्योंकि आई.यू.एम.एस. वर्तमान तक (जनवरी 2025) लागू नहीं हुआ था। इसके अलावा, 60 प्रतिशत ऑनलाइन सेवाएं जैसे विद्यार्थी नामांकन, परीक्षा प्रक्रिया और संबद्धता शुल्क भुगतान एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल[21] के माध्यम से संचालित की गई थीं।

---

[18] वित्त प्रणाली, प्रशासन प्रणाली, अकादमिक प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, भंडारण और खरीद प्रणाली, अभियांत्रिकी प्रणाली, पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली, फ़ाइल संचलन/ट्रैकिंग प्रणाली और अन्य अनुभाग/प्रकोष्ठ/सुविधा प्रणाली।

[19] 2019-20- ₹30 लाख, 2020-21- ₹25 लाख, 2021-22-₹20 लाख, और 2022-23 ₹100 लाख।

[20] वर्ष 2019-20 में ₹0.39 लाख, वर्ष 2020-21 में ₹0.05 लाख, वर्ष 2021-22 में ₹5.40 लाख

[21] एम.पी. ऑनलाइन एक आउटसोर्स पोर्टल है जो विश्वविद्यालय को विद्यार्थी नामांकन, परीक्षा और संबद्धता शुल्क के संग्रह आदि में सुविधा प्रदान करता है।

इस प्रकार, सभी ऑनलाइन संचालन के लिए एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर निर्भरता एक महत्वपूर्ण निर्भरता जोखिम का कारण बनती है और पोर्टल में तकनीकी बाधाएँ, परिचालन व्यवधानों, अथवा पर्याप्त रूप से सेवाएं प्रदान नहीं करने जैसी समस्याओं के मामले में, यह आवश्यक कार्यों को पूरा करने की विश्वविद्यालय की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित कर सकती है। आई.यू.एम.एस. के क्रियान्वयन न होने के कारण, आई.यू.एम.एस. के माध्यम से विश्वविद्यालय के डिजिटलीकरण के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके और इच्छित हितधारक विश्वविद्यालय के कार्यों के डिजिटलीकरण के लाभ से वंचित रह गए।

विश्वविद्यालय ने उत्तर में बताया (मार्च 2024) कि आई.यू.एम.एस. के कार्यान्वयन के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय के डिजिटलीकरण के लिए आई.यू.एम.एस. को समय पर लागू किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत शासन ने एक ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म समर्थ (स्मार्ट ऑटोमेशन ऑफ मैंडेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टेक्नोलॉजी) लागू किया है, जिसे भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एच.ई.आई.) में संचालन को स्वचालित करने तथा दक्षता, पारदर्शिता एवं डिजिटल शासन बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विश्वविद्यालय ने कहा (सितंबर 2025) कि उसका समर्थ खाता जुलाई 2025 में सक्रिय किया गया था, एवं मॉड्यूल जिसमें कर्मचारी मॉड्यूल, वित्त, लेखा तथा आपूर्ति से संबंधित मॉड्यूल, शैक्षणिक तथा विद्यार्थी संबंधित मॉड्यूल आदि शामिल हैं, को समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय, समर्थ के अंतर्गत मॉड्यूल की कार्यक्षमता की समीक्षा कर सकता है और आई.यू.एम.एस. को लागू करने की आवश्यकता का आकलन कर सकता है।

3.1.5.3 एन.ए.ए.सी. मान्यता में चिन्हित कमियां

विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) से लगातार 'बी' ग्रेड मिला है, जिसमें 2015 में 2.50 और 2023 में 2.49 ग्रेड पॉइंट हैं। वर्ष 2023 के लिए एन.ए.ए.सी. ग्रेड शीट की जांच से पता चला है कि विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन किए गए सात मानदंडों में से केवल एक मानदंड, "संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम अभ्यास" में 3.0 से ऊपर अंक प्राप्त किए। यह विश्वविद्यालय के निराशाजनक प्रदर्शन को दर्शाता है। प्रमुख संकेतकों की एन.ए.ए.सी. ग्रेड शीट के विश्लेषण से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिखाई देते हैं जैसा कि नीचे **चार्ट 3.1.1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-3.1.1: एन.ए.ए.सी. द्वारा प्रमुख संकेतक पर श्रेणीकरण

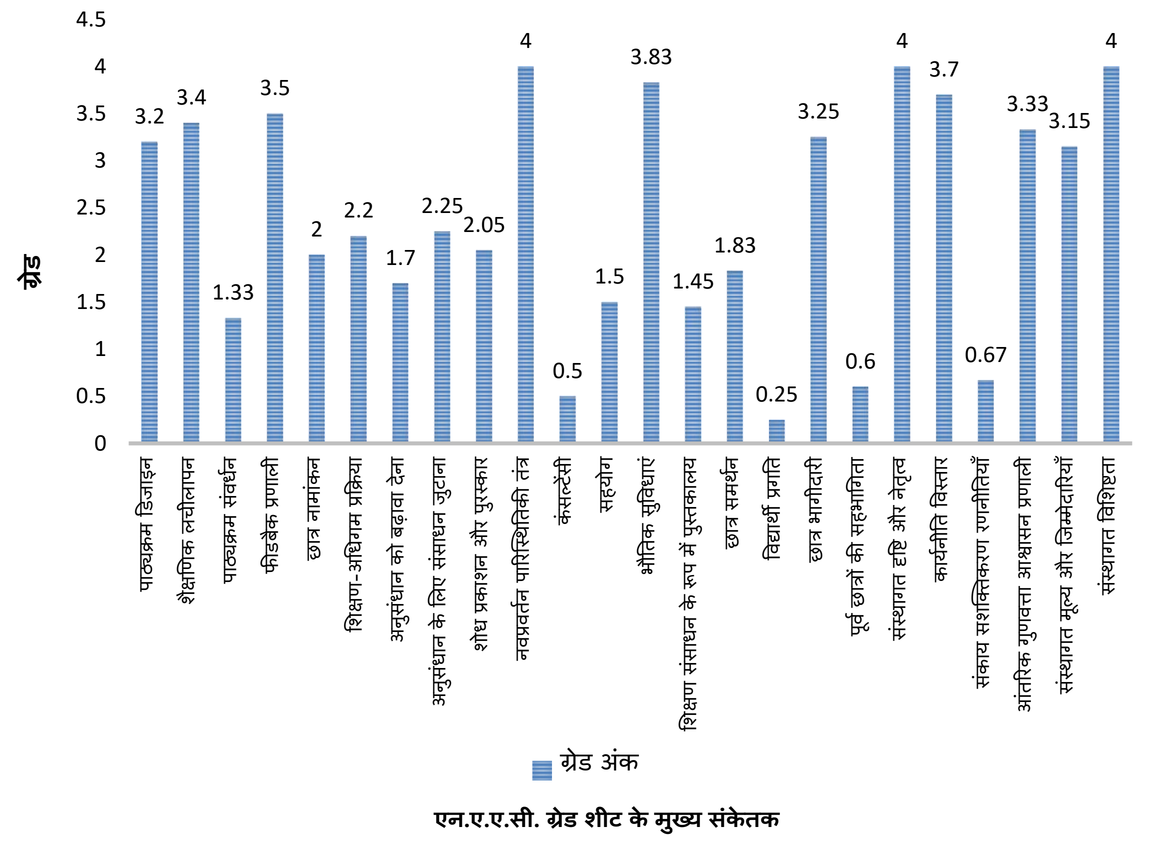

- पाठ्यक्रम संबंधी पहलू (मानदंड 1)- "पाठ्यक्रम संवर्धन" के अंतर्गत मुख्य संकेतक, जिसमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम और गतिविधियाँ तथा क्रॉस-कटिंग मुद्दों का एकीकरण और संवेदनशीलता आदि जैसे पहलू शामिल हैं, के अंतर्गत विश्वविद्यालय को बहुत खराब 1.33 का ग्रेड मिला। इससे पाठ्यक्रम संवर्धन और विद्यार्थियों के विकास में महत्वपूर्ण कमियों का पता चलता है।

- शिक्षण-अधिगम और मूल्यांकन (मानदंड 2)- विश्वविद्यालय का प्रदर्शन प्रमुख संकेतकों जैसे विद्यार्थी नामांकन और प्रोफ़ाइल, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, ग्रेड अंक क्रमशः 2 और 2.2, में अपर्याप्त था, जो विश्वविद्यालय के शिक्षण और अधिगम प्रथाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में कमी दर्शाता है।

- अनुसंधान, नवाचार और विस्तार (मानदंड 3)-इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय के ग्रेड अत्यधिक कम थे, विशेषकर संकेतकों जैसे अनुसंधान सुविधाओं के संवर्धन में 1.7, अनुसंधान के लिए संसाधन जुटाने में 2.25 और अनुसंधान प्रकाशन और पुरस्कार में 2.05 ग्रेड थे। विश्वविद्यालय को परामर्श और सहयोग में भी 0.5 का बहुत खराब ग्रेड मिला। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (एन.ए.ए.सी.) पियर रिव्यु समिति ने अनुसंधान गतिविधियों को मजबूत करने और विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों से

अनुसंधान अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला।

- अधोसंरचना और शिक्षण संसाधन (मानदंड 4)-शिक्षण संसाधन के रूप में पुस्तकालय के लिए ग्रेड 1.45 उल्लेखनीय रूप से कम था। आयोजित पियर रिव्यु ने पुस्तकालय के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों के साथ इसे उन्नयित करने और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
- विद्यार्थी सहायता और प्रगति (मानदंड 5)-विश्वविद्यालय को 1.36 का ग्रेड मिला, जो इतने पुराने विश्वविद्यालय के लिए असंगत था। विद्यार्थी प्रगति और पूर्व विद्यार्थियों की भागीदारी जैसे प्रमुख संकेतकों में, ग्रेड अंक 1.0 से नीचे थे, जो इन क्षेत्रों में कमियों को दर्शाता है।
- शासन, नेतृत्व और प्रबंधन (मानदंड 6)-"संकाय सशक्तिकरण रणनीतियों" के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय को बहुत कम ग्रेड, 1.0 से भी कम, प्राप्त हुआ।

ये टिप्पणियां विश्वविद्यालय के लिए अपने समग्र प्रदर्शन को सुधारने तथा शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इन कमियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती हैं।

शासन ने उत्तर (मार्च 2025) में बताया कि एन.ए.ए.सी. अंक में सुधार के लिए संभावित कदम उठाए जा रहे हैं।

3.1.5.4 निम्न ग्रेडिंग के कारण दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम बंद किया जाना

यू.जी.सी. ने सितंबर 2020 में अधिसूचित किया कि न्यूनतम 3.01 एन.ए.ए.सी. अंक वाला कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान अथवा पिछले दो चक्रों में कम से कम एक बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ.) में शीर्ष 100 रैंकिंग में बना रहने वाला संस्थान दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

मध्य प्रदेश शासन और यू.जी.सी. के अनुमोदन से 1975 में स्थापित विश्वविद्यालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग विभिन्न विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यू.जी.सी. ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक वर्ष 2016-18 के दौरान 19 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक वर्ष 2018-20 के लिए 10 पाठ्यक्रम प्रदान करने की मान्यता दी। हालांकि, यू.जी.सी. ने कम एन.ए.ए.सी. अंक के कारण 2020-21 से पत्राचार पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आगे मान्यता बढ़ाने से इनकार कर दिया।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान स्नातक और डिप्लोमा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान नहीं की, जो यू.जी.सी. दिशानिर्देशों (जून 2017) का उल्लंघन है। फलस्वरूप, अवधि 2018-2023 के दौरान विद्यार्थी नामांकन संख्या 1,222 से घटकर शून्य हो गयी और वार्षिक आय वर्ष 2018-19 में ₹43.56 लाख से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹1.80 लाख हो गई।

इस प्रकार, खराब प्रदर्शन और विद्यार्थियो को अध्ययन सामग्री की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि हुई और विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लाभ से भी वंचित रहे।

शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया (मार्च 2025) एवं कहा कि विश्वविद्यालय अच्छे एन.ए.ए.सी. अंक प्राप्त करने के लिए सभी संभावित आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है, जिससे कि पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके।

विश्वविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मान्यता अंक में सुधार करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए ताकि पत्राचार पाठ्यक्रम पुनः शुरू किया जा सके।

3.1.6 यू.जी.सी. मानदंडों का उल्लंघन

3.1.6.1 राजीव गांधी पीठ के कार्यान्वयन न होने के कारण यू.जी.सी. से धनराशि की प्रतिपूर्ति न होना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.ओ.एच.आर.डी.), भारत सरकार ने चयनित केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में समकालीन अध्ययन में विभिन्न विषयों पर दस राजीव गांधी पीठों की स्थापना कर, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माता थे, के योगदानों का सम्मानित करने का निर्णय लिया। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में राजीव गांधी पीठ को 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति (सितंबर 2005) दी गई थी। यू.जी.सी. ने बारहवीं योजना (2012-17) तक पीठ की समय अवधि बढ़ा (जुलाई 2011) दी, एवं बाद में इसे पुनः मार्च 2024 तक बढ़ा दिया (दिसंबर 2021) गया। समय अवधि का विस्तार जून 2022 तक पूर्णकालिक पीठ प्राध्यापक की नियुक्ति की शर्त पर था। दिशानिर्देशों में निर्धारित है कि यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहल के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। विश्वविद्यालय को पीठ के लिए एक प्रोफेसर, एक पोस्ट डोक्टोरल रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो को पांच साल के लिए नियुक्त करना था।

इस पीठ के अध्ययन के मुख्य क्षेत्र जनजातीय विकास और समाज पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव थे। इस पीठ का उद्देश्य इन अध्ययन क्षेत्रों में पूर्ण विकसित अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित होना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने रिसर्च एसोसिएट[22], तकनीकी सहायक[23] और क्षेत्र सहायक[24] के साथ एक पूर्णकालिक प्राध्यापक[25] नियुक्त किया और उसके बाद कोई पूर्णकालिक प्राध्यापक नियुक्त नहीं किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2016 के बाद कोई शोध कार्य नहीं किया गया, जबकि ₹2.11 करोड़ (सितंबर 2012 से अगस्त 2021 तक) के व्यय के विरुद्ध पांच किस्तों (जनवरी 2012 से जुलाई 2016 तक) में ₹59 लाख अनुदान प्राप्त[26] हुआ था और शेष ₹1.52 करोड़ यू.जी.सी. से अप्राप्य रहे।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि यू.जी.सी. के मानदंडों के अनुसार कार्यक्रम की योजना नहीं बनाने के कारण यह विश्वविद्यालय की हानि थी।

3.1.6.2 महाविद्यालय विकास परिषद की स्थापना न होना

संबद्ध महाविद्यालयों की उचित योजना और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने और आवश्यक सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, यू.जी.सी. ने विश्वविद्यालयों में महाविद्यालय विकास परिषद (सी.डी.सी.) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी (अगस्त 1985) किए। यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों की कंडिका 2 और विश्वविद्यालय परिनियम 39 के अनुसार, सी.डी.सी. में अध्यक्ष के रूप में कुलपति, सदस्य सचिव के रूप में सी.डी.सी. के समन्वयक/निदेशक/अधिष्ठाता, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग के शिक्षक, कुछ संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और राज्य शासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सी.डी.सी. की विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार नियमित अंतराल पर बैठक की जानी थी। निदेशक[27] से अपेक्षित था कि वे वर्ष में कम से कम दो बार महाविद्यालयों का दौरा करें और महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठकें करें ताकि उन्हें उन तरीकों से अवगत

---

[22] 16 सितम्बर 2006 से 31 मार्च 2019 तक।

[23] 4 अगस्त 2007 से 30 सितंबर 2020 तक।

[24] 4 अगस्त 2007 से 16 सितम्बर 2018 तक।

[25] 10 जुलाई 2012 से 16 सितंबर 2018 तक।

[26] ₹20 लाख (जनवरी 2012), ₹20 लाख (फरवरी 2013) और ₹19 लाख (06 जुलाई 2016, 06 जुलाई 2016 और 12 जुलाई 2016)

[27] सी.डी.सी. के समन्वयक/निदेशक/अधिष्ठाता की नियुक्ति सिंडिकेट द्वारा चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में कुलपति, यू.जी.सी. का एक नामित व्यक्ति और सिंडिकेट का एक नामित व्यक्ति शामिल होगा।

कराया जा सके जिनसे सी.डी.सी., महाविद्यालयों के विकास के लिए प्रभावी रूप से काम कर सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय में सी.डी.सी. का गठन नहीं (जनवरी 2024) किया गया था। परिणामस्वरूप, संबद्ध महाविद्यालयों को मार्गदर्शन और सहायता से वंचित रखा गया, जबकि विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों से अवधि 2018-23 के दौरान संबद्धता शुल्क के रूप में ₹31.69 करोड़ एकत्र किए थे। सी.डी.सी. (यू.जी.सी. दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित) की स्थापना और संधारण के आभाव में संबद्ध महाविद्यालयों के इच्छित एकीकृत विकास से समझौता किया गया, जैसा कि अनुवर्ती **कंडिका 3.1.10** में बताया गया है।

विश्वविद्यालय ने उत्तर (फरवरी 2024) दिया कि सी.डी.सी. का गठन नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई बैठक नहीं हुई। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में कहा कि महाविद्यालय विकास परिषद का गठन किया जाएगा।

विश्वविद्यालय को सम्बद्ध महाविद्यालयों की उचित योजना एवं एकीकृत विकास के लिए सी.डी.सी. का गठन करना चाहिए।

3.1.7 कोर्ट का कार्यशील न होना

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में निर्धारित किया गया है कि विश्वविद्यालय 25 सदस्यों की कोरम के साथ समूह ए, बी, सी, डी और ई के सदस्यों से मिलकर एक कोर्ट का गठन करेगा। कोर्ट वर्ष में कम से कम एक बार और ऐसे अंतरालों पर बैठक करेगा जैसा कि परिनियम द्वारा निर्धारित किया गया हो। कोर्ट व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाएगा, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार करेगा और प्रस्ताव पारित करेगा, कार्य परिषद और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं की अनुशंसाओं पर विचार करेगा।

हमने पाया कि अप्रैल 2013 से विश्वविद्यालय कोर्ट की बैठकें नहीं हुई हैं। पिछली बैठक बिना पूर्ण कोरम के 22 सदस्यों के साथ मार्च 2013 में हुई थी। इसके अलावा, कोर्ट के गठन के लिए न तो पर्याप्त सदस्यों को नामित किया गया और न ही वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए।

इस प्रकार, नियमित बैठकों और सदस्यों की नियुक्तियों के अभाव में, विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए व्यापक नीतियों की समीक्षा और अल्पकालिक/दीर्घकालिक योजना के कार्यान्वयन तथा उपाय सुझाने के लिए कोर्ट का कार्य निष्पादित नहीं हो पाया।

विश्वविद्यालय ने उत्तर (फरवरी 2024) में बताया कि मार्च 2013 के बाद कोर्ट की बैठकें आयोजित नहीं की गईं और अक्टूबर 2021 में असेंबली कोर्ट के आठ सदस्यों को नामित किया गया।

शासन ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय कोर्ट के गठन के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

3.1.8 बीमा योजना का अनुचित क्रियान्वयन

विश्वविद्यालय को प्रत्येक विद्यार्थी से वार्षिक शुल्क के रूप में प्रत्येक वर्ष शारीरिक कल्याण निधि प्राप्त होती है। तदनुसार, प्रत्येक विद्यार्थी को समूह बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय ने सभी विद्यार्थियों के बीमा के लिए पाँच बीमा कंपनियों[28] से प्रस्ताव आमंत्रित (अक्टूबर 2019) किए और बोलियाँ प्राप्त हुईं। वित्त समिति ने विश्वविद्यालय में नामांकित सभी विद्यार्थियों के लिए समूह बीमा प्रदान करने का निर्णय (फरवरी 2020) लिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर, समिति ने जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.), भोपाल को विद्यार्थियों के समूह बीमा के लिए सबसे कम दर (प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ₹118) के कारण अनुशंसित (जनवरी 2020) किया। बीमा पॉलिसी प्रति छात्र ₹ एक लाख का बीमा कवर प्रदान करेगी। हालांकि, दर को अंतिम रूप देते समय, समिति ने एल.आई.सी. द्वारा निर्दिष्ट एक शर्त विद्यार्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए को नजरअंदाज कर दिया, जबकि अन्य बीमा कंपनियों ने बिना किसी आयु प्रतिबंध के अपनी दरें प्रदाय की थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 और 2022-23 के लिए प्रति विद्यार्थी ₹118 की दर से एल.आई.सी. को क्रमशः ₹2.52 लाख और ₹3.44 लाख का प्रीमियम भुगतान किया। हालाँकि, सभी विद्यार्थी बीमा के अंतर्गत कवर नहीं थे क्योंकि बीमा कंपनी ने केवल 18 से 30 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों का ही बीमा किया था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 में 215 छात्र और वर्ष 2022-23 में 414 विद्यार्थी बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं हुए। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने अवधि 2021-22 अर्थात शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान का प्रीमियम जमा नहीं किया।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने योजना के अंतर्गत समस्त विद्यार्थियों को शामिल करना सुनिश्चित नहीं किया, जबकि समस्त विद्यार्थियों से शारीरिक कल्याण निधि की राशि प्राप्त की गई थी।

[28] भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय बीमा कंपनी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020-21 में विद्यार्थियों का बीमा नहीं किया जा सका। विश्वविद्यालय ने आगे कहा कि वर्ष 2019-20 में 215 विद्यार्थियों और वर्ष 2021-22 में 414 विद्यार्थियों का बीमा नहीं किया जा सका क्योंकि वे कंपनी की शर्तों को पूर्ण नहीं कर रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान बीमा कवरेज और अधिक महत्वपूर्ण था। इसके अलावा, बीमा कंपनी द्वारा लगाए गए आयु प्रतिबंध पर समझौता वार्ता की जानी थी ताकि सभी विद्यार्थियों के लिए बीमा कवरेज प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जा सके अथवा एल.आई.सी. की बीमा बोली को अस्वीकार कर दिया जाना था और अन्य बोलीदाताओं के माध्यम से बीमा कवर प्रदान किया जाना था।

3.1.9 संबद्ध महाविद्यालयों का पर्यवेक्षण

विश्वविद्यालय ने मई 2023 तक राज्य के सात जिलों में 383 महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन महाविद्यालयों के क्रियाकलाप के पर्यवेक्षण के लिए एक कुशल प्रणाली का अभाव था, जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

3.1.9.1 स्वायत्त महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क का अनियमित संग्रह

यू.जी.सी. (महाविद्यालयों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त महाविद्यालयों में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2018 की धारा 3.5 के अनुसार, "स्वायत्त महाविद्यालयों को प्रत्येक वर्ष मूल विश्वविद्यालय को संबद्धता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। स्वायत्त दर्जा प्रदान करने के समय एकमुश्त शुल्क का भुगतान किया जा सकता है, जिसे मूल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा तय किया जा सकता है।

हमने पाया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 383 संबद्ध महाविद्यालयों में से नौ[29] स्वायत्त महाविद्यालय थे और इन महाविद्यालयों से ₹1.05 करोड़ का वार्षिक संबद्धता शुल्क वसूल किया गया था। कार्य परिषद ने कोई निर्णय नहीं लिया कि वार्षिक शुल्क जारी रखा जाए या एकमुश्त शुल्क लिया जाए।

---

[29] सरोजिनी नायडू शासकीय, पी.जी. कन्या महाविद्यालय, भोपाल, शासकीय एम.एल.बी. गर्ल्स पी.जी. महाविद्यालय, भोपाल, शासकीय गीतांजलि गर्ल्स महाविद्यालय, भोपाल, भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, भोपाल, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, भोपाल, साधु वासवानी महाविद्यालय, बैरागढ़, भोपाल, श्री सत्य साईं महाविद्यालय फॉर वूमेन, भोपाल, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, विदिशा, ए.ई.सी. ट्रेनिंग महाविद्यालय एंड सेंटर, पचमढ़ी, नर्मदापुरम।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि स्वायत्त महाविद्यालयों से संबद्धता शुल्क के संग्रह को रोकने के लिए एक प्रस्ताव प्रारंभ किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक शुल्क के स्थान पर एकमुश्त शुल्क लेने के निर्णय पर विचार किया जाना है।

3.1.9.2 संबद्ध महाविद्यालयों के नियमित निरीक्षण का अभाव

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 45(2) में प्रावधान है कि कार्य परिषद समय-समय पर सक्षम व्यक्तियों के माध्यम से महाविद्यालयों का निरीक्षण करेगी। यू.जी.सी. (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 (संशोधित 2012) की धारा 4.6 में यह भी प्रावधान है कि कुलपति महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए निरीक्षण समिति[30] का गठन करेंगे।

हमने 76 चयनित महाविद्यालयों में देखा कि प्रथम बार संबद्धता प्रदान करने अथवा महाविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम जोड़ने के समय महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया था। उसके बाद अधिनियम में उल्लिखित निरीक्षणों के अनुसार कोई निरीक्षण नहीं किया गया। आगे, विश्वविद्यालय ने उल्लिखित निरीक्षणों के संबंध में अवधि 2018-23 के दौरान चयनित महाविद्यालयों की निरीक्षण समिति में उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि और पी.डब्ल्यू.डी./सी.पी.डब्ल्यू.डी. अथवा विश्वविद्यालय के किसी इंजीनियर को नामित नहीं किया। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि विश्वविद्यालय ने प्राध्यापकों, निदेशकों की नियुक्ति न करने, सुरक्षा राशि जमा न करने और प्रयोगशालाओं का उन्नयन न करने के कारण 76 चयनित महाविद्यालयों में से छह[31] को सशर्त संबद्धता प्रदान की।

यह भी पाया गया कि संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई रोस्टर तैयार नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

---

[30] इसमें शासन के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि जो उप निदेशक के पद से नीचे का न हो, पी.डब्ल्यू.डी./सी.पी.डब्ल्यू.डी. अथवा विश्वविद्यालय का एक इंजीनियर जो कार्यपालन यंत्री के पद से नीचे का न हो, प्रस्तावित प्रत्येक विषय क्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ और अधिष्ठाता, सी.डी.सी. या विश्वविद्यालय का एक समकक्ष शिक्षाविद् शामिल होगा।

[31] अल्फा इंस्टीट्यूट, सीहोर, आर.जी. महाविद्यालय बोदा, राजगढ़, गुरुदेव श्री विद्यासागर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विदिशा, प्रेस्टीज महाविद्यालय विदिशा, हरदा डिग्री महाविद्यालय, हरदा और ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, भोपाल

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि परिनियम 27 में निरीक्षण दल में पी.डब्ल्यू.डी./सी.पी.डब्ल्यू.डी. के एक यंत्री को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में कहा कि विश्वविद्यालय को परिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो संबद्ध महाविद्यालयों के नियमित निरीक्षण हेतु संशोधन का प्रस्ताव करना चाहिए।

विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों के नियमित निरीक्षण के लिए रोस्टर का प्रावधान करना चाहिए और यू.जी.सी. अधिनियम 2009 के धारा 4.6 का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.1.9.3 छात्रों का संतुष्टि सर्वेक्षण

परिशिष्ट-3.1.9 में दर्शाए गए 28 मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 100 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें कई पहलुओं पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई। चिकित्सा सुविधाओं के संदर्भ में 49 विद्यार्थियों ने बताया कि उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, जबकि 44 विद्यार्थियों ने सुझाव दिया कि सुधार की आवश्यकता है, और 35 विद्यार्थियों ने कहा कि मौजूदा सुविधाएं स्वीकार्य नहीं हैं। कैरियर और परामर्श कक्ष के संबंध में, 57 विद्यार्थियों को नौकरी से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, जबकि 60 विद्यार्थियों ने महसूस किया कि प्लेसमेंट सेल ने रोजगार क्षमता में सुधार के लिए प्रशिक्षण जैसे कि योग्यता परीक्षण, सेमिनार या समूह चर्चा नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, 56 विद्यार्थियों ने कहा कि कोई कैंपस भर्ती आयोजित नहीं की गई थी। विभिन्न प्रतिक्रियाएं विद्यार्थी सेवाओं, विशेष रूप से चिकित्सा और कैरियर सहायता के क्षेत्र में में वृद्धि की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

3.1.10 महाविद्यालयों की संबद्धता

लेखापरीक्षा द्वारा 383 महाविद्यालयों में से चयनित 76 महाविद्यालयों[32] का संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2023 और जुलाई 2024) किया गया। चयनित महाविद्यालयों का विवरण ***परिशिष्ट-3.1.10*** में दर्शाया गया है। भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियाँ नीचे दी गई हैं:

3.1.10.1 शिक्षण स्टाफ उपलब्ध न होना

विश्वविद्यालय ने प्रेस्टीज महाविद्यालय, गंज बासौदा रोड, विदिशा को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए इस शर्त के साथ संबद्धता प्रदान (सितंबर 2022) की थी कि महाविद्यालय को संबद्धता तिथि से तीन माह के अन्दर शिक्षकों और एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति करनी होगी।

[32] 26 शासकीय महाविद्यालय और 50 निजी महाविद्यालय।

महाविद्यालय ने 13 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया, जिनमें से वर्ष 2022-23 के दौरान परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दस विद्यार्थियों को दूसरे वर्ष में पदोन्नत किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि महाविद्यालय की स्थापना के बाद से अब तक कोई भी शिक्षक या प्राचार्य नियुक्त नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, शैक्षणिक वर्षों के दौरान शिक्षण गतिविधियाँ संचालित नहीं की गईं और विद्यार्थी मार्गदर्शन और सीखने से वंचित रहे। महाविद्यालय द्वारा उत्तर में बताया गया कि विद्यार्थियों की कमी के कारण शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्रदान करने के बाद महाविद्यालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं की।

3.1.10.2 शासकीय महाविद्यालय, बाड़ी को संबद्धता मानदंडों के विरुद्ध संबद्धता प्रदान करना

यू.जी.सी. विनियम, 2009 की कंडिका 3.1 में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के समय संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले महाविद्यालय के पास महानगरीय (शहरी) क्षेत्रों के लिए दो एकड़ और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पांच एकड़ भूमि का निर्विवाद स्वामित्व होना चाहिए। इसी प्रकार, महाविद्यालय में तत्काल शैक्षणिक और संकाय आवश्यकताओं, व्याख्यान/सेमिनार कक्ष, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवास/भवन स्थान भी उपलब्ध होना चाहिए। किसी भी महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने से पूर्व आवश्यक सेवाओं जैसे पानी, बिजली, वेंटिलेशन, शौचालय, सीवर, 1,000 पुस्तकों का पुस्तकालय, एक बहुउद्देशीय परिसर/सभागार, लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम आदि की सुविधा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

08.07.2024 की स्थिति में तीन कमरों में चल रहा शासकीय महाविद्यालय बाड़ी, रायसेन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने यू.जी.सी. विनियम, 2009 का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना शासकीय महाविद्यालय, बाड़ी, रायसेन को सभी विषयों में 60 विद्यार्थियों की कुल प्रवेश क्षमता के साथ अस्थायी संबद्धता प्रदान की। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि महाविद्यालय, जिला कलेक्टर, रायसेन के मौखिक निर्देश पर शासकीय कन्या विद्यालय, बाड़ी के परिसर में आवंटित केवल तीन कमरों के साथ 420 वर्ग फीट क्षेत्र में संचालित हो रहा था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में शुरू किया गया था और विश्वविद्यालय की समिति द्वारा निरीक्षण के बाद संबद्धता दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने यू.जी.सी. विनियमों के संबद्धता मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना संबद्धता प्रदान की और यह आकलन किया गया है कि इससे विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही शैक्षणिक शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

3.1.10.3 मानदंडों को सुनिश्चित किए बिना महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता प्रदान की गई

विश्वविद्यालय के परिनियम 27 में यह प्रावधान है कि महाविद्यालय को स्थायी संबद्धता तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि शहरी क्षेत्र में परिसर कम से कम दो एकड़ भूमि पर निर्मित न हो और उसे एन.ए.ए.सी. अथवा राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य वैधानिक प्रमाणन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त न हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने मानदंडों को सुनिश्चित किए बिना जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, भोपाल को संबद्धता प्रदान की। महाविद्यालय मात्र 2,400 वर्ग फीट भूखंड क्षेत्र (निर्मित क्षेत्र 9,600 वर्ग फीट) पर निर्मित किराए के भवन में चल रहा था, जिसमें खेल गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय को एन.ए.ए.सी. अथवा किसी अन्य वैधानिक प्रमाणन एजेंसी से मान्यता प्राप्त नहीं थी, जबकि महाविद्यालय को वर्ष 2009-10 में स्थायी संबद्धता प्रदान की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 14 वर्षों से आवश्यक भूमि में इन महत्वपूर्ण कमियों को दूर किए बिना और संबद्धता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना इस संबद्धता को नवीनीकृत करना जारी रखा गया।

इसी तरह, तीन[33] और महाविद्यालय जिन्हें स्थायी संबद्धता प्रदान की गई थी, उनके पास एन.ए.ए.सी. अथवा राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य वैधानिक प्रमाणन एजेंसी से मान्यता नहीं थी।

[33] शासकीय महाविद्यालय सुखतवा इटारसी, शासकीय महाविद्यालय रेहटी, सीहोर और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन भोपाल।

3.1.11 निजी महाविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन

विश्वविद्यालय परिनियम 28 में यह प्रावधान है कि शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी और शिक्षकों की श्रेणियां, जिनमें प्रधानाचार्य भी शामिल हैं, वे होंगी जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं। कंडिका 22(iii) में यह प्रावधान है कि शिक्षकों को वेतन चेक अथवा ई-भुगतान के माध्यम से दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए 50 में से 47 निजी महाविद्यालयों ने अपने शिक्षण कर्मचारियों को राज्य/केंद्र सरकार अथवा यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया। इन निजी महाविद्यालयों ने अपने शिक्षण कर्मचारियों को ₹1,500 से ₹69,368 प्रति माह (जनवरी 2023) के बीच एकमुश्त वेतन का भुगतान किया। तीन[34] निजी महाविद्यालयों द्वारा शिक्षण कर्मचारियों को दिए गए वेतन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 47 में से 13 महाविद्यालयों ने वेतन नकद में वितरित किए। विवरण ***परिशिष्ट-3.1.11*** में दिया गया है।

3.1.12 महाविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायन

विश्वविद्यालय के परिनियम 27 की कंडिका 9 (2) में महाविद्यालय/संस्था की संबद्धता के लिए अनिवार्य शर्तें निर्धारित की गई हैं कि वह दो बैच उत्तीर्ण करने के बाद अथवा छह वर्ष, जो भी पहले हो, प्रत्यायन एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा जो ऐसी एजेंसी/आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों और कार्यप्रणाली के अनुसार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 50 चयनित महाविद्यालयों में से 43 ने छह वर्ष से अधिक वर्ष पूर्ण कर लिए थे अथवा 2023 तक दो बैच पहले ही उत्तीर्ण हो चुके थे। परंतु, अभी तक केवल दो महाविद्यालयों ने ही प्रत्यायन प्राप्त किया था एवं शेष 41 को किसी भी प्रत्यायन एजेंसी ने प्रत्यायित नहीं किया था, जो परिनियम की शर्तों का उल्लंघन था जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.12*** में वर्णित है।

3.1.13 नमूना जांचे गए महाविद्यालयों में भूमि क्षेत्र एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी

विश्वविद्यालय के परिनियम 27 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश के लिए यह आवश्यक है कि महाविद्यालय की संबद्धता के

[34] बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, विदिशा, प्रेस्टीज महाविद्यालय, विदिशा, सुभाष चन्द्र बोष महाविद्यालय रेहटी, सीहोर।

लिए आवेदन करने वाली सोसायटी के पास शहरी क्षेत्र में स्थित होने पर कम से कम दो एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर पाँच एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। उनके पास 10,000 वर्ग फ़ीट का निर्मित भवन क्षेत्र भी होना चाहिए, साथ ही एक अलग खेल का मैदान और पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए। शिक्षा और प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रमों के लिए, जिन्हें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन एजेंसियों द्वारा जारी किए गए मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार:

- प्रबंधन पाठ्यक्रमों के लिए, महाविद्यालय के पास शहरी क्षेत्रों में 0.5 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में एक एकड़ भूमि होनी चाहिए।
- बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए, 50 विद्यार्थियों के शुरुआती प्रवेश के लिए महाविद्यालय के पास 2500 वर्ग मीटर की अच्छी तरह से सीमांकित भूमि होनी चाहिए। इसमें से 1500 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए और शेष स्थान लॉन, खेल के मैदान आदि के लिए होना चाहिए। 50 विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रवेश के लिए, अतिरिक्त 500 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता होती है।
- विधि पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यकताएं विश्वविद्यालय परिनियम द्वारा निर्धारित (दो एकड़/पांच एकड़) के समान हैं।

चयनित 76 महाविद्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया:

- शहरी क्षेत्रों में स्थित चयनित 12 महाविद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आठ महाविद्यालयों, जो सामान्य पाठ्यक्रमों से संबद्ध थे, के पास निर्धारित क्षेत्र से 0.74 एकड़ से 4.89 एकड़ के बीच कम भूमि क्षेत्र था।
- इसके अतिरिक्त, विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रदान करने वाले छह महाविद्यालयों के पास अपर्याप्त भूमि है, जो 2.41 एकड़ से 5.42 एकड़ के बीच है।
- इसके अतिरिक्त, एक प्रबंधन महाविद्यालय और दो शिक्षा पाठ्यक्रमों वाले महाविद्यालयों के पास मात्र 0.11 एकड़ से 0.52 एकड़ तक भूमि थी।

विवरण ***परिशिष्ट-3.1.13*** में दिखाया गया है।

भूमि की कमी के अतिरिक्त, अधोसंरचना में कई अन्य कमियाँ देखी गईं अर्थात:

- पांच महाविद्यालयों में पार्किंग की सुविधा नहीं थी।
- ग्यारह महाविद्यालयों में लड़कियों के लिए खेल के मैदान या अलग कॉमन रूम नहीं थे।
- चौदह महाविद्यालयों में बहुउद्देशीय हॉल नहीं थे।
- चौदह महाविद्यालयों में सम्मेलन कक्ष की कमी थी, और

- तीस महाविद्यालयों में छात्रों के लिए कैंटीन की सुविधा नहीं थी।

उपर्युक्त कमियाँ संबद्धता प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन थीं। विवरण ***परिशिष्ट-3.1.14*** में दर्शाया गया है।

3.1.14 महाविद्यालयों में पुस्तकालय संसाधनों की कमी

यू.जी.सी. (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम 2009 के अनुसार, एक महाविद्यालय के पुस्तकालय में कम से कम 1,000 पुस्तकें या प्रत्येक विषय पर अलग-अलग शीर्षकों में 100 पुस्तकें, जो भी प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए अधिक हो, होनी चाहिए। यदि कोई महाविद्यालय चार और दो वर्ष दोनों के लिए बी.एड. कार्यक्रम प्रदान करता है, तो पुस्तकालय को चार वर्ष के कार्यक्रम के लिए 1,000 शीर्षक के साथ कुल 4,000 पुस्तकें और दो वर्ष के कार्यक्रम के लिए 3,000 पुस्तकें रखनी होंगी।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 76 में से 11 महाविद्यालयों में इन मानदंडों के अनुसार पर्याप्त पुस्तकें नहीं थीं और आवश्यक पुस्तकों की संख्या के विरूद्ध 187 से 889 पुस्तकें उपलब्ध थीं। इसके अलावा, शासकीय महाविद्यालय बाड़ी, रायसेन जिले में पुस्तकालय की सुविधा नहीं थी। विवरण ***परिशिष्ट-3.1.15*** में दर्शाया गया है।

शासन ने कहा (मार्च 2025) कि यू.जी.सी. के वैधानिक प्रावधानों और मानदंडों का पालन करते हुए संबद्धता प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इन महाविद्यालयों की अधोसंरचना को कमियों के सुधार के माध्यम से अद्यतन बनाए रखने को सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

3.1.15 परीक्षा

3.1.15.1 डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुपालन में कार्य परिषद के कर्तव्य और शक्ति परिनियम द्वारा निर्धारित तरीके से डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ प्रदान करना अथवा वापस लेना है। इसके अलावा, यू.जी.सी. ने निर्देश जारी किए (मई 2016) कि डिग्री प्रदान करने की तिथि विद्यार्थियों द्वारा योग्यता प्राप्त करने और उनके लिए पात्र बनने की अपेक्षित तिथियों से 180 दिनों के भीतर होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के बाद डिग्री जारी करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने के लिए अपने परिनियम अथवा अध्यादेशों के अंतर्गत दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अवधि 2018-23 के दौरान 84,779 विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद अपनी डिग्री के लिए आवेदन

किया। हालाँकि, विश्वविद्यालय ने इन डिग्रियों को छह माह से लेकर पाँच वर्ष से अधिक के विलम्ब से जारी किया, जैसा कि **चार्ट 3.1.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट 3.1.2: डिग्री जारी करने में विलंब

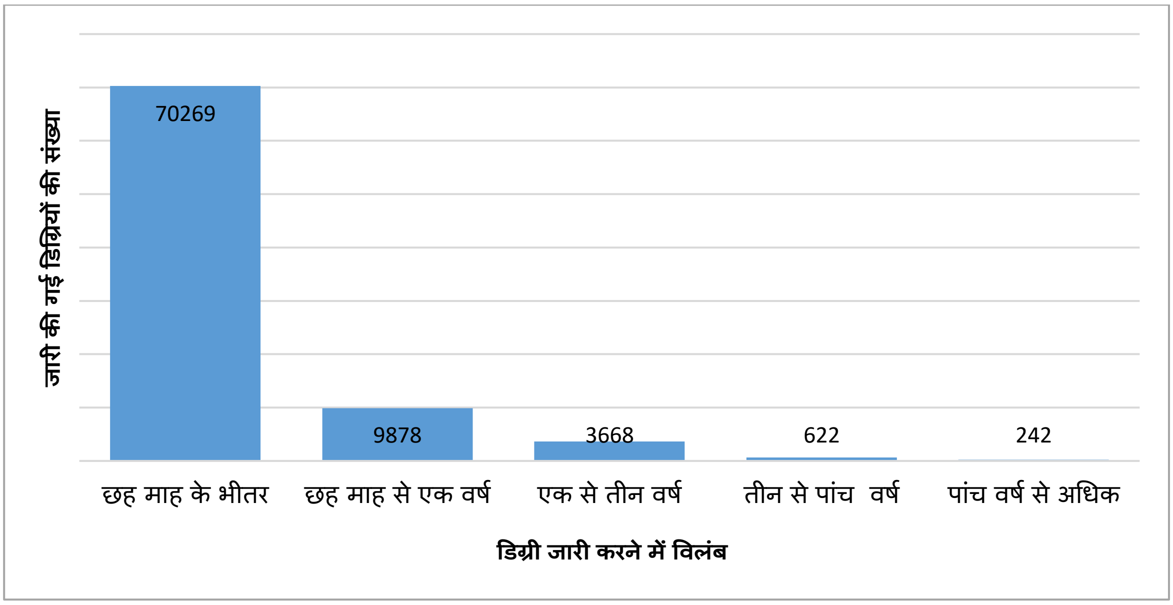

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर दिया (मार्च 2024) गया कि अस्पष्ट अंकसूची अपलोड करने, स्वायत्त महाविद्यालयों से सत्यापन की कमी, एम.बी.ए. विद्यार्थियों द्वारा सभी सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड न करने, अपूर्ण पते और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण डिग्री आवेदन में विलंब हुआ।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में कहा कि विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों को उनके पते पर डिग्री देने के लिए एक तंत्र लागू करने की आवश्यकता है और विद्यार्थियों से डिग्री के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है।

3.1.15.2 केंद्रों पर प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का लेखा-जोखा न होना

जैसा कि विश्वविद्यालय अध्यादेश 5 के बिंदु 3 (ii) में प्रावधान है, प्रत्येक केंद्र पर वरिष्ठ अधीक्षक या परीक्षा अधीक्षक, जैसा भी मामला हो, उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रयुक्त और अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे।

विश्वविद्यालय ने 125.06 लाख उत्तर पुस्तिकाएं खरीदीं, जिनमें से 120.63 लाख पुस्तकें संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों को वितरित की गईं। अवधि 2018-23 के

दौरान क्रय की गई और वितरित की गई उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण नीचे **तालिका 3.1.3** में दिया गया है:

तालिका 3.1.3: खरीदी एवं वितरित की गई उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण

वर्ष	प्रारंभिक शेष (लाख में)	क्रय (लाख में)			वितरण (लाख में)			अंतिम शेष (लाख में)
		मुख्य	पूरक	योग	मुख्य	पूरक	योग	
2018-19	00.00	30.00	0	30	27.32	0	27.32	2.68
2019-20	2.68	25.87	8	36.55	23.42	5.00	28.42	8.13
2020-21	08.13	27.00	8	43.13	4.72	8.94	13.66	29.47
2021-22	29.47	00.00	0	29.47	19.63	8.93	28.56	0.91
2022-23	00.91	15.00	11.19	27.10	17.78	4.89	22.67	4.43
कुल योग		**97.87**	**27.19**		**92.87**	**27.76**		

(स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने न तो महाविद्यालयों अथवा शैक्षणिक विभागों द्वारा की गई उत्तर पुस्तिकाओं की मांग का और न ही संबंधित महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक विभागों को तत्पश्चात वितरण का अभिलेख संधारित किया। मांग के विरुद्ध, उत्तर पुस्तिकाओं का क्रय और वितरण का केवल एकमुश्त अभिलेख भंडार शाखा पंजी में रखा गया था, वापस की गई उत्तर पुस्तिकाओं का अभिलेख नहीं रखा गया था। इसके अतिरिक्त, परीक्षा शाखा ने केंद्रों पर उपयोग की गई और अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का लेखा जोखा नहीं रखा। विश्वविद्यालय के पास महाविद्यालयों और परीक्षा केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के उपयोग की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक तंत्र का अभाव था, जिससे अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के संभावित दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने केंद्रों द्वारा उपयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, केंद्रों पर क्षतिग्रस्त पुस्तकों की संख्या अथवा केंद्रों पर उपलब्ध अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। हालांकि, चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ महाविद्यालयों में मार्च 2023 तक 65,852 उत्तर पुस्तिकाएं अप्रयुक्त थीं।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का लेखा-जोखा ठीक से बनाए रखने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय को पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए क्रय की गई, वितरित और केंद्रों द्वारा उपयोग की गई तथा केंद्रों पर अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं का उचित अभिलेख रखने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

3.1.16 मानव संसाधन और बुनियादी ढाँचा

3.1.16.1 प्राध्यापकों, सह और सहायक प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती न करना

"विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय, 2010" पर यू.जी.सी. विनियमों के अनुसार, विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों को पिरामिड क्रम में बनाया जाए, उदाहरण के लिए, प्राध्यापक के एक पद के लिए, प्रत्येक विभाग में सह प्राध्यापक के दो पद और सहायक प्राध्यापक के चार पद होने चाहिए।

विश्वविद्यालय में दो प्रकार के कर्मचारी जैसे शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्यरत थे। गैर-शिक्षण कर्मचारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या ***परिशिष्ट-3.1.16*** में दर्शाई गई है। विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय में 26 शैक्षणिक विभाग थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा में विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों में शिक्षण कर्मचारियों की अत्यधिक कमी देखी गई। शिक्षण कर्मचारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या का विवरण नीचे **तालिका-3.1.4** में दिया गया है –

तालिका 3.1.4: शिक्षण कर्मचारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या

स्वीकृत वर्ष	प्राध्यापक		सह प्राध्यापक		सहायक प्राध्यापक		कुल		कमी (प्रतिशत में)
	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	
2018-19	14	3	22	6	47	34	83	43	40(48)
2019-20	14	2	22	6	47	32	85	40	45(53)
2020-21	20	01	24	06	61	32	105	39	66(63)
2021-22	20	01	24	06	61	30	105	37	68(65)
2022-23	20	01	24	08	61	28	105	37	68(65)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अवधि 2018-23 के दौरान 26 विभागों में प्राध्यापकों, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्तियां 48 से 65 प्रतिशत के बीच थीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जैव रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रबंधन, अनुप्रयुक्त जलीय कृषि और गणित विभाग बिना किसी नियमित संकाय पद के कार्य कर रहे (मार्च 2023) थे और पूरी तरह से अतिथि संकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर निर्भर थे।

शासन ने (मार्च 2025) इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य शासन और विश्वविद्यालय को रिक्त पदों को भरना सुनिश्चित करना चाहिए और शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

3.1.16.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत निर्माण कार्यों में कमियाँ

भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पात्र राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से रूसा को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया (अक्टूबर 2013) गया। हालाँकि, हमने निम्नानुसार देखा कि:

क) अनुमोदित प्रस्ताव और प्रशासनिक स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य कराया जाना

रूसा दिशानिर्देश 2.0 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय अधोसंरचना अनुदान का उपयोग 50 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण अधोसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक को ₹20 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान नवीन निर्माण, नवीनीकरण और उपकरणों की खरीद के लिए अधोसंरचना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदान किया जाएगा। राज्य नवीन निर्माण के मामले में कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत और शेष राशि नवीनीकरण/उन्नयन तथा उपकरणों की खरीद के लिए व्यय कर सकता है।

विश्वविद्यालय ने रूसा चरण-2 के घटक-3 के अंतर्गत नवीन निर्माण कार्य, उन्नयन कार्य, फर्नीचर एवं उपकरण के लिए ₹20 करोड़ की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) परियोजना निदेशक, रूसा संचालनालय, भोपाल को प्रस्तुत (मई 2019) किया। संचालनालय, रूसा ने नवीन निर्माण[35]-₹10 करोड़, नवीनीकरण/उन्नयन[36]-₹ पांच करोड़ एवं उपकरणों[37] की खरीद-₹ पांच करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान (जुलाई 2019) की।

रूसा निधि की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध जमा कार्य हेतु भोपाल विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए.) के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) निष्पादित (जुलाई 2019) एवं संशोधित (अक्टूबर 2019) किया गया तथा निर्माण कार्यों हेतु कार्यादेश दिया गया। स्वीकृत डी.पी.आर.

---

[35] शैक्षणिक भवन जिसमें प्रौद्योगिकी, सक्षम कक्षाएं, कैंटीन, विद्यार्थियों के लिए कॉमन रूम, शौचालय आदि के साथ बहु सुविधा केंद्र है।

[36] 1. माइक्रोबायोलॉजी विभाग भौतिकी का यू.टी.डी., विधि का यू.टी.डी., सामाजिक विज्ञान का यू.टी.डी., ह्युमानिटी ब्लॉक, जीवन विज्ञान का यू.टी.डी., अभियांत्रिकी का यू.टी.डी. आदि =₹2.00 करोड़, 2. प्रशासनिक भवन = ₹1.20 करोड़, 3. कक्षा = ₹1.00 करोड़ और 4. सभागार = ₹0.80 करोड़।

[37] 1. खेल सामग्री = ₹0.50 करोड़, 2. कंप्यूटर सेंटर सामग्री = ₹1.50 करोड़, 3. पुस्तकें/पत्रिकाएँ = ₹0.50 करोड़, 4. ई-संसाधन = ₹0.50 करोड़ और 5. प्रयोगशाला उपकरण = ₹2.00 करोड़।

(मई 2019) के अनुसार, प्रशासनिक भवन के जीर्णोद्धार कार्य में ₹1.20 करोड़ की लागत से मरम्मत, रंगाई-पुताई, फ्लोरिंग और एल्युमीनियम का कार्य शामिल था। हालांकि, बाद में विश्वविद्यालय ने ₹3.71 करोड़ का विश्वविद्यालय स्तर पर एक संशोधित डी.पी.आर. तैयार किया, जिसमें रूसा निधि से ₹2.51 करोड़ और विश्वविद्यालय के सामान्य कोष से ₹1.20 करोड़ (फर्निशिंग के लिए) शामिल थे। संशोधित डी.पी.आर. में मूल डी.पी.आर. में अनुमोदित प्रशासनिक भवन के नवीनीकरण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, ₹3.71 करोड़ की लागत से एक एनेक्सी भवन के लिए एक नई निर्माण परियोजना शामिल की गई, जो प्रशासनिक भवन से पूरी तरह अलग थी। इसके अलावा, यह देखा गया कि ₹12.24 करोड़ (रूसा निधि से ₹10.00 करोड़ और विश्वविद्यालय की निधि से ₹2.24 करोड़) की लागत वाले बहुउद्देशीय भवन का निर्माण और फर्निशिंग कार्य पहले से ही मूल डी.पी.आर. में नए निर्माण के रूप में स्वीकृत था।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने रूसा द्वारा प्रदत्त ₹10 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध नए निर्माण कार्यों के लिए कुल ₹12.51 करोड़[38] स्वीकृत किए, जो रूसा निधि से नए निर्माणों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा से ₹2.51 करोड़ अधिक था।

इस प्रकार, रूसा संचालनालय की स्वीकृति के बिना संशोधित डी.पी.आर. में एनेक्सी भवन के नए निर्माण कार्य को शामिल करना दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था।

(बी.यू. में नए निर्माण के रूप में अलग भवन को दर्शाता एनेक्सी भवन)

[38] बहुउद्देशीय भवन निर्माण एवं साज-सज्जा कार्य पर रूसा निधि से व्यय - ₹ 10.00 करोड़ तथा एनेक्सी भवन पर - ₹ 2.51 करोड़

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संपर्क कक्षाओं और सत्रांत परीक्षाओं के संचालन हेतु दो कक्षाओं के निर्माण और नवीनीकरण हेतु रूसा को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया (मई 2019) गया। विश्वविद्यालय को इन कक्षाओं के उन्नयन हेतु ₹1.00 करोड़ के बजट के साथ प्रशासनिक स्वीकृति (जुलाई 2019) प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.पी.आर. में उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति के बावजूद, इन कक्षाओं के नवीनीकरण और निर्माण कार्य, निर्माण एजेंसी को सौंपे गए जमा कार्यों में शामिल नहीं किए गए थे। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने रूसा निधि के अंतर्गत स्वीकृत नवीनीकरण/उन्नयन कार्य शुरू नहीं किए, जिससे विद्यार्थियों को अपेक्षित सुविधाओं से वंचित होना पड़ा।

(ख) बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य विलंब से पूर्ण होना

बहुउद्देशीय भवन का उद्देश्य सभी शैक्षणिक विभागों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कक्षाओं की सुविधा प्रदान करना और विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करना था। बी.डी.ए. और ठेकेदारों के बीच सम्पादित अनुबंध समझौते (जनवरी 2021) के अनुसार, बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य नौ माह (अक्टूबर 2021) के भीतर पूर्ण किया जाना था।

जनवरी 2024 के प्रगति प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि ₹11.50 करोड़ व्यय होने के बाद भी बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसके अलावा, निर्माण एजेंसी ने न तो पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया और न ही किसी भी पूर्ण कार्य का आधिपत्य सौंपा।

(अधूरे निर्माण कार्य को दर्शाता बहुउद्देशीय भवन)

इस प्रकार, भवन का निर्माण पूर्ण न होने से, विद्यार्थी अपेक्षित सुविधाओं से वंचित रह गए।

रूसा की एक टीम ने निर्माण और उन्नयन कार्यों का निरीक्षण किया (अक्टूबर 2022) जिसमें फ्लोरिंग और फिनिशिंग कार्यों को एस.ओ.आर. मदों और डी.पी.आर. के अनुसार नहीं किए जाने तथा सुधार कार्य में अनेक कमियों को इंगित किया गया। इसके अलावा, स्वीकृत डी.पी.आर. से अतिरिक्त अत्यधिक मात्रा में कार्य किया गया था, जिसके कारण भवनों के निर्माण की लागत में वृद्धि हुई। इन मुद्दों के कारण नियोजित बजट से निर्माण लागत में कुल मिलाकर ₹1.02 करोड़ की वृद्धि हुई।

विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर दिया गया (फरवरी/सितंबर 2024) कि तत्कालीन कुलपति के निर्देशन में, एनेक्सी भवन का निर्माण किया गया था, जो अब वर्तमान प्रशासनिक भवन का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा, ₹6.00 करोड़ का रूसा अनुदान प्राप्त न होने के कारण सभी निर्माण कार्यों के अंतिम बिलों का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए बी.डी.ए. ने कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया। आगे, शासन द्वारा उत्तर दिया गया (मार्च 2025) कि बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रूसा के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था और बहुउद्देशीय भवन का निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं हुआ था।

3.1.16.3 स्थानीय प्राधिकारियों की अनुमति के बिना भवनों का निर्माण

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 12 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी विकास कार्य नहीं करेगा, न ही किसी भवन का निर्माण, पुनः निर्माण, परिवर्तन या विध्वंस करेगा अथवा करवाएगा। उक्त नियम के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकरण, नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अथवा संबंधित नगरपालिका कानून द्वारा अथवा उसके अधीन प्राधिकृत अधिकारी, होगा।

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 307(3) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के भवन का निर्माण अथवा पुनः निर्माण करता है, तो आयुक्त उस भवन अथवा कार्य को हटा सकता है, परिवर्तित कर सकता है अथवा गिरा सकता है और उसका व्यय उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा।

हमने पाया कि विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अवधि 2018-23 के दौरान रूसा अनुदान और विश्वविद्यालय के सामान्य कोष से सात परियोजनाओं का निर्माण कार्य कराया गया था। हालाँकि, विश्वविद्यालय ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उपरोक्त नियमों के तहत नगर निगम से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की।

शासन ने उत्तर दिया (मार्च 2025) कि विश्वविद्यालय भवनों का निर्माण प्रचलित पद्धति के अनुसार किया गया है और नगर निगम आदि जैसे किसी भी प्राधिकरण से अब तक कोई

आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, यदि विश्वविद्यालय भवनों के निर्माण के संबंध में किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई आपत्ति की जाती है, तो उसके अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त करने से छूट के संबंध में कोई आदेश उपलब्ध नहीं कराया।

3.1.16.4 बाधा रहित पहुंच के लिए रेलिंग सहित रैंप की अनुपलब्धता

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 16 में यह परिकल्पना की गई है कि सभी शैक्षणिक संस्थान भवन, परिसर एवं विभिन्न सुविधाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाएंगे। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 45 में निर्धारित किया गया है कि सभी विद्यमान भवन पांच वर्ष की अधिकतम अवधि के भीतर सुलभ बनाए जाएंगे। इसके अलावा, किसी संस्थान की मान्यता के दौरान, विश्वविद्यालयों के लिए एन.ए.ए.सी. मैनुअल मीट्रिक संख्या 7.1.9 में दिव्यांगजन अनुकूल वातावरण जैसे लिफ्ट, रैंप, रेलिंग, सहायक तकनीक और सुविधाएं, दिव्यांगजन अनुकूल वॉशरूम, परीक्षाओं के लिए लेखक, कौशल विकास आदि की उपलब्धता पर विचार किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अवधि 2018-23 के दौरान विश्वविद्यालय में शारीरिक रूप से दिव्यांग 13 कर्मचारी और 33 विद्यार्थी थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि शैक्षणिक विभागों, प्रशासनिक भवनों, छात्रावासों और केंद्रीय पुस्तकालय आदि के 29 में से 23 भवनों में भूतल पर रैंप नहीं थे एवं 18 बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी | इसके अलावा, शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अलग शौचालय/ब्रेल सॉफ्टवेयर, तथा दिव्यांगता अनुकूल पुस्तकालय सुविधाएं भी किसी भी भवन में उपलब्ध नहीं थीं।

इन कमियों के कारण राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) द्वारा भी निम्नतर रैंकिंग प्रदाय की गई।

इसी प्रकार, सभी चयनित महाविद्यालयों के भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थानों में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे बहुमंजिला इमारतों में रैंप, लिफ्ट, सुलभ शौचालय और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय जैसे विशेष संसाधन का अभाव था, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.17*** में वर्णित है।

विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर दिया गया (फरवरी 2024) कि पुराने भवनों में रैंप के निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन

(जनवरी 2025) में इन तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

विश्वविद्यालय को दिव्यांग व्यक्तियों को बाधा- रहित सुविधाएँ प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.1.16.5 छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

विश्वविद्यालय में छह छात्रावास[39] थे, जिनमें तीन छात्राओं के लिए और तीन छात्रों के लिए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि छात्रावासों में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>निवेदिता बालिका छात्रावास</td><td>जवाहरलाल नेहरु बालक छात्रावास</td></tr>
<tr><td colspan="2">छात्रावास के कमरों और मूलभूत सुविधाओं की खराब स्थिति को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय के छात्रावासों के कमरों की स्थिति</td></tr>
</table>

- जवाहरलाल नेहरू और मुंशी प्रेम चंद बालक छात्रावासों के साथ-साथ निवेदिता और इंदिरा गांधी बालिका छात्रावासों के कमरों की दीवारों और छतों पर नमी पाई गई।
- तीन[40] छात्रावासों में टेबल टेनिस और कैरम जैसे इनडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

[39] लड़कियों के लिए तीन (इंदिरा गांधी बालिका छात्रावास, महारानी लक्ष्मीबाई बालिका छात्रावास और निवेदिता बालिका छात्रावास) और लड़कों के लिए तीन (जवाहर लाल नेहरू बालक छात्रावास, संजय गांधी बालक छात्रावास और मुंशी प्रेमचंद बालक छात्रावास)।

[40] महारानी लक्ष्मी बाई बालिका छात्रावास, जवाहर लाल नेहरू बालक छात्रावास और संजय गांधी बालक छात्रावास

- सुरक्षा की दृष्टि से, इंदिरा गांधी बालिका छात्रावास के प्रवेश द्वार को छोड़कर अन्य छात्रावासों में सी.सी.टी.वी. कैमरे उपलब्ध नहीं थे।
- दो[41] छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध थे।
- दो छात्रावासों को छोड़कर अन्य छात्रावासों में सुरक्षित पेयजल के लिए आर.ओ. सिस्टम या तो उपलब्ध नहीं थे या काम नहीं कर रहे थे।
- दो[42] छात्रावासों के कॉमन रूम में टी.वी. काम नहीं कर रहे थे और दो[43] छात्रावासों में टी.वी. स्थापित नहीं थे।
- सभी छात्रावासों में गर्म पानी की सुविधा अपर्याप्त थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.1.18*** में वर्णित है।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग ने निर्गम सम्मेलन (जनवरी 2025) में बताया कि राज्य के माननीय राज्यपाल ने भी छात्रावासों की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कुलपतियों को छात्रावास की स्थिति में सुधार के लिए कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय को छात्रावास में बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।

3.1.17 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

भोपाल में 1970 में स्थापित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल अपने संबद्ध महाविद्यालयों और विभागों के माध्यम से उच्च शिक्षा कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। अवधि 2018-23 को शामिल करने वाले अनुपालन लेखापरीक्षा में वित्तीय, परिचालन और शैक्षणिक प्रबंधन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे पाए गए:

वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय की वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त पाई गई, जिसमें उचित लेखांकन का अभाव था और बैंक समाशोधन में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण गलत हो गए। विश्वविद्यालय ने ₹30.15 करोड़ अग्रिमों का निपटान नहीं किया, जिसमें से ₹1.21 करोड़ अग्रिम दो दशकों से अधिक समय से लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब के कारण यू.जी.सी. अनुदान में ₹8.53 करोड़ का नुकसान हुआ। विश्वविद्यालय को कई क्षेत्रों में

[41] इंदिरा गांधी बालिका छात्रावास और निवेदिता बालिका छात्रावास

[42] इंदिरा गांधी बालिका छात्रावास और महारानी लक्ष्मी बाई बालिका छात्रावास

[43] जवाहर लाल नेहरू बालक छात्रावास और संजय गांधी बालक छात्रावास

कुप्रबंधन का सामना करना पड़ा। संशोधित शुल्क लागू करने में विलंब के कारण राजस्व हानि हुई और आगे वित्तीय संकट का कारण बना।

शैक्षणिक गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी

विश्वविद्यालय स्वीकृत योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सका और महाविद्यालय विकास परिषद तथा विश्वविद्यालय कोर्ट जैसे आवश्यक निकायों के गठन की उपेक्षा की। इसके परिणामस्वरूप संबद्ध महाविद्यालयों को सहायता की कमी हुई। इसके अतिरिक्त, पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग ने कम एन.ए.ए.सी. अंकों के कारण अपनी यू.जी.सी. संबद्धता खो दी, जिससे उसकी आय वर्ष 2018-19 में ₹43.56 लाख से अत्यधिक रूप से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹1.80 लाख रह गई।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय अधोसंरचना, वेतन भुगतान, शिक्षण कर्मचारियों की अनुपलब्धता और वैधानिक निकायों से मान्यता प्राप्त करने संबंधी यू.जी.सी. दिशानिर्देशों को पूर्ण नहीं करते हैं|

मानव संसाधन और अधोसंरचना

विश्वविद्यालय में अवधि 2018-23 के दौरान प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों के 48 से 65 प्रतिशत पद रिक्त रहे। विश्वविद्यालय ने दिव्यांग छात्रों और संबद्ध संस्थानों के लिए सुलभ सुविधाएँ प्रदान करने के अपने दायित्व की भी उपेक्षा की, जिससे प्रमुख नियामक आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को समय पर वित्तीय स्थिति की पूर्ण एवं समग्र जानकारी सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक लेखा प्रणाली स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक निकायों का गठन कर सकता है तथा सतत शैक्षणिक एवं अधोसंरचनात्मक उन्नयन के माध्यम से प्रत्यायन स्थिति में सुधार सुनिश्चित कर सकता है। (संदर्भ कंडिका 3.1.4, 3.1.6.2, 3.1.5.3 एवं 3.1.7)

राजस्व विभाग

3.2 “भूमि व्यपवर्तन” पर लेखापरीक्षा

3.2.1 प्रस्तावना

भूमि उपयोग की श्रेणी में परिवर्तन होने की स्थिति में भूमि व्यपवर्तन कराना आवश्यक होता है। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त, भूमि व्यपवर्तन की अनुमति अनुमोदित विकास योजनाओं के सन्दर्भ में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के नियंत्रणाधीन समग्र प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए।

राजस्व विभाग में उपखंड अधिकारी व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, जो भूमि स्वामी द्वारा प्रतिवेदित नहीं किये गये किसी भी अनियमित व्यपवर्तन का स्वतः संज्ञान लेने तथा उसकी निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए “भूमि व्यपवर्तन” की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गयी थी कि क्या भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया, भू-राजस्व के निर्धारण एवं उसकी वसूली एवं निगरानी प्रणाली मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.) के प्रावधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप थी। हमने दस जिलों में से कुल 20 उपखंडों/तहसीलों का चयन किया। राज्य के चार प्रमुख जिले (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा जबलपुर) सीधे तौर पर चयनित किए गये तथा शेष छः जिले प्रतिस्थापन के बिना सरल याद्दच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर चयनित किए गये। व्यपवर्तन प्रकरणों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर, प्रत्येक जिले से शीर्ष दो उपखंड/तहसील चयनित किए गये। इस प्रकार, 10 चयनित जिलों से कुल 20 उपखंड/तहसील चयनित किए गये। हमने इन उपखंडों/तहसीलों के अभिलेखों से चयनित कुल 1,082 भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों की जांच की। लेखापरीक्षा हेतु चयनित नमूनों का विवरण ***परिशिष्ट-3.2.1*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि पर चर्चा करने के लिए हमने दिनांक 13 जुलाई 2023 को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया तथा दिनांक 02 सितम्बर 2024 को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग के साथ एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी। शासन के उत्तर एवं निर्गम सम्मेलन में व्यक्त अभिमत उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2 लागू नियमों के प्रावधानों के विपरीत भूमि उपयोग का व्यपवर्तन

एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 59(10) में प्रावधान है कि भूमि स्वामी केवल ऐसे उद्देश्य हेतु भूमि का व्यपवर्तन[44] करेगा जो भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने की विधि के अंतर्गत अनुमत्य हो तथा इस धारा के अंतर्गत भूमि स्वामी या उपखंड अधिकारी की कोई कार्रवाई लागू नियमों के प्रावधानों के विपरीत भूमि उपयोग में परिवर्तन करने की अनुमति के रूप में नहीं मानी जायेगी।

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 एवं 26, निदेशक, नगर तथा ग्राम निवेश की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना विकास योजना के नक़्शे में दर्शाये गये भूमि उपयोग में परिवर्तन पर रोक लगाती है। विकास योजना के नक़्शे में दर्शाये गये भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य कोई प्राधिकारी सक्षम नहीं है।

दस जिलों के 20 चयनित उपखंडों[45]/तहसीलों में 1,082 व्यपवर्तन प्रकरणों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया (मई 2023 से दिसम्बर 2023) कि 107 प्रकरणों[46] में, जिनमें 109 भूमि व्यपवर्तन (तहसील हुज़ूर, भोपाल के दो भू-भाग आंशिक रूप से दोनों उद्देश्यों अर्थात् आवासीय तथा व्यावसायिक हेतु व्यपवर्तित किये गये थे) शामिल थे, सम्बंधित उपखंड अधिकारियों ने इन शहरों की विकास योजना के अंतर्गत 191 सर्वे नम्बरों में शामिल कुल 8,36,618 वर्ग मीटर भूखंडों के व्यपवर्तन हेतु आदेश जारी किये थे। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों का विवरण **तालिका-3.2.1** में दिया गया है:

---

[44] भूमि व्यपवर्तन का अर्थ है, भूमि स्वामी द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन।

[45] जिला भोपाल के कोलार एवं हुज़ूर, जिला इंदौर के कनाडिया एवं बिचौलीहप्सी, जिला धार के डही एवं पीथमपुर, जिला गुना के आरोन एवं कुम्भराज, जिला बालाघाट के बालाघाट एवं खैरलांजी, जिला शहडोल के सोहागपुर एवं गोहपारु, जिला दमोह के दमोह एवं बटियायागढ़, जिला छतरपुर के बिजावर एवं बक्सवाह, जिला जबलपुर के कुंडम एवं रांझी, जिला ग्वालियर के भितरवार एवं तानसेन।

[46] हुज़ूर (भोपाल)-64 प्रकरण, कोलार (भोपाल)-19 प्रकरण, बिचौलीहप्सी (इंदौर)-05 प्रकरण, पीथमपुर (धार)-05 प्रकरण, दमोह (दमोह)-06 प्रकरण, सोहागपुर (शहडोल)-07 प्रकरण, रांझी (जबलपुर)-01 प्रकरण।

तालिका 3.2.1: विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन प्रकरण

व्यपवर्तन (एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में)	भूमि व्यपवर्तनों की संख्या	अन्तर्निहित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	**2**	**3**
कृषि से आवासीय	64	4,85,232
कृषि से व्यावसायिक	29	1,83,162
आवासीय से व्यावसायिक	1	320
कृषि से शैक्षिक	11	1,44,119
कृषि से औद्योगिक एवं खनन	4	23,785
योग	**109**	**8,36,618**

भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों का तहसीलवार विवरण ***परिशिष्ट–3.2.2*** में दिया गया है।

उपरोक्त प्रकरणों में, उपखंड अधिकारी ने भूमि उपयोगों में ऐसे व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की थी जो विकास योजना, 2005 के भूमि नक़्शे में दर्शाये गये उद्देश्यों से भिन्न थे तथा व्यपवर्तित भूमि उपयोग के अनुसार सम्बंधित भू-अभिलेख को अद्यतन करने की भी अनुमति प्रदान की थी। उपखंड अधिकारी ने विकास योजना के विपरीत भूमि उपयोग में परिवर्तन करने के लिए निदेशक, नगर तथा ग्राम निवेश से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

इस प्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश का वांछित अनुमोदन प्राप्त किये बिना, उपखंड अधिकारी द्वारा भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु दी गयी अनुमति अनियमित तथा लागू प्रावधानों के प्रतिकूल थी।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2024) कि व्यपवर्तन के प्रावधान एम.पी.एल.आर.सी. से विलोपित कर दिये गये हैं तथा भूमि स्वामी अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि का व्यपवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। भूमि स्वामी द्वारा व्यपवर्तन किये जाने की स्थिति में, उपखंड अधिकारी द्वारा व्यपवर्तित उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित भूमि के राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाता है। राजस्व का पुनर्निर्धारण, प्रणाली द्वारा गणना किया जाता है जो मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त है। यह भी बताया गया कि विकास योजना के अनुसार भूमि उपयोग के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आवेदक एवं नगर तथा ग्राम निवेश का है। यह राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 59(10) स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि भूमि स्वामी भूमि का व्यपवर्तन केवल ऐसे उद्देश्य के लिए करेगा जो भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाली विधि के अंतर्गत अनुमत्य है एवं विकास योजना से भिन्न भूमि उपयोग में व्यपवर्तन की स्थिति में, निदेशक, नगर तथा ग्राम निवेश की लिखित अनुमति अनिवार्य थी ।

इस प्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा बनाये गये प्रावधानों के अनुसार भूमि उपयोग के उल्लंघन में भूमि का व्यपवर्तन विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हानिकारक था जिसके कारण भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अनियंत्रित एवं अनियोजित गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के कारण उस क्षेत्र के नियोजित विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जोखिम निहित था।

3.2.3 पंचायत उपकर का कम निर्धारण/आरोपण

मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 74 में ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्दिष्ट दरों (राजस्व के प्रत्येक रूपए पर 50 पैसे) पर पंचायत उपकर आरोपित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 2(एम-1) के अनुसार, भू-राजस्व में प्रीमियम भी सम्मिलित है।

हमने 10 चयनित जिलों के 20 उपखंड कार्यालयों में 1,082 व्यपवर्तन प्रकरणों की संवीक्षा में अवलोकित किया (अप्रैल से दिसम्बर 2023) कि सभी चयनित तहसीलों के 705 प्रकरणों में, 68,71,354 वर्ग मीटर के व्यपवर्तित भू-खंड ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित थे तथा इस प्रकार, इन प्रकरणों में पुनर्निर्धारित राजस्व एवं प्रीमियम के योग़ पर 50 प्रतिशत की दर से पंचायत उपकर आरोपित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सम्बंधित उपखंड अधिकारियों ने पुनर्निर्धारित राजस्व एवं प्रीमियम के योग पर पंचायत उपकर की गणना करने के स्थान पर, केवल पुनर्निर्धारित राजस्व पर निर्धारण किया जो ₹0.40 करोड़ आकलित हुआ जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹2.85 करोड़ पंचायत उपकर का कम निर्धारण/कम प्राप्ति हुई (***परिशिष्ट-3.2.3***)।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2024) कि म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 74 के अनुसार पंचायत उपकर भू-राजस्व के 50 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाता है। प्रीमियम एवं भू-राजस्व के योग पर निर्धारण संबंधी मुद्दे को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय कर उसका परीक्षण किया जाएगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एम.पी.एल.आर.सी. के प्रावधानों के अनुसार, भू-राजस्व में प्रीमियम भी सम्मिलित है। पंचायत उपकर के अनिर्धारण/अनारोपण के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को निधि की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

पूर्व में 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कण्डिका 5.2.15 में इसी प्रकार की लेखापरीक्षा

आपत्ति इंगित की गयी थी, लेकिन राजस्व की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है।

3.2.4 अव्यपवर्तित भूमि पर कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्रदान किया जाना

मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 (दिनांक 13 जनवरी 2022 से प्रभावी) के नियम 8(1) में प्रावधान है कि कोलोनाइजर कोई कॉलोनी निर्मित करने एवं उसमें विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, सक्षम प्राधिकारी को, कॉलोनी का विकास कार्य प्रारम्भ करने या भू-खण्डों के विक्रय के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम 45 दिन पूर्व, उप-नियम (2) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क एवं व्यपवर्तन शुल्क जमा करने की रसीद के साथ प्रारूप-चार में तीन प्रतियों में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

कलेक्टर कार्यालय, बालाघाट में कॉलोनी विकास अनुज्ञा के कुल 12 प्रकरणों की संवीक्षा (अप्रैल 2022 से फरवरी 2023) के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि जिला कलेक्टर ने चार प्रकरणों में ***परिशिष्ट-3.2.4*** में दर्शाये अनुसार 0.74 हेक्टेयर अव्यपवर्तित भू-क्षेत्र पर कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्रदान (अप्रैल 2022 से जून 2022) की थी। इस प्रकार, भूमि व्यपवर्तन के बिना जिला कलेक्टर द्वारा कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्रदान किया जाना उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत था।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2024) कि इस सम्बन्ध में सभी कलेक्टरों को उपयुक्त निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.2.5 अव्यपवर्तित भूमि पर अवैध कॉलोनी के विकास के कारण राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.) की धारा 59(9) में प्रावधान है कि यदि भूमि स्वामी उप धारा 6 के अंतर्गत, व्यपवर्तन की सूचना देने में विफल रहता है तो उपखंड अधिकारी, स्वतः संज्ञान लेकर अथवा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ऐसे व्यपवर्तन के कारण प्रीमियम की संगणना तथा देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा तथा कुल देय राशि के 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार, नगर सर्वेक्षकों अथवा पटवारियों[47] द्वारा वर्ष में एक बार अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्पूर्ण भूमि का निरीक्षण किया जाना था तथा ऐसे प्रत्येक अनियमित व्यपवर्तन को, जिसकी सूचना भूमि स्वामी द्वारा नहीं दी गयी थी, उपखंड अधिकारी को प्रतिवेदित किया जाना था।

[47] एक शासकीय कर्मचारी जो भू-अभिलेख संधारित करता है तथा राजस्व की वसूली करता है|

हमने दो उपखंड अधिकारियों (राजस्व), कुक्षी (धार) एवं आरोन (गुना) के कार्यालयों में अवैध कॉलोनियों के विकास से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा में अवलोकित किया (अगस्त एवं सितम्बर 2023) कि नगर परिषद कुक्षी एवं आरोन की सीमा के भीतर 43.333 हेक्टेयर की अव्यपवर्तित भूमि पर 41 कॉलोनियां विकसित की गयी थीं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उपखंड अधिकारियों ने कृषि भूमि के आवासीय उपयोग का स्वतः संज्ञान नहीं लिया जिसके सम्बन्ध में एम.पी.एल.आर.सी. के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर भूमि उपयोग के अनुसार राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाना आवश्यक था। उपखंड अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹25.99 लाख (शास्ति सहित) के राजस्व की हानि हुई जैसा कि ***परिशिष्ट-3.2.5*** में दर्शाया गया है।

सम्बंधित क्षेत्र के पटवारियों ने अपने राजस्व क्षेत्र के भीतर किये गये आवधिक निरीक्षणों की पुष्टि में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये थे और न ही उपखंड अधिकारी द्वारा निरीक्षण की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए ऐसे कोई प्रतिवेदन मांगे गये थे।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2024) कि सभी कलेक्टरों को उन राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्होंने यह जानकारी होने के बाद भी कृषि भूमि के व्यपवर्तन के बिना उसके विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग का स्वतः संज्ञान नहीं लिया, के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किये जायेंगे।

शासन ने आगामी उत्तर में बताया (अक्टूबर 2024) कि कलेक्टर गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, आरोन में विकसित 14 अवैध कॉलोनियों में से 12 प्रकरणों में सिविल न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की गयी हैं तथा न्यायिक कार्यवाही चल रही है।

3.2.6 शासकीय भूमि पर अवैध कॉलोनियों का विकास

एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 248 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो अनधिकृत रूप से किसी ऐसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसके आधिपत्य में है, जो शासन की संपत्ति है, सरसरी तौर पर तहसीलदार के आदेश से बेदखल किया जा सकता है।

गुना जिले में अभिलेखों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया (सितम्बर 2023) कि पांच सर्वे नंबरों[48] में अन्तर्निहित शासकीय भूमि के 4.999 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर छः अवैध आवासीय कॉलोनियां[49] विकसित हो चुकी थीं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त सर्वे नम्बरों में से 1.0715 हेक्टेयर को आवासीय उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित निजी भूमि के रूप में खसरा में दर्शाया गया था।

---

[48] 254/1 मिन (मूल सर्वे नंबर 254), 613 मिन (मूल सर्वे नंबर 613), 602/14, 626/2, 1425/3

[49] जाट मोहल्ला, शिवपुरम कॉलोनी, टेकरी रोड, कृष्णा नगर, भावना नगर, गायत्री कॉलोनी, अनिल कुमार पुत्र मिन्टू लाल

इस प्रकार, शासकीय भूमि पर अवैध कॉलोनियों का विकास एवं निजी आवासीय उद्देश्य हेतु शासकीय भूमि का व्यपवर्तन एम.पी.एल.आर.सी. के प्रावधानों के विरुद्ध था एवं उपखंड अधिकारी की ओर से एक चूक थी क्योंकि वह तहसील स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण नजूल भूमि एवं व्यपवर्तन प्रकरणों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी थे। इसके अतिरिक्त, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा उन व्यक्तियों को बेदखल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी जो शासकीय भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्ज़ा किये हुए थे।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने स्वीकार किया तथा बताया (सितम्बर 2024) कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं।

शासन ने आगे उत्तर में बताया (अक्टूबर 2024) कि कलेक्टर गुना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, तहसीलदार न्यायालय ने उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस जारी किये हैं जो शासकीय भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्ज़ा किये हुए थे एवं अतिक्रमणकर्त्ताओं के विरुद्ध धारा 248 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

3.2.7 शासकीय भूमि का अनियमित व्यपवर्तन एवं पंजीयन

एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 248 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से शासकीय भूमि पर कब्ज़ा किये हुए है, तहसीलदार के आदेश से सरसरी तौर पर बेदखल किया जा सकता है।

हमने तहसील आरोन (गुना) में 50 नामान्तरण प्रकरणों की अभिलेखों की संवीक्षा में अवलोकित किया (सितम्बर 2023) कि पांच प्रकरणों में आवेदकों/क्रेताओं ने विक्रय विलेख के पंजीयन के पश्चात तहसीलदार को अभिलेखों में नामान्तरण/अद्यतन हेतु आवेदन किया। पटवारी द्वारा अभिलेखों का मिसल अभिलेख[50] से प्रति-सत्यापन के दौरान पता चला कि इन नामान्तरण प्रकरणों में अन्तर्निहित 6.43 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों (ज़िल्द बंदोबस्त) में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थी, विक्रय विलेख के पंजीयन द्वारा, ***परिशिष्ट-3.2.6*** में दर्शाये अनुसार निजी व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दी गयी थी।

चूंकि पूर्वोक्त प्रकरणों में अन्तर्निहित भूमि शासकीय भूमि थी, अतः आवेदकों को विक्रय विलेख निष्पादित करने एवं उसे पंजीयन करने का अधिकार नहीं था। यद्यपि तहसीलदार ने शासकीय भूमि अन्तर्निहित होने के कारण इन नामान्तरण प्रकरणों को निरस्त कर दिया, लेकिन उन्होंने एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 248 के अंतर्गत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

[50] संहिता (1959) के अधिनियमन की तिथि से लेकर पूर्व में किए गए भू-सर्वेक्षणों के दौरान अंतिम रूप से तैयार किए गए अभिलेखों तक के पूर्ववर्ती अभिलेख।

इसे इंगित किये जाने पर शासन ने बताया (अक्टूबर 2024) कि कलेक्टर गुना द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार, दो प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्रासंगिक नहीं था, क्योंकि राजस्व अभिलेखों (ज़िल्द बंदोबस्त) में भूमि का वर्गीकरण शासकीय भूमि के रूप में होने के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

3.2.8 निगरानी तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण

3.2.8.1 पटवारियों द्वारा 'संभावित व्यपवर्तित भूमि' के सम्बन्ध में प्रतिवेदन न दिया जाना

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम 2018 (दिनांक 28-09-2018 से प्रभावी) के नियम 16 (1) के अनुसार, पटवारी या राजस्व निरीक्षक वर्ष में एक बार अपने निर्दिष्ट राजस्व क्षेत्र के भीतर प्रत्येक सर्वे नंबर एवं प्रत्येक प्लॉट नंबर का निरीक्षण करेगा तथा प्रत्येक अवैध व्यपवर्तन की सूचना उपखंड अधिकारी को देगा।

एम.पी.एल.आर.सी. के नियम 59(9) में प्रावधान है कि यदि भूमि स्वामी उप धारा(6) के अंतर्गत व्यपवर्तन की सूचना देने में विफल रहता है तो उपखंड अधिकारी स्व-प्रेरणा से या ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ऐसे व्यपवर्तन के लिये प्रीमियम की संगणना करेगा तथा देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा एवं कुल देय राशि के 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा।

आयुक्त, भू-अभिलेख, म.प्र. के पोर्टल (*mpbhulekh.gov.in*) पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, राज्य के 52 जिलों में संभावित व्यपवर्तित भूमि (31 मार्च 2023 की स्थिति में) की स्थिति **तालिका-3.2.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.2.2: 31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य में संभावित व्यपवर्तित भूमि की स्थिति

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

विवरण	संख्या	क्षेत्रफल
गिरदावरी	487290	97714.163
पी. एम. किसान	8942	4025.523
उपग्रह छवि निजी	488621	15941.91
गैर-कृषि उद्देश्य	52580	4633.5818
महा योग	**1037433**	**122315.18**

हमने चयनित 10 जिलों के उपरोक्त पोर्टल डेटा की संवीक्षा में अवलोकित किया कि 26514.31 हेक्टेयर [51] भूमि 'संभावित व्यपवर्तित भूमि' की श्रेणी के अंतर्गत रखी गयी थी। एम.पी.एल.आर.सी. के प्रावधानों के अनुसार, पटवारी/राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल सत्यापन के माध्यम से भूमि की स्थिति को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था। यदि स्थल सत्यापन के दौरान भू-खण्ड व्यपवर्तित पाया जाये, तो उपखंड अधिकारी द्वारा पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रीमियम, भू-राजस्व, पंचायत उपकर (यदि लागू हो) का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिये तथा कुल देय राशि के 50 प्रतिशत के बराबर शास्ति की वसूली भूमि स्वामी से की जानी चाहिये।

इसे इंगित किये जाने पर, शासन ने बताया (सितम्बर 2024) कि सतत स्थल सत्यापन के निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं तथा अनुदेशों के अनुपालन में कार्रवाई की जाती है। तथापि, निर्देश पुनः जारी किये जायेंगे।

3.2.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

दस चयनित जिलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि नियोजन क्षेत्र के भीतर भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में, भूमि उन उद्देश्यों हेतु व्यपवर्तित की गयी थी जो विकास योजना के उद्देश्यों के विपरीत थे। पंचायत क्षेत्र के भीतर व्यपवर्तन प्रकरणों में पंचायत उपकर का अवनिर्धारण किया जा रहा था। हमने यह भी अवलोकित किया कि कलेक्टरों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि व्यपवर्तित भूमि पर कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्रदान की गई है। पटवारियों/राजस्व निरीक्षकों ने अव्यपवर्तित/शासकीय भूमि पर अनियमित व्यपवर्तन एवं अवैध कॉलोनियों की स्थापना को प्रतिवेदित करने हेतु किये जाने वाले आवधिक निरीक्षण नहीं किये तथा न ही उपखंड अधिकारी द्वारा उनसे ऐसे किसी निरीक्षण प्रतिवेदन की मांग की गयी। यह प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के अभाव एवं निगरानी प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप विधि, नियमों, समय-समय पर जारी परिपत्र एवं अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना इंगित करता है।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

(i) शासकीय भूमि पर आगे होने वाले व्यपवर्तन एवं अतिक्रमण को रोकने के लिए पटवारियों/राजस्व निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण की प्रणाली स्थापित की जाए। (सन्दर्भ कंडिका 3.2.6 एवं 3.2.7)

[51] ग्वालियर-1483.006 हेक्टेयर; गुना-1441.3087 हेक्टेयर; छतरपुर-1688.8398 हेक्टेयर; दमोह-4777.9577 हेक्टेयर; शहडोल-2807.8924 हेक्टेयर; धार-1956.7163 हेक्टेयर; इंदौर-4046.3771 हेक्टेयर; भोपाल-4698.4245 हेक्टेयर; जबलपुर-1221.477 हेक्टेयर; बालाघाट-2392.3152 हेक्टेयर ।

(ii) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रत्येक व्यपवर्तन/अतिक्रमण हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाए। (सन्दर्भ कंडिकायें 3.2.2 से 3.2.7)

(iii) शासकीय भूमि के लिये विक्रय विलेख के अनधिकृत निष्पादन को रोकने हेतु एक प्रणाली स्थापित की जाए। (सन्दर्भ कंडिका 3.2.7)

3.3 आदिवासी जनजातियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा पर लेखापरीक्षा कंडिका

- तीन जिलों में, अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.), जो एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 165(6) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी नहीं थे, ने 39 मामलों में आदिवासी जनजाति से संबंधित कुल 56.96 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण के लिए अनियमित अनुमति दी थी।
- उपखंड अधिकारी, सोहागपुर, जिला शहडोल ने आदिवासी एवं गैर-आदिवासी के बीच भूमि विवाद के प्रकरणों का निर्णय करते समय भूमि हस्तांतरण की वास्तविकता सुनिश्चित नहीं की।

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.) की धारा 165(6) में प्रावधान है कि आदिवासी जनजातियों से संबंधित भूमिस्वामी का अधिकार, होगा,

(1) उन क्षेत्रों में, जहां आदिवासी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं, ऐसी भूमि न तो विक्रय के माध्यम से अथवा अन्यथा/अन्य किसी प्रकार से अथवा ऋण के लेन-देन के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी तथा न ही हस्तांतरणीय होगी, जो ऐसी जनजातियों से संबंधित नहीं है।

(2) तथा अन्य क्षेत्रों में, कलेक्टर की अनुमति के बिना, जो ऐसी अनुमति प्रदान करते समय अपने आदेश में कारणों को लिखित रूप में अंकित करेगा, भूमि न तो विक्रय के माध्यम से अथवा अन्यथा या ऋण के लेन-देन के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी और न ही हस्तांतरणीय होगी, जो ऐसी जनजातियों से संबंधित न हो।

एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 170(ए)(1) में उपबंध है कि उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी जनजाति, जिसे 31 दिसंबर, 1978 को या उससे पहले धारा 165 की उप-धारा (6) के अंतर्गत एक आदिवासी जनजाति घोषित किया गया है, से सम्बंधित कृषि भूमि के हस्तांतरणकर्त्ता द्वारा किये गए आवेदन पर बिक्री के माध्यम से प्रभावी हस्तांतरण या ऐसी भूमि के न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी जनजाति से संबंधित नहीं है, इस तरह के हस्तान्तरण की वास्तविक प्रकृति के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के लिये जाँच कर सकता है।

एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 170(बी)(1) में उपबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति जो एम.पी.एल.आर.सी. (संशोधन), 1980 के प्रारंभ की दिनांक को कृषि भूमि पर काबिज है, जो किसी आदिवासी जनजाति के सदस्य से सम्बंधित है, जिसे 2 अक्टूबर 1959 से शुरू होने वाली तथा संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ की दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि के बीच, धारा 165 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आदिवासी जनजाति घोषित किया गया है, ऐसे प्रारंभ के दो वर्ष के भीतर उपखंड अधिकारी (एस.डी.ओ.) को निर्धारित प्रपत्र तथा तरीके से समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि वह ऐसी भूमि के स्वामित्व में कैसे आया।

एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 170(बी)(3) में यह उपबंध है कि उप धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी ऐसे सभी हस्तांतरण के लेन–देन के संबंध में, जैसा वह आवश्यक समझे, वैसी जाँच करेगा एवं यदि वह यह पाता है कि आदिवासी जनजाति के सदस्य के साथ उसके वैध अधिकार का हनन किया गया है तो वह उस लेन-देन को अमान्य एवं निष्प्रभावी घोषित कर देगा तथा कृषि भूमि को हस्तांतरणकर्त्ता तथा, यदि उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसके वैध उत्तराधिकारियों को पुनः सौंपने का आदेश पारित करेगा। इस संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किये गये:

(i) तीन जिलों (दमोह, छतरपुर एवं बालाघाट), के उन क्षेत्रों में जहां मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियां नहीं रहती थी, के भूमि हस्तांतरण[52] के 201[53] राजस्व प्रकरणों की जांच में हमने पाया (अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक) कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.) द्वारा 39 प्रकरणों में (दिसंबर 2011 से मार्च 2019 के बीच) कुल 56.96 हेक्टेयर भूमि, आदिवासी जनजातियों के व्यक्तियों से गैर-आदिवासी जनजातियों को हस्तांतरण के लिए अनुमति दी गयी थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.3.1*** में दिखाया गया है। चूंकि, भूमि के इस हस्तांतरण के लिए जिला कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी थे तथा इस तरह, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये उक्त हस्तांतरण अनियमित थे एवं निरस्त करने योग्य थे।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि जिला दमोह के 26 मामले, जिनमें ए.डी.एम. ने भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी थी, की जांच की जा रही है एवं जिला कलेक्टर ने एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 51 के तहत इन मामलों की समीक्षा करने के लिए राजस्व मण्डल से अनुमति मांगी है। उत्तर में आगे कहा गया है कि इन मामलों में ए.डी.एम. द्वारा जिला कलेक्टर के "शक्तियों के प्रत्यायोजन" के अंतर्गत उचित सत्यापन करने के पश्चात अनुमति दी गयी है एवं एम.पी.एल.आर.सी. के प्रावधानों

[52] भूमि का हस्तांतरण, भूमि के स्वामित्व को एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की कानूनी प्रक्रिया है। आदिवासी जनजाति की भूमि का हस्तांतरण एम.पी.एल.आर.सी. की धारा 165(6) द्वारा शासित होता है।

[53] बालाघाट-97, दमोह-61, छतरपुर-43 ।

के अनुपालन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे। अन्य दो जिलों छतरपुर एवं बालाघाट के उत्तर उपलब्ध नहीं कराये गये (फरवरी 2025)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमति जिला कलेक्टर के स्थान पर ए.डी.एम. द्वारा दी गई थी जबकि धारा 165(6) में स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि ऐसे मामलों में जिला कलेक्टर के पद से नीचे के राजस्व अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपखंड अधिकारी, सोहागपुर, जिला शहडोल के राजस्व न्यायालय में आदिवासी तथा गैर-आदिवासी के बीच भूमि स्वामित्व के विवाद के तीन प्रकरणों में, आदिवासी जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रकरणों में तत्कालीन उपखंड अधिकारी का निर्णय गैर-आदिवासी व्यक्ति के पक्ष में था। यह निर्णय प्रकरण फाइलों में उपलब्ध अभिलेखों/सूचनाओं पर आधारित नहीं था तथा इसलिए यह आदिवासी जनजाति से संबंधित हस्तान्तरणकर्त्ताओं को उनके वैध अधिकारों से वंचित करना प्रतीत होता है। इन तीन प्रकरणों का विवरण ***परिशिष्ट-3.3.2*** में दिया गया है।

उपरोक्त तीनों प्रकरणों में, विवादित भूमि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित थी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण एम.पी.एल.आर.सी. (संशोधन), 1980 के प्रारंभ की तिथि के बाद निषिद्ध था। सभी तीन प्रकरणों में राजस्व अभिलेख (अधिकार अभिलेख/खतौनी) आदिवासी व्यक्ति के नाम पर थे, हालांकि विवादित भूमि का स्वामित्व समय के साथ कैसे बदल गया, इसका पता उपखंड अधिकारी द्वारा नहीं लगाया गया तथा भूमि हस्तांतरण की वास्तविक प्रकृति एवं वैधता के उचित सत्यापन के बिना ही प्रकरणों का निर्णय गैर-आदिवासी जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया गया।

आदिवासी तथा गैर-आदिवासी के बीच भूमि के स्वामित्व के विवाद से संबंधित प्रकरणों के संबंध में, उपखंड अधिकारी, सोहागपुर, शहडोल द्वारा बताया गया (मई 2024) कि सभी तीन प्रकरण जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षाधीन हैं। अवलोकन से शासन को अवगत करा दिया गया है (अक्टूबर 2024) एवं शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2025)।

अनुशंसाएं:

i. अपनी क्षमता से परे अधिकार का प्रयोग करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

ii. शासन एक निगरानी तंत्र निर्धारित करे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी जनजातियों से संबंधित भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों का निर्णय सक्षम स्तर पर किया जाए तथा ऐसे प्रकरणों की समय-समय पर नियमित रूप से समीक्षा की जाए।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

3.4 "मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा

3.4.1 परिचय और विधायी ढाँचा

वक्फ का मतलब है किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को किसी ऐसे उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जिसे मुस्लिम कानून में पवित्र, धार्मिक या परोपकारी माना जाता है। आसान शब्दों में, वक्फ एक ऐसी संपत्ति है जिसे मुस्लिम धार्मिक और परोपकारी उददेश्यों के लिए दान/समर्पित किया जाता है।

वक़्फ़/ओक़ाफ़[54] के बेहतर प्रशासन एवं पर्यवेक्षण हेतु संसद द्वारा वर्ष 1954 में वक़्फ़ अधिनियम, 1954 लागू किया गया था। इसे वक़्फ़[55] अधिनियम, 1995 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) द्वारा निरस्त किया गया, जिसे वर्ष 2013[56] में संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा वक़्फ़ अधिनियम, 1995 की धारा 3(द) में वक़्फ़ की उपर्युक्त परिभाषा से 'इस्लाम धर्म को मानने वाला' शब्द को हटा दिया गया। वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संशोधित धारा 3(द) में अब वक़्फ़ को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम क़ानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या परोपकार के रूप में मान्य किसी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित किए जाने के रूप में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम की धारा 109 (नियम बनाने की शक्ति) के अनुसरण में, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आगे चलकर दिनांक 19.06.2001 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मध्य प्रदेश वक़्फ़ नियम, 2000 अधिसूचित किए गए (जिसे आगे 'नियम' कहा गया है)।

3.4.2 क्षेत्राधिकार रूपरेखा

3.4.2.1 मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड

मध्य प्रदेश वक़्फ़ बोर्ड (एम.पी.डब्ल्यू.बी.), भोपाल, जिसे आगे बोर्ड कहा गया है, वर्ष 1961 में अस्तित्व में आया। बोर्ड एक निगमित संस्था है, जिसे सतत उत्तराधिकार के साथ संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने तथा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त है और यह उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है तथा मुकदमे का सामना भी कर सकता है।

---

[54] 'ओक़ाफ़' शब्द 'वक़्फ़' का बहुवचन है तथा 'वक़्फ़' और 'ओक़ाफ़' दोनों शब्द परस्पर विनिमेय हैं और तदनुसार उपयोग किए गए हैं।

[55] इसे नवंबर 1995 में संसद द्वारा लागू किया गया था।

[56] 1995 के एक्ट में नवंबर 2013 से *Wakf* की स्पेलिंग बदलकर *Waqf* कर दी गई थी।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2023 तक बोर्ड में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह आदि जैसे कुल 14,967 वक़्फ़ संपदा पंजीकृत थी, जिनमें विद्यालय, दुकानें, कृषि भूमि आदि जैसी 33,392 वक़्फ़ अचल संपत्तियाँ शामिल थीं। मध्य प्रदेश में वक़्फ़ों का ज़िला-वार वितरण नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है:

मानचित्र 3.4.1: मध्य प्रदेश में वक़्फ़ संपत्तियों के वितरण को दर्शाने वाला हीट मैप

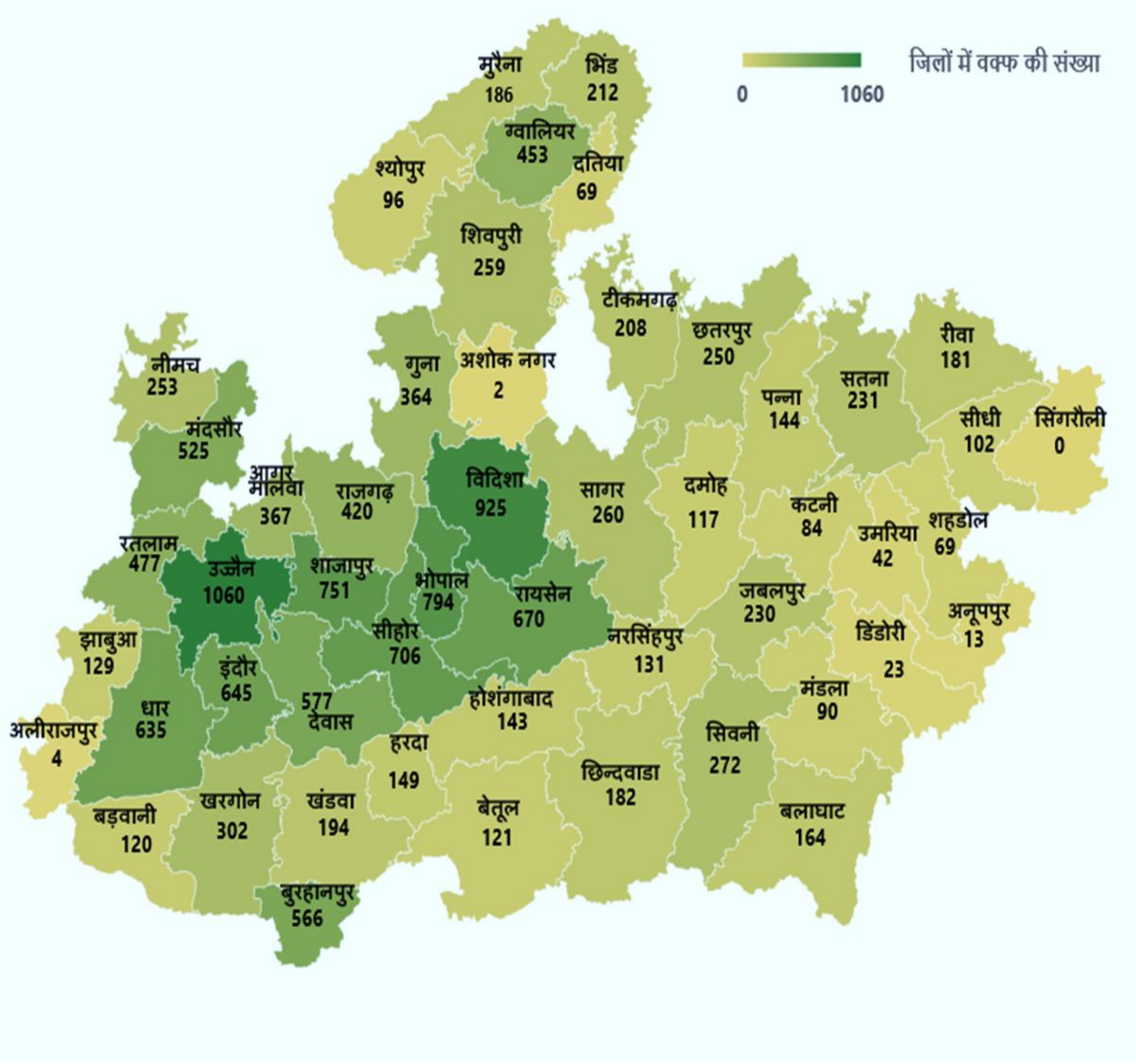

आँकड़े का स्रोत: भारत का वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यू.ए.एम.एस.आई.) पोर्टल

बोर्ड की संरचना

अधिनियम की धारा 14(1) सहपठित नियमों में बोर्ड के सदस्यों की संरचना और विभिन्न श्रेणियों के तहत उनके चयन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जैसे:

तालिका 3.4.1: बोर्ड सदस्यों की संरचना

क्र. सं.	पद	चयन प्रक्रिया
1.	निम्नलिखित में से प्रत्येक से कम से कम एक लेकिन दो से अधिक मुस्लिम सदस्य नहीं: (क) राज्य से मुस्लिम संसद सदस्य (सांसद); (ख) राज्य विधानसभा के मुस्लिम सदस्य (विधायक); (ग) राज्य की बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य या बार काउंसिल के सदस्यों की अनुपलब्धता की स्थिति में राज्य के वरिष्ठ मुस्लिम वकील; (घ) वक्फों के मुतवल्ली[57] (संपत्ति प्रबंधक) जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये और उससे अधिक है।	अपने-अपने निर्वाचक मंडलों के माध्यम से, और यदि ऐसा न हो सके तो राज्य शासन द्वारा नामांकन के माध्यम से।
2.	एक मुस्लिम व्यक्ति जो नगर नियोजन, व्यवसाय प्रबंधन, वित्त या राजस्व, कृषि एवं विकास गतिविधियों, सामाजिक कार्य में पेशेवर अनुभव रखता हो।	राज्य शासन द्वारा नामांकन के माध्यम से।
3.	शिया और सुन्नी इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त मुस्लिम विद्वानों में से प्रत्येक समुदाय से एक-एक व्यक्ति।	
4.	राज्य शासन के अधिकारियों में से मुसलमानों में से एक व्यक्ति, जो राज्य शासन में संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।	
5.	एक अध्यक्ष	बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुनाव के माध्यम से।

अधिनियम की धारा 14(1ए) के अंतर्गत, बोर्ड में नियुक्त कम से कम दो सदस्य महिलाएँ होंगीं। बोर्ड के सदस्य राज्य शासन द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किए जाएंगे [धारा 14(9)] और इस प्रकार की अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे (धारा 15)।

अधिनियम की धारा 23 सहपठित पूर्वोक्त नियमावली के नियम 7ए के अंतर्गत राज्य शासन, बोर्ड द्वारा सुझाए गए दो नामों की सूची में से कम से कम उप-जिलाधिकारी स्तर के एक मुस्लिम शासकीय सेवक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सी.ई.ओ.) नियुक्त कर सकता है।

अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत, बोर्ड को राज्य शासन के परामर्श से अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। बेहतर प्रबंधन, निगरानी और वक्फ संपत्तियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, अधिनियम की धारा 18 के तहत जिला वक्फ समितियाँ, तहसील वक्फ समितियाँ और वक्फ संपत्तियों की प्रबंधन समितियाँ गठित की गई हैं।

[57] वक्फ एवं इससे सम्बन्धित सम्पतियों का प्रबंधक, अन्य शब्दों में सम्पति प्रबंधक।

3.4.2.2 बोर्ड की शक्तियां एवं कार्य

बोर्ड को अपने अधिकारों और कार्यों का निर्वहन करने तथा अधिनियम में दिए गए अपने दायित्वों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सक्षम बनाया गया है, अर्थात् वक्फों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करना। बोर्ड का मुख्य कार्य, उन संपत्तियों का पंजीकरण करना जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है और ऐसी संपत्तियों के लिए एक संपदा रजिस्टर का संधारण करना है।

उपरोक्त दायित्वों के पालन हेतु, बोर्ड को अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत निर्धारित कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, धारा 36, 40 और 41 अन्य महत्वपूर्ण धाराएँ हैं, जो वक्फों के पंजीकरण का प्रावधान करती हैं और यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हैं कि कोई संपत्ति वक्फ है अथवा नहीं।

3.4.2.3 बोर्ड की शक्तियाँ

आवेदन प्राप्त होने पर वक्फ को पंजीकृत करने की शक्ति

इस प्रणाली के अंतर्गत वक्फों का पंजीकरण, अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत किया जाता है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उनके पंजीकरण का प्रावधान करती है जो उस वक्फ में रुचि रखता हो। रुचि रखने वाला व्यक्ति मुतवल्ली हो सकता है (अर्थात कोई भी व्यक्ति, समिति या निगम जो उस समय किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति का प्रबंधन या प्रशासन कर रहा हो), या उसके वंशज, या वक्फ का कोई लाभार्थी, अथवा उस संप्रदाय से संबंधित कोई भी मुस्लिम, जिससे वह वक्फ संबंधित है। बोर्ड को उस संपत्ति का वक्फ के रूप में पंजीकरण करने से पूर्व आवेदन की प्रमाणिकता और वैधता के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली जांच करनी चाहिए।

वक्फ का निर्णय करने की शक्ति

अधिनियम की धारा 40 बोर्ड को यह निर्धारित करने की विशिष्ट शक्ति प्रदान करती है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इससे संबंधित प्रकरणो में वह निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस धारा के अंतर्गत, बोर्ड स्वयं किसी भी ऐसी संपत्ति के संबंध में जानकारी एकत्र कर सकता है, जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह वक्फ संपत्ति है। यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, अथवा कोई वक्फ सुन्नी वक्फ है या शिया वक्फ, तो बोर्ड अपनी समझ के अनुसार आवश्यक जांच करने के पश्चात उस प्रश्न का निर्णय कर सकता है। ऐसे प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय, जब तक कि उसे न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त या संशोधित न किया जाए, अंतिम होगा।

वक्फ के स्वप्रेरित पंजीकरण की शक्ति

अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत, बोर्ड किसी मुतवल्ली को वक्फ के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दे सकता है, या वक्फ से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कह सकता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड स्वयं वक्फ का पंजीकरण करा सकता है अथवा किसी भी समय ओक़ाफ़ (वक्फों) के रजिस्टर में संशोधन कर सकता है।

वक्फ संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया का एक प्रवाह-चार्ट (अधिनियम की धारा 36 अथवा धारा 41 के अंतर्गत) तथा अन्य संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया से उसका अंतर, नीचे दिए गए **प्रवाह-चार्ट 3.4.1** तथा **3.4.2** में दर्शाया गया है:

प्रवाह-चार्ट 3.4.1: वक्फ़ों की पंजीकरण प्रक्रिया

स्रोत: बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी

प्रवाह-चार्ट 3.4.2: अन्य संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया

बिक्री/उपहार/हस्तांतरण विलेख तैयार करना → स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना → उप-पंजीयक कार्यालय जाना → दस्तावेज़ीकरण और सत्यापन → दस्तावेज़ पंजीकृत होना और रसीद जारी करना → संपत्ति अब कानूनी तौर पर पंजीकृत है।

3.4.2.4 बोर्ड की कार्यप्रणाली

अधिनियम की धारा 32 यह निर्धारित करती है कि किसी राज्य में वक्फों की सामान्य पर्यवेक्षण शक्ति बोर्ड के पास होगी और यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करे कि उसके पर्यवेक्षण में आने वाले वक्फों का उचित रखरखाव, नियंत्रण और प्रशासन सुनिश्चित हो, और उनकी आय का सही ढंग से उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए, जिनके लिए ऐसे वक्फ बनाए गए थे या निर्धारित किए गए थे।

बोर्ड के कार्य इस प्रकार होंगे:

- ओक़ाफ़ के प्रशासन और वक्फों की अधिशेष आय के उपयोग के लिए निर्देश देने के लिए,
- मुतवल्लियों को नियुक्त करना एवं हटाना,
- मुतवल्लियों से वक्फ के संबंध में ऐसी विवरणियाँ, सांख्यिकी, लेखा और अन्य जानकारी मांगना जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे।
- मुतवल्लियों द्वारा पेश किए गए बजट की जांच करना तथा उन्हें मंज़ूरी देना एवं ओक़ाफ़ के लेखाओं की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करना,
- वक्फ, उसके खाते और अन्य संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराना,
- वक्फ की प्रकृति और सीमा की जांच करना और उसका निर्धारण करना तथा ऐसी संपत्ति का सर्वेक्षण कराना,
- खोई हुई संपत्ति को वापस पाने के लिए उपाय करना, यदि कोई हो,
- किसी भी अचल वक्फ संपत्ति के पट्टे को मंज़ूरी देना,
- ओक़ाफ़ से संबंधित मुकदमों और कार्यवाही को शुरू करना और उनका बचाव करना।

3.4.2.5 मध्य प्रदेश राज्य वक्फ न्यायाधिकरण

अधिनियम की धारा 83 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य शासन आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने न्यायाधिकरणों (सिविल अदालतों के समकक्ष) का गठन करेगी, जितना

वह उपयुक्त समझे, किसी भी विवाद, प्रश्न या वक्फ से संबंधित अन्य प्रकरणो के निपटान के लिए और संबंधित मुद्दों का निर्णय करेगी, जैसे वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाना, वक्फों से संबंधित विवादों का निर्णय करना आदि।

प्रत्येक न्यायाधिकरण में निम्नलिखित होंगे:

(क) एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य होगा और जिसका पद जिला, सत्र या प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश से नीचे न हो, वह अध्यक्ष होगा;

(ख) एक व्यक्ति, जो राज्य सिविल सेवा का अधिकारी होगा और जिस का पद अपर जिला मजिस्ट्रेट के समकक्ष होगा, सदस्य; और

(ग) एक व्यक्ति जिसे मुस्लिम कानून और न्यायशास्त्र का ज्ञान हो, सदस्य।

मध्य प्रदेश शासन ने वक्फों से संबंधित प्रकरणो को सुनने के लिए भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य वक्फ न्यायाधिकरण (एम.पी.एस.डब्ल्यू.टी.) का गठन किया है, जिसे आगे न्यायाधिकरण कहा जाएगा। वक्फ न्यायाधिकरण के लिए अपीलीय प्राधिकरण राज्य उच्च न्यायालय है।

3.4.3 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर, अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। बोर्ड की समग्र पर्यवेक्षण और निगरानी मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त के पास रहती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड के पदेन सचिव होंगे, जो वक्फ/ओक़ाफ़ की संपत्तियों, खातों, अभिलेखों, पट्टों या दस्तावेज़ों की जाँच/निरीक्षण करते हैं और यदि आवश्यक हो, तो वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश या प्रस्ताव के प्रति अपनी आपत्तियों के साथ प्रकरणो को राज्य शासन के पास प्रेषित करते हैं।

3.4.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और मानदंड

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की लेखापरीक्षा इस दृष्टि से की गई ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या निधियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त और उपयोग की गईं और संपत्ति (वक्फ या वक्फ संपत्तियों) का अधिग्रहण, उनका प्रबंधन और उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था या नहीं।

ऑडिट के मानदंड निम्नलिखित से लिए गए थे:

- वक्फ अधिनियम, 1954 और वक्फ अधिनियम, 1995 (2013 तक संशोधित),
- एम.पी. वक्फ नियम, 2000 और एम.पी. वक्फ बोर्ड विनियम, 1963,
- वक्फ संपत्तियों का पट्टा (संशोधन) नियम, 2020,

- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम, 2002,
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

लेखापरीक्षा में आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय तथा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल की 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि को शामिल किया गया। जो मुद्दे सामने आए, उन्हें संबंधित जिलों के जिलाधिकारी/तहसील आदि कार्यालयों में रखे गए अभिलेखों के साथ-साथ संबंधित वक्फ के अभिलेखों से भी सत्यापित किया गया।

लेखापरीक्षा पद्धति में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्रों और मानदंडों के अनुसार अभिलेखों/ डेटा की जांच एवं विश्लेषण, अभिलेखों को स्कैन करके साक्ष्य एकत्र करना तथा जियो-टैग्ड फोटोग्राफिक साक्ष्य[58] एकत्र करना, उपरोक्त कार्यालयों द्वारा संधारित प्राथमिक अभिलेखों की जांच के आधार पर अभिलेख मांगने हेतु हाफ मार्जिन जारी करना और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ करना शामिल था। मध्य प्रदेश में पंजीकृत 14,967 वक्फों में से, लेखापरीक्षा ने बोर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर आठ[59] जिलों में 24 वक्फों का संयुक्त सर्वेक्षण किया।

प्रवेश सम्मेलन अपर प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश के साथ दिनांक 17 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, दायरा और पद्धति शासन को अवगत कराए गए। लेखापरीक्षा निष्कर्ष 18 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश शासन को जारी किए गए, एवं वक्फ बोर्ड के उत्तर, जिन्हें राज्य शासन द्वारा बिना किसी अतिरिक्त टिप्पणी के अनुमोदित किया गया था, 29 नवंबर 2024 को प्राप्त हुए, जिन्हें प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

निर्गम सम्मेलन 04 अप्रैल 2025 को प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश के साथ आयोजित किया गया एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर प्राप्त उत्तर (अप्रैल 2025) को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.5 राजस्व संग्रह एवं निधि प्रबंधन

3.4.5.1 अवास्तविक बजट अनुमान

अधिनियम की धारा 78 के अनुसार, बोर्ड आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय को दर्शाते हुए एक बजट तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति राज्य

---

[58] लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए मुद्दों के आधार पर 33 जिलों में वक्फ संपत्तियों का जियो-टैगिंग की गई।

[59] जिलों का चयन, बोर्ड की लेखापरीक्षा के दौरान सामने आये मुद्दो/कमियों के आधार पर किया गया।

शासन को अग्रेषित करेगा। राज्य शासन के निर्णय की प्राप्ति पर, बोर्ड अपने बजट में राज्य शासन द्वारा अंततः सुझाए गए सभी परिवर्तन, संशोधन एवं सुधार सम्मिलित करेगा तथा इस प्रकार परिवर्तित, संशोधित बजट ही बोर्ड द्वारा पारित किया जाने वाला बजट होगा।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान वर्षवार बजट अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय नीचे दी गई **तालिका-3.4.2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.4.2: वर्षवार बजट अनुमान, वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय सहित

(₹ लाख में)

वर्ष	प्राप्तियाँ			व्यय		
	अनुमान	वास्तविक	अधिक अनुमान प्रतिशत में	अनुमान	वास्तविक	अधिक अनुमान प्रतिशत में
2018-19	678.88	274.18	*247.60*	651.72	200.90	*324.40*
2019-20	610.00	414.07	*147.32*	515.72	384.63	*134.08*
2020-21	635.00	407.54	*155.81*	578.55	239.25	*241.82*
2021-22	648.00	329.89	*196.43*	607.27	261.76	*231.99*
2022-23	633.00	364.88	*173.48*	633.47	373.07	*169.80*

(स्रोतः बोर्ड से प्राप्त अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान बजट में दर्शाई गई प्राप्तियाँ और व्यय दोनों ही क्रमशः 147 से लेकर 248 प्रतिशत के बीच तथा 134 से लेकर 324 प्रतिशत के बीच अधिक अनुमानित किए गये थे। इसके अतिरिक्त, यद्यपि उक्त अवधि के लिए बजट अनुमान राज्य शासन को अग्रेषित किए गए थे, तथापि मध्य प्रदेश शासन की ओर से न तो उनकी पुष्टि प्राप्त हुई और न ही किसी प्रकार के संशोधन, सुधार अथवा परिवर्तन संबंधी सुझावों के बारे में कोई पत्राचार बोर्ड के पास उपलब्ध था।

बोर्ड के उत्तर में, जिसे शासन द्वारा भी अनुमोदित किया गया, यह कहा गया कि राज्य शासन से, प्रस्तुत किए गए बजट के संबंध में कोई भी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ।

बोर्ड को चाहिए कि लेखा तैयार करते समय राज्य शासन के साथ समन्वय स्थापित करे, ताकि यथार्थवादी बजट को अंतिम रूप देकर स्वीकृत किया जा सके।

निर्गम सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव ने आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि बजट को अंतिम रूप देने से पूर्व वक्फ बोर्ड की बजट-पूर्व बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए।

3.4.5.2 बोर्ड के लेखों से बाहर रखी गई राशि ₹ 14.16 लाख

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 77 के अनुसार, बोर्ड द्वारा प्राप्त या संग्रहित की गई सभी राशियाँ, जैसे दान, अनुदान, आदि, वक्फ निधि का गठन करेंगी। बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई ऐसी राशियों का पृथक उप-शीर्ष के अंतर्गत लेखांकन किया जाएगा। अधिनियम की धारा 79 के अनुसार बोर्ड अपने लेखे तैयार करेगा। अधिनियम की धारा 80 के अनुसार, बोर्ड के लेखों का लेखा परीक्षण राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए गए लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कृषि भूमि से प्राप्त आय से संबंधित एक बैंक खाता[60] बोर्ड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल में संचालित किया जा रहा था। इस खाते में 31.03.2023 को ₹ 14,15,631 की शेष राशि थी, जिसमें वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्राप्त ₹ 1,93,352 का ब्याज[61] शामिल था।

आगे की जांच में यह पाया गया कि इस राशि को बोर्ड के लेखों से बाहर रखा गया था तथा इसे वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा तैयार किए गए लेखों में शामिल नहीं किया गया। लेखापरीक्षा को यह नहीं बताया गया कि निधि को बोर्ड के लेखों से बाहर रखने के पीछे क्या कारण थे। ऐसी स्थिति में भविष्य में इस निधि के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

शासन ने उत्तर दिया कि यह राशि राज्य में स्थित विभिन्न वक्फ कृषि भूमियों की नीलामी से सुरक्षा राशि के रूप में प्राप्त हुई थी।यह सुरक्षा राशि संबंधित वक्फों को मांग पर वापस कर दी जाएगी। इस राशि को लेखा में शामिल न करने को एक कमी के रूप में स्वीकार किया गया।

बोर्ड को चाहिए कि वह लेखों को उपयुक्त रूप से संशोधित करे या उन्हें भविष्य के लेखों में शामिल करे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कृषि भूमि से प्राप्त समान प्रकृति की राशि ₹ 11.05 लाख को एक अन्य बैंक खाते में जमा किया गया था और इसे वक्फ निधि में शामिल किया गया था। समान प्रकृति के संव्यवहारों का लेखांकन लगातार किया जाना चाहिए।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने बताया कि वक्फ बोर्ड के सीईओ को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अगली लेखापरीक्षा में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। सीईओ ने भरोसा दिलाया कि पिछले वर्षों के लेखों में भी सुधार किया जाएगा।

---

[60] स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, भोपाल ब्रांच रायल मार्केट, भोपाल में खाता 30268080455

[61] लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राशि जमा नही की गई |

3.4.5.3 वक्फों द्वारा लेखों के प्रस्तुत करने और वार्षिक लेखापरीक्षा के आयोजन में अनियमितताएँ

अधिनियम की धारा 72 (1) के अनुसार, प्रत्येक वक्फ का मुतवल्ली, जिसकी शुद्ध वार्षिक आय कम से कम ₹ पांच हजार हो, वक्फ से प्राप्त शुद्ध वार्षिक आय में से बोर्ड को वार्षिक रूप से ऐसे योगदान का भुगतान करेगा, जो कि निर्धारित की गई शुद्ध वार्षिक आय, का सात प्रतिशत से अधिक न हो। नियमावली 19 के तहत, बोर्ड द्वारा प्राप्त होने वाली चंदा निगरानी की दर वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय का सात प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

अधिनियम की धारा 46 के अनुसार, प्रत्येक वक्फ का मुतवल्ली, नियमित वार्षिक लेखे तैयार करेगा और इसे अगले वर्ष 30 जून तक बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। नियम 11 के तहत, वक्फों के लेखा परीक्षण के लिए उनकी वार्षिक आय के अनुसार मानदंड निर्धारित किए गए हैं, अर्थात् (i) जिन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय एक लाख या उससे अधिक हो, उनका वार्षिक लेखा परीक्षण, (ii) जिन वक्फों की आय एक लाख से कम तथा ₹10,000 तक हो, उनका त्रैवार्षिक लेखा परीक्षण, एवं (iii) जिन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय ₹10,000 से कम हो, उनमें से 5 प्रतिशत वक्फों के लेखों को क्रमावर्ती आधार पर वार्षिक रूप से लेखा परीक्षण किया जाना।

इसके अलावा, नियम 11(2) यह निर्धारित करता है कि सीईओ वक्फों की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा, जिसे इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले प्रत्येक वक्फ की लेखापरीक्षा की जा सके।

3.4.5.4 विभिन्न वक्फ/मुतवल्ली समितियों द्वारा लेखों का प्रस्तुत न करना तथा बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षण न करना

बोर्ड के अभिलेखों की जांच के दौरान (सितंबर 2024) यह देखा गया कि वक्फ बोर्ड में 14,000 से अधिक वक्फ पंजीकृत थे, लेकिन वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान केवल दो से तीन प्रतिशत वक्फों ने ही अपने लेखा बोर्ड को प्रस्तुत किए। इनमें से केवल पांच से छह वक्फों, जिनकी शुद्ध वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक थी, का ही वक्फ बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षण किया जा रहा था। इन वक्फों की लेखापरीक्षा का विवरण नीचे **तालिका-3.4.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.4.3: वक्फों द्वारा लेखों के प्रस्तुत करने और उनकी लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	राज्य में वक्फों की कुल संख्या	बोर्ड को लेखा प्रस्तुत करने वाले वक्फों की संख्या	शुद्ध वार्षिक आय > 1 लाख वाले वक्फों की संख्या			
			प्राप्त लेखों की संख्या	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षा नहीं की गई	कमी प्रतिशत
2018-19	14921	314	141	6	135	95.74
2019-20	14933	324	144	6	138	95.83
2020-21	14935	331	139	5	134	96.40
2021-22	14951	195	100	5	95	95.00
2022-23	14967	0	0	0	0	0

(स्रोतः बोर्ड से प्राप्त आँकड़े)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि जिन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है, उनमें से 95 प्रतिशत से अधिक का बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, दूसरी श्रेणी[62] में आने वाले वक्फों का कोई लेखा परीक्षण नहीं किया जा रहा है। जिन वक्फों की वार्षिक आय ₹10,000 से कम है, उनके लेखे भी प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि वर्ष 2018 से 2023 तक वक्फों के लेखा परीक्षण के लिए कोई वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार या प्रकाशित नहीं की गई थी। इसके अलावा, बोर्ड के पास वक्फ लेखों की उपलब्धता की निगरानी के लिए कोई डेटाबेस भी नहीं है।

बोर्ड द्वारा नियमित लेखापरीक्षा न करना, अधिनियम में निर्धारित कर्तव्यों से गंभीर विचलन है और यह न केवल बोर्ड के संचालन को प्रभावित कर सकता है बल्कि वक्फों के प्रबंधन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे आय और व्यय के गलत प्रस्तुतीकरण, अनधिकृत या अनियमित खर्च का बहीखाता में शामिल होना तथा लापरवाही या कदाचार के कारण वक्फों को हुए नुकसान की वसूली न होना जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें समय-समय पर आयोजित लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में लाकर रोका जा सकता था।

शासन ने बताया कि कार्यालय में केवल एक लेखा परीक्षक और एक वरिष्ठ लेखा परीक्षक ही उपलब्ध थे, जबकि लेखा परीक्षकों के पांच पद खाली पड़े थे। निर्गम सम्मेलन के दौरान,

[62] वर्ष 2018-23 के दौरान, ऐसे 643 वक्फों के लेखा प्राप्त हुए जिनकी आय एक लाख रुपये से कम लेकिन दस हजार रुपये से अधिक थी।

शासन ने वक्फ बोर्ड के सीईओ को निर्देश दिया कि लंबित लेखापरीक्षा को निपटाने के लिए लेखापरीक्षा कार्य को आउटसोर्स करने हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जाएँ।

बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फों द्वारा वार्षिक लेखों की तैयारी और लेखापरीक्षा की वार्षिक कार्य योजना को समय पर तैयार किया जाए।

3.4.5.5 वक्फों से चंदा निगरानी के संग्रहण तथा उसके लेखापरीक्षण में अनियमितताएँ

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान 14,967 वक्फों[63] में से 1,861 वक्फों के संबंध में चंदा निगरानी के संग्रहण तथा बकाया की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.4.4: चंदा निगरानी की कम संग्रहण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	चंदा निगरानी का प्रारंभिक बकाया शेष	वर्ष हेतु मांग राशि	प्राप्त होने वाली चंदा निगरानी की कुल बकाया राशि	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि[64]	वर्ष के अंत में चंदा निगरानी की बकाया शेष राशि
2018-19	2.90	1.44	4.34	1.27	3.07
2019-20	3.07	1.73	4.79	1.26	3.54
2020-21	3.54	1.70	5.24	1.29	3.95
2021-22	3.95	1.62	5.57	1.45	4.12

(स्रोत- बोर्ड का चंदा निगरानी रजिस्टर)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्राप्त किए जाने योग्य चंदा निगरानी की बकाया राशि वर्ष 2017-18 में ₹ 2.90 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 4.12 करोड़ हो गई, जिसका कारण यह है कि निर्धारित चंदा निगरानी की राशि पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रही है। चंदा निगरानी का जिला-वार विवरण ***परिशिष्ट-3.4.1*** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, शेष 13,106[65] वक्फों द्वारा देय चंदा निगरानी की राशि के संबंध में बोर्ड के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। इससे न केवल बोर्ड की राजस्व स्थिति प्रभावित हुई है, बल्कि यह वक्फों में कुप्रबंधन की स्थिति को भी दर्शाता है।

---

[63] लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से यह पाया कि केवल 1,861 वक्फ ही चंदा निगरानी का भुगतान कर रहे थे।

[64] आंकड़े नकद आधार पर दर्शाए गए हैं।

[65] 14,967-1,861

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2024), बोर्ड ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि जिन वक्फों की वार्षिक आय ₹ पाँच हजार से कम है, उनके लिए चंदा निगरानी का आकलन किया जाना आवश्यक नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन 13,106 वक्फों के लेखा बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए बोर्ड द्वारा उनकी आय का आकलन किया जाना संभव नहीं है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने राजस्व वसूली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। एम.पी. वक्फ बोर्ड के सीईओ को वक्फों से राजस्व बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए गए।

3.4.5.6 बोर्ड द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद (सी.डब्ल्यू.सी.) को कम अंशदान का भुगतान

अधिनियम की धारा 10 यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक बोर्ड को अपने वक्फ निधि से वार्षिक रूप से केन्द्रीय वक्फ परिषद (सी.डब्ल्यू.सी.) को वह अंशदान देना होगा, जो उन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय के कुल योग का एक प्रतिशत के बराबर हो, जिनके लिए बोर्ड द्वारा चंदा निगरानी (सात प्रतिशत) प्राप्त किया गया है।

बोर्ड के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान, बोर्ड ने सी.डब्ल्यू.सी. को देय अंशदान ₹ 99.07 लाख में से केवल ₹ 29 लाख का ही भुगतान किया। देय अंशदान का विवरण निम्नलिखित है:

तालिका 3.4.5: केन्द्रीय वक्फ परिषद को चंदा निगरानी के भुगतान की स्थिति

(राशि ₹ में)

वित्तीय वर्ष	बोर्ड द्वारा प्राप्त चंदा निगरानी की वास्तविक राशि	सी.डब्ल्यू.सी. को भेजे जाने वाली अंशदान की वास्तविक राशि	सी.डब्ल्यू.सी. को भेजी गई राशि	कम अंशदान	कमी प्रतिशत में
(1)	(2)	(3)=(कॉलम 2 का 1/7)	(4)	(5)	(6)
2018-19	1,58,79,969	22,68,567	0	22,68,567	100.00
2019-20	1,00,37,996	14,33,999	9,00,000	5,33,999	37.24
2020-21	1,84,54,328	26,36,333	0	26,36,333	100.00
2021-22	1,29,83,129	18,54,733	0	18,54,733	100.00
2022-23	1,19,91,272	17,13,039	2,00,0000	-2,86,961	-16.75
योग	**6,93,46,694**	**99,06,671**	**29,00,000**	**70,06,671**	**70.73**

(स्रोत- बोर्ड से प्राप्त अभिलेख)

इसके अलावा, लेखों की जांच से यह भी पता चला कि सी.डब्ल्यू.सी. को देय बकाया राशि को बोर्ड ने अपने लेखों में देनदारी के रूप में नहीं दर्शाया।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि बोर्ड प्रत्येक वर्ष चंदा निगरानी का सातवां हिस्सा सी.डब्ल्यू.सी. को अंशदान के रूप में देता है। आय एवं व्यय विवरण के अनुसार, बोर्ड ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा में आकलित राशि ₹99.07 लाख के स्थान पर सी.डब्ल्यू.सी. को हस्तांतरित करने योग्य राशि ₹98.80 लाख का आकलन किया। इसने यह भी सूचित किया कि ₹74.00 लाख अब तक हस्तांतरित किए जा चुके हैं और शेष राशि बोर्ड की स्वीकृति के बाद हस्तांतरित की जाएगी।

तथ्य यह है कि सी.डब्ल्यू.सी. को देय राशि केवल लेखापरीक्षा अवलोकन के बाद ही जारी की गई और शेष राशि, जो आकलित की गई थी, अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सी.ई.ओ. को निर्देश दिया कि भविष्य में चंदा निगरानी से देय अंश का समय पर केन्द्रीय वक्फ परिषद को भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

3.4.5.7 किराया संशोधित न होने के कारण बोर्ड को होने वाली आय का नुकसान

वक्फ संपत्ति पट्टा (संशोधन) नियम, 2020 (पट्टा नियम) की धारा 7 यह प्रावधान करती है कि किसी अचल वक्फ संपत्ति के पट्टे के लिए प्रति वर्ग फीट न्यूनतम आरक्षित मूल्य इससे कम नहीं होना चाहिए:

- अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों और सामाजिक क्षेत्रों की संपत्ति के प्रकरणो में संपत्ति के बाजार मूल्य का वार्षिक एक प्रतिशत; तथा
- व्यावसायिक गतिविधियों के प्रकरणो में संपत्ति के बाजार मूल्य का वार्षिक 2.5 प्रतिशत।

बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो पंजीयक या उप-पंजीयक कार्यालय में सम्पत्ति के अंतरण पंजीकरण के लिए निर्धारित किया गया हो।

वक्फ बोर्ड, भोपाल की प्रत्यक्ष निगरानी के अंतर्गत आने वाली वक्फ प्रबंधन समिति ('ओक़ाफ़-ए-अम्मा') के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भोपाल में स्थित 3,887 वक्फ संपत्तियों (आवास, व्यावसायिक और अन्य उद्देश्यों के लिए) को प्रबंधन समिति द्वारा मासिक किराए पर केवल ₹ दो जैसी न्यूनतम राशि पर दिया जा रहा था। यह भी देखा गया कि वक्फ प्रबंधन समिति ने दिसंबर 2020 में बोर्ड को जानकारी प्रस्तुत की और पट्टा (संशोधन) नियम 2020 के अनुसार वसूले जाने योग्य किराये और वास्तविक किराये के बीच ₹1.35 करोड़ प्रति माह का अंतर दर्शाया। इसके बाद, वक्फ समितियों द्वारा उक्त पट्टा नियमों

के तहत संशोधित अनुबंध निष्पादित करने के लिए किरायेदारों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार, पट्टा नियमों के आधार पर, वक्फ समिति के लिए मासिक आय का नुकसान ₹1.35 करोड़ था, जिससे परिणामस्वरूप बोर्ड को चंदा निगरानी की आय में मासिक ₹9.45 लाख का नुकसान हुआ, जो वक्फ समिति की आय के सात प्रतिशत के हिसाब से गणना की गई।

पट्टा नियमों के अनुसार किराया संशोधित न करने के कारण, जिससे वक्फ संपत्तियों और बोर्ड दोनों के लिए राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हो सकती थी, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए (मार्च 2023)।

इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2024), शासन ने अपने उत्तर (नवंबर 2024) में बताया कि यह नुकसान प्रकल्पित था तथा वक्फ पट्टा नियम 2020, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए थे, हाल ही में लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कहा गया कि किरायेदारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, किरायेदारों को वक्फ संपत्ति पट्टा नियमों के प्रावधानों के करीब लाने और वक्फों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, उचित किराया निर्धारण दिशा-निर्देश प्रस्ताव 2023 एक अंतर-विभागीय समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसे माननीय अध्यक्ष वक्फ बोर्ड के निर्देशानुसार गठित किया गया है। वर्तमान में ओक़ाफ़-ए-अम्मा वक्फ द्वारा इन दिशा-निर्देशों के तहत किराया संशोधित करने के लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 56 के अंतर्गत केंद्रीय शासन को वक्फ संपत्तियों के लिए पट्टा नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। वक्फ संपत्ति पट्टा नियम 2014, 3 जून 2014 से लागू हैं। केवल वर्ष 2015 और 2020 में वक्फ संपत्तियों से वर्ग के अनुसार वसूले जाने वाले किराए की दरों में संशोधन किया गया था।

बोर्ड को चाहिए कि वह संशोधित पट्टा नियमों के अनुसार सभी मौजूदा पट्टों की समीक्षा और नियमितीकरण करे, तथा विचलनों को सुधार कर यह सुनिश्चित करे कि राजस्व निर्धारित दरों पर प्राप्त किया जाए।

3.4.6 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल की लेखापरीक्षा पहली बार मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन के बाद संचालित की गई। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच पंजीकृत सभी वक्फों के अभिलेखों की जांच की। हालांकि, राज्य के 52 जिलों में से 20 जिलों[66] में इस अवधि

[66] 20 जिलों में 26 वक्फ संपत्तियाँ, जिनके नाम हैं: बड़वानी, भिंड, बेतुल, भोपाल, दतिया, डिंडोरी, गुना, हरदा, खरगोन, मंदसौर, नर्मदापुरम, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, श्योपुर, सीधी एवं टीकमगढ़।

के दौरान कोई वक्फ पंजीकृत नहीं हुआ था। इसलिए, इन जिलों में इस अवधि से पहले पंजीकृत वक्फों की भी जांच की गई ताकि सभी 52 जिलों को कवर किया जा सके। इस प्रकार, कुल मिलाकर 81 वक्फों[67] के पंजीकरण अभिलेखों की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई।

लेखापरीक्षा ने वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित कई अनियमितताओं को देखा, जिन पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.4.6.1 बोर्ड के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में हकदारी का हस्तांतरण न होना

अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, बोर्ड द्वारा वक्फों का एक पंजी (ओक़ाफ़ पंजी) रखा जाना चाहिए, जिसमें बोर्ड द्वारा पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के विवरण शामिल हों, जैसे कि किसी विशेष वक्फ का वर्ग, उसके मुतवल्ली का नाम, वक्फ दस्तावेजों के अनुसार मुतवल्ली के उत्तराधिकार का नियम, संपत्तियों के विवरण और सभी कानूनी स्वामित्व विलेख/दस्तावेज़, यदि कोई हो तो वक्फ को नियंत्रित करने वाली योजना का विवरण, उसकी आय-व्यय का विवरण और अन्य आवश्यक विवरण।

अधिनियम की धारा 37(2) यह प्रावधान करती है कि बोर्ड ओक़ाफ़ पंजी में दर्ज संपत्तियों का विवरण संबंधित वक्फ संपत्ति के अधिकार क्षेत्र वाले भूमि अभिलेख कार्यालय को अग्रेषित करेगा। आगे, धारा 37(3) यह प्रावधान करती है कि उपर्युक्त विवरण प्राप्त होने के बाद, भूमि अभिलेख कार्यालय स्थापित प्रक्रिया के अनुसार (अचल संपत्तियों की हकदारी के हस्तांतरण में राजस्व प्राधिकरणों/भूमि अभिलेख कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार) या तो भूमि अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा अथवा वक्फ संपत्ति के पंजीकरण की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर बोर्ड को अपनी आपत्ति से अवगत कराएगा।

बोर्ड के उपर्युक्त 81 वक्फ के पंजीकरण अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 79[68] प्रकरणो में संबंधित भूमि अभिलेख कार्यालयों द्वारा राजस्व अभिलेखों में हकदारी का हस्तांतरण (म्यूटेशन) बोर्ड के पक्ष में नहीं किया गया था।

केवल अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए ओक़ाफ़ पंजी में किसी संपत्ति का वक्फ के रूप में पंजीकरण तब तक आंशिक पंजीकरण माना जाएगा, जब तक कि संबंधित भूमि राजस्व प्राधिकरणों द्वारा भूमि अभिलेखों में भी उस संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज न किया जाए। अतः केवल संपदा पंजी में वक्फ के रूप में संपत्तियों का पंजीकरण होने से बोर्ड इन संपत्तियों का

[67] 40 शासकीय/स्थानीय निकायों की संपत्तियाँ और 41 निजी संपत्तियाँ

[68] डिंडोरी स्थित मस्जिद ग्राम शाहपुर तथा नरसिंहपुर स्थित मस्जिद नेमत-अल-कौसर, मुश्रान वार्ड कंदेली के दो प्रकरणो को छोड़कर, जिनमें भूमि राजस्व अभिलेखों में वक्फ संपत्ति के रूप में प्रविष्टि की गई थी।

स्वामी नहीं बन जाता और ऐसी संपत्तियों को उनके प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए बोर्ड द्वारा अधिग्रहित भी नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किए जाने पर शासन ने कहा कि उनके पंजीकरण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें बोर्ड के अभिलेखों में शामिल कर लिया गया। बोर्ड ने यह तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ये पंजीकरण वैध थे।

उत्तर वक्फ अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड को ओक़ाफ़ पंजी में दर्ज संपत्तियों का विवरण संबंधित भूमि अभिलेख कार्यालय को भेजना चाहिए और वह कार्यालय छह माह की अवधि के भीतर या तो अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करे अथवा अपनी आपत्ति बोर्ड को सूचित करे। बोर्ड ने संबंधित भूमि अभिलेख कार्यालयों के साथ अपने पक्ष में प्रविष्टि किए जाने के संबंध में प्रकरणो पर अनुवर्ती कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी।

इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा भ्रमण किए गए 33 जिला राजस्व प्राधिकरणों[69] में से 12 जिलों में बोर्ड द्वारा वक्फ पंजीकरण से संबंधित कोई नोटिस या आदेश प्राप्त नहीं हुए थे। इन 33 जिला राजस्व प्राधिकरणों में प्राप्त वक्फ पंजीकरण नोटिसों की समग्र स्थिति का सारांश ***परिशिष्ट-3.4.2*** में प्रस्तुत किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप 33 शासकीय संपत्तियों पर कब्जा होने तथा अन्य अनियमितताएँ भी सामने आईं, जिनका विवरण इस प्रतिवेदन की आगामी कंडिकाओं में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन ने बताया कि पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संबंधित कलेक्टरों और तहसीलदारों द्वारा जांच की जा रही है तथा प्रक्रिया के अनुसार नामांतरण की कार्यवाही की जाएगी।

3.4.6.2 वक्फ अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुपालन में अनियमितताएँ

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में वक्फ बोर्ड द्वारा धारा 36 के प्रावधानों के अनुपालन में अनियमितताएँ[70]

अधिनियम की धारा 36 (जिसका विवरण पहले **कंडिका 3.4.2.3** में दिया गया है) किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा संबंधित वक्फ में आवेदन के माध्यम से किसी वक्फ संपत्ति के पंजीकरण

---

[69] लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर 33 जिलों में स्थित 68 वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग की गई।

[70] भूमि अभिलेखों में वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण के बिना कोई भी हस्तांतरण वैध नहीं है।

का प्रावधान करती है। आवेदन के विवरण की सत्यता की पुष्टि करने और उस वक्फ को ओक़ाफ़ पंजी में पंजीकृत करने से पहले, बोर्ड को अपनी उपयुक्त समझ के अनुसार जांच करनी होती है। व्यवहार में, वक्फ पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद, बोर्ड सार्वजनिक नोटिस जारी करता है जिसमें संपत्ति के वक्फ के रूप में पंजीकरण के खिलाफ आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए 30-दिन की समय सीमा दी जाती है। यदि इस अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो बोर्ड उस संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत कर देता है।

धारा 36 के तहत वक्फ के रूप में पंजीकृत 74 शासकीय/निजी भूमि[71] का परीक्षण करने पर यह देखा गया कि जांच प्रभावी ढंग से नहीं की गई थी और अचल संपत्तियों पर अधिकार संबंधी अन्य लागू वैधानिक कानूनों के प्रावधानों की अनदेखी की गई थी। इसका विवरण ***परिशिष्ट-3.4.3*** में दिया गया है और इसमें पाई गई अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है;

शासन ने उत्तर दिया कि धारा 36 के प्रावधानों का पालन किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा केवल 30 दिन का नोटिस जारी करने के अलावा जांच से संबंधित कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। बोर्ड द्वारा अधिनियम में निर्दिष्ट जांच प्रावधानों को केवल 30 दिन के सार्वजनिक नोटिस से प्रतिस्थापित करना अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपयुक्त है। जांच में कम से कम सार्वजनिक नोटिस के अलावा भूमि के स्वामित्व की स्थिति का राजस्व अभिलेखों के अनुसार निर्धारण भी शामिल होना चाहिए। इसके बाद भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्तिगत संस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। राजस्व अभिलेखों की जांच बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का आश्वासन भी देती है कि भूमि पर कानूनी स्वामित्व (टाइटल) बाधाओं से मुक्त है और इसे हस्तांतरित किया जा सकता है।

क. अहस्तांतरणीय शासकीय भूमि का अनियमित पंजीकरण

[ओक़ाफ़ पंजी, भोपाल में प्रविष्टि क्रमांक 784]

भोपाल के संजय नगर, लेंदिया तालाब में 19.80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली भूमि को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जून 1994 में 30 वर्ष के पट्टे पर एक पट्टेदार को हस्तांतरित किया गया था। पट्टे की शर्तों में अन्य बातों के अलावा यह निर्धारित किया गया था कि भूमि का स्वामित्व शासन के पास रहेगा, जो हस्तांतरणीय नहीं है, और आवासीय उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उपयोग की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, शर्तों में यह भी निर्धारित किया गया था कि यदि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो पट्टा रद्द किया जा सकता है।

[71] नमूना जांच की गई 81 वक्फ संपत्तियों में से

फोटोग्राफ 3.4.1: भोपाल के संजय नगर में वक्फ के रूप में पंजीकृत भूमि पर निर्मित धार्मिक भवन (संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान 8 अगस्त 2024 को लिया गया चित्र)

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक आवेदक ने अगस्त 2021 में उपरोक्त संपत्ति को ओक़ाफ़ पंजी में वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के लिए बोर्ड में आवेदन दिया। साथ ही यह भी देखा कि पट्टेदार ने इस संपत्ति को धार्मिक उद्देश्य के लिए दान कर दिया, जो पट्टे की शर्तों का उल्लंघन था। बोर्ड ने अप्रैल 2022 में इस संपत्ति को अधिनियम की धारा 36 के तहत ओक़ाफ़ पंजी में दर्ज कर लिया, जिससे अहस्तांतरणीय शासकीय संपत्ति का वक्फ के रूप में अनियमित पंजीकरण हुआ।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त भूमि एक पुरानी मस्जिद थी, जिसे उस समय पंजीकृत नहीं किया जा सका। स्थानीय निवासियों ने मस्जिद का नवीनीकरण किया है, और नवीनीकृत मस्जिद का अनुमानित क्षेत्रफल 530.83 वर्ग फीट है। वर्ष 2022 में, वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 19.80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली पट्टे की भूमि को भी मस्जिद में शामिल किया गया। राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए शासन के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

यह भूमि वक्फ के अवैध कब्जे में है क्योंकि यह पट्टे की संपत्ति है और इसे शासन द्वारा अपने अधीन लिया जाना चाहिए। इसमें शामिल वक्फ अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही तय किया जाना आवश्यक है।

ख. वन भूमि का अनियमित पंजीकरण

[वक्फ संपदा पंजी, विदिशा में प्रविष्टि क्रमांक 929]

फोटोग्राफ 3.4.2: विदिशा, हलाली डैम में वन भूमि पर निर्मित धार्मिक भवन (संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान 26 जून 2024 को लिया गया चित्र)

विदिशा के हलाली डैम, सुलुस गांव में 410 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली वन भूमि को जून 2015 में पट्टेदार[72] को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2008 के तहत पट्टे पर दिया गया था और तदनुसार जिला/वन प्राधिकारियों द्वारा वन अधिकार पत्र जारी किया गया। वन अधिकार पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केवल वन भूमि का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था और इसका स्वामित्व हस्तांतरणीय नहीं था। हालांकि, पट्टे वाली इस वन भूमि पर निर्मित धार्मिक संरचना को जनवरी 2023 में मस्जिद प्रतिनिधि के आवेदन के आधार पर बोर्ड ने ओक़ाफ़ पंजी में पंजीकृत कर लिया। स्वामित्व अधिकारों के अभाव और भूमि की अहस्तांतरणीय प्रकृति को देखते हुए, बोर्ड द्वारा इस वन भूमि का वक्फ के रूप में पंजीकरण उचित नहीं था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने से पहले जिला प्रशासन द्वारा भूमि का आवंटन किया गया था और संपत्ति के पंजीकरण से पहले सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पट्टा दस्तावेज़ के अनुसार, संपत्ति का स्वामित्व अहस्तांतरणीय था। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत वन अधिकारियों को कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। अतः संपत्ति का वक्फ के रूप में पंजीकरण अवैध था। वक्फ अधिकारियों, वन अधिकारियों और भूमि राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही तय किया जाना आवश्यक है।

ग. आपत्तियों के बावजूद शासकीय भूमि का वक्फ के रूप में पंजीकरण

[ओक़ाफ़ पंजी, सीहोर में प्रविष्टि क्रमांक 700]

धारा 36(7) के अनुसार, किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड आवश्यकतानुसार जांच कर सकता है ताकि आवेदन की प्रामाणिकता और वैधता तथा आवेदन में दिए गये विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

---

[72] इस प्रकरण में पट्टेदार स्वयं एक धार्मिक संरचना थी, क्योंकि भूमि सामुदायिक उद्देश्य हेतु हस्तांतरित की गई थी।

सीहोर जिले में, पानबिहार गांव का निवासी होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने मई 2015 में 4006.02 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली संपत्ति (कब्रिस्तान) को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया। बोर्ड ने 01 जून 2015 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें सभी संबंधित लोगों से अनुरोध किया गया कि वे नोटिस जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर संपत्ति के पंजीकरण पर कोई आपत्ति/राय, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। इसके जवाब में, गांव के निवासियों से 10 जुलाई 2015 को एक आपत्ति प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि संबंधित संपत्ति शासकीय भूमि है और उक्त संपत्ति का कभी कब्रिस्तान के रूप में उपयोग नहीं किया गया। इस आपत्ति के प्राप्त होने के बावजूद, जो गंभीर थी क्योंकि इसने स्वामित्व अधिकारों और संपत्ति की प्रकृति पर प्रश्न उठाया, बोर्ड ने अगस्त 2017 में इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह नोटिस अवधि समाप्त होने के चार दिन बाद प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट हुआ कि वक्फ पंजीकरण के लिए आवेदन में आवेदक के दावों की प्रामाणिकता और वैधता तथा आवेदन में दी गई विवरणों की शुद्धता की पुष्टि के लिए बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। बोर्ड ने गांव के निवासियों द्वारा भूमि की प्रकृति और स्वामित्व के संबंध में प्रस्तुत आपत्तियों की वैधता की भी जांच नहीं की। अंततः, अगस्त 2017 में उक्त संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत कर दिया गया। जुलाई 2024 में कमिश्नर, भू-अभिलेख मध्य प्रदेश के पोर्टल पर खसरा विवरण की लेखापरीक्षा से इंगित हुआ कि भूमि शासन की थी।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा केवल विलंब का हवाला देकर आपत्ति को अस्वीकार करना अनियमित था, विशेषकर जब आवेदन के लगभग एक वर्ष बाद पंजीकरण किया गया। यह संपत्ति आवेदक अथवा शिकायतकर्ताओं द्वारा किए गए दावों की प्रमाणिकता की पुष्टि किए बिना ही वक्फ के रूप में पंजीकृत कर दी गई। साथ ही, उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के बोर्ड के निर्णय की सूचना शिकायतकर्ताओं को दी गई थी या नहीं, तथा यह भी कि भूमि के स्वामित्व का सत्यापन किया गया था या नहीं।

शासन ने अपने उत्तर में कहा कि यह भूमि वर्ष 1932 से कब्रिस्तान होने के आधार पर वक्फ के रूप में दर्शाई गई थी। आगे यह भी बताया गया कि एक स्थानीय निवासी ने वर्ष 2018 में ग्राम के पूर्व सरपंच द्वारा कब्रिस्तान से होकर सड़क निर्माण किए जाने के विरुद्ध भोपाल स्थित वक्फ अधिकरण में एक प्रकरण दायर किया था। वक्फ अधिकरण द्वारा सड़क निर्माण पर अस्थायी स्थगन आदेश पारित किया गया था तथा यह प्रकरण अभी भी लंबित है। शासन के अनुसार भूमि के स्वामित्व को लेकर न तो किसी न्यायालय में और न ही अन्यत्र कहीं कोई विवाद था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि संबंधित भूमि शासकीय भूमि थी। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वक्फ अधिकरण में लंबित प्रकरण भूमि के स्वामित्व से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त, 30 दिनों की सार्वजनिक सूचना अवधि को उसके पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार न करने के आधार के रूप में प्रयोग किया जाना न तो अधिनियम में और न ही उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कहीं निर्धारित है।

घ संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व अधिकार के बिना, केवल आवेदन के आधार पर किया गया पंजीकरण

[ओक़ाफ़ पंजी, धार में प्रविष्टि संख्या 626]

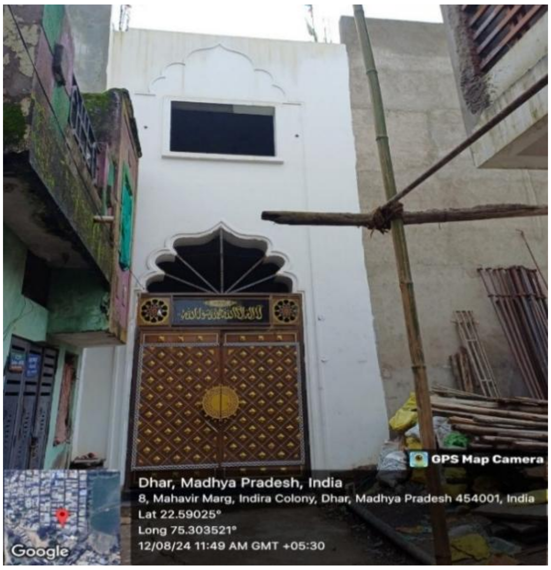

फोटोग्राफ 3.4.3: इस्लामपुरा, धार में स्वामित्व के स्पष्ट अधिकार के बिना पंजीकृत वक्फ संपत्ति (संयुक्त सर्वेक्षण दिनांक 12 अगस्त 2024 के दौरान लिया गया चित्र)

धार में, एक आवेदक ने (जून 2018) गुलमोहर कॉलोनी, इस्लामपुरा में स्थित 668.90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि, जिस पर धार्मिक संरचना एवं मदरसा स्थित था, को वक़्फ़ के रूप में पंजीकृत करने हेतु बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक (प्रथम पक्ष) ने भूमि के स्वामित्व का दावा धार के ही एक अन्य निवासी (द्वितीय पक्ष) से क्रय किए जाने के आधार पर किया तथा यह भी बताया कि उसके पास उक्त संपत्ति के संबंध में अधिकार पत्र/मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) है। भूमि राजस्व विभाग तथा मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के अभिलेखों का पारस्परिक सत्यापन करने पर (अगस्त 2023) यह पाया गया कि द्वितीय पक्ष ही भूमि का वास्तविक स्वामी था, क्योंकि उक्त संपत्ति के संबंध में कोई विक्रय विलेख पंजीकृत नहीं था।

अतः प्रथम पक्ष ने भूमि का स्वामित्व न होने तथा भूमि के स्पष्ट स्वामित्व अधिकार (टाइटल) के अभाव के बावजूद संपत्ति के पंजीकरण हेतु बोर्ड के समक्ष आवेदन किया। बोर्ड ने नवंबर 2018 में बिना किसी जांच के, संबंधित संपत्ति के वास्तविक स्वामी की पुष्टि किए बिना, उक्त संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत कर दिया। लेखापरीक्षा के दौरान यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि वक्फ के रूप में पंजीकरण से पूर्व भूमि के स्वामित्व की पुष्टि हेतु बोर्ड द्वारा किन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था।

शासन ने अपने उत्तर में कहा कि संपत्ति का पंजीकरण भूमि स्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, समाचार पत्रों के

माध्यम से तथा जिला कलेक्टर को सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के बाद कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मूल संपत्ति स्वामी और वक्फ के आवेदक के बीच कोई भी विक्रय विलेख मौजूद नहीं था। यह तथ्य धार स्थित वरिष्ठ पंजीयक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से स्थापित हुआ है। संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने से पूर्व आवेदक का उस पर स्पष्ट स्वामित्व अधिकार प्राप्त होना चाहिए था। केवल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। स्वामित्व हस्तांतरण के लिए पंजीकृत विक्रय विलेख का होना आवश्यक था। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत वक्फनामा में किया गया दावा असत्य था। परिणामस्वरूप, वक्फ का पंजीकरण अमान्य था तथा बोर्ड द्वारा अपनाई गई जाँच प्रक्रिया भी त्रुटिपूर्ण पाई गई।

ङ. *अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों की संपत्तियों का पंजीकरण*

[ओक़ाफ़ पंजी, शिवपुरी में प्रविष्टि संख्या 256]

फोटोग्राफ 3.4.4: करेरा, शिवपुरी में अन्य समुदाय के सदस्यों की निजी संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया (संयुक्त सर्वेक्षण दिनांक 11 जून 2024 के दौरान लिया गया चित्र)

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अनुसार, यदि संपत्ति के उत्तराधिकारी या योग्य वारिस नहीं हैं, तो वह संपत्ति शासन को हस्तांतरित हो जाती है। इसे सामान्य कानून सिद्धांत (एस्कीट) कहा जाता है।

शिवपुरी के करेरा परगना तहसील में खसरा संख्या 1786 और 1787, जिनका क्षेत्रफल 3970 वर्ग मीटर है, को पंजीकृत करने के लिए बोर्ड को एक आवेदक से आवेदन प्राप्त (मार्च 2021) हुआ। भू-राजस्व विभाग के अभिलेखों से पुनः जांच पर यह पाया गया कि खसरा संख्या 1787 का स्वामी आवेदक था, जबकि खसरा संख्या 1786 का स्वामी अन्य धार्मिक समुदाय का एक व्यक्ति था। खसरा संख्या 1786 की संपत्ति उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 189 के तहत करेरा एस.डी.ओ., शिवपुरी के आदेश दिनांक 29.03.1967 के माध्यम से आवंटित की गई थी। यह तथ्य बोर्ड को प्रस्तुत किए गए वक्फ आवेदन में भी उल्लेखित था। अतः उस भू-खंड का एक भाग, जिसे वक्फ के लिए प्रस्तावित किया गया था, आवेदक के नाम पर नहीं था। बोर्ड ने संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने से पूर्व प्रतिक्रिया/आपत्ति प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक नोटिस जारी (अप्रैल 2021) किया। अपनी स्थापित प्रक्रिया से विचलन कर, बोर्ड ने सार्वजनिक नोटिस के अलावा मूल भूमि स्वामियों के उत्तराधिकारियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अलग नोटिस भी जारी किए। इन

नोटिसों को डाक विभाग द्वारा लौटाया गया, जिसमें यह टिप्पणी की गई कि भूमि स्वामी या तो खोजे नहीं जा सके, विवाह के बाद स्थानांतरित हो गए थे, या उनका देहांत हो चुका था। इसके बाद बोर्ड ने आवेदक की यह दलील स्वीकार कर ली कि मस्जिद और कब्रों की उपस्थिति के कारण भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, चूंकि कोई मूल स्वामी पता नहीं चला तथा नोटिस अवधि के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत कर (अगस्त 2021) दिया।

इस प्रकार, बोर्ड द्वारा किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करना, जबकि वह संपत्ति अन्य धार्मिक समुदाय के सदस्यों की थी, तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धाराओं (उत्तराधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में संपत्ति का शासन को हस्तांतरण) का पालन न करना, मनमाना और अनियमित कार्रवाई थी, जिससे भूमि का अनधिकृत रूप से वक्फ में परिवर्तन हुआ।

शासन ने अपने उत्तर में कहा कि खसरा संख्या 1786 में पुरानी धार्मिक संरचनाएँ लंबे समय से मौजूद थीं और मूल रूप से यह भूमि वर्ष 1928 में तत्कालीन शिवपुरी शासन द्वारा मुस्लिम समुदाय को आवंटित की गई थी। भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने हेतु सार्वजनिक नोटिस समाचार पत्रों में और सभी संबंधित व्यक्तियों तथा जिला कलेक्टर, शिवपुरी को व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए थे। चूंकि इन नोटिसों के खिलाफ किसी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, अतः संबंधित भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत कर दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि शासकीय अभिलेखों के अनुसार, संबंधित भूमि अन्य धार्मिक समुदाय के व्यक्ति की थी, जिसकी करेरा, शिवपुरी के तहसीलदार (जून 2024) के उत्तर द्वारा भी पुष्टि की गई है। तहसीलदार ने स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक स्वामी के जीवित वारिस मौजूद थे और 1967 के बाद से भूमि के स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा, तहसील ने भी कहा कि संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने से पूर्व अथवा बाद में उसको कोई सूचना नहीं दी गई थी।

चूंकि संपत्ति के जीवित वारिस उपस्थित थे, इसलिए स्वामित्व हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए था और इसे बोर्ड द्वारा मनमाने ढंग से नहीं तय किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को ज्ञात था कि संपत्ति का एक जीवित वारिस मौजूद था, लेकिन इस प्रकरण की आगे कोई जांच नहीं की गई। बोर्ड ने उपयुक्त जांच किए बिना भूमि को अनियमित रूप से वक्फ के रूप में पंजीकृत कर दिया।

च. बैंक के पास बंधक संपत्ति का पंजीकरण

[ओक़ाफ़ पंजी, रायसेन में प्रविष्टि संख्या 673]

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.), 2002 की धारा 13 (4) (क) के अनुसार, यदि उधारकर्ता एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी देयता का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित परिसंपत्तियों की वसूली हेतु उधारकर्ता की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा लेने का अधिकार होगा, जिसमें पट्टे, हस्तांतरण अथवा बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार भी शामिल है।

फोटोग्राफ 3.4.5 : रायसेन जिले के सुखासेन गाँव में गिरवी रखी गई भूमि पर निर्मित धार्मिक भवन (21 अगस्त 2024 को किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान लिया गया चित्र)

रायसेन जिले में, बोर्ड ने जुलाई 2022 में प्राप्त एक आवेदन के आधार पर सुखासेन गाँव में स्थित 250.84 वर्ग मीटर भूमि को दिसंबर 2022 में वक्फ के रूप में पंजीकृत किया। आवेदक द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत खसरा (भू-अभिलेख) विवरण में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि उक्त भूमि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, सलामतपुर के पास बंधक रखी गई थी।

यह जानते हुए भी कि उक्त संपत्ति सभी प्रकार के दायित्वों/भारों से मुक्त नहीं थी, बोर्ड ने इस संबंध में कोई जाँच किए बिना उसे वक्फ के रूप में पंजीकृत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप बंधक रखी गई भूमि का अनियमित पंजीकरण हुआ तथा यह कार्रवाई एस.ए.आर.एफ. ए.ई.एस.आई. अधिनियम के प्रावधानों के भी विपरीत थी।

इस विषय के इंगित किए जाने पर, शासन ने कहा कि उक्त भूमि पर कोई बकाया नहीं था तथा संपत्ति बैंक के पास बंधक नहीं रखी गई थी, तथा बैंक द्वारा जारी (अक्टूबर 2024) अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) की पुष्टि की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.ओ.सी. बैंक द्वारा अक्टूबर 2024 में जारी की गई थी, जबकि संपत्ति को दिसंबर 2022 में वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया था। संपत्ति के वक्फ के रूप में पंजीकरण के समय यह बैंक के पास बंधक थी। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा प्रस्तुत

वक्फ पंजीकरण आवेदन के साथ यह खसरा संलग्न था, जिसमें संपत्ति होने का तथ्य स्पष्ट था। अतः बोर्ड ने संपत्ति बंधक होने की जानकारी होते हुए भी आगे कोई जाँच नहीं की।

छ. शासकीय संपत्ति का अनियमित पंजीकरण, जिस पर थाना और शासकीय स्कूल स्थित थे।

[ओक़ाफ़ पंजी, भोपाल में प्रविष्टि संख्या 785]

भोपाल के मिसरोद में 3600 वर्ग मीटर[73] क्षेत्रफल वाली भूमि को बोर्ड द्वारा वक्फ के रूप में पंजीकृत किया (नवंबर 2022) गया, जो आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन (दिसंबर 2021) पर आधारित था, जिसमें दावा किया गया था कि उक्त भूमि पूर्व में कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त होती थी।

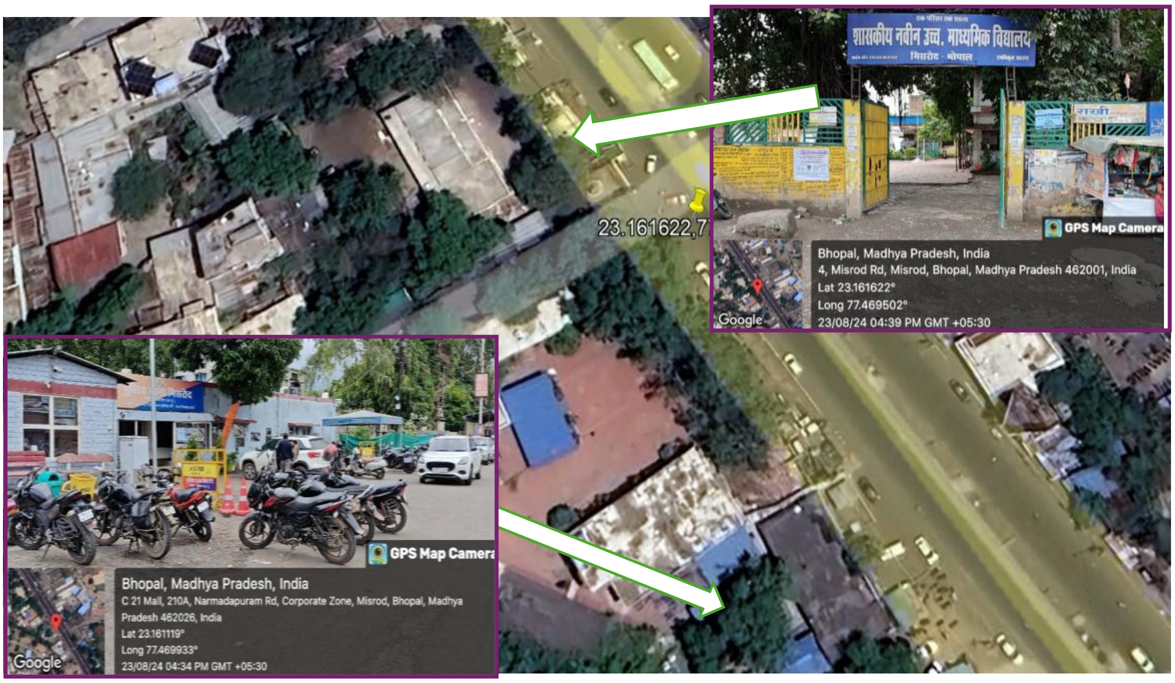

फोटोग्राफ 3.4.6: भोपाल जिले के मिसरोद में शासकीय भूमि के स्थान के मानचित्र में स्ट्रीट दृश्य, जिसे वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया (**इन्सेट**: शासकीय स्कूल (ऊपर दाईं ओर) और थाना (नीचे बाईं ओर)। दोनों इन्सेट चित्र 23 अगस्त 2024 को किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान लिए गए)।

जिस भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया, वह शासकीय भूमि थी, जिस पर पुलिस स्टेशन (थाना मिसरोद) एवं एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थित थे।

पंजीकरण से पूर्व बोर्ड द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना (18 जनवरी 2022) के परिप्रेक्ष्य में, कुछ व्यक्तियों से आपत्तियाँ प्राप्त हुईं (31 जनवरी 2022 और 2 फरवरी 2022), जिसमें बताया

[73] खसरा विवरण के अनुसार।

गया कि उक्त भूमि शासकीय भूमि है एवं कभी कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई थी तथा भूमि पर पहले से ही एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं थाना स्थित हैं। यह तथ्य कोलार तहसील के तहसीलदार[74] के पत्र (मार्च 2022) द्वारा भी पुष्टि किया गया। शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि भूमि का उपयोग स्थानीय निवासी सार्वजनिक उपयोग के लिए कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, थाना मिसरोद के प्रभारी अधिकारी ने भी (अप्रैल 2022) बोर्ड से अनुरोध किया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की जांच की जाए तथा संपत्ति पर अपने दावे के समर्थन में विवरण प्रदान किया जाए। बोर्ड ने तदनुसार प्रकरण की जांच (जून 2022) की और पाया कि भूमि कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में नहीं थी; हालांकि, भूमि पर कुछ कब्रें, एक थाना, एक शासकीय स्कूल और कुछ मकान स्थित थे। बोर्ड ने इसे अपने रिकॉर्ड में वक्फ के रूप में पंजीकृत करने से पूर्व भूमि राजस्व कार्यालय के साथ इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया।

बोर्ड के पास उपलब्ध जानकारी तथा संबंधित भूमि राजस्व अधिकारी (तहसीलदार, कोलार तहसील) से यह स्पष्ट सूचना प्राप्त होने के बावजूद कि उक्त भूमि शासकीय भूमि थी, इसे अनियमित रूप से वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1932 से उक्त भूमि को कब्रिस्तान होने के आधार पर वक्फ के रूप में दर्शाया गया है तथा भूमि का सीमांकन अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि उक्त भूमि पर शासकीय स्कूल एवं थाना स्थित हैं या नहीं।

अतः उत्तर से यह स्पष्ट है कि भूमि का सीमांकन हुए बिना ही संपत्ति का जल्दबाजी में पंजीकरण किया गया। साथ ही, बोर्ड के उत्तर के विपरीत, जिला राजस्व अधिकारियों ने (सितंबर 2024) बताया कि बोर्ड में पंजीकरण से पूर्व खसरा अभिलेखों में उक्त संपत्ति को वक्फ नहीं बल्कि शासकीय संपत्ति (कब्रिस्तान) के रूप में दर्शाया गया था तथा वह अब भी शासकीय संपत्ति है।

[74] बोर्ड द्वारा 18.01.2022 को जारी सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में।

ज. पंजीकरण हेतु गलत आवेदन के स्पष्ट साक्ष्य एवं भूमि के स्वामित्व को सिद्ध करने में असमर्थता के बावजूद शासकीय भूमि का अनियमित पंजीकरण।

[ओक़ाफ़ पंजी, भोपाल में प्रविष्टि संख्या 779]

आइस फैक्ट्री, अल्पना टॉकीज, भोपाल स्थित 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की एक धार्मिक संरचना (दो पक्के मजार मैदान) को बोर्ड के मई 2018 के आदेश द्वारा वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त संपत्ति 12,666.67 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली उस भूमि पर स्थित थी, जो मेसर्स नेरबुड्डा वैली रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट् कंपनी प्रा. लि. (एन.वी.आर.पी.) के अधिकार में थी। यह भूमि मध्यप्रदेश शासन द्वारा एन.वी.आर.पी. को पट्टे पर दी गई थी तथा पट्टा मार्च 2029 तक वैध है।

फोटोग्राफ 3.4.7: भोपाल में शासकीय भूमि पर निर्मित धार्मिक भवन (23 अगस्त 2024 को किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान लिया गया चित्र)

उक्त संपत्ति का वक्फ पंजीकरण एक पंजीकृत समिति[75] द्वारा अगस्त 2017 में वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत उस आवेदन के आधार पर किया गया था, जिसमें संपूर्ण 12,666.67 वर्ग मीटर भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने का अनुरोध किया गया था। इसके प्रत्युत्तर में बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2017 में राय/आपत्तियाँ, यदि कोई हो, दर्ज करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी की गई। भूमि के पट्टाधारी (मेसर्स एन.वी.आर.पी.) ने दिसंबर 2017 में वक्फ पंजीकरण के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज की और बताया कि उक्त भूमि वर्ष 1939 से कंपनी को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई थी, जो प्रत्येक 30 वर्ष के बाद नवीकरणीय है, तथा वर्तमान पट्टे की वैधता वर्ष 2029 तक है। भू-राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत तहसीलदार, सिटी सर्कल, भोपाल ने भी जनवरी 2018 में यह कहते हुए पंजीकरण पर आपत्ति दर्ज की कि संबंधित भूमि शासकीय भूमि है, अतः इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता। बोर्ड ने आपत्तियों की समीक्षा तथा प्रतिस्पर्धी पक्षकारों की सुनवाई (जनवरी एवं फरवरी 2018) के उपरांत फरवरी 2018 में यह निष्कर्ष निकाला और स्वीकार किया कि वक्फ पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत समिति उक्त भूमि के स्वामित्व को सिद्ध करने में असफल रही। तथापि, भूमि पर धार्मिक संरचनाओं की उपस्थिति

[75] ओक़ाफ़ -ए-अम्मा का मुतवल्ली, जो भोपाल में वक्फों के एक समूह का प्रबंधन करता है।

के आधार पर बोर्ड ने उक्त भूमि के कुल 12,666.67 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में से 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की।

पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से अनियमित था:

- स्वामित्व राज्य शासन में निहित था तथा इसे वक्फ द्वारा भी स्वीकार किया गया था;
- भूमि एक निजी कंपनी को पट्टे पर दी गई थी और कंपनी वर्ष 1939 से संपत्ति पर काबिज़ थी;
- वक्फ पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली पंजीकृत समिति उक्त भूमि के स्वामित्व को सिद्ध करने में असफल रही, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदन तथ्यों को छिपाने के आधार पर किया गया था, अतः अवैध तथा अस्वीकार करने योग्य है;

इस प्रकार, यह स्वीकार किए जाने के बावजूद कि संपत्ति आवेदक के स्वामित्व में नहीं थी, बोर्ड ने पंजीकरण को स्वीकार कर लिया, जो स्थापित तथ्यों के स्पष्ट विपरीत था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि संपत्ति पर धार्मिक संरचनाओं की उपस्थिति के कारण इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया, तथा एनवीआरपी ने यह वचन भी दिया कि वह इन संरचनाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मेसर्स एनवीआरपी केवल पट्टाधारी था, एवं उक्त संपत्ति का स्वामी शासन था। अतः पट्टाधारी न तो कोई ऐसा समझौता कर सकता है एवं न ही ऐसा वचन दे सकता है। पट्टे की शर्तों के अनुसार, पट्टाधारी को पट्टे में दी गई संपत्ति पर कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था। भोपाल के राजस्व अधिकारी (सितंबर 2024) ने भी लेखापरीक्षा को इसकी वक्फ पंजीकरण पर आपत्ति की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड ने अपने आदेश (फरवरी 2018) में स्वयं स्वीकार किया कि आवेदनकर्ता ने संपत्ति को वक्फ के रूप में साबित नहीं किया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने अधिनियम की धारा 36 के तहत पंजीकृत वक्फ संपत्तियों में इंगित अनियमितताओं के मुद्दों को स्वीकार किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड को ऐसे प्रकरणो पर विशेष कार्रवाई करने तथा भविष्य में कठोर जाँच के पश्चात् पंजीकरण प्रक्रिया करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, शासन ने संसद द्वारा पारित नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के क्रियान्वयन के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया।

उत्तर में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नमूना जांच किए गए प्रकरणो के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई पर कुछ नहीं कहा गया है।

3.4.6.3 वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में धारा 41 का दुरुपयोग

अधिनियम की धारा 41 सहपठित धारा 40 में बोर्ड किसी मुतवल्ली को वक्फ के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का निर्देश दे सकता है, या वक्फ से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करने को कह सकता है, या स्वयं वक्फ का पंजीकरण करवा सकता है, अथवा किसी भी समय ओक़ाफ़ पंजी में संशोधन कर सकता है, यदि उसके पास यह यकीन करने का कोई भी कारण हो कि संबंधित संपत्ति वक्फ है।

क. अन्य समुदाय के सदस्यों की निजी स्वामित्व वाली भूमि का पंजीकरण

[ओक़ाफ़ पंजी, मंदसौर में प्रविष्टि संख्या 779]

बोर्ड के वक्फ पंजीकरण अभिलेखों की जांच (मई 2022) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मंदसौर जिले में 0.073 हेक्टेयर भूमि (खसरा संख्या 125 और 126) के साथ एक धार्मिक संरचना[76] को अधिनियम की धारा 41 के तहत सितंबर 2007 के आदेश द्वारा वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया था। आदेश के साथ संलग्न अभिलेखों में पाए गए खसरा विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उक्त भूमि अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के निजी स्वामित्व में थी। इसके बावजूद, बोर्ड ने केवल भूमि पर धार्मिक संरचना की उपस्थिति के आधार पर उक्त संपत्ति को धारा 41 के तहत वक्फ के रूप में पंजीकृत कर दिया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि तत्कालीन अध्यक्ष, जिला वक्फ समिति, मंदसौर ने मार्च 2005 में बोर्ड को पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया कि संबंधित भूमि अन्य समुदाय के निजी व्यक्तियों की है और इसलिए इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे अशांति उत्पन्न हो सकती है। जब कुछ व्यक्तियों ने उक्त भूमि पर मस्जिद और धार्मिक स्कूल का निर्माण शुरू किया, तो जिला कलेक्टर, मंदसौर ने दिसंबर 2007 में निर्माण को रोकने का आदेश दिया और विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि भूमि अन्य निजी व्यक्तियों की है जैसा कि पहले बताया गया था। लेखापरीक्षा के अनुरोध पर, तहसीलदार, मंदसौर ने सितंबर 2023 में पुष्टि की कि उक्त भूमि का स्वामित्व अन्य समुदाय के व्यक्तियों के पास है। तहसीलदार ने आगे बताया कि भूमि को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के संबंध में भू-राजस्व विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। संपत्ति का विवरण ***परिशिष्ट-3.4.4*** में दिया गया है।

अतः, अधिनियम की धारा 41 के तहत उक्त संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करना अनियमित था क्योंकि संपत्ति निजी स्वामित्व में थी।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि संपत्ति पर धार्मिक संरचना की उपस्थिति के कारण इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसका उल्लेख खसरा में किया गया था। इसके

[76] दरगाह महताब शाह वली।

अतिरिक्त, भूमि के स्वामी ने धार्मिक संरचना की उपस्थिति पर कभी आपत्ति नहीं जताई और वक्फ पंजीकरण के खिलाफ कोई आपत्ति भी नहीं दर्ज की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वक्फ के रूप में पंजीकृत भूमि का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास था अत: यह धार्मिक संरचना संरक्षकों के स्वामित्व में नहीं थी। यह तथ्य जिला राजस्व अधिकारियों ने भी अपने उत्तर (सितंबर 2023) में पुष्टि किया। इसके अतिरिक्त, खसरा केवल भूमि पर स्थित अन्य विवरण/स्थितियों जैसे कुएँ, बड़े पेड़ या संरचनाओं आदि की जानकारी प्रदान करता है, न कि स्वामित्व का विवरण।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने इन मुद्दों को स्वीकार किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड को ऐसे प्रकरणो पर विशेष कार्रवाई करने तथा भविष्य में पंजीकरण प्रक्रिया कठोर जाँच के पश्चात् करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, शासन ने संसद द्वारा पारित नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के क्रियान्वयन के अनुसार कार्यवाही करने का भी आश्वासन दिया।

उत्तर में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नमूना जांच किए गए प्रकरणो के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही पर कुछ नहीं कहा गया है।

3.4.6.4 जिला प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वक्फ संपत्ति का अवैध पंजीकरण

[ओक़ाफ़ पंजी, धार में प्रविष्टि संख्या 627]

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो आवेदकों ने अगस्त 2022 में अपने 66.89 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले मकानों को, जो बसंत विहार कॉलोनी, धार में स्थित थे, मस्जिद के उद्देश्य से वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। बोर्ड ने 10.10.2022 को आपत्तियों की सुनवाई हेतु सार्वजनिक सूचनाएँ जारी कीं और उक्त मकानों को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने के लिए जिला कलेक्टर, धार को एन.ओ.सी. प्रदान करने हेतु सूचनाएँ अग्रेषित कीं। नोटिस के प्रत्युत्तर में, जिला कलेक्टर, धार ने 25.11.2022 के पत्र के माध्यम से उक्त मकानों को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने पर आपत्ति जताई और

फोटोग्राफ 3.4.8: बसंत विहार कॉलोनी, धार में आवासीय भवन का धार्मिक भवन में रूपांतरण (12 अगस्त 2024 को किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान लिया गया चित्र)।

एन.ओ.सी. जारी करने से इंकार कर दिया, जिसमें विभिन्न आपत्तियाँ/कारण बताए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- उक्त आवासीय संपत्तियों (मकानों) का मस्जिद के पक्ष में नामांतरण नगर पालिका परिषद, धार के अभिलेखों में नहीं किया गया था और संबंधित संपत्तियाँ अभी भी आवासीय संपत्ति के रूप में पंजीकृत हैं।
- बसंत विहार कॉलोनी में प्रस्तावित वक्फ के निकट अन्य धर्मों की पुरानी धार्मिक संरचनाएँ पहले से मौजूद थीं, जो क्षेत्र में अवांछनीय तनाव उत्पन्न कर सकती थीं और क्षेत्र की शांति भंग कर सकती थीं।
- मध्य प्रदेश सर्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनियमन अधिनियम, 1984 की धारा 5 के अनुसार किसी भी भवन या भूमि का धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु जिला कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य है। आवेदकों द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। अतः धार्मिक उपयोग के लिए मकानों को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करना उक्त अधिनियम का उल्लंघन है और कानूनी रूप से मान्य नहीं है।

जिला कलेक्टर की आपत्ति के बावजूद, बोर्ड ने 18.11.2022 को उक्त संपत्तियों को वक्फ के रूप में पंजीकृत कर दिया, और आपत्तियों को समय सीमा समाप्त होने का हवाला देकर अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि वे सार्वजनिक सूचनाएँ जारी होने की तिथि से 30 दिन के पश्चात प्राप्त हुई थीं। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर, धार ने अपने पत्रांक 25.11.2022 में विशेष रूप से सूचित किया कि बोर्ड का नोटिस 17.11.2022 को कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त हुआ। अतः बोर्ड की यह कार्रवाई न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती।

इसके अतिरिक्त, नगर निगम, धार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 24.11.2022 के नोटिस के माध्यम से मकान मालिकों तथा मस्जिद समिति के सदस्यों को सूचित किया कि उक्त धार्मिक भवन बिना अनुमति के निर्मित किया गया है।

जिला कलेक्टर, धार ने बोर्ड द्वारा जारी पंजीकरण आदेश के प्रत्युत्तर में दिसंबर 2022 में बोर्ड को पंजीकरण आदेश रद्द करने का निर्देश दिया। तथापि, बोर्ड ने जारी निर्देशों का मार्च 2023 तक कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

अतः, कलेक्टर से एन.ओ.सी. प्राप्त न होने और जिला प्रशासन द्वारा जारी आपत्तियों/निर्देशों पर विचार किए बिना, वक्फ संपत्ति का पंजीकरण अनियमित था।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त संपत्तियाँ निजी व्यक्तियों की थीं एवं उन्होंने इन्हें वक्फ के उद्देश्यों के लिए दान किया, अतः संपत्तियों को वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया।

जहाँ तक विवादों का प्रश्न है, वक्फ न्यायाधिकरण में प्रकरण दायर किया गया था और न्यायाधिकरण ने स्थिति यथावत् बनाए रखने का आदेश दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस परिस्थिति में पंजीकरण जल्दबाजी में किया गया, वह संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत करने में दुर्भावनापूर्ण इरादों के संभावित संकेतक हैं। इसका आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में 30-दिन की सार्वजनिक सूचना जारी की, जो 10 नवंबर 2022 को 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद 17 नवंबर 2022 को कलेक्टर के कार्यालय में प्राप्त हुई। जिला कलेक्टर की 25 नवंबर 2022 की आपत्ति के बावजूद, उक्त संपत्ति को 18 नवंबर 2022 को वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसमें 30-दिन की सूचना अवधि समाप्त होने का हवाला दिया गया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर की आपत्ति अधिनियम की धारा 37(3) में भूमि अभिलेख अधिकारियों को दी गई छह महीने की समय सीमा के भीतर थी (**कंडिका 3.4.6.1**)। इस प्रकार, बोर्ड की मनमानी कार्यवाही एवं राजस्व अधिकारियों और वक्फ बोर्ड द्वारा प्रकरण का अनुचित प्रबंधन इस प्रकरण को न्यायाधीन (सब-जुडिस) स्थिति में ले गई।

3.4.6.5 वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में विविध कमियां

81 वक्फ संपत्तियों की नमूना जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा में नियमों और अधिनियम के प्रावधानों के अन्य कई उल्लंघन पाए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क. वक्फ़ों को पंजीकृत करने से पहले संबंधित पक्षों से मिली आपत्तियों/टिप्पणियों पर फैसला करने में मनमानी।

वक्फ पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद बोर्ड वक्फ के रूप में संपत्ति के पंजीकरण को अंतिम रूप देने/अनुमोदित करने से पहले संबंधित पक्षों से राय/टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करता है। राय की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा 30 दिन है। अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए ऐसी किसी प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करते हैं। हालाँकि, बोर्ड ने एक लेखापरीक्षा पृच्छा (अगस्त 2024) का जवाब दिया कि 30 दिनों की समय-सीमा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक न्यायिक सिद्धांत थी और इसलिए सार्वजनिक नोटिस पर लागू होती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस के आधार पर संबंधित पक्षों से प्राप्त आपत्तियों/टिप्पणियों पर निर्णय लेने में मनमानी थी, जो नीचे चर्चा किए गए दो प्रकरणो से स्पष्ट है:

- कब्रिस्तान से संबंधित एक प्रकरणो में (संदर्भ **कंडिका 3.4.6.2-ग**), बोर्ड ने ग्रामीणों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को इस दलील पर खारिज कर दिया कि वे नोटिस अवधि समाप्त होने के चार दिन बाद प्राप्त हुई थीं। इसी तरह, धार के प्रकरणो में (संदर्भ

कंडिका 3.4.6.4), जिला कलेक्टर द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद कि बोर्ड का नोटिस प्राप्त होने के आठ दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत किया गया था, बोर्ड ने कलेक्टर द्वारा जारी की गई आपत्तियों और नोटिसों को भी नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद प्राप्ति के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

- भोपाल में एक मस्जिद[77] से संबंधित एक प्रकरण में, बोर्ड के अधिकारियों ने हितधारकों से आपत्ति/प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए 30 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद सात अतिरिक्त दिनों तक इंतजार करने का फैसला किया।

इस प्रकार, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उचित प्रक्रियाओं/नियमों के अभाव के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा वक्फ के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्रस्तावित संपत्तियों के संबंध में ठीक से जांच एवं पूछताछ नहीं की गई, एवं इसके परिणामस्वरूप कई मनमाने तरीके से कार्रवाई भी हुई, जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओं में देखा जा सकता है।

शासन ने कहा कि पहले दिए गए उत्तरों (**कंडिका 3.4.6.2** में) में इन पहलुओं को शामिल किया गया है।

यह उत्तर अप्रासंगिक है क्योंकि इसमें अवलोकन का समाधान नहीं किया गया है, अतः यह स्वीकार्य नहीं है। कंडिका में दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि बोर्ड ने नोटिस अवधि के प्रकरणो में मनमानी पद्धतियाँ अपनाईं तथा वक्फ पंजीकरण आवेदनों के निपटान हेतु कोई समुचित समय-सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

3.4.6.6 शासकीय भूमि को वक्फ में परिवर्तित किए जाने पर रोक लगाने हेतु जिला प्रशासन की निष्क्रियता

बोर्ड की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, किसी संपत्ति के पंजीकरण से पूर्व, चाहे वह अधिनियम की धारा 36 अथवा 40 के अंतर्गत हो, बोर्ड संबंधित पक्षों/सामान्य जन से राय/आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी करता है तथा संपत्ति को वक्फ में परिवर्तित करने के लिए जिला प्रशासन से एन.ओ.सी. जारी करने का अनुरोध भी करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच की गई 81 संपत्तियों में से 33 (41 प्रतिशत) संपत्तियाँ, जो शासकीय स्वामित्व की थीं, को बोर्ड द्वारा वक्फ के रूप में पंजीकृत किया गया। इन संपत्तियों में सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि भी शामिल थी तथा भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार इन संपत्तियों का स्वामित्व मध्यप्रदेश शासन में निहित था। तथापि, बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ के रूप में पंजीकृत कर ओक़ाफ़ पंजी में दर्ज कर दिया। इन संपत्तियों

[77] मस्जिद हिनोतियान (ओक़ाफ़ पंजी, भोपाल की प्रविष्टि संख्या 780)।

के संबंध में वक्फ के अंतर्गत पंजीकृत कुल क्षेत्रफल 2,09,639.48 वर्ग मीटर था तथा इन संपत्तियों का भूमि मूल्यांकन ₹77.07 करोड़[78] आँका गया।

इन सभी प्रकरणो में, बोर्ड ने न केवल सार्वजनिक सूचनाएँ जारी कीं बल्कि संबंधित जिला कलेक्टरों को भी, या तो एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए अथवा सूचनार्थ, अवगत कराया। तथापि, **कंडिका 3.4.6.2-छ एवं ज** में उल्लिखित प्रकरणो को छोड़कर, किसी भी प्रकरण में जिला कलेक्टरों द्वारा बोर्ड को ऐसी संपत्तियों के वक्फ के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया निरस्त करने हेतु कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, शासकीय विभागों का यह शिथिल रवैया वक्फ अधिनियम के दुरुपयोग तथा शासकीय भूमि के वक्फ संपत्तियों में अनियमित रूपांतरण में सहायक सिद्ध हुआ। विवरण ***परिशिष्ट-3.4.5*** में दिया गया है।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि वक्फ अधिनियम एक विशेष अधिनियम है तथा इसमें जिला प्रशासन से एन.ओ.सी. प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक वक्फ का पंजीकरण पूर्ण संतुष्टि के पश्चात किया गया तथा जिला प्रशासन को पंजीकरण से पूर्व (सूचनाओं के माध्यम से) और पंजीकरण के पश्चात (पंजीकरण आदेशों के माध्यम से) अवगत कराया जाता रहा। अतः वक्फ संपत्तियों का नामांतरण जिला प्रशासन द्वारा किया जाना था। यह भी कहा गया कि हस्तलिखित राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के दौरान अनेक वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व को बोर्ड के स्थान पर शासन के नाम से स्वामित्व कॉलम में दर्ज कर दिया गया। इस त्रुटि को शासन के संज्ञान में लाया गया तथा शासन द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 10.08.2001, 26.08.2017 आदि के माध्यम से कलेक्टरों को अभिलेखों में सुधार के निर्देश जारी किए गए।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत एवं भ्रामक है। लेखापरीक्षा अवलोकन में सम्मिलित संपत्तियाँ, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.4.5*** में विवरणित है, हाल की अवधि में पंजीकृत की गई थीं। इन्हें शासन द्वारा वक्फ के रूप में दान नहीं किया गया था। बोर्ड द्वारा संदर्भित मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र उन संपत्तियों से संबंधित हैं, जिन्हें पूर्व में (1989 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार) राजस्व अभिलेखों में वक्फ के रूप में दर्ज किया गया था, किंतु बाद में राजस्व अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के दौरान उनका स्वामित्व वक्फ बोर्ड के स्थान पर शासन के नाम दर्ज कर दिया गया था। आगे बोर्ड, पंजीकरण से पूर्व जारी की जाने वाली 30 दिवसीय सार्वजनिक सूचना में जिला प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) की माँग करता है। दो प्रकरणो में (जैसा कि **कंडिका 3.4.6.2-छ एवं ज** में उल्लेखित है), राजस्व प्राधिकारी/कलेक्टर से आपत्तियाँ प्राप्त होने के बावजूद बोर्ड ने संपत्तियों को पंजीकृत किया। उत्तर इस आधार पर भी स्वीकार्य नहीं है कि 33 में से 12 निरीक्षित जिला राजस्व प्राधिकारियों ने बताया कि ***परिशिष्ट-3.4.2*** में

[78] संबंधित जिलों के वर्ष 2022-23 के लिए मानचित्र पर स्थित निकटतम क्षेत्र के सर्कल दरों के आधार पर।

विवरणित 23 नमूना-जाँच की गई संपत्तियों के संबंध में बोर्ड से कोई पूर्व सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

परिशिष्ट में दर्शाई गई संपत्तियाँ शासकीय संपत्तियाँ हैं, जिनमें से कुछ को सामुदायिक प्रयोजनों जैसे कब्रिस्तानों (क्र.सं. 01, 02, 08, 15, 27 और 30) के लिए आरक्षित किया गया था। इस प्रकार का भूमि आरक्षण प्रशासन द्वारा व्यापक जनकल्याण हेतु किया जाता है और इसे स्थायी रूप से वक्फ के रूप में समर्पित नहीं समझा जाना चाहिए।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड को ऐसे प्रकरणो पर विशेष कार्रवाई करने तथा भविष्य में पंजीकरण प्रक्रिया कठोर जाँच के पश्चात् करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, शासन ने संसद द्वारा पारित नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के क्रियान्वयन के अनुसार कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया।

उत्तर में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नमूना जांच किए गए प्रकरणो के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही पर कुछ नहीं कहा गया है।

3.4.7 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र

3.4.7.1 वक्फ अधिनियम/नियमों के विपरीत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनियमित नियुक्ति

वक्फ नियमों के नियम 7 में, अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों के प्रावधानों का विवरण दिया गया है और कहा गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुस्लिम शासकीय कर्मचारी होगा तथा वह डिप्टी-कलेक्टर के पद से नीचे का नहीं होगा।

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का विवरण निम्नलिखित है:

तालिका 3.4.6: लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का विवरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कब से	कब तक	पद जिस पर मध्यप्रदेश शासन में कार्यरत
1	डॉ. युनूस खान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	02.08.2017	17.01.2019	सहायक प्राध्यापक, सरोजिनी नायडू गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, भोपाल
2	श्री मो. अहमद खान	कार्यवाहक मुख्य कार्यपालन अधिकारी	18.01.2019	21.08.2019	बोर्ड के कर्मचारी
3		मुख्य कार्यपालन अधिकारी	22.08.2019	02.12.2020	
4	श्री जमील खान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	02.12.2020	15.07.2021	उप-कलेक्टर
5	श्री शेख हसरुद्दीन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	16.07.2021	29.04.2022	कार्यकारी अभियंता
6	श्री सैयद शाकिर अली जाफरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	06.05.2022	31.03.2023	कार्य प्रबंधक, योजना विभाग

(स्रोत-बोर्ड से प्राप्त सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यवाहक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (क्र.सं. 2 और 3) बोर्ड के कर्मचारी थे और अतः शासकीय कर्मचारी नहीं थे। आगे, उक्त व्यक्ति को बोर्ड कार्यालय में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया एवं वर्ष 1994 में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया। वे न तो उप-सचिव के पद पर थे और न ही शासन द्वारा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए थे। अतः, यह नियुक्ति अधिनियम और नियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी और इस प्रकार अनियमित थी। उच्च न्यायालय, जबलपुर[79] ने भी (सितंबर 2023) मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करते समय यह देखा कि चूंकि उक्त अवधि के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं संभाला गया था, इसलिए किसी भी आदेश को, जो असक्षम व्यक्ति द्वारा पारित किया गया हो, कानून की दृष्टि में शून्य माना जाएगा। वक्फ अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का राज्य शासन द्वारा पालन न करने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनियमित नियुक्ति हुई।

श्री मोहम्मद अहमद खान को कार्यवाहक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के संबंध में (क्र.सं. 2 में उल्लेखित), यह पाया गया कि तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. युनुस खान की सेवा अवधि समाप्त होने के कारण, उनके द्वारा एक नोट शीट सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रस्तुत की गई और सचिव द्वारा माननीय मंत्री के साथ हुई चर्चा के अनुसार नियुक्ति की गई।

बोर्ड का उत्तर, जिसे शासन ने समर्थन दिया है, में कहा गया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनियमित नियुक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा की आपत्ति का समाधान नहीं किया गया है।

3.4.7.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अतिक्रमण प्रकरणो से निपटने में अधिनियम/नियमों का उल्लंघन

वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को हटाने के संबंध में अधिनियम में दिए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- जब भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी यह माने, चाहे किसी शिकायत के प्राप्त होने पर या अपने स्वयं के संज्ञान में, कि किसी पंजीकृत वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ है, तो उसे अतिक्रमणकर्ता को एक नोटिस प्रदान करना होगा जिसमें अतिक्रमण के विवरण का उल्लेख हो और उसे निर्दिष्ट तिथि से पहले यह बताने के लिए कहा जाए कि उस

[79] याचिका क्रमांक 21051/2023 के उत्तर में।

तिथि से पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् और निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतुष्ट हो जाए कि संबंधित संपत्ति वक्फ संपत्ति है और उस पर अतिक्रमण हुआ है, तो वह ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए निष्कासन आदेश हेतु वक्फ न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है (धारा 54(1) से 54(3) और नियम 15)।

- न्यायाधिकरण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त ऐसे आवेदन पर, उसमें उल्लिखित कारणों के आधार पर, निष्कासन का आदेश जारी कर सकता है जिसमें निर्देश होगा कि वक्फ संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने पर उसे खाली किया जाए, बशर्ते कि न्यायाधिकरण निष्कासन का आदेश देने से पहले उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दे सकता है जिसके खिलाफ मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निष्कासन के लिए आवेदन किया गया है (धारा 54(4))।

लेखापरीक्षा की पृछा के उत्तर में, बोर्ड ने 157 अतिक्रमित वक्फ संपत्तियों की सूची प्रदान की, जो बोर्ड/वक्फ न्यायाधिकरण के पास लंबित थीं। लेखापरीक्षा ने 157 अतिक्रमण प्रकरणों में से 18 की नमूना जाँच की और पाया कि बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 18 प्रकरणों में से चार प्रकरणों को जांच करने के पश्चात् न्यायाधिकरण को प्रेषित किया। शेष 14 प्रकरणों में बोर्ड में जांच लंबित थी (मार्च 2023 तक)। चारों प्रकरणों में से सभी को वक्फ न्यायाधिकरण ने विभिन्न कारणों से अस्वीकार कर दिया, जैसा कि नीचे विवरणित है:

तालिका 3.4.7: वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार किए गए अतिक्रमण प्रकरणों का विवरण

प्रकरण क्र.	वक्फ़ का नाम	न्यायाधिकरण अभ्युक्तियाँ
20/14	दरगाह चमन चिश्ती, मंदसौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर न तो प्रदान किया और न ही उन्हें प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा नियमों के उल्लंघन में आदेश पारित किए। (प्रकरण पुनः जाँच के लिए बोर्ड को लौटाया गया)
289/12	दरगाह पीरों की, विदिशा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बिना उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए आदेश पारित किए। (प्रकरण पुनः जाँच के लिए बोर्ड को लौटाया गया)
28/14	वक्फ़ अन्नापुरा जामा मस्जिद, हरदा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर न तो प्रदान किया और न ही उन्हें प्रमाण प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा नियमों का उल्लंघन करते हुए

प्रकरण क्र.	वक्फ़ का नाम	न्यायाधिकरण अभ्युक्तियाँ
		आदेश पारित किए। इसके अलावा, उक्त आदेश पारित करने के समय मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यवाहक पद पर थे और इसलिए उनके पास ऐसे आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। (प्रकरण पुनः जाँच के लिए बोर्ड को लौटाया गया)
59/14	जामा मस्जिद टैगोर मार्ग, नीमच	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उचित जाँच नहीं की और इसलिए पारित आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं था। (प्रकरण पुनः जाँच के लिए बोर्ड को लौटाया गया)

(स्रोतः बोर्ड से प्राप्त अभिलेख)

अतः, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की गई अनियमित एवं अप्रभावी जाँच के कारण ये प्रकरण अपने तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सके और लंबित बने रहे (मार्च 2023 तक)।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि धारा 54 के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष 3,000 से अधिक प्रकरण लंबित थे तथा इन प्रकरणो के निस्तारण में विलंब का कारण कर्मचारियों की कमी था। आगे यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित बिंदुओं को माननीय वक्फ बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है।

कर्मचारियों की कमी के संबंध में शासन द्वारा समर्थित बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह कंडिका अतिक्रमण प्रकरणो के निपटान में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित थी, जैसा कि माननीय वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों में रेखांकित किया गया है।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वक्फ बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए वक्फ न्यायाधिकरण के आदेशों के आलोक में लागू नियमों के उचित अनुपालन के साथ अतिक्रमण प्रकरणो के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया।

3.4.7.3 मानव संसाधन की उपलब्धता

अधिनियम की धारा 24 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, अपने दायित्वों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु, बोर्ड को राज्य शासन से परामर्श कर अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक संख्या में अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को रखने का अधिकार प्रदान किया गया है।

बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि स्वीकृत 82 पदों में से 42 पद (मार्च 2023 तक) रिक्त पड़े थे। निरीक्षक, लेखापरीक्षक, जाँच अधिकारी, राजस्व अधिकारी, लेखा अधिकारी, विधि सलाहकार आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों में

कर्मचारियों की कमी, बोर्ड के उद्देश्यों के संदर्भ में, सर्वेक्षण, भौतिक निरीक्षण, राजस्व कार्य तथा लेखापरीक्षा आदि जैसी प्रमुख गतिविधियों को प्रभावित करने की संभावना है। रिक्त पदों का विवरण (मार्च 2023 की स्थिति में) ***परिशिष्ट-3.4.6*** में दिया गया है।

एल.डी.सी. के स्वीकृत पद 28 हैं, जो कुल पद संरचना का लगभग 35 प्रतिशत है, जबकि जाँच अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद केवल एक-एक हैं। बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में इन पदों के सृजन के औचित्य से संबंधित कोई विवरण नहीं पाया गया।

पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित बोर्ड का दायित्व, अन्य बातों के साथ, राज्य में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन एवं संधारण करना है। बोर्ड की आय का प्रमुख हिस्सा वक्फ से प्राप्त चंदा निगरानी से आता है, जिसके लिए वक्फ द्वारा प्रस्तुत लेखों की लेखापरीक्षा आवश्यक है, ताकि वक्फ की वास्तविक शुद्ध आय का सही-सही सत्यापन किया जा सके तथा वास्तविक देय राशि (जो शुद्ध आय के सात प्रतिशत के रूप में गणना की जानी है) निर्धारित की जा सके। राज्य भर में फैली 14,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों हेतु बोर्ड को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के कुशल निर्वहन हेतु पर्याप्त लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता है। यह तथ्य कि वक्फ की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनके खातों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है (जैसा कि **कंडिका 3.4.5.4** में विवरणित है), बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता का समुचित आकलन न किए जाने तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ रिक्त पदों को न भरे जाने की चूक को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में ऐसी कोई भर्ती मार्गदर्शिका नहीं पाई गई, जो प्रत्येक पद से संबंधित कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाल सके।

शासन ने अपने उत्तर में बताया कि मार्च 2023 की स्थिति में वक्फ बोर्ड के कार्यालय में 40 से अधिक कर्मचारियों की कमी है। बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात् नियमों के अनुसार रिक्त पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

बोर्ड को शासन के विभागों द्वारा अपनाई जाने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए तथा कार्यभार की प्रकृति के अनुरूप, जैसे वक्फों के लेखों की लेखापरीक्षा तथा उनके निरीक्षण एवं निगरानी, पदों की संरचना का पुनरीक्षण भी करना चाहिए। इससे प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की स्थिति को लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा।

3.4.7.4 वक्फों की निगरानी तथा निरीक्षण न करना

बोर्ड द्वारा वक्फों के निरीक्षण/निगरानी से संबंधित अधिनियम में निर्धारित प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- बोर्ड वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण उनके खातों, अभिलेखों या विलेखों एवं संबंधित दस्तावेजों के संदर्भ में कर सकता है {धारा 32(2)(एम)};
- बोर्ड वक्फ तथा वक्फ संपत्ति का स्वरूप और सीमा निर्धारित कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर ऐसे वक्फों का सर्वेक्षण करवा सकता है {धारा 32(2)(एन)};
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, या बोर्ड की पूर्व स्वीकृति से उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, सभी चल और अचल संपत्तियों, जो वक्फ संपत्तियां हैं, तथा उनसे संबंधित सभी अभिलेख, पत्राचार, योजनाएँ, खाते और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या संपत्ति प्रबंधक (मुतवल्ली) की कार्यकारी या प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वाह में किसी असफलता या लापरवाही के कारण किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति को कोई हानि या नुकसान पहुँचा है (धारा 33)।

बोर्ड के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि किसी भी वक्फ के संबंध में न तो बोर्ड द्वारा और न ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कोई निरीक्षण किया गया एवं लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई वक्फ सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया। निरीक्षण, जाँच एवं वक्फ सर्वेक्षण की कमी के कारण, कई अपात्र संपत्तियों को वक्फ के रूप में ओक़ाफ़ पंजी में दर्ज किया गया, जैसा कि **कंडिका 3.4.6.2** में रेखांकित किया गया है; विभिन्न वक्फों के खाते प्राप्त और लेखापरीक्षित नहीं किए जा सके, जैसा कि **कंडिका 3.4.5.4** में दर्शाया गया है; और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के प्रकरणो का समाधान नहीं हो सका, जिससे बोर्ड की आय में हानि हुई, जिसने अंततः बोर्ड के स्थापना उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डाली।

केस स्टडी

एक प्रमुख समाचार पत्र[80] में (26 अप्रैल 2023) भोपाल शहर में लापता कब्रिस्तान के संबंध में प्रकाशित समाचार पर लेखापरीक्षा के प्रश्न (मई 2023) के उत्तर में, बोर्ड ने (जुलाई 2023) कहा कि भोपाल में 130 कब्रिस्तान वक्फ के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें से केवल 31 कार्यरत हैं, 26 बंद हैं और 55 कब्रिस्तानों की स्थिति के बारे में बोर्ड को जानकारी नहीं है। यह दर्शाता है कि बोर्ड ने राज्य में पंजीकृत किसी भी वक्फ की गतिविधियों की निगरानी नहीं की।

[80] दैनिक भास्कर, भोपाल संस्करण।

इस प्रकार, वक्फ संपत्तियों के निरीक्षण और निगरानी न करने से उनके संरक्षण, सुरक्षा और बेहतर प्रशासन के प्रति बोर्ड के उदासीन दृष्टिकोण का पता चलता है। इसके अलावा, वक्फ बोर्ड के दायित्व में उल्लिखित उद्देश्यों, अर्थात् राज्य में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन, संरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रावधान करने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई। बोर्ड ने (जुलाई 2023) लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकार किया और बताया कि बोर्ड में कर्मचारियों की कमी के कारण कोई योजना तैयार नहीं की गई।

शासन ने अपने उत्तर में कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा वक्फों का निरीक्षण करना संभव नहीं है। भोपाल के कब्रिस्तानों के संबंध में कहा गया कि उपयुक्त स्तर पर जाँच की जाएगी। यह प्रकरण बोर्ड के विचाराधीन है।

3.4.7.5 वक्फ संपत्तियों का उत्तरवर्ती सर्वे नहीं करना

अधिनियम की धारा 4(1) में यह प्रावधान है कि राज्य शासन, राज्य में वक्फों का सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से एक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त के साथ अपर और सहायक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त कर सकती है। अधिनियम की धारा 4(6) में यह प्रावधान है कि राज्य शासन सर्वेक्षण आयुक्त को राज्य में वक्फ संपत्तियों का दूसरा या पश्चात् सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है बशर्ते कि ऐसा दूसरा या पश्चात् सर्वेक्षण तभी किया जाए जब तत्काल पूर्व के सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दस वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी हो।

बोर्ड के अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि वक्फ संपत्तियों का अंतिम सर्वेक्षण 1989 में राज्य शासन द्वारा किया गया था। तथापि, 35 वर्ष बीत जाने के बावजूद, न तो राज्य शासन ने पश्चात् सर्वेक्षण किया, और न ही बोर्ड द्वारा ऐसे सर्वेक्षण के लिए राज्य शासन से कोई अनुरोध किया गया।

यह राज्य शासन एवं बोर्ड के वक्फों की स्थिति का आकलन करने के प्रति लापरवाह नजरिये को दर्शाता है, जिससे वक्फ बोर्ड की स्थापना के उद्देश्यों की प्राप्ति असफल रही।

जब लेखापरीक्षा ने (अगस्त 2024) आयुक्त, वक्फ/आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण से पश्चात् सर्वेक्षण न किए जाने के संबंध में पूछा, तो उत्तर (अगस्त 2024) में कहा गया कि बोर्ड की ओर से कोई प्रस्ताव न होने के कारण राज्य में वक्फ संपत्तियों के पश्चात् सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है।

उत्तर से स्पष्ट है कि शासन और बोर्ड के बीच संपर्क की कमी है, जिसके कारण 1989 से राज्य में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने उत्तर दिया कि नए संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद, इसके प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3.4.7.6 प्रभावी लेखा लेखापरीक्षा के लिए अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण

वक्फ अधिनियम की धारा 80 के तहत, बोर्ड के लेखा प्रत्येक वर्ष उस लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित और जांचे जाएंगे जिसे राज्य शासन नियुक्त करेगा।

बोर्ड के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि संचालक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, भोपाल (डी.एल.एफ़.ए.) बोर्ड के लेखाओं का लेखापरीक्षक हैं। बोर्ड में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, बोर्ड की अंतिम लेखापरीक्षा डी.एल.एफ़.ए. द्वारा 2009-10 से 2015-16 की अवधि के लिए जून से अगस्त 2017 के दौरान किया गया था। 2016-17 से 2022-23 तक के लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की गई (अगस्त 2024 तक)। लेखों की लेखापरीक्षा लंबित होने के कारण, बोर्ड के लेखों में कोई भी त्रुटि, यदि हो, संज्ञान में नही आई।

आगे जाँच के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 1968-69 से 2015-16 तक की पूर्व अवधि के कुल 477 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से कुल 459 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ निपटान के लिए लंबित थीं।

इस ओर इंगित किए जाने पर, शासन ने अपने उत्तर में कहा कि स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कार्यालय को लगातार लेखापरीक्षा करने के लिए सूचित किया जा रहा था। उत्तर में आगे यह भी जोड़ा गया कि 1968-69 से 2015-16 तक की अवधि की लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए स्पष्टीकरण स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजे गए थे और स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कार्यालय से उन पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भोपाल स्थित संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा कार्यालय (डीएलएफ़ए) से आगे की जाँच में यह सूचित किया गया (सितंबर 2024) कि बोर्ड ने लंबित कंडिकाओं के निपटान के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का पालन-संबंधी विवरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि बोर्ड और भोपाल स्थित स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के बीच संपर्क की कमी है, जिसके कारण लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं का निपटान नहीं हो सका।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने उत्तर दिया कि स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग के संचालक को अत्यधिक स्टाफ़ की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण लेखापरीक्षा प्रभावित हो रही थी।

3.4.7.7 वक्फ बोर्ड का सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा को प्रस्तुत न करना

धारा 98 के अधिनियम सहपठित नियम 55 यह निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तुरंत बाद, राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगा कि उस वर्ष के दौरान बोर्ड के कार्य और प्रशासन तथा राज्य में वक्फ़ों के प्रशासन पर एक सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाए और राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए (प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक) तथा प्रत्येक ऐसा प्रतिवेदन उस रूप में होगा तथा उस में वे विषय शामिल होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया गया हो।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि बोर्ड ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान अपने वार्षिक प्रतिवेदन को फॉर्म-IV में निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार व राज्य शासन को प्रस्तुत नहीं किया। शासन ने भी ऐसे प्रतिवेदन को नियमित रूप से तैयार करने और राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड के साथ इस प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाया।

वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण इस संभावना को, कि राज्य शासन वक्फ़ बोर्ड के कार्य और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं था, पूरी तरह इनकार नहीं जा सकता।

शासन ने अपने उत्तर में कहा कि बोर्ड की गतिविधियों पर प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। अगले वर्ष का प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, जिसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने वक्फ़ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि भविष्य में अपने वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए वांछित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

3.4.8 वक्फ संपत्तियों के संयुक्त सर्वेक्षण में सामने आए प्रकरण

लेखापरीक्षा के दौरान, आठ जिलों[81] में 24 वक्फ़ों को सम्मिलित करते हुए, संबंधित जिलों/वक्फ़ों के समिति सदस्यों/संपत्ति प्रबंधकों के साथ लेखापरीक्षा टीम द्वारा एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट-3.4.7*** में दर्शाया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान सामने आए प्रकरण/कमियाँ निम्नलिखित हैं:

3.4.8.1 बोर्ड द्वारा वक्फ़ों का असंतोषजनक रखरखाव, नियंत्रण तथा प्रशासन

वक्फ़ अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अपनी देखरेख में आने वाले वक्फ़ों का उचित रूप से रखरखाव, नियंत्रण और प्रशासन

[81] भोपाल, डिंडोरी, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर और रतलाम।

किया जाए और उनकी आय का सही ढंग से उन उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए, जिनके लिए ऐसे वक्फ़ बनाए गए थे या लक्षित थे।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बोर्ड ने वक्फ़ दरगाह नाहर शाह वाली, इंदौर (ओक़ाफ़ पंजी, इंदौर में प्रविष्टि संख्या 428) से संबंधित दो राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी किए और उनकी प्रति, वसूली के लिए तहसीलदार, इंदौर को भेजी तथा जिलाधिकारी, इंदौर को भी प्रति प्रेषित की।

तालिका 3.4.8: दरगाह नाहर शाह वली, इंदौर को जारी आरआरसी का विवरण

क्र. सं.	आरआरसी पत्र क्र.	जिससे राशि वसूलनी है उसका नाम	वसूली की राशि	विवरण
1	63 से 65 दिनांक 03.01.2020	श्री यूनुस पटेल, पूर्व अध्यक्ष, वक्फ़ दरगाह नाहर शाह वाली, इंदौर	₹66.00 लाख	आरआरसी के अनुसार, श्री यूनुस पटेल के कार्यकाल के दौरान, वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में दरगाह नाहर शाह वली, इंदौर से मनोरंजन झूलों और दुकानों से ₹66.00 लाख की आय प्राप्त हुई थी। आय और व्यय का विवरण न देने तथा वक्फ़ बोर्ड से पूर्ण अभिलेखों की लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण, जो कि हेराफेरी के समकक्ष था, राशि वसूलने के लिए आर.आर.सी. जारी की गई थी।
2	3584 से 3587 दिनांक 03.08.2021	श्री अरब अली पटेल, पूर्व अध्यक्ष, वक्फ़ दरगाह नाहर शाह वाली, इंदौर	₹45.07 लाख	आरआरसी के अनुसार, श्री अरब अली पटेल के कार्यकाल के दौरान, दरगाह नाहर शाह वाली, इंदौर (वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21) में किराया, लंगर, बॉक्स जमा आदि से प्राप्त आय बैंक खाते में जमा नहीं की गई थी।
योग			**₹111.07 लाख**	

(स्रोतः बोर्ड से प्राप्त अभिलेख)

इसके अतिरिक्त, उक्त वक्फ़ के संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि आरआरसी के विरुद्ध कोई राशि वसूल नहीं की गई थी। यह दर्शाता है कि आरआरसी जारी किए जाने के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी राशि वसूलने के लिए बोर्ड

द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। वक्फ़ में इस प्रकार की अनियमितताएँ यह संकेत देती हैं कि बोर्ड के पास वक्फ़ की गतिविधियों पर उचित नियंत्रण नहीं था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान, शासन ने आयुक्त को निर्देश दिया कि वे जिम्मेदार कार्मिको से राशि वसूलने को प्राथमिकता दें।

3.4.8.2 वक्फ़ों के संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान देखे गए अन्य विविध प्रकरण

संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किए गए 24 वक्फ़ों में से चार वक्फ़ों के संपदा प्रबंधकों[82] द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई। शेष 20 वक्फ़ों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकरण देखे:

क. पंजीकरण के लिए आवेदन के बिना वक्फ़ का पंजीकरण

जबलपुर जिले की एक मस्जिद को अक्टूबर 2021 में बोर्ड द्वारा वक्फ़ के रूप में पंजीकृत किया गया (ओक़ाफ़ पंजी, जबलपुर में प्रविष्टि संख्या 317)। तथापि, संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के संपदा प्रबंधक (मुतवल्ली) ने पुष्टि की कि उन्होंने न तो मस्जिद का वक्फ़ बोर्ड में कभी पंजीकरण कराया था और न ही पंजीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया था। अतः, मस्जिद समिति की जानकारी के बिना मस्जिद को वक्फ़ के रूप में पंजीकृत किए जाने की प्रक्रिया का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका।

ख. पंजीकृत पते पर वक्फ़ का पता न चलना

बोर्ड में उपलब्ध पंजीकरण अभिलेखों के अनुसार, जहांगीराबाद, भोपाल में स्थित एक भवन को मई 2018 में वक्फ़ के रूप में पंजीकृत किया गया था (ओक़ाफ़ पंजी, भोपाल में प्रविष्टि संख्या 778)। तथापि, बोर्ड कार्मिको के साथ किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान उक्त भवन पंजीकरण फाइल में दर्ज पते पर नहीं पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि संपत्ति का सत्यापन एवं सर्वेक्षण किए बिना ही उसे वक्फ़ के रूप में पंजीकृत कर दिया गया।

शासन ने अपने उत्तर में कहा कि वक्फ़ बोर्ड उपलब्ध कर्मचारियों की कार्यक्षमता के अनुसार अपने नियंत्रणाधीन वक्फ़ों का प्रबंधन करता है। पूर्ण स्टाफ़ की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात्, वक्फ़ों के समुचित प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे।

[82] शिया दाउदी बोहरा जमात रतलाम और मंदसौर जिले में,वक्फ कब्रिस्तान व मस्जिद,ग्राम बड़ागावं खुरेरी तहसील मुरार, ग्वालियर और मस्जिद मदरसा पचान दानिपुरा,रतलाम।

3.4.9 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

मध्य प्रदेश वक्फ़ बोर्ड की लेखापरीक्षा में वक्फ़ अधिनियम, 1995 की धारा 36 एवं 41 के अंतर्गत संपत्तियों का अनियमित रूप से वक्फ़ के रूप में पंजीकरण किया जाना प्रकाश में आया। इनमें शासकीय भूमि, वन भूमि, शासकीय नज़ूल भूमि, निजी स्वामित्व वाली भूमि आदि सम्मिलित थीं। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों का समुचित सत्यापन किए बिना ही बोर्ड द्वारा वक्फ़ पंजीकरण किए गए। पंजीकरण प्रक्रिया के लिए कोई निर्धारित नीति अथवा प्रणाली विकसित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकरणो में बोर्ड द्वारा मनमाने कार्य किए गए।

निर्धारित पद स्तर से नीचे के एक व्यक्ति को लगभग दो वर्षों तक अनियमित रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। बोर्ड कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों की संरचना बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं थी तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध लगभग 50 प्रतिशत कर्मचारियों की कमी थी। वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान बोर्ड द्वारा तैयार किए गए बजट अवास्तविक थे। वक्फ़ों के लेखे बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किए गए तथा बोर्ड द्वारा वक्फ़ों के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएँ तैयार नहीं की गईं। वक्फ़ संपत्तियों को संशोधित पट्टा नियमों के अनुरूप न होते हुए किराए पर दिया गया।

अनेक वक्फ़, बोर्ड को देय चंदा निगरानी का भुगतान नहीं कर रहे थे तथा बोर्ड द्वारा भी वक्फ़ों से प्राप्त चंदा निगरानी में से केंद्रीय वक्फ़ आयोग को देय अंशदान प्रेषित नहीं किया गया।

नया वक्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2024 दिनांक 05 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ वक्फ़ बोर्ड द्वारा संपत्तियों के पंजीकरण से संबंधित विद्यमान प्रावधानों में संशोधन भी सम्मिलित हैं।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

i. *यह सुनिश्चित करे कि संपत्तियों को वक्फ़ के रूप में पंजीकृत करने से पूर्व तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा बोर्ड के पक्ष में उनका नामांतरण किए जाने हेतु प्रकरणो को जिला कलेक्टरों को अग्रेषित किये जाए। (कंडिका 3.4.6 के सन्दर्भ में)*

ii. *उन सभी प्रकरणो की समीक्षा करे, जिनमें शासकीय भूमि पर वक्फ़ के रूप में पंजीकरण किए गए हैं, तथा संबंधित बोर्ड अधिकारियों एवं जिला प्राधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करे। (कंडिका 3.4.6 के सन्दर्भ में)*

iii. *अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उचित माध्यमों से बोर्ड के सभी रिक्त पदों को भरे। (कंडिका 3.4.7.3 के सन्दर्भ में)*

iv. राज्य में स्थित सभी वक्फ़ संपत्तियों का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए, ताकि उनके स्वामित्व से संबंधित किसी भी विवाद अथवा पंजीकरण से जुड़ी त्रुटियों की पहचान कर उनका निराकरण किया जा सके। (कंडिका 3.4.7.5 के सन्दर्भ में)

v. वक्फ़ द्वारा वार्षिक लेखे तैयार किए जाने तथा बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का निर्माण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। (कंडिका 3.4.5.3 के सन्दर्भ में)

vi. संशोधित पट्टा नियमों के अनुसार सभी मौजूदा पट्टों की समीक्षा एवं नियमितीकरण किया जाए तथा विचलनों को सुधारकर यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित दरों के अनुसार राजस्व प्राप्त हो। (कंडिका 3.4.5.7 के सन्दर्भ में)

ग्वालियर — **(सिद्धार्थ बोन्दाडे)**

दिनांक: 19 जनवरी 2026 — **महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम)**

मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 02 फरवरी 2026 — **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.6.1, पृष्ठ संख्या 5)
विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विवरण

क्र.	विभाग का नाम	लंबित निरी. प्रति./ कंडिका की संख्या 31 मार्च 2024 तक	
		निरी. प्रति	कंडिकाएँ
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1621	6698
2.	नगर विकास एवं आवास विभाग	1562	12488
3.	जेल विभाग	91	187
4.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	267	540
5.	गृह विभाग	326	862
6.	महिला एवं बाल विकास विभाग	925	2986
7.	जनजातीय कल्याण विभाग	674	2134
8.	विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विभाग	06	18
9.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	123	498
10.	अनुसूचित जाति विकास विभाग	198	898
11.	आयुष विभाग	161	436
12.	सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग	326	1081
13.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग	12	26
14.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	920	4241
15.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	195	976
16.	उच्च शिक्षा विभाग	809	3400
17.	स्कूल शिक्षा विभाग	2361	8351
18.	श्रम विभाग	238	559
19.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	122	423
20.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	349	1212
21.	सामान्य प्रशासन विभाग	133	360
22.	संसदीय कार्य (राज्य विधानसभा) विभाग	08	13
23.	जनसंपर्क विभाग	24	74
24.	राजस्व विभाग	2651	9139
25.	लोक सेवा प्रबंधन	--	--
योग		**14102**	**57600**

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.6.3, पृष्ठ संख्या 7)

व्याख्यात्मक नोट के लिए लंबित कंडिकाओं का विभागवार विवरण

क्र.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग का नाम	लंबित व्या. नोट 31.03.2024 तक	राज्य विधानसभा में प्रस्तुतीकरण तिथि	विभागीय जवाब प्राप्त करने की देय तिथि
1.	2017-18 (जी. एंड एस.एस.ए.)	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	21.09.2020	21.12.2020
2.	2018-19 (जी. एंड एस.एस.ए.)	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	01	21.12.2021	21.03.2022
		जनजाति कल्याण विभाग	01		
3.	2018-19 (राजस्व क्षेत्र)	राजस्व विभाग	03	21.12.2021	21.03.2022
4.	2020-21 (लेखापरीक्षा-प्रथम)	राजस्व विभाग	01	08.02.2024	08.05.2024
		तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग	01		
		स्कूल शिक्षा विभाग	01		
कुल			**10**		

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: कंडिका संख्या 1.6.4, पृष्ठ संख्या 7)

31 मार्च 2024 की स्थिति अनुसार मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त पी.ए.सी. की अनुशंसाओं पर कार्रवाई विवरण टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.)

क्र.	विभाग का नाम	चौदहवीं विधान सभा 2013-2018		पंद्रहवीं विधान सभा 2018-अब तक		कुल	
		ए.टी.एन. की सं.	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएँ	ए.टी.एन. की सं.	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएँ	ए.टी.एन. की सं.	ए.टी.एन. में शामिल कंडिकाएँ
1.	पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग	03	04	01	02	04	06
2.	राजस्व विभाग	07	26			07	26
3.	जनजातीय कल्याण विभाग	01	01			01	01
4.	गृह विभाग	01	02			01	02
5.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	06	01	02	03	08
6.	श्रम विभाग	01	01			01	01
7.	सामाजिक न्याय विभाग	01	01			01	01
8.	महिला एवं बाल विकास विभाग			02	02	02	02
9.	शहरी विकास एवं आवास विभाग			02	03	02	03
कुल		**16**	**41**	**06**	**09**	**22**	**50**

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.1, पृष्ठ संख्या. 22)

अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान आयोजित परीक्षाओं की सूची

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	अधिसूचना का वर्ष	विज्ञापन की तिथि	पद की संख्या	चयन किया गया
1	क. जिला आयुष अधिकारी परीक्षा 2018	2015	31-03-2015	13	13
	ख. वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान) परीक्षा 2018	2015	31-03-2015	1	1
	ग. वैज्ञानिक अधिकारी (वनस्पति विज्ञान) परीक्षा 2018	2015	31-03-2015	1	1
2	राज्य वन परीक्षा 2017	2016	05-12-2016	174	174
3	क. व्याख्याता श्रवण दिव्यांग	2017	02-03-2017	9	9
	ख. व्याख्याता दृश्य दिव्यांग	2017	02-03-2017	11	8
4	क. वैज्ञानिक अधिकारी (क्यूरेटर)	2017	31-07-2017	6	5
	ख. वैज्ञानिक अधिकारी (पुरातत्वविद्)	2017	31-07-2017	3	3
5	सहायक प्राध्यापक 2017	2017	12-12-2017	3,462	2,586
6	राज्य सेवा परीक्षा 2018	2017	05-12-2017	298	286
7	राज्य वन परीक्षा 2018	2017	12-12-2017	131	131
8	सहायक निदेशक (योजना)	2018	01-03-2018	12	12
9	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा 2018	2018	03-05-2018	29	29
10	क. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018 (पुस्तकालयाध्यक्ष)	2018	29-05-2018	308	218
	ख. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018 (खेल)	2018	29-05-2018	311	214
11	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा 2018	2018	31-07-2018	188	138
12	क. चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2019 (बैकलॉग)	2019	15-02-2019	1,065	547
	ख. बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन परीक्षा 2019	2019	15-02-2019	67	62
13	सहायक निदेशक कृषि (क्षेत्र एवं विस्तार) 2019	2019	01-11-2019	37	32
14	राज्य सेवा परीक्षा 2019	2019	14-11-2019	571	472
15	राज्य वन परीक्षा 2019	2019	14-11-2019	6	6
16	सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी) 2019	2020	26-11-2019	1	1
17	डेंटल सर्जन 2019	2019	28-11-2019	2	2
18	क. चिकित्सा अधिकारी 2020 (गैर-चिकित्सा)	2020	05-12-2020	1	1

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	अधिसूचना का वर्ष	विज्ञापन की तिथि	पद की संख्या	चयन किया गया
	ख. चिकित्सा अधिकारी 2020 (चिकित्सा)	2020	05-12-2020	4	3
19	राज्य सेवा परीक्षा 2020	2020	28-12-2020	260	214
20	राज्य वन परीक्षा 2020	2020	28-12-2020	111	96
21	राज्य सेवा 2020 क. (सहायक यंत्री-सिविल)	2020	29-12-2020	72	63
	ख.सहायक यंत्री (ऊर्जा सुरक्षा) एवं विद्युत निरीक्षक	2020	29-12-2020	2*	1
	ग. बॉयलर (ग्रेड 1)	2020	29-12-2020	3	1
	घ. बॉयलर (ग्रेड 2)	2020	29-12-2020	1	0
	ड.डिप्टी एस.पी. (एम.टी.)	2020	29-12-2020	1	1
22	चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 (1)	2021	08-02-2021	866	495
23	सहायक निदेशक (संवर्ग) 2021	2021	08-02-2021	19	17
24	सहायक जिला अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021	2021	07-06-2021	256	219
25	चिकित्सा अधिकारी 2021(2)	2021	14-06-2021	576	371
26	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो एवं कंप्यूटर) परीक्षा 2021	2021	23-06-2021	15	12
27	सहायक प्रबंधक परीक्षा 2021	2021	07-07-2021	63	48
28	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा 2021	2021	20-09-2021	129	93
29	कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा 2021	2021	14-12-2021	2	1
30	राज्य सेवा परीक्षा 2021	2021	22-12-2021	290	243
31	राज्य वन परीक्षा 2021	2021	22-12-2021	63	49
32	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	2021	28-12-2021	692	543
33	होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	2021	28-12-2021	43	36
34	यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	2021	30-12-2021	28	14
35	क. वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	2021	30-12-2021	13	9
	ख. वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)	2021	30-12-2021	15	8
	ग. वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	2021	30-12-2021	16	13
36	व्याख्याता (मनोविज्ञान)	2021	30-12-2021	1	1
37	राज्य यांत्रिकी सेवा 2021	2021	30-12-2021	487	385
38	सम्पदा प्रबंधक/शाखा अधिकारी परीक्षा 2021	2021	30-12-2021	11	10
39	डेंटल सर्जन 2022	2022	01-02-2022	193	128
40	सिस्टम एनालिटिक्स एवं प्रोग्रामर	2022	27-06-2022	1	1

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	अधिसूचना का वर्ष	विज्ञापन की तिथि	पद की संख्या	चयन किया गया
41	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा 2022	2022	25-07-2022	13	12
42	बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन परीक्षा	2022	25-07-2022	74	54
43	चिकित्सा विशेषज्ञ (स्त्री रोग विशेषज्ञ)	2022	20-07-2022	153	95
44	चिकित्सा विशेषज्ञ	2022	27-07-2022	160	72
45	चिकित्सा विशेषज्ञ (हड्डी रोग)	2022	28-07-2022	57	41
46	चिकित्सा विशेषज्ञ (निश्चेतना)	2022	29-07-2022	96	57
47	क. चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (नेत्र)	2022	17-08-2022	29	20
	ख. चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (बाल चिकित्सा)	2022	17-08-2022	128	83
	ग. चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (सर्जरी)	2022	17-08-2022	159	76
	घ. चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (कान, नाक, गला)	2022	17-08-2022	21	12
	ङ. चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (क्षय रोग)	2022	17-08-2022	13	8
	च. चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (रेडियोलॉजी)	2022	17-08-2022	24	6
	छ. चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (पैथोलॉजी)	2022	17-08-2022	34	24
48	चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2022	2022	30-12-2022	1,456	925
	कुल			**13,357**	**9,511**

* 1 पद रद्द कर दिया गया था

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.2, पृष्ठ संख्या 22)

आयोग का संगठन

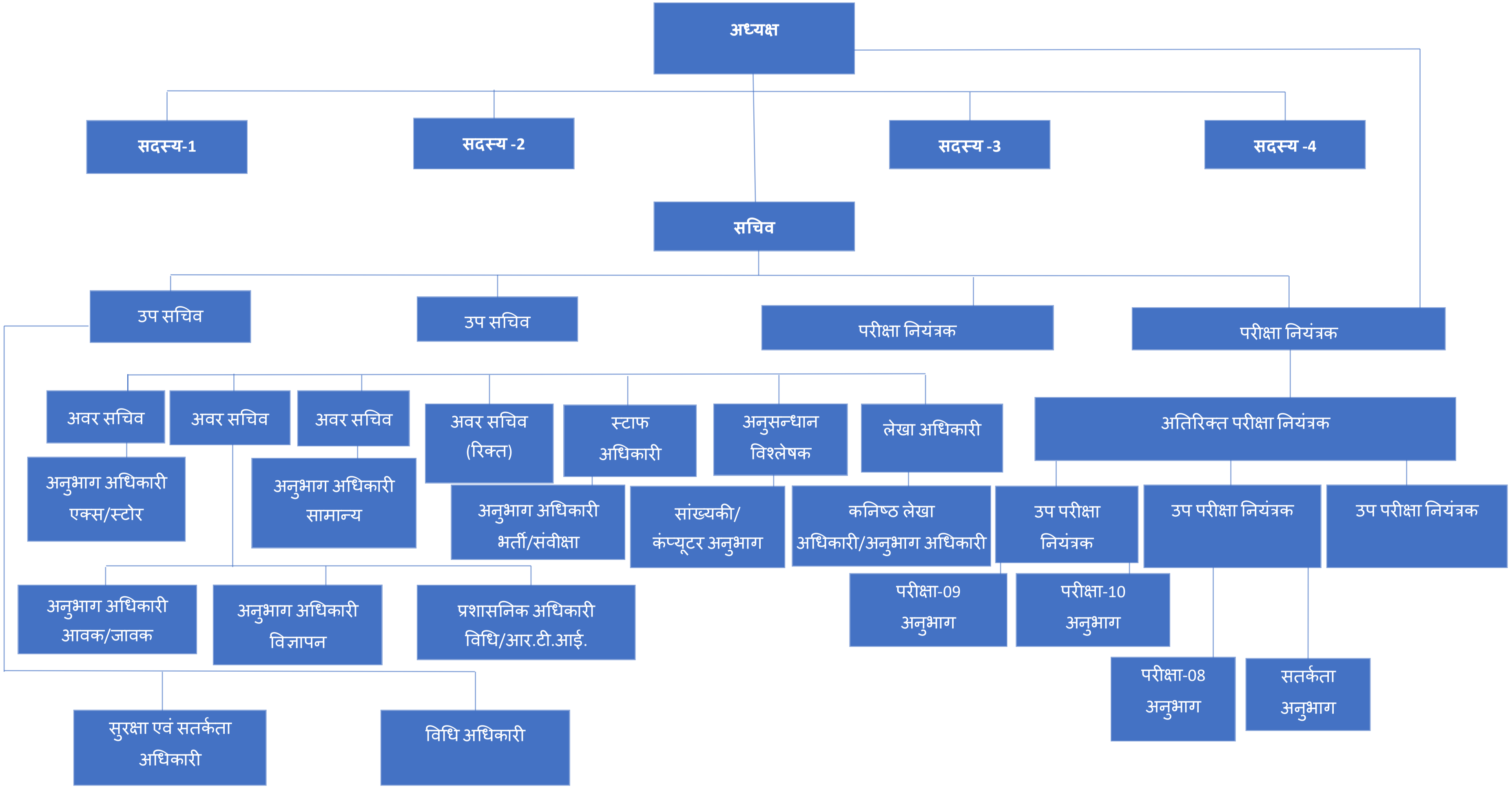

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.8.1, पृष्ठ संख्या 24)

रिक्तियों की स्थिति उपलब्ध न कराए जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में हुए विलंब का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र.सं.	विभागों का नाम	पदों का नाम	वह अवधि जिसके लिए रिक्त पदों के लिए आयोग को मांग नहीं भेजी गई	रिक्तियों की सूचना देने में लगा समय	रिक्त पदों की संख्या	आयोग को भेजी गई मांग की तिथि	आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की तिथि
1	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	निरीक्षक ग्रेड-I	2017-18 से 30-11-2020	44 माह	3	01-12-2020	23-09-2022
	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	निरीक्षक ग्रेड-II	2017-18 से 30-11-2020	44 माह	1	01-12-2020	23-09-2022
2	ऊर्जा विभाग	सहायक यंत्री (विद्युत सुरक्षा)	2017-18 से अक्टूबर 2019	31 माह	2	21-11-2019	14-11-2021
3	एम.पी. आवास विभाग	सहायक यंत्री (सिविल)	2017-18 से मई 2021	50 माह	19	28-06-2021	03-07-2022
		सहायक यंत्री (विद्युत)	2017-18 से मई 2021	50 माह	2	28-06-2021	-
		शाखा अधिकारी/संपदा अधिकारी	2017-18 से मई 2021	50 माह	11	28-06-2021	-
		कंप्यूटर प्रोग्रामर	2017-18 से मई 2021	50 माह	2	28-06-2021	-
4	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सहायक यंत्री (सिविल)	2017-18 से फरवरी 2021	38 माह	43	16-03-2021	-
		विद्युत/यांत्रिक	2017-18 से फरवरी 2021	38 माह	3	18-03-2021	-

क्र.सं.	विभागों का नाम	पदों का नाम	वह अवधि जिसके लिए रिक्त पदों के लिए आयोग को मांग नहीं भेजी गई	रिक्तियों की सूचना देने में लगा समय	रिक्त पदों की संख्या	आयोग को भेजी गई मांग की तिथि	आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की तिथि
5	जेल विभाग	व्याख्याता अपराध विज्ञान/ व्याख्याता फॉरेंसिक विज्ञान	2017-18 से नवंबर 2022	68 माह	2	05-12-2022	-
		विधि अधिकारी	2017-18 से नवंबर 2022	68 माह	4	05-12-2022	-
		कल्याण अधिकारी	2017-18 से नवंबर 2022	68 माह	4	05-12-2022	-
		परिवीक्षा अधिकारी	2017-18 से नवंबर 2022	68 माह	3	05-12-2022	-
		उप यंत्री	2017-18 से नवंबर 2022	68 माह	2	05-12-2022	-
		योग			**101**		

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.9, पृष्ठ संख्या 26)

रिक्तियों को इस प्रकार प्रतिवेदित करने का विवरण जिसके परिणामस्वरूप राज्य की आरक्षण नीति के अनुपात में रिक्तियों की स्थिति का उल्लेख नहीं हुआ को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

क्र. सं.	पद का नाम	परीक्षा	विज्ञापन की तिथि	विज्ञापित पद	प्राप्त हुई मांग						मांग का श्रेणीवार प्रतिशत				
					अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.
1	सहायक यंत्री (सिविल)	राज्य यांत्रिकी सेवा 2022	30-12-2022	18	9	2	0	5	2	**18**	50	11	0	28	11
2	जिला आबकारी अधिकारी	राज्य सेवा परीक्षा 2022	30-12-2022	7	1	3	1	2	0	**7**	14	43	14	29	0
3	आबकारी उप निरीक्षक	राज्य सेवा परीक्षा 2022	30-12-2022	53	0	17	23	12	1	**53**	0	32	43	23	2
4	म.प्र. वित्त सेवाएँ	राज्य सेवा परीक्षा 2022	30-12-2022	7	1	1	1	4	0	**7**	14	14	14	57	0
5	म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवाएं	राज्य सेवा परीक्षा 2022	30-12-2022	54	23	6	9	11	5	**54**	43	11	17	20	9
6	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार 2022	03-11-2022	4	2	0	1	1	0	**4**	50	0	25	25	0
7	सहायक यंत्री (सिविल)	राज्य यांत्रिकी सेवा 2021	30-12-2021	139	30	18	46	34	11	**139**	22	13	33	24	8
8	सहायक यंत्री (सिविल)	राज्य यांत्रिकी सेवा 2021	30-12-2021	33	16	0	14	0	3	**33**	48	0	42	0	9
9	सहायक यंत्री (यांत्रिक)	राज्य यांत्रिकी सेवा 2021	30-12-2021	5	3	0	2	0	0	**5**	60	0	40	0	0
10	वन रेंजर	राज्य वन सेवा 2021	22-12-2021	40	0	6	7	23	4	**40**	0	15	18	58	10

क्र. सं.	पद का नाम	परीक्षा	विज्ञापन की तिथि	विज्ञापित पद	प्राप्त हुई मांग						मांग का श्रेणीवार प्रतिशत				
					अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.
11	उप रजिस्ट्रार	राज्य सेवा परीक्षा 2021	22-12-2021	12	0	3	2	5	2	**12**	0	25	17	42	17
12	सहायक यंत्री (सिविल)	राज्य यांत्रिकी सेवा 2021	30-12-2021	24	0	2	14	6	2	**24**	0	8	58	25	8
13	एम.पी. अधीनस्थ लेखा सेवा	राज्य सेवा परीक्षा 2021	22-12-2021	87	20	2	23	33	9	**87**	23	2	26	38	10
14	सहायक आयुक्त एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति	राज्य सेवा परीक्षा 2021	22-12-2021	6	3	1	0	2	0	**6**	50	17	0	33	0
15	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	राज्य सेवा परीक्षा 2021	22-12-2021	20	0	4	5	9	2	**20**	0	20	25	45	10
16	खाद्य विश्लेषक	खाद्य एवं औषधि विश्लेषक 2022	30-12-2022	4	2	0	1	1	0	**4**	50	0	25	25	0
17	औषधि विश्लेषक	खाद्य एवं औषधि विश्लेषक 2022	30-12-2022	7	3	1	1	2	0	**7**	43	14	14	29	0
18	उप निदेशक	तकनीकी शिक्षा 2023	13-03-2023	8	3	1	2	2	0	**8**	38	13	25	25	0
19	सहायक यांत्रिकी (सिविल)	राज्य यांत्रिकी सेवा 2021	30-12-2021	19	7	3	3	4	2	**19**	37	16	16	21	11
20	चिकित्सा अधिकारी	चिकित्सा अधिकारी 2021 (संशोधित)	08-02-2021	866	0	0	295	485	86	**866**	0	0	34	56	10
21	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा 2021	20-09-2021	129	25	12	63	21	8	**129**	19	9	49	16	6

क्र. सं.	पद का नाम	परीक्षा	विज्ञापन की तिथि	विज्ञापित पद	प्राप्त हुई मांग						मांग का श्रेणीवार प्रतिशत				
					अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.
22	क्षेत्र आयोजक/खंड विकास अधिकारी	राज्य सेवा परीक्षा 2018	12-12-2017	0 (पद प्रकाशित नहीं किये गए)	5	3	3	7	1	**19**	26	16	16	37	5
23	जिला आयोजक/सहायक परियोजना प्रशासक/सहायक निदेशक	राज्य सेवा परीक्षा 2018	12-12-2017	0 (पद प्रकाशित नहीं किये गए)	1	0	1	3	1	**6**	17	0	17	50	17
24	सहायक निदेशक प्रशासन/प्रशिक्षण	राज्य सेवा परीक्षा 2018	12-12-2017	12	6	2	4	0	0	**12**	50	17	33	0	0
25	श्रम अधिकारी	राज्य सेवा परीक्षा 2019	14-11-2019	4	1	0	0	3	0	**4**	25	0	0	75	0
				1,558											

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.10.2, पृष्ठ संख्या 28)

वर्ष 2016 एवं 2017 अधिसूचनाओं में प्रकाशित सहायक प्राध्यापकों के पदों की तुलना

क्र. सं.	विषय	वर्ष 2016 की अधिसूचना के अनुसार पद	वर्ष 2017 की अधिसूचना के अनुसार पद	पदों का संशोधन	टिप्पणियां
1	गृह विज्ञान	अनारक्षित- 7	अनारक्षित-0	अनारक्षित- (-7)	7 पद (अनारक्षित) रद्द किए गए थे।
2	अरबी	अनारक्षित- 1 अनुसूचित जनजाति- 2	अनारक्षित- 0 अनुसूचित जनजाति- 0	अनारक्षित-(-1) अनुसूचित जनजाति-(-2)	1 पद (अनारक्षित) एवं 2 पद (अनुसूचित जनजाति) रद्द किए गए थे।
3	भूविज्ञान	अनारक्षित- 9	अनारक्षित- 0	अनारक्षित-(-9)	9 पद (अनारक्षित) रद्द किए गए थे।
4	लोक प्रशासन	अनारक्षित- 2 अनुसूचित जाति-1	अनारक्षित- 0 अनुसूचित जाति -0	अनारक्षित- (-2) अनुसूचित जाति -(-1)	2 पद (अनारक्षित) एवं 1 पद (अनुसूचित जाति) रद्द कर दिए गए थे।
5	रक्षा विज्ञान	अनारक्षित- 3	अनारक्षित- 0	अनारक्षित-(-3)	3 पद (अनारक्षित) रद्द किए गए थे।
6	संगीत	अनारक्षित- 2	अनारक्षित- 0	अनारक्षित- (-2)	2 पद (अनारक्षित) रद्द किए गए थे।

परिशिष्ट-2.6 (क)

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.12.1, पृष्ठ संख्या 30)

परीक्षाओं के कैलेंडर में नियोजित लेकिन अविज्ञापित परीक्षाओं का विवरण

क्र.सं.	कैलेंडर के अनुसार वर्ष	परीक्षा का नाम	कैलेंडर के अनुसार संभावित तिथि
1	2018	राज्य यांत्रिकी सेवा 2018	जनवरी-2018
2	2018	चिकित्सा सेवाएं 2018	फरवरी-2018
3	2019	राज्य यांत्रिकी सेवा 2019	फरवरी-2019
4	2019	सहायक भूविज्ञानी	मार्च-2019
5	2019	खनन अधिकारी	मार्च-2019
6	2019	खनन निरीक्षक	मार्च-2019
7	2019	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी, जंतु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	मार्च-2019
8	2019	सहायक निदेशक बागवानी	मार्च-2019
9	2019	सहायक निदेशक, मत्स्य पालन	अप्रैल-2019
10	2020	सहायक भूविज्ञानी परीक्षा	मार्च-2020
11	2020	खनन अधिकारी	मार्च-2020
12	2020	खनन निरीक्षक	मार्च-2020
13	2020	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी, जंतु विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	अप्रैल-2020
14	2020	प्रधानाचार्य ग्रेड 1 एवं 2	अप्रैल-2020
15	2020	सहायक निदेशक, बागवानी	मई-2020
16	2020	सहायक निदेशक, मत्स्य पालन	मई-2020

परिशिष्ट- 2.6 (ख)

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.12.1, पृष्ठ संख्या 30)

वार्षिक कैलेंडर में शामिल किए बिना विज्ञापन प्रकाशित करना/परीक्षा आयोजित करना

क्र. सं.	वर्ष	विज्ञापन की तिथि	परीक्षा का नाम	कुल पद
1	2018	01.03.2018	सहायक निदेशक (योजना)	12
2	2018	03.05.2018	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा 2018	29
3	2018	29.05.2018	पुस्तकालयाध्यक्ष एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018 (पुस्तकालयाध्यक्ष)	308
		29.05.2018	पुस्तकालयाध्यक्ष एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018 (खेल अधिकारी)	311
4	2018	31.07.2018	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा 2018	188
5	2019	15.02.2019	क. चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2019 (बैकलॉग)	1,065
			ख.बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन परीक्षा 2019	67
6	2021	08.02.2021	चिकित्सा अधिकारी 2020	866
7	2021	28.12.2021	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	692
8	2021	28.12.2021	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	43
9	2021	30.12.2021	वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	13
		30.12.2021	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)	15
		30.12.2021	वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	16
10	2021	30.12.2021	व्याख्याता मनोविज्ञान	1
11	2021	30.12.2021	सम्पदा अधिकारी/शाखा प्रबंधक` परीक्षा 2021	11
12	2021	30.12.2021	यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	28
13	2022	01.02.2022	डेंटल सर्जन 2022	193
14	2022	27.06.2022	सिस्टम एनालिटिक्स एवं प्रोग्रामर	3
15	2022	25.07.2022	बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन	74
16	2022	20.07.2022	चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (स्त्री रोग विशेषज्ञ)	153
17	2022	27.07.2022	चिकित्सा अधिकारी 2022	160
18	2022	28.07.2022	चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (हड्डी रोग)	57
19	2022	29.07.2022	चिकित्सा विशेषज्ञ 2022 (निश्चेतना विज्ञान)	96
20	2022	17.08.2022	क. चिकित्सा विशेषज्ञ (नेत्र) 2022	29
		17.08.2022	ख. चिकित्सा विशेषज्ञ (बाल रोग) 2022	128
		17.08.2022	ग . चिकित्सा विशेषज्ञ (सर्जरी) 2022	159
		17.08.2022	घ. चिकित्सा विशेषज्ञ (कान, नाक, गला) 2022	21
		17.08.2022	ड . चिकित्सा विशेषज्ञ (क्षय रोग) 2022	13

क्र. सं.	वर्ष	विज्ञापन की तिथि	परीक्षा का नाम	कुल पद
		17.08.2022	च. चिकित्सा विशेषज्ञ (रेडियोलॉजी) 2022	24
		17.08.2022	छ. चिकित्सा विशेषज्ञ (पैथोलॉजी) 2022	34
21	2022	03.11.2022	रजिस्ट्रार परीक्षा 2022	4
22	2022	30.12.2022	चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2022	1,456
23	2022	30.12.2022	खाद्य विश्लेषक 2022	4
			औषधि विश्लेषक 2022	7
24	2023	13.03.2023	तकनीकी शिक्षा 2023 (प्रधानाचार्य ग्रेड I)	29
			तकनीकी शिक्षा 2023 (उप निदेशक)	8
			तकनीकी शिक्षा 2023 (प्रधानाचार्य ग्रेड II)	96
			तकनीकी शिक्षा 2023 (सहायक निदेशक)	48
25	2023	13.03.2023	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन 2023	80
26	2023	13.03.2023	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ होम्योपैथी 2023	1
27	2023	13.03.2023	सहायक निदेशक/जिला सांख्यिकी अधिकारी 2023	3
28	2023	13.03.2023	खनन अधिकारी 2023	5
			कुल	**6,550**

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.12.2, पृष्ठ संख्या 31)

विज्ञापन के प्रकाशन में एक माह से अधिक विलंब

क्र. सं.	वर्ष	मांग की तिथि	परीक्षा का नाम	विज्ञापन की तिथि	विलम्ब (दिन में)	कुल पद
1	2018	16-01-2018	सहायक निदेशक (योजना)	01-03-2018	14	12
2	2018	03-01-2018	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा 2018	03-05-2018	90	29
3	2018	14-05-2018	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा 2018	31-07-2018	48	188
4	2019	16-09-2019	सहायक निदेशक कृषि (क्षेत्र एवं विस्तार) 2019	01-11-2019	16	37
5	2019	03-03-2018	सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी) 2019	26-11-2019	603	1
6	2020	28-02-2020	व्याख्याता आयुष	25-09-2020	180	87
7	2020	29-02-2020	क. चिकित्सा अधिकारी 2020 (गैर-चिकित्सा)	05-12-2020	250	1
		28-02-2020	ख. चिकित्सा अधिकारी 2020 (चिकित्सा)	05-12-2020	251	4
8	2021	03-09-2019	सहायक निदेशक (संवर्ग)	08-02-2021	494	19
9	2021	08-04-2021	सहायक जिला अभियोजन अधिकारी 2021	07-06-2021	30	256
10	2021	30-03-2021	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो एवं कंप्यूटर) 2021	23-06-2021	55	15
11	2021	10-12-2020	सहायक प्रबंधक 2021 (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	07-07-2021	179	63
12	2021	29-01-2021	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा	20-09-2021	204	129
13	2021	28-06-2021	कंप्यूटर प्रोग्रामर	14-12-2021	139	2
14	2021	18-08-2021	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	28-12-2021	102	692
15	2021	18-08-2021	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	28-12-2021	102	43
16	2021	26-11-2021	वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	30-12-2021	04	13
		29-11-2021	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)	30-12-2021	01	15
		26-11-2021	वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	30-12-2021	04	13

क्र. सं.	वर्ष	मांग की तिथि	परीक्षा का नाम	विज्ञापन की तिथि	विलम्ब (दिन में)	कुल पद
17	2021	02-08-2021	व्याख्याता मनोविज्ञान	30-12-2021	120	1
18	2021	28-06-2021	संपदा अधिकारी/शाखा प्रबंधक परीक्षा 2021	30-12-2021	155	11
19	2022	22-06-2022	सहायक रजिस्ट्रार परीक्षा 2022	25-07-2022	03	13
20	2022	15-03-2022	बीमा चिकित्सा अधिकारी/ सहायक सर्जन	25-07-2022	102	74
21	2022	11-07-2022	चिकित्सा विशेषज्ञ 2022	17-08-2022	07	422
22	2022	22-06-2022	रजिस्ट्रार परीक्षा 2022	03-11-2022	104	4
23	2022	01-11-2022	चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2022	30-12-2022	29	1456
24	2022	16-07-2021	खाद्य विश्लेषक 2022	30-12-2022	502	4
		16-07-2021	औषधि विश्लेषक 2022	30-12-2022	502	7
25	2023	01-02-2023	तकनीकी शिक्षा 2023 (प्रधानाचार्य ग्रेड I)	13-03-2023	10	29
		01-02-2023	तकनीकी शिक्षा 2023 (उप निदेशक)	13-03-2023	10	8
		16-08-2022	तकनीकी शिक्षा 2023 (प्रधानाचार्य ग्रेड II)	13-03-2023	179	96
		16-08-2022	तकनीकी शिक्षा 2023 (सहायक निदेशक)	13-03-2023	179	48
26	2023	18-11-2022	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन 2023	13-03-2023	85	80
27	2023	28-12-2022	सिस्टम एनालिस्ट 2023	13-03-2023	45	2
28	2023	21-10-2022	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी/आयुष में विशेषज्ञ होम्योपैथी 2023	13-03-2023	113	1
29	2023	24-11-2022	सहायक निदेशक योजना 2023	13-03-2023	79	3
30	2023	20-12-2022	खनन अधिकारी 2024	13-03-2023	53	5
कुल					**औसत 136 दिन**	**3,883**

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.12.3, पृष्ठ संख्या 32)

चयन प्रक्रिया में विलम्ब

क्र. सं.	वर्ष	विज्ञापन की तिथि	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	टियर	परीक्षा को अंतिम रूप देने की नियत तिथि	अंतिम परिणाम	परीक्षा आयोजित करने में विलंब
1	2018	01.03.2018	सहायक निदेशक (योजना)	12	सीधा साक्षात्कार	31.08.2018	22-07-2019	10 माह
2	2019	01.11.2019	सहायक निदेशक कृषि (क्षेत्र एवं विस्तार) 2019	37	2	31.10.2020	19-12-2022	25 माह
3	2019	26.11.2019	सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी) 2019	1	सीधा साक्षात्कार	25.11.2020	28-10-2020	5 माह
4	2019	28.11.2019	डेंटल सर्जन 2019	2	2	27.11.2020	23-08-2022	24 माह
5	2020	05.12.2020	क. चिकित्सा अधिकारी (गैर-चिकित्सा) 2020	1	सीधा साक्षात्कार	04.12.2021	17-12-2021	7 माह
			ख. चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा) 2020	4	सीधा साक्षात्कार		17-12-2021	
6	2020	28.12.2020	राज्य सेवा परीक्षा 2020	260	3	27.06.2022	09-06-2023	11 माह
7	2020	29.12.2020	राज्य यांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 क. सहायक यंत्री सिविल	72	2	28.12.2021	29-11-2022	11 माह
		29.12.2020	ख. सहायक यंत्री (ऊर्जा सुरक्षा) एवं विद्युत निरीक्षक	2	2	28.12.2021	18-11-2022	11 माह
		29.12.2020	ग. डिप्टी एस.पी. (एम.टी.)	1	2	28.12.2021	18-08-2022	7 माह

क्र. सं.	वर्ष	विज्ञापन की तिथि	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	टियर	परीक्षा को अंतिम रूप देने की नियत तिथि	अंतिम परिणाम	परीक्षा आयोजित करने में विलंब
		29.12.2020	घ . बॉयलर- ग्रेड I	3	सीधा साक्षात्कार	28.06.2021	28-12-2022	18 माह
8	2021	08.02.2021	सहायक निदेशक (संवर्ग) 2021	19	2	07.02.2022	01-11-2022	8 माह
9	2021	14.06.2021	चिकित्सा अधिकारी 2021	576	सीधा साक्षात्कार	13.12.2021	28-02-2022	2 माह
10	2021	07.07.2021	सहायक प्रबंधक 2021 (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	63	2	06.07.2022	27-03-2023	8 माह
11	2021	20.09.2021	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा 2021	129	2	19.09.2022	14-06-2023	8 माह
12	2021	14.12.2021	कंप्यूटर प्रोग्रामर	2	2	13.12.2022	05-09-2023	8 माह
13	2021	30.12.2021	यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021	28	2	29.12.2022	04-12-2023	11 माह
14	2021	30.12.2021	क. वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान)	13	सीधा साक्षात्कार	29.06.2022	03-03-2023	8 माह
			ख. वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी)	15	सीधा साक्षात्कार	29.06.2022	16-03-2023	8 माह
			ग. वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	16	सीधा साक्षात्कार	29.06.2022	21-03-2023	8 माह
15	2021	30.12.2021	व्याख्याता मनोविज्ञान	1	सीधा साक्षात्कार	29.06.2022	13-09-2022	2 माह
16	2022	25.07.2022	बीमा चिकित्सा अधिकारी/सहायक सर्जन	74	सीधा साक्षात्कार	24.01.2023	31-03-2023	2 माह
17	2022	17.08.2022	क. चिकित्सा विशेषज्ञ (नेत्र) 2022	29	सीधा साक्षात्कार	16.02.2023	04-05-2023	3 माह

क्र. सं.	वर्ष	विज्ञापन की तिथि	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	टियर	परीक्षा को अंतिम रूप देने की नियत तिथि	अंतिम परिणाम	परीक्षा आयोजित करने में विलंब
	2022	17.08.2022	ख. चिकित्सा विशेषज्ञ (बाल रोग) 2022	128	सीधा साक्षात्कार	16.02.2023	05-07-2023	4 माह
	2022	17.08.2022	ग. चिकित्सा विशेषज्ञ (सर्जरी) 2022	159	सीधा साक्षात्कार	16.02.2023	14-07-2023	5 माह
	2022	17.08.2022	घ. चिकित्सा विशेषज्ञ (कान, नाक, गला) 2022	21	सीधा साक्षात्कार	16.02.2023	25-04-2023	2 माह
18	2022	30.12.2022	चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2022	1,456	सीधा साक्षात्कार	29.06.2023	16-08-2023	1 महीना
			कुल	**3,124**				

परिशिष्ट- 2.9

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.14.3, पृष्ठ संख्या 39)

विभागीय पदोन्नति समिति में विलम्ब

क्र.सं.	प्रकरण सं.	प्रारंभ में प्रकरण प्राप्त करने की तारीख	विभाग को लौटाए जाने की तिथि	प्रकरण पुनः प्राप्त करने की तिथि	पदोन्नति के लिए अनुशंसा की तिथि	टिप्पणियां
1.	258/2003	26.05.15	09.01.19	20.05.19	27.04.19	पदोन्नति के लिए योग्य
2.	172/2011	24.05.16	10.01.19	17.12.20	10.08.22	पदोन्नति के लिए योग्य
3.	96/2011	26.05.16	09.01.19	20.01.20	28.01.20	पदोन्नति के लिए योग्य
4.	148/2004	02.08.16	09.01.19	17.01.20	28.01.20	पदोन्नति के लिए योग्य
5.	165/1988	26.10.16	09.01.19	24.07.19	23.11.19	पदोन्नति के लिए योग्य
6.	172/2011	20.10.16	23.01.19	1.09.20	26.08.21	योग्य नहीं
7.	55/2014	27.05.17	10.01.19	13.01.20	22.12.21	पदोन्नति के लिए योग्य
8.	205/1998	02.11.16 & 15.01.18	23.01.19	एम.पी.पी. एस.सी. द्वारा प्राप्त नहीं	--	--
9.	287/2015	28.07.16	23.01.19	09.10.19	14.02.20	दो व्यक्ति पदोन्नति के लिए योग्य हैं, एक पदोन्नति के लिए योग्य नहीं है
10.	171/2013	21.09.16	05.03.19	07.01.20	02.03.20	पदोन्नति के लिए योग्य
11.	49/2007	06.02.16	27.02.19	26.11.19	20.07.20	पदोन्नति के लिए योग्य
12.	108/2010	10.11.16	05.03.19	एम.पी.पी. एस.सी. द्वारा प्राप्त नहीं	--	--
13.	189/2014	13.01.17	30.03.19	08.08.22	दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया	पदोन्नति के लिए योग्य
14.	104/2013	18.12.15	20.03.19	नस्ती में कोई जानकारी संलग्न नहीं है	27.05.19	पदोन्नति के लिए योग्य
15.	311/2013	18.01.16	20.03.19	--	27.05.19	योग्य नहीं
16.	155/2010	12.07.17	20.03.19	--	27.05.19	पदोन्नति के लिए अयोग्य
17.	124/2015	26.07.17	06.03.19	--	27.05.19	पदोन्नति के लिए योग्य
18.	226/2013	06.02.16	13.03.19	03.05.19	06.05.19	पदोन्नति के लिए योग्य

क्र.सं.	प्रकरण सं.	प्रारंभ में प्रकरण प्राप्त करने की तारीख	विभाग को लौटाए जाने की तिथि	प्रकरण पुनः प्राप्त करने की तिथि	पदोन्नति के लिए अनुशंसा की तिथि	टिप्पणियां
19.	226/2013	25.04.16	20.03.19	24.05.19	17.08.20	सामान्य प्रशासन विभाग से अनुशंसा मांगी गई थी
20.	200/2014	03.03.16	13.03.19	16.01.20	28.01.20	02 व्यक्ति पदोन्नति के लिए योग्य 01 अयोग्य
21.	200/2014	28.11.17	30.03.19	14.09.21	23.06.22	पदोन्नति के लिए योग्य
22.	153/2005	04.04.16	30.03.19	20.06.19	06.07.19	पदोन्नति के लिए योग्य
23.	41/2014	30.05.16	30.03.19	27.06.19	तिथि का उल्लेख नहीं किया गया	पदोन्नति के लिए योग्य
24.	49/2014	12.04.16	30.03.19	एम.पी.पी. एस.सी. द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया गया	---	--
25.	151/2014	02.04.16	30.03.19	27.12.19	---	31.12.16 को सेवानिवृत्त हुए एवं पदोन्नति के लिए योग्य
26.	10/2012	02.08.16	30.03.19	28.06.19	04.10.19	शर्त के अनुसार पदोन्नति के लिए योग्य
27.	09/2005	06.10.16	30.03.19	28.06.19	04.10.19	वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति के लिए योग्य
28.	21/2014	15.12.16	30.03.19	28.06.19	04.10.19	पदोन्नति के लिए योग्य दो व्यक्तियों में से
29.	301/2006	27.04.15	30.03.19	विभाग द्वारा कोई पत्राचार नहीं	--	--
30.	333/2002	23.12.16	30.03.19	20.06.19	30.01.20	दो में से एक व्यक्ति की पदोन्नति लंबित है एवं दूसरा सेवानिवृत्त हो गया है।
31.	46/2009	03.03.17	30.03.19	20.06.19	29.07.19	पदोन्नति के लिए योग्य
32.	257/2012	21.08.17	30.03.19	20.06.19	30.01.20	पदोन्नति के लिए योग्य नहीं है।

क्र.सं.	प्रकरण सं.	प्रारंभ में प्रकरण प्राप्त करने की तारीख	विभाग को लौटाए जाने की तिथि	प्रकरण पुनः प्राप्त करने की तिथि	पदोन्नति के लिए अनुशंसा की तिथि	टिप्पणियां
33.	80/2012	03.03.17	30.03.19	24.05.19	25.05.19	न्यायालय में लंबित
34.	296/2009	02.06.18	23.01.19	27.07.19	18.06.20	पदोन्नति के लिए योग्य
35.	168/2014	27.09.18	30.01.19	12.07.19	21.10.19	पदोन्नति के लिए योग्य
36.	251/2012	19.12.18	10.01.19	16.07.19	25.01.20	पदोन्नति के लिए योग्य
37.	105/2014	13.04.18	28.0219	29.04.19	03.05.19	पदोन्नति के लिए योग्य
38.	171/2013	20.06.18	27.03.19	04.06.19	05.07.19	न्यायालय में लंबित
39.	156/2013	23.08.18	27.02.19	11.06.20	--	न्यायालय में लंबित
40.	111/2013	04.12.18	26.12.18	16.05.19	17.05.19	पदोन्नति के लिए योग्य
41.	111/2013	03.11.18	05.03.19	16.05.19	17.05.19	पदोन्नति के लिए योग्य
42.	146/2013	23.01.16	30.03.19	16.05.19	05.07.19	न्यायालय में लंबित
43.	178/1990	14.12.18	20.12.18	10.01.19	30.09.19	अगले डी.पी.सी. के लिए लंबित
44.	88/2010	29.05.18	13.03.19	13.11.19	05.03.20	पदोन्नति के लिए योग्य
45.	268/2010	08.10.18	13.03.19	26.07.19	04.10.19	न्यायालय में लंबित
46.	197/2014	01.03.19	27.03.19	02.03.19	19.07.19	पदोन्नति के लिए योग्य
47.	65/2014	22.05.18	30.03.19	21.06.19	09.12.19	सामान्य प्रशासन विभाग की राय के लिए लंबित

परिशिष्ट- 2.10

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.14.4, पृष्ठ संख्या 40)

विभागीय जांच के निराकरण में विलंब

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
1	एफ. 5-9 / 2017 / वी. - 5/22 / स्था. भोपाल दिनांक 16.11.2017	07.12.2017	श्री श्रीप्रकाश चतुर्वेदी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पाटन, जिला जबलपुर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई	26.12.2017	19 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/22.01.2018 एवं सदस्य-2/12.03.2018	76 दिन	संख्या.1086/189/2017/जी.एस. दिनांक 19.04.2018	38 दिन	133
2	एफ. 19-2/2016/12-2 भोपाल दिनांक 20-06-2016	25.06.16, पुनः 14.12.2017 को प्राप्त	श्री आर.पी .एस. भदौरिया, तत्कालीन खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर (वर्तमान खनिज अधिकारी, जिला दमोह के विरुद्ध विभागीय जांच के पश्चात दण्ड का निर्धारण करने के संबंध में लोक सेवा आयोग की राय/सहमति प्रदान करने के संबंध में)	03.09.2016 , पुनः प्रस्तुति 12.01.2018	70 दिन 29 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	विभाग को 14.09.2016 एवं 18.01.2017 को भेजा गया पत्र (126 दिन पश्चात्)	सदस्य-3/2.04.2018 एवं सदस्य-2/20.03.2018	67 दिन	संख्या.9732/98/2016/जी.एस. दिनांक 14.09.2016 1062/98/2016/जी.एस. दिनांक 19.04.2018	30 दिन	126
3	एफ 16-4/पी-5/06/ 1./25	17.01.12, पुनः	तत्कालीन सहायक परियोजना प्रशासक श्री	15.02.2012	29 दिन 5 दिन	अपूर्ण अभिलेखों के	विभाग को 29.02.2012 को	सदस्य-1/09.06.2017	19 दिन	संख्या 18917/266/1	19 दिन	36

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
	भोपाल दिनांक 02-01-2012	30.05.2017 को प्राप्त	बी.एल.परमार के विरुद्ध जांच	पुनः 05.06.2017 को प्रस्तुत किया गया		कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	भेजा गया पत्र, दिनांक 7.11.2012, 29.05.2013 को भेजा गया अनुस्मारक (187 दिन के पश्चात्), 22.01.2015 (603 दिन के पश्चात्), 4.03.2015 (39 दिन के पश्चात्) 26.08.2015, (180 दिन के पश्चात्) (180 दिन के पश्चात्) (558 दिन पश्चात्)	एवं सदस्य-2/16.06.2017		1/जीएस दिनांक 29.02.2012 संख्या 5614/266/2011/जीएस दिनांक 5.07.2017		
4	एफ 16/50/2017/ पी-2/31	27.11.2017	श्री एस. एन. वर्मा, तत्कालीन सहायक यंत्री (सेवानिवृत दिनांक 30.06.2017) एवं श्री एस.	26.12.2017	29 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/22.01.2018 एवं सदस्य-2/12.03.2018	76 दिन	संख्या.630/181/2017/जीएस दिनांक 11.04.2018	30 दिन	135

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
	भोपाल दिनांक 20-11-2017		पी. भुमरकर, तत्कालीन उप यंत्री (वरिष्ठ सहायक यंत्री 31.01.2016) जल संसाधन उपसंभाग आमला, जिला बैतूल के विरुद्ध विभागीय जांच									
5	673/आर-1118/2017/पी-2/3 भोपाल दिनांक 13-08-18	20.08.2018	अपील प्रतिनिधित्व - श्री डी.पी.एस. बागड़ी, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, लोक संसाधन विभाग	06.09.2018	17 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/18.09.2018 एवं सदस्य-2/23.10.2018	47 दिन	संख्या.1718/94 /2018/जीएस दिनांक 14.05.2019	203 दिन	267
6	एफ 16-16/2014/पी-2/3 भोपाल दिनांक 23-12-2016	31.12.2016	श्री डी.पी.एस. बागड़ी, कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच	13.01.2017	13 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/27.01.2017 एवं सदस्य-2/28.01.2017	15 दिन	संख्या.17237/2015/2016/जीएसडी एवं 03.02.2017	6 दिन	34
7	एफ 9-47/2001/10-1 भोपाल दिनांक 13-10-2016	पुनः दिनांक 1.12.2018 को 22.10.2	श्री राघवेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक वन संरक्षक, इंदौर के विरुद्ध अपराध वाद क्रमांक 56/2001 एवं 71/2001	26.10.2016, पुनः प्रस्तुतीकरण 4.12.2018	4 दिन 3 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	विभाग को 9.11.2016 को पत्र भेजा गया और 13.06.2018 को	सदस्य-1/06.12.2018 एवं सदस्य-2/7.12.2018	3 दिन	संख्या.15942/164/2016/जीएस दिनांक 09.01.2019	33दिन	39

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
		016 को प्राप्त					अनुस्मारक जारी किया गया (581 दिनों के बाद)					
8	एफ 9-54 / 2013 / 10-1 भोपाल दिनांक 03-05-2014	पुनः दिनांक 4.7.201 8 को 19.05.2 014प्राप्त	2 श्री ए.एल. पामेशबाड़ी, सेवानिवृत्त वन रेंजर, इन्द्रावती बाघ रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के विरुद्ध विभागीय जांच।	11.06.2014 पुनः प्रस्तुतीकरण 11.7.2018	23 दिन 7 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	विभाग को भेजे गए पत्र 25.06.2014 (14 दिनों के बाद), 22.01.2015 (211 दिनों के बाद), 09.03.2017 (777 दिनों के बाद) और 07.02.2018 (335 दिनों के बाद) को अनुस्मारक जारी किए गए	सदस्य-1/24.07.2018 एवं सदस्य-2/25.07.2018	14 दिन	नहीं।। 8999/37/2014/जीएस दिनांक 23.08.2018	29 दिन	50
9	एफ 9-47/2013/10- भोपाल दिनांक 15-07-2014	पुनः 02.02.2 019 को	श्री ए. के. तायवड़े, वन परिक्षेत्र अधिकारी, तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी, जशपुर वन	06.09.2014 पुनः	46 दिन	आदेश के लिए	24.09.2014 को विभाग को भेजे गए पत्र (18 दिनों के बाद),	सदस्य-1/22.03.2019	42 दिन	एफ.317/117/ 2014/जीएस दिनांक 11.04.2019	15 दिन	68

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
		22.07.2014 प्राप्त	प्रभाग (छत्तीसगढ़) के विरुद्ध विभागीय जांच	प्रस्तुतीकरण 13.02.2019	11 दिन		22.01.2015 को (120 के बाद), 09.03.2017 (777 के बाद) और 07.02.2018 (335 के बाद) को जारी अनुस्मारक	एवं सदस्य-2/27.03.2019				
10	एफ 9-45 / 2013 / 10-1 भोपाल दिनांक 18-07-2014	22.07.2014	श्री एस. पी. राजपाल, सेवानिवृत्त वन रेंजर, मडीखेड़ा डूब क्षेत्र प्रभारी, वन प्रभाग, शिवपुरी के विरुद्ध विभागीय जांच।	5.09.2014	45 दिन	अपूर्ण अभिलेखों के कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	विभाग को 14.10.2014 को भेजा गया पत्र, 22.01.2015 को जारी अनुस्मारक (अनुस्मारक के लिए 100 दिन) और 9.03.2017 (अनुस्मारक के लिए 777 दिन)	पूर्ण अभिलेख वाला पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ		पूर्ण अभिलेख वाला पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ		
11	एफ 16-8/2011/1/25 भोपाल दिनांक 04.10.2011	7.10.2011, पुनः 22.05.2	विभागीय जांच-श्री ए.के. त्रिपाठी, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत परसवाड़ा,	17.11.2011	41 दिन 21 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग	24.11.2011 को विभाग को भेजा गया पत्र, 01.02.2012 को	सदस्य-2/19.06.2018 एवं सदस्य-3/21.06.2018	9 दिन	संख्या.7493/185/2011/जीएस	35 दिन	65

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
		018 को प्राप्त	जिला बालाघाट, वर्तमान में रामा जिला झाबुआ	पुनः प्रस्तुतीकरण 12.06.2018		को भेजने के संबंध में	(69 दिनों के बाद) और 21.03.13 (414 दिनों के बाद) 22.01.2015 (672 दिनों के बाद) और 7.03.2017 (774 दिनों के बाद) को अनुस्मारक जारी किया गया			दिनांक 26.07.2018		
12	एफ ए 6 (ए) 31/2017/1/पांच भोपाल दिनांक 15.09.2017	26.09.2017, पुनः दिनांक 26.03.2019 को प्राप्त	श्री दिगंबर दशरिये, वाणिज्यिक कर निरीक्षक, जबलपुर के खिलाफ अपराध प्रकरण संख्या 257/2015।	09.10.2017, पुनः 24.04.2019 को प्रस्तुत करना	13 दिन 6 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	विभाग को 15.11.2017 को भेजा गया पत्र, 19.03.2019 को जारी अनुस्मारक (489 दिनों के बाद जारी किया गया)	सदस्य-1/08.04.2019 एवं सदस्य-2/15.04.2019	14 दिन	संख्या.938/137 /2017/जीएस दिनांक 01.05.2019	16 दिन	36
13	एफ 16-33/2013/पी-2/3	03.02.2018	श्री अजय शर्मा, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एवं अन्य जल	09.04.2018	65 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-2/17.04.2018	16 दिन	संख्या.2623/230/2017/जीएस	21 दिन	102

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
	भोपाल दिनांक 23.01.18		संसाधन विभाग के विरूद्ध विभागीय जांच					एवं सदस्य-3/25.04.2018		दिनांक 16.05.2018		
14	15049/74/22 /वी-15/अपील/2016 भोपाल दिनांक 12.12.2017	पुनः दिनांक 18.12.2017, पुनः 23.02.2019 को प्राप्त	आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश क्रमांक प्र.क्यू./विकास/स्था. 23-4/28/2013/286 दिनांक 11/01/2016 को तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, करैरा, जिला शिवपुरी में पारित सजा के विरुद्ध अपील प्रकरण।	22.12.2017 , पुनः 29.03.2019 को प्रस्तुतीकरण	43 दिन 34 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	विभाग को भेजा गया पत्र 13.02.2018	सदस्य-1/11.04.2019 एवं सदस्य-3/15.04.2019	17 दिन	संख्या.1721/204/2017/जीएस दिनांक 14.05.2019	29 दिन	80
15	एफ 5-4/2009/2009 /1/34 भोपाल दिनांक 30।11।2017	12.12.2017 और 10.01.2019	विभागीय जांच श्री एच.एस. धुर्वे, कार्यालय यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	06.01.2017 और 31.01.2019	25 दिन21 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	विभाग को 01.02.2018 को पत्र भेजा गया।	सदस्य-1/6.03.2019 एवं सदस्य-3/15.03.2019	43 दिन	नहीं।। 935/193/2017/जीएस दिनांक 01.05.2019	47 दिन	111
16	एफ 608/1367/2015/वी-5/22स्था.	05.06.2018,	श्री रघुनाथ खरौले, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिहौर के	21.06.2018 पुनः	16 दिन 27 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग	विभाग को 4.07.2018 को भेजा गया पत्र अनुस्मारक 6.01.2020 को	सदस्य-2/10.11.2020 एवं सदस्य-3/19.11.2020	22 दिन	संख्या.6717/39 /2018/जीएस दिनांक 11.12.2020	22 दिन	71

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
	भोपाल दिनांक 01.06.2018	पुनः 1.10.2020 को प्राप्त	विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई	28.10.2020 को प्राप्त		को भेजने के संबंध में	जारी (551 दिनों के पश्चात्)					
17	एफ -6-29/2004/पैंतीस भोपाल दिनांक 25.02.2019	08.03.2019	डॉ. एन.पी.एस. भदौरिया, सेवानिवृत्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के विरुद्ध विभागीय जांच	09.04.2019	32 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-2/25.04.2019 एवं सदस्य-3/01.05.2019	22 दिन	संख्या.2143/225/2018/जीएस दिनांक 22.05.2019	21 दिन	75
18	एफ -16-15/2016/पी-2/31 भोपाल दिनांक 08.08.2017	21.08.2017	श्री ए.के. जैन, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन प्रभाग उमरिया के विरुद्ध विभागीय जांच	18.10.2017	58 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-4/16.11.2017 एवं सदस्य-3/20.11.2017	33 दिन	संख्या.12978/106/2017/जीएस दिनांक 06.12.2017	16 दिन	107
19	एफ -16-15/2015/पी-2/31 भोपाल दिनांक 12.07.2018	18.07.2018	अपील प्रतिनिधित्व श्री ए.के. जैन, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, संभाग उमरिया	31.07.2018	13 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/06..08.2018 एवं सदस्य 2/07.08.2018	07 दिन	संख्या.9601/71/2018/जीएस दिनांक 05.09.2018	29 दिन	49
20	एफ -568/आर-51/2017/पी-2/31	18.07.2018	अपील प्रतिनिधित्व श्री आर.एम. गौतम, तत्कालीन अनुभागीय	01.08.2018	14 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/10..08.201	12 दिन	संख्या.9600/72/2018/जीएस	23 दिन	49

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
	भोपाल दिनांक 12.07.2018		अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, अमानगंज					8 एवं सदस्य-2/13.08.2018		दिनांक 05.09.2018		
21	एफ -18-04/2013/पी-2/31 भोपाल दिनांक 16.05.2016	20.05.2016	श्री अखिल वार्ष्णेय, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना एवं अन्य के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच के संबंध में	02.08.2016	74 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/06.08.2016 एवं सदस्य-2/09.08.2016	7 दिन	संख्या.10465/55/2016/जीएस दिनांक 28.09.2016	50 दिन	131
22	4711/22/वी-3/ग्रेसे/17 भोपाल दिनांक 10-10-17	13.10.17	म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के तहत कारण बताओ नोटिस (श्री आर.के. तिवारी, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, ग्राइसे संभाग, रीवा, वर्तमान में ग्राइसे संभाग, शहडोल के संबंध में)।	24.10.17	11 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-2/23.12.2017	60 दिन	संख्या: 14851/146/2017/जीएस दिनांक | 10.01.18	18 दिन	89
23	क्र. एफ 9-25/2018/10-1 भोपाल दिनांक 28.09.18	09.10.18 पुनः 19.03.19 को	विभागीय जांच श्री बी.डी.दिनकर, वन परिक्षेत्र अधिकारी (सेवानिवृत्त), वन विभाग।	30.10.18 पुनः 30.03.19 को प्रस्तुतीकरण	21 दिन 11 दिन	अपूर्ण अभिलेख के कारण विभाग को पत्र भेजने के संबंध में	विभाग को 30.11.18 को पत्र जारी	सदस्य-1/08.04.19 सदस्य-2/15.04.19	16 दिन	संख्या: 920/125/2018/जीएस दिनांक 01.05.19	16 दिन	43

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
		प्राप्त हुआ										
24	475/637/2013/10-1 भोपाल दिनाँक 23.02.19	28.02.19	श्री आरआर त्रिपाठी, सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 26.05.2000 के शासकीय आदेश के विरूद्ध अपील।	11.04.19	42 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/29.04.19 सदस्य-1/2.05.19	21 दिन	संख्या.2476/223/2018/जीएस दिनांक 29.05.19	27 दिन	90
25	संख्या.673/आर-1118/2017/पी-2/31 भोपाल दिनांक13.08.2018	20.08.18	श्री डी.पी.एस. बागड़ी, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, रॉकफिल डैम, डिवीजन, देवलोंद का अपील प्रकरण संसद सदस्य के विचाराधीन पत्र द्वारा शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।	06.09.2018	17 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/18.09.18 सदस्य-2/23.10.18	47 दिन	संख्या.13517/**94**/2018/जीएस दिनांक-22/11/2018	30 दिन	94
26	क्रमांक एफ 18-01/2012/पी-2/31 भोपाल दिनांक-10.12.2018	10.01.19	विभागीय आदेश संख्या एफ 18-1/2012/पी-2 दिनांक 31.12.2014 के विरूद्ध अपील श्री पी.एस. ठाकुर, सहायक भूवैज्ञानिक।	01.02.2019	22 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/11.03.19 एवं सदस्य-2/19.03.19	46 दिन	संख्या.318/189/2018/जीएस दिनांक-11.04.19	23 दिन	91

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
27	क्रमांक एफ 15-55/1992/पी-2/31 भोपाल दिनांक-15.03.2019	20.03.19	श्री सी.के. खन्ना सेवानिवृत्त तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग		04.04.2019	15 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/16.04.19 एवं सदस्य-2/25.04.19	21 दिन	संख्या.948/235 /2018/जीएस दिनांक 01.05.19	6 दिन	42
28	क्रमांक एफ-17-37/2016/स्था. /19, भोपाल दिनांक-21.10.2018	28.12.18	अनुशासनात्मक कार्रवाई – श्री आर.के. खत्री, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री प्रभारी, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर (लोक निर्माण विभाग)	31.01.2019	34 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/06.03.19 एवं सदस्य-2/18.03.19	46 दिन	संख्या.634/178 /2018/जीएस दिनांक 24.04.19	37 दिन	117
29	क्रमांक एफ 17-41/2011/स्था. /19, दिनांक-26.12.2018	28.12.18	श्री बीके चौहान, तत्कालीन मुख्य यंत्री प्रभारी, उज्जैन एवं धारी सुनील कुमार जैन, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण प्रभाग, देवास के विरुद्ध विभागीय जांच। ।	09.01.2019	12 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/31.01.19 एवं सदस्य-2/13.02.19	35 दिन	संख्या.123/179 /2018/जीएस दिनांक 03.04.19	49 दिन	96
30	क्रमांक एफ 17-14/2009/स्था. /19,	29.03.19	राज्यपाल को अपील प्रस्तुत की श्री बी.के. विश्वकर्मा, कार्यपालन यंत्री।	25.04.2019	27 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/01.05.19 एवं सदस्य-02/04.05.19	9 दिन	संख्या.2489/244/2018/जीएस दिनांक-29.05.19	25 दिन	61

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
	भोपाल दिनांक-19।03।2019											
31	संख्या एफ 17-41/2015/स्था. /19, भोपाल दिनांक-19।03।2019	29.03.2019	राज्यपाल को अपील प्रस्तुत की गई श्री अनिल कुमार, कार्यपालन यंत्री।	10.04.2019	12 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/01.05.19 एवं सदस्य-2/04.05.19	24 दिन	संख्या.2482/246/2018/जीएस दिनांक 29.05.19	25 दिन	61
32	संख्या एफ 7-12/2014/सात -4ए भोपाल दिनांक-08/08/2018	20.08.2018	अपराध संख्या 159/2013 बनाम श्री एन.एस. गजेरिया, नायब तहसीलदार, बड़ा मलहरा जिला छतरपुर के विरूद्ध न्यायालय में आदेश अनुमोदित अभियोजन जारी करने के संबंध में	29.08.2018	09 दिन	आदेश के लिए		सदस्य/12.09.18 एवं सदस्य 18.09.18	20 दिन	संख्या.11646/95/2018/जीएस दिनांक 15.10.18	27 दिन	56
33	क्रमांक एफ 1(बी)96/2013 /बी-4/दो भोपाल दिनांक-08/01/2019	10.01.2019	विभागीय जांच-श्री अवनीश बंसल तत्कालीन एस.डी.ओ.पी. पवई, जिला पन्ना (वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक, ए.ए.वी., पु.मु. भोपाल)	30.01.2019	20 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1/08.03.19 एवं सदस्य-2/15.03.19	44 दिन	संख्या.284/185 /2018/जीएस दिनांक 10.04.19	26 दिन	90

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
34	संख्या 132/2729/2018/बी-4/दो भोपाल दिनांक-17/01/2019	30.01.2019	सुश्री पूजा गुप्ता, नवनियुक्त ए.डी.पी.ओ., छतरपुर को सेवा से अलग करने के संबंध में	04.02.2019	5 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1 22.03.19 एवं सदस्य-2 27.03.19	51 दिन	संख्या.947/199/2018/जीएस दिनांक-01.05.19	35 दिन	91
35	क्रमांक एफ 1(बी)157/2016/बी-4/दो भोपाल दिनांक-02/03/2019	12.03.19	श्री डी.के.दीक्षित, तत्कालीन एस.डी.ओ.पी., पथरिया, जिला दमोह (वर्तमान में सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर क्षेत्र ग्वालियर) के विरूद्ध विभागीय जांच	12.04.2019	31 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1 25.04.19 एवं सदस्य-2 27.04.19	15 दिन	संख्या.1716/226/2018/जीएस दिनांक-14.05.19	17 दिन	63
36	क्रमांक एफ 1(बी)12/2018/बी-4/दो भोपाल दिनांक-06/03/2019	12.03.2019	श्री पी.एन.मालवीय तत्कालीन थाना प्रभारी, खजराहो, जिला छतरपुर (वर्तमान में - सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक) के विरुद्ध विभागीय जांच	02.04.19	21 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1 23.04.19 एवं सदस्य-2 26.04.19	24 दिन	संख्या.1722/228/2018/जीएस दिनांक-14.05.19	18 दिन	63
37	संख्या 2104/22/वी-13/ग्रेयसे	04.03.2019	श्री शकील अहमद अंसारी तत्कालीन सहायक यंत्री, ग्रेसे, संभाग, उज्जैन,	16.04.19	13 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-I 29.04.19 एवं	16 दिन	संख्या 2146/03/201	20 दिन	49

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
	/व्यवस्थापक/2019 भोपाल दिनांक-29/03/2019		वर्तमान में सेवानिवृत्त से दिनांक 28.02.2014 की पेंशन वापस लेने के संबंध में।					सदस्य-2 02.05.19		9/जीएस दिनांक 22.05.19		
38	क्रमांक एफ 1(बी)09/2018 /बी-4/दो भोपाल दिनांक-27/06/2019	10.07.2019	श्री राजेन्द्र शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (अजाक), जिला अशोकनगर के विरुद्ध विभागीय जांच।	24.07.2019	14 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1 31.07.19 एवं सदस्य-2 05.08.19	12 दिन	संख्या.7047/43 /2019/जीएस दिनांक 11.09.19	37 दिन	63
39	बी-3/40/2018/2/एक भोपाल दिनांक 24/04/2019	27.04.2019	अपील – श्री वीरेन्द्र कुमार, रापसे तत्कालीन उप निदेशक, म.प्र. रा कृषि विपणन बोर्ड, मध्यप्रदेश राज्य अंचल कार्यालय, ग्वालियर, वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर, विकास प्राधिकरण, ग्वालियर।	06.05.2019	9 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1 13.05.19 एवं सदस्य-2 15.05.19	9 दिन	संख्या.2488/15 /2019/जीएस दिनांक 29.05.19	14 दिन	32
40	क्रमांक एफ 5-5/2017/ 1/34 भोपाल दिनांक-13/05/2019	29.05.2019	श्री के.एस. पंवार, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ब्लॉक	03.06.2019	5 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-I 14.06.19एवं सदस्य-2 18.06.19	15 दिन	संख्या.5108/**30** /2019/जीएस दिनांक 24.07.19	36 दिन	56

क्र. सं.	प्रकरण सं./ दिनांक	प्राप्त करने की तिथि	विषय	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करना	लिपिक द्वारा प्रस्तुत करने के लिए लिया गया समय	प्रस्तुत करने के लिए विषय	अभिलेख मांगने के लिए विभाग को भेजे गए पत्र की तिथि	सदस्य द्वारा अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए सदस्य द्वारा लिया गया समय	विभाग/राज्य शासन को भेजे गए पत्र का दिनांक एवं संख्या	विभाग/राज्य शासन को पत्र भेजने में लगने वाला समय	पत्र के निराकरणमें लगा कुल समय (दिन में)
			दमोह के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।									
41	क्रमांक एफ 4ए/47/2011/ 14-1 भोपाल दिनांक- 10/07/2019	19.07.2019	श्री एस के पयासी, तत्कालीन प्रधानाचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जावरा जिला रतलाम, वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं के विरुद्ध विभागीय जांच	27.07.2019	8 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-1 05.08.19 एवं सदस्य-2 08.08.19	12 दिन	संख्या.6536/44 /2019/जीएस दिनांक 28.08.19	20 दिन	40
42	क्रमांक एफ 1-20/2019 /52-1 भोपाल दिनांक- 04/12/2019	05.12.2019	श्रीमती वंदना फिलिप्स, तत्कालीन संयुक्त निदेशक रेशम, उप निदेशक रेशम कार्यालय इंदौर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।	19.12.2019	14 दिन	आदेश के लिए		सदस्य-I 06.01.20 एवं सदस्य-2 10.01.20	22 दिन	13379/107/2019/जीएस दिनांक 22.01.20	12 दिन	48
					5 से 74 दिन				**3 से 76 दिन**		**6 से 203 दिन**	**32 से 267**

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.15.1, पृष्ठ संख्या 42)

अवधि 2018-19 से 2022-23 के दौरान ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन न करना

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	मोड	अधिसूचना का वर्ष	विज्ञापन की तिथि	पद की संख्या
1	सहायक प्राध्यापक 2017	ऑनलाइन	2017	12-12-2017	3462
2	पुस्तकालयाध्यक्ष एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018 (पुस्तकालयाध्यक्ष)	ऑनलाइन	2018	29-05-2018	308
	पुस्तकालयाध्यक्ष एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018 (खेल अधिकारी)				311
3	सहायक रजिस्ट्रार 2018	ऑनलाइन	2018	03-05-2018	29
4	जिला आयुष अधिकारी 2018	ऑनलाइन	2015	31-03-2015	13
	वैज्ञानिक अधिकारी 2018 (रसायन विज्ञान)				1
	वैज्ञानिक अधिकारी 2018 (वनस्पति विज्ञान)				1
5	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा 2018	ऑनलाइन	2018	31-07-2018	188
6	सहायक निदेशक कृषि (क्षेत्र एवं विस्तार) 2019	ऑफ़लाइन	2019	01-11-2019	37
7	राज्य यांत्रिकी सेवा 2020 क. (सहायक यंत्री-सिविल)	ऑफ़लाइन	2020	29-12-2020	72
	ख. सहायक यंत्री (ऊर्जा सुरक्षा) एवं विद्युत निरीक्षक	ऑफ़लाइन	2020	29-12-2020	2
8	डेंटल सर्जन 2019	ऑफ़लाइन	2019	28-11-2019	2
9	सहायक निदेशक (संवर्ग) 2021	ऑफ़लाइन	2021	08-02-2021	19
10	सहायक प्रबंधक 2021	ऑफ़लाइन	2021	07-07-2021	63
11	राज्य यांत्रिकी सेवा 2021	ऑफ़लाइन	2021	30-12-2021	487
12	डेंटल सर्जन 2022	ऑफ़लाइन	2022	01-02-2022	193

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	मोड	अधिसूचना का वर्ष	विज्ञापन की तिथि	पद की संख्या
13	पशु चिकित्सा सहायक सर्जन परीक्षा 2021	ऑफ़लाइन	2021	20-09-2021	129
14	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी 2021	ऑफ़लाइन	2021	28-12-2021	692
15	होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 2021	ऑफ़लाइन	2021	28-12-2021	43
16	यूनानी चिकित्सा अधिकारी 2021	ऑफ़लाइन	2021	30-12-2021	28
17	उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो एवं कंप्यूटर) 2021	ऑफ़लाइन	2021	23-06-2021	15
18	संपदा प्रबंधक/शाखा अधिकारी 2021	ऑफ़लाइन	2021	30-12-2021	11
19	सहायक जिला अभियोजन अधिकारी 2021	ऑफ़लाइन	2021	07-06-2021	256

परिशिष्ट- 2.12

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.15.3, पृष्ठ संख्या 43)

आयोग के भर्ती नियमों से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग से पत्राचार की स्थिति

क्र. सं.	आयोग का पत्र सं. /दिनांक (सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा पत्र)	भेजे गए पत्र का संक्षिप्त विवरण	आयोग के पत्र सं./दिनांकित पर जी.ए.डी. का उत्तर	पत्र का संक्षिप्त विवरण
1	पत्र संख्या-14817/07/2006 दिनांक 18.12.13	मप्र लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम-1973 में संशोधन के संबंध में।	पत्र संख्या/एफ/6/6-40/2013 दिनांक 20.01.14	संशोधन विनियमन 1973 होना चाहिए न कि विनियमन 2013 (संशोधन केवल कुछ बिंदुओं पर है) जिन बिंदुओं में संशोधन किया जाना है, केवल उन्हें शामिल करे एवं पुनः भेजें।
2	संख्या-482/07/2006/स्था. दिनांक 01.03.14	हिंदी एवं अंग्रेजी में संशोधन अलग से भेजें।	क्रम संख्या। एफ 6-40 /2013 /1 भोपाल दिनांक 25.08.14	विनियम 1973 के स्थान पर विनियम 2014 के प्रकाशन के संबंध में, संलग्न परिशिष्ट के अनुसार संशोधन किया जाए एवं संशोधन हिन्दी एवं अंग्रेजी (हार्ड एवं सॉफ्ट) में पृथक से भेजे जाएं।
3	संख्या-559/07/2006/स्था. इंदौर दिनांक 30.05.14	अनुस्मारक पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी में संशोधन पृथक से भेजने के लिए	एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 15.2.16	इस संबंध में कि प्रस्तावित संशोधन से वित्तीय बोझ संभावित रूप से बढ़ेगा या नहीं।
4	संख्या-20610/07/2006/स्था. इंदौर दिनांक 18.12.15	संशोधित विनियम-2015 का प्रारूप एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष, सदस्य एवं सेवकों के कार्य संचालन एवं सेवा शर्तें) विनियम-1973 में संशोधन कर तुलनात्मक विवरण पत्र आगामी कार्यवाही हेतु भेजने के संबंध में।	क्र.सं. एफ 6-5/2016/1 भोपाल दिनांक 19.08.16	लोक सेवा आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल वेतन+ग्रेड वेतन के 15 प्रतिशत की दर से विशेष वेतन प्रदान करने तथा 10 रूपये/कि.मी. यात्रा व्यय के संबंध में।
5	संख्या-707/07/2016/सेंट इंदौर दिनांक 25.02.16 (प्रकाशन के लिए भेजा गया प्रस्ताव)	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य में अथवा राज्य के बाहर कार्यरत व्यक्तियों के लिए आगामी कार्यवाही तथा चयन एवं परीक्षा हेतु विनियम-1973 एवं संशोधित विनियम-2015 के प्रारूप एवं तुलनात्मक विवरण पत्र में संशोधन करके अधिकारियों/विशेषज्ञों से ली गई गोपनीय सेवाओं एवं चयन/परीक्षा के आयोजन से संबंधित भुगतान नियम-2016 का अंग्रेजी संस्करण भेजने के संबंध में।	क्र.सं.- एफ 6-1 /2016/1 भोपाल दिनांक 24.6.17	लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम-1973 कार्यकारी अध्यक्ष को 8.3 प्रतिशत विशेष वेतन का प्रावधान स्पष्ट नहीं है, वेतन वृद्धि की तिथि आयोग में शामिल होने की तिथि है, पूर्व सेवा के लिए प्राप्त पेंशन राशि में कमी, प्राप्त छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित, ए

क्र. सं.	आयोग का पत्र सं. /दिनांक (सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा पत्र)	भेजे गए पत्र का संक्षिप्त विवरण	आयोग के पत्र सं./दिनांकित पर जी.ए.डी. का उत्तर	पत्र का संक्षिप्त विवरण
				श्रेणी के लिए यात्रा भत्ता, सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के विशेष वेतन के संशोधन से संबंधित है। (वित्त विभाग द्वारा सुझाए गए संशोधनों को भेजने के संबंध में)
6	संख्या-25044/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 25.02.16	लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम-1973 एवं नियम-2015 में संशोधन के संबंध में यह बता पाना संभव नहीं है कि वित्तीय बोझ में वृद्धि होगी या नहीं,	क्र.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 23.8.17	शासन द्वारा अमान्य किए गए बिंदुओं को हटाने एवं संशोधित करने के बाद वित्त विभाग द्वारा सुझाई गई राय को शासन को भेजने के संबंध में।
7	संख्या.-26143/07/2006 /स्था., इंदौर दिनांक 08.03.16	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग विनियम-2015 प्रस्तावित प्रावधान से अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलन पत्रक भेजने के संबंध में।	क्र.सं.-एफ/6-1/2016 /1 भोपाल दिनांक 11.06.18	प्रारूप में संशोधन के संबंध में।
8	संख्या.-12031/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 03.11.16	असहमति निम्नलिखित प्रावधानों में दिखाई गई है – सचिव की नियुक्ति एवं वेतनमान एवं सेवा शर्तें तथा आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों को 15 प्रतिशत विशेष भत्ता, सचिवालय भत्ता, सहायक ग्रेड-1 में स्टोरकीपर के पद पर सहमति, उप परीक्षा नियंत्रक के पद को अवर सचिव के पद में परिवर्तित करना। उपर्युक्त मामलों में निजी सचिव के नए पद के सृजन के प्रावधान के संबंध में असहमति व्यक्त की गई थी।	सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 11.01.19	प्रस्तावित प्रारुप विनियम-2018 को नए बिंदुओं को शामिल करते हुए भेजने के संबंध में।
9	संख्या-13072/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 28.11.16 संदर्भ - (प्रकाशन के लिए)	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य में अथवा राज्य के बाहर कार्यरत व्यक्तियों के लिए आगामी कार्यवाही तथा चयन तथा परीक्षा हेतु विनियम-1973 एवं संशोधित विनियम-2015 के प्रारूप एवं तुलनात्मक विवरण पत्र में संशोधन किया जाएगा। अधिकारियों/विशेषज्ञों से ली गई गोपनीय सेवाओं एवं चयन/परीक्षा के आयोजन से संबंधित भुगतान नियम-2016 का अंग्रेजी संस्करण भेजा गया है।	क्र.सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 29.06.19	सामान्य प्रशासन विभाग में उपस्थिति के संबंध में लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम-1973 के स्थान पर विनियम 2019 तैयार करने के संबंध में।

क्र. सं.	आयोग का पत्र सं. /दिनांक (सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा पत्र)	भेजे गए पत्र का संक्षिप्त विवरण	आयोग के पत्र सं./दिनांकित पर जी.ए.डी. का उत्तर	पत्र का संक्षिप्त विवरण
10	संख्या.-13838/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 19.12.16 (प्रकाशन से संबंधित)	अनुस्मारक पत्र विनियमन-1973 में संशोधन करने तथा संशोधित विनियम-2015 एवं भुगतान नियम-2016 के हिंदी, अंग्रेजी प्रारूप एवं तुलनात्मक विवरण पत्रक प्रकाशित करने के अनुरोध, आगे की कार्यवाही आदि के संबंध में।	क्र.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 14.01.20	विनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधन पर वित्त विभाग की राय प्राप्त होने के बाद प्रस्ताव में संशोधन कर भेजा जाएगा।
11	संख्या.-5200/07/2006 /स्था., इंदौर दिनांक 27.06.17	लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम-1973 यह कार्यकारी अध्यक्ष के 8.3% विशेष वेतन, पूर्व सेवा की पेंशन में कटौती, प्राप्त छुट्टी के नकदीकरण, ए श्रेणी के लिए यात्रा भत्ता, सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के विशेष वेतन के संशोधन से संबंधित है।	सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 11.06.20	आयोग की राय के साथ मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अन्य संवैधानिक आयोगों को पेंशन पात्रता के प्रचलित प्रावधानों को भेजने के संबंध में।
12	संख्या.-8427/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 18.08.17	शासन द्वारा मांगी गई जानकारी पर वित्त विभाग द्वारा बिंदुवार स्पष्टीकरण भेजा गया।	क्र.सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 28.11.20	विनियम 2020 वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार प्रारूप प्रस्ताव/अधिसूचना (हिंदी एवं अंग्रेजी में) दो प्रतियों में भेजने के संबंध में।
13	संख्या-9918/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 22.09.17	शासन द्वारा मांगी गई जानकारी पर वित्त विभाग द्वारा बिंदुवार स्पष्टीकरण भेजा गया।	क्रम सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 04.01.21	लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम-1973 में किए गए संशोधन एवं प्रपत्र अनुसार सूचना भरकर भेजने के संबंध में।
14	संख्या-980/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 17.04.18	शासन द्वारा मांगी गई जानकारी पर वित्त विभाग द्वारा बिंदुवार स्पष्टीकरण (आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन का औचित्य) भेजने के संबंध में।	क्र.सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 15.04.21	लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम-1973 के स्थान पर विनियम 2021 के अनुसार कार्य के लिए उपस्थित होने के संबंध में।
15	संख्या-833/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 25.05.18	संशोधित विनियम 2015 के प्रकाशन के अनुरोध के संबंध में।	क्र.सं.-319/1385/ 2021/1 भोपाल दिनांक 03.03.22)	संशोधित विनियम-2021 को प्रतिस्थापित करने के लिए मंत्रिपरिषद के संक्षिप्त विवरण के साथ राय/सहमति के लिए वित्त विभाग को भेजी गई विभाग की नस्तियों को राय/सहमति के साथ पुनः प्राप्त करने के संबंध में।
16	संख्या.4984/07/2006/स्था., इंदौर डी.15.06.18 (प्रकाशन के लिए अनुरोध)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वांछित 2018 प्रारूप में अद्यतन विनियमों की तैयारी एवं प्रकाशन के संबंध में। पत्र सं. क्रम सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 11.06.18 के सन्दर्भ में	क्र.सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 08.06.22	विनियम-1973 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने एवं अधिसूचना का प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) भेजने के संबंध में।

क्र. सं.	आयोग का पत्र सं. /दिनांक (सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा पत्र)	भेजे गए पत्र का संक्षिप्त विवरण	आयोग के पत्र सं./दिनांकित पर जी.ए.डी. का उत्तर	पत्र का संक्षिप्त विवरण
17	संख्या-6315/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 04.07.18 (प्रकाशन के लिए अनुरोध किया गया	अद्यतन विनियम-2018 के प्रकाशन के संबंध में।	क्र.सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 04.08.22	अनुस्मारक पत्र- विनियम-1973 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने एवं अधिसूचना का प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) भेजने के संबंध में।
18	संख्या.-11016/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 01.10.18	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973 नवीन संशोधित विनियम 2018 के लंबित प्रारूप एवं कुछ अन्य बिन्दुओं के समावेश के सम्बन्ध में।	सं.-एफ 6-1/2016/1 भोपाल दिनांक 05.01.23	विनियम 2022 के प्रतिस्थापन के लिए अधिसूचना का प्रारूप (हिंदी एवं अंग्रेजी में) अनुलिपि भेजने के संबंध में।
19	संख्या-11640/07/2006/स्था., इंदौर डी.15.10.18	प्रकाशन के संबंध में संशोधित विनियम-2018	----	----
20	संख्या-2087/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 21.05.19	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 1973 संशोधन विनियम के संबंध में।	----	----
21	संख्या-2161/07/2006/स्था, इंदौर डी.22.05.19	मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 1973 संशोधित विनियम 2018 के स्थान पर नवीन संशोधित विनियम 2019 का प्रारूप भेजने के संबंध में।	----	----
22	संख्या.-9006/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 02.11.19	(ii) नए विनियमों के प्रकाशन के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 1973	----	----
23	संख्या.-9351/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 07.11.19	विनियम 1973 में संशोधन, संशोधित विनियम-2019 के प्रस्तावित भर्ती नियमों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति के संबंध में।	----	----
24	संख्या.-15019/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 07.02.20	विनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधन पर वित्त विभाग से सलाह प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव में संशोधन भेजने एवं प्रकाशित करने के संबंध में।	----	----

क्र. सं.	आयोग का पत्र सं. /दिनांक (सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा पत्र)	भेजे गए पत्र का संक्षिप्त विवरण	आयोग के पत्र सं./दिनांकित पर जी.ए.डी. का उत्तर	पत्र का संक्षिप्त विवरण
25	संख्या-16584/07/2006/स्था, इंदौर दिनांक 26.02.20	विनियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधन पर वित्त विभाग से सलाह प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव में संशोधन भेजने एवं प्रकाशित करने के संबंध में।	----	----
26	संख्या-2527/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 05.08.20	मध्य प्रदेश राज्य के अधीन अन्य संवैधानिक आयोगों में पेंशन पात्रता के प्रचलित प्रावधानों सहित प्रस्तावित संशोधित विनियम को अंतिम रूप देने एवं प्रकाशित करने के संबंध में तथा आयोग की राय।	----	----
27	संख्या-5340 /07/2006 /स्था., इंदौर दिनांक 03.11.20	विनियमन 1973, संशोधन विनियम 2020 का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में।	----	----
28	संख्या-5746/07/2006/स्था., इंदौर दिनांक 12.11.20	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 1973, संशोधन विनियम-2020 की अधिसूचना का अद्यतन स्वरूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) विधि विभाग से पुनरीक्षित कराकर भेजने के संबंध में।	----	----
29	संख्या-6620 /07/2006 /स्था., इंदौर दिनांक 08.12.20	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) विनियम, 1973, संशोधन विनियम-2020 की अधिसूचना का अद्यतन स्वरूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) विधि विभाग से पुनरीक्षित कराकर भेजने के संबंध में।	----	----
30	संख्या-8640/07/2006/स्था., इंदौर दि. 21.01.21	पूर्व प्रावधान (विनियम-1973) के स्थान पर संशोधित प्रावधान विनियम 2020 का प्रपत्र भेजने के संबंध में।	----	----
31	संख्या-188/07/2006/स्था., इंदौर दि. 20.04.21	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973, संशोधन विनियम-2021 में विधि विभाग द्वारा संशोधित प्रारूप में पुनर्विचार के संबंध में एस.आर. प्रस्ताव पर सहमति संलग्न करने एवं इसे आगे की कार्रवाई के लिए भेजने के संबंध में।	----	----
32	संख्या-4712/07/2006/स्था, इंदौर दि. 22.09.21	अनुस्मारक - विधि विभाग से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973, संशोधन विनियम-2020 की अधिसूचना के अद्यतन प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) को पुनरीक्षित करवाने के बाद अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही के संबंध में।	----	----

क्र. सं.	आयोग का पत्र सं. /दिनांक (सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा पत्र)	भेजे गए पत्र का संक्षिप्त विवरण	आयोग के पत्र सं./दिनांकित पर जी.ए.डी. का उत्तर	पत्र का संक्षिप्त विवरण
33	संख्या-9371/07/2006/स्था., इंदौर दि. 12.01.21	अनुस्मारक - विधि विभाग से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973, संशोधन विनियम-2020 की अधिसूचना के अद्यतन प्रारूप (हिन्दी एवं अंग्रेजी) को पुनरीक्षित करवाने के बाद अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई के संबंध में।	----	----
34	संख्या-7023/07/06/स्था, इंदौर दि.16.09.22	पिछले 7 वर्षों से, आयोग विनियम 1973 में प्रकाशन के लिए समय-समय पर विभाग को संशोधित विनियम भेजता रहा है एवं विचाराधीन कुछ बिंदुओं पर असहमति के परिणामस्वरूप, अधिसूचना के प्रकाशन में विलंब हुआ था। सहमत एवं असहमत बिंदुओं में उचित टिप्पणियों के साथ एक शीट तैयार करने एवं इसे परिशिष्ट -1 (जिसमें पिछले प्रावधान, संशोधित प्रावधान एवं समझौते/असहमति के औचित्य शामिल हैं) संलग्न करके भेजने के संबंध में।	----	----
35	संख्या-6935/07/06/स्था., इंदौर दि. 16.09.22	ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा के बाद विभागीय भर्ती नियमों में संशोधन कर आयोग कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए वेतनमान उन्नयन प्रावधान एवं पदोन्नति प्रावधान, प्रस्तावित प्रारूप का अनुमोदन एवं राजपत्र अधिसूचना कार्रवाई हेतु भेजने के संबंध में है।	----	----
36	संख्या-15590/07/2006/स्थापना, इंदौर दि. 02.03.23	लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम-1973 में संशोधन एवं विचाराधीन कुछ बिंदुओं पर असहमति के कारण लगभग 8 वर्ष के विलंब के बावजूद संशोधित विनियम-2022 को वैध एवं अधिसूचित करने के संबंध में।	----	----

परिशिष्ट-2.13 (क)

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.18.2, पृष्ठ संख्या 50)

परीक्षा प्रश्न पत्र के मुद्रण पर टी.डी.एस. का कटोत्रा नहीं किये जाने का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	राशि (जी.एस.टी. के बिना)	जी.एस.टी. दर	जी.एस.टी. राशि	कुल राशि	2 प्रतिशत की दर से कटोत्रा किये जाने योग्य टी.डी.एस.	2 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. के लिए टी.डी.एस.
1.	16.06.2018	51880.00	12%	6226	58106	1038	1038
2.	16.06.2018	51880.00	12%	6226	58106	1038	1038
3.	16.06.2018	48480.00	12%	5818	54298	970	970
4.	16.06.2018	48480.00	12%	5818	54298	970	970
5.	16.06.2018	48040.00	12%	5765	53805	961	961
6.	16.06.2018	57040.00	12%	6845	63885	1141	1141
7.	04.06.2021	1185492.00	12%	142259	1327751	23710	23710
8.	04.06.2021	10756276.00	12%	1290753	12047029	215126	215126
9.	05.08.2022	1262778.00	12%	151533	1414311	25256	25256
10.	04.06.2021	4800586.00	नहीं लगाया	0.00	4800586	96012	96012
11.	06.01.2022	339057.00	18%	61030	400087	6781	6781
12.	15.02.2022	98540.00	18%	17737	116277	1971	1971
13.	27.05.2022	3092386.00	नहीं लगाया	0.00	3092386	61848	61848
14.	24.07.2022	735973.00	18%	132475	868448	14719	14719
15.	24.07.2022	215178.00	18%	38732	253910	4304	4304
16.	08.08.2022	11132266.00	18%	2003808	13136074	222645	222645
17.	15.09.2022	129700.00	18%	23346	153046	2594	2594

क्र. सं.	दिनांक	राशि (जी.एस.टी. के बिना)	जी.एस.टी. दर	जी.एस.टी. राशि	कुल राशि	2 प्रतिशत की दर से कटोत्रा किये जाने योग्य टी.डी.एस.	2 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. के लिए टी.डी.एस.
18.	02.03.2023	686570.00	18%	123583	810153	13731	13731
19.	10.10.2022	1171.00	18%	211	1382	23	23
20.	26.12.2022	3085.50	18%	555	3641	62	62
21.	25.01.2023	45946.00	18%	8270	54216	919	919
22.	25.01.2023	7738.00	18%	1393	9131	155	155
	कुल	**34798542.50**			**38830926**	**695974**	**695974**

परिशिष्ट-2.13 (ख)

(संदर्भः कंडिका संख्या 2.1.18.2, पृष्ठ संख्या 50)

परीक्षा पत्र के मूल्यांकन परिणाम पर टी.डी.एस. कटोत्रा न किये जाने का विवरण

क्र.सं.	वाउचर की तिथि	राशि (जी.एस.टी. के बिना)	जी.एस.टी. दर	जी.एस.टी. राशि	कुल राशि	10 प्रतिशत की दर से कटोत्रा किये जाने योग्य टी.डी.एस.	2 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. के लिए टी.डी.एस.
1	05.06.2018	92443.10	18%	16639.76	109082.86	9244.31	1848.86
2	05.06.2018	3319002.00	18%	597420.36	3916422.36	331900.20	66380.00
3	04.12.2018	175000.00	18%	31500.00	206500.00	17500.00	3500.00
4	04.12.2018	213977.60	18%	38515.97	252493.57	21397.76	4279.55
5	20.03.2019	232291.50	18%	41812.47	274103.97	23229.15	4645.83
6	20.03.2019	27152.20	18%	4887.40	32039.60	2715.22	543.04
7	20.03.2019	381356.00	18%	68644.08	450000.08	38135.60	7627.12
8	20.03.2019	63560.00	18%	11440.80	75000.80	6356.00	1271.20
9	20.03.2019	63560.00	18%	11440.80	75000.80	6356.00	1271.20
10	20.08.2019	4569910.00	18%	822583.80	5392493.80	456991.00	91398.20
11	27.02.2020	381356.00	18%	68644.08	450000.08	38135.60	7627.12
12	07.11.2020	769030.80	18%	138425.54	907456.34	76903.08	15380.60
13	05.03.2021	349941.90	18%	62989.54	412931.44	34994.20	6998.84
14	05.03.2021	130724.00	18%	23530.32	154254.32	13072.40	2614.48
15	27.03.2021	169618.20	18%	30531.28	200149.28	16961.80	3392.36
16	04.06.2021	940803.00	18%	169345.00	1110148.00	94080.32	18816.10
17	22.10.2021	13499856.00	18%	2429974.08	15929830.08	1349985.60	269997.00
18	22.10.2021	81006.30	18%	14581.13	95587.43	8100.63	1620.13
19	22.10.2021	1262235.00	18%	227202.30	1489437.30	126223.50	25244.70
20	09.03.2022	373752.50	18%	67275.45	441027.95	37375.25	7475.05
21	09.03.2022	177399.20	18%	31931.86	209331.06	17739.92	3547.98
22	23.03.2022	302312.50	18%	54416.25	356728.75	30231.25	6046.25

क्र.सं.	वाउचर की तिथि	राशि (जी.एस.टी. के बिना)	जी.एस.टी. दर	जी.एस.टी. राशि	कुल राशि	10 प्रतिशत की दर से कटोत्रा किये जाने योग्य टी.डी.एस.	2 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. के लिए टी.डी.एस.
23	05.08.2023	1133538.65	18%	204036.96	1337575.61	113353.87	22670.80
24	10.10.2022	1283425.00	18%	231016.50	1514441.50	128342.50	25668.50
25	10.10.2022	50721.30	18%	9129.83	59851.13	5072.13	1014.43
26	17.10.2022	7786350.00	18%	1401543.00	9187893.00	778635.00	155727.00
27	26.12.2022	387384.80	18%	69729.26	457114.06	38738.40	7747.68
28	26.12.2022	401364.70	18%	72245.65	473610.35	40136.47	8027.29
29	26.12.2022	183498.70	18%	33029.77	216528.47	18349.87	3669.97
30	26.12.2022	146982.00	18%	26456.76	173438.76	14698.20	2939.64
31	26.12.2022	13956.30	18%	2512.13	16468.43	1395.63	279.13
32	26.12.2022	2144.50	18%	386.01	2530.51	214.45	42.89
33	25.01.2023	429057.60	18%	77230.37	506287.97	42905.76	8581.15
34	25.01.2023	94299.40	18%	16973.89	111273.29	9429.94	1885.99
35	25.01.2023	60599.70	18%	10907.95	71507.65	6059.97	1211.99
36	25.01.2023	21229.85	18%	3821.37	25051.22	2122.99	424.60
37	25.01.2023	10557.90	18%	1900.42	12458.32	1055.79	211.16
38	25.01.2023	4062.70	18%	731.29	4793.99	406.27	81.25
39	25.01.2023	1255.25	18%	225.95	1481.20	125.53	25.11
	कुल	**39586716.15**			**46712325.33**	**3958671.56**	**791734.19**

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.18.3, पृष्ठ संख्या 51)

मुद्रक को जी.एस.टी. के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	चालान की तिथि	मात्रा	पृष्ठों की संख्या	प्रति पृष्ठ दर	प्रति बुकलेट दर	भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. 18 प्रतिशत की दर पर अधिरोपित	जी.एस.टी. 12 प्रतिशत की दर से अधिरोपित की जानी थी	अधिरोपित अतिरिक्त जी.एस.टी.
1	27-05-23	279660	32	0.60	19.20	5369472.00	966504.96	644336.64	322168.30
2	27-05-23	279660	32	0.60	19.20	5369472.00	966504.96	644336.64	322168.30
3	16-11-21	14400	32	0.62	19.84	285696.00	51425.28	34283.52	17141.76
4	16-11-21	990	32	0.62	19.84	19641.60	3535.49	2356.99	1178.50
5	16-11-21	480	32	0.62	19.84	9523.20	1714.18	1142.78	571.39
6	16-11-21	340	32	0.62	19.84	6745.60	1214.21	809.47	404.74
7	22-01-22	3320	32	0.62	19.84	65868.80	11856.38	7904.26	3952.13
8	22-01-22	440	32	0.62	19.84	8729.60	1571.33	1047.55	523.78
9	22-01-22	860	24	0.62	14.88	12796.80	2303.42	1535.62	767.81
10	24-05-22	24300	32	0.62	19.84	482112.00	86780.16	57853.44	28926.72
11	24-05-22	3560	32	0.62	19.84	70630.40	12713.47	8475.65	4237.82
12	24-05-22	3540	32	0.62	19.84	70233.60	12642.05	8428.03	4214.02
13	24-05-22	4580	32	0.62	19.84	90867.20	16356.10	10904.06	5452.03
14	27-06-22	5740	32	0.62	19.84	113881.60	20498.69	13665.79	6832.90

क्र. सं.	चालान की तिथि	मात्रा	पृष्ठों की संख्या	प्रति पृष्ठ दर	प्रति बुकलेट दर	भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी. 18 प्रतिशत की दर पर अधिरोपित	जी.एस.टी. 12 प्रतिशत की दर से अधिरोपित की जानी थी	अधिरोपित अतिरिक्त जी.एस.टी.
15	27-06-22	1180	32	0.62	19.84	23411.20	4214.02	2809.34	1404.67
16	27-06-22	880	32	0.62	19.84	17459.20	3142.66	2095.10	1047.55
17	27-06-22	400	32	0.62	19.84	7936.00	1428.48	952.32	476.16
18	01-07-22	385380	32	0.44	14.08	5426150.00	976707.07	651138.05	325569.00
19	01-07-22	385380	32	0.44	14.08	5426150.00	976707.07	651138.05	325569.00
20	22-07-22	3000	40	0.62	24.8	74400.00	13392.00	8928.00	4464.00
21	07-12-22	22180	44	0.62	27.28	605070.40	108912.67	72608.45	36304.22
कुल						**23556247.20**	**4240124.64**	**2826749.76**	**1413374.78**

परिशिष्ट-3.1.1

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.1, पृष्ठ संख्या 57)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के शिक्षण विभाग

स. क्र.	विभाग का नाम
1	अरबी
2	जैव रसायन और आनुवंशिकी
3	जीव शास्त्र
4	जैव प्रौद्योगिकी
5	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रबंधन संस्थान (सी.आर.आई.एम)
6	वाणिज्य
7	कंप्यूटर विज्ञान
8	सतत शिक्षा और विस्तार
9	भू – विज्ञान
10	इलेक्ट्रानिक्स
11	पर्यावरण विज्ञान और झील विज्ञान (लिम्नोलॉजी)
12	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान (आई.ओ.डी.ई.)
13	भाषा
14	विधि शिक्षा और अनुसंधान
15	माइक्रोबायोलॉजी
16	फ़ारसी
17	फ़ार्मेसी
18	शारीरिक शिक्षा
19	भौतिकी
20	मनोविज्ञान
21	क्षेत्रीय योजना और आर्थिक विकास (आर.पी.ई.जी.)
22	समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य
23	विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान (यु.आई.टी.)
24	महिला अध्ययन
25	योग
26	प्राणीशास्त्र और अनुप्रयुक्त जलीय कृषि

परिशिष्ट 3.1.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.4.1, पृष्ठ संख्या 59)

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए आय एवं व्यय

(₹ लाख में)

आय	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राज्य अनुदान	390.00	390.00	390.00	0	425.00
शिक्षण विभाग से आय	358.10	297.97	489.94	206.47	472.93
परीक्षा शुल्क	6,790.76	6,779.86	4,085.58	4,930.11	2,711.04
अन्य सभी आय	3,247.22	3,612.53	3,220.58	2,242.66	3,594.68
जमा	1,018.54	1,381.37	1,263.42	1,485.29	1,872.03
विकास[1]	614.13	1,571.06	167.05	624.29	37.94
परियोजनाएं	177.78	10.14	0.30	1.20	0.39
स्व-वित्तपोषित योजना	549.78	750.52	176.97	628.68	431.74
कुल आय	**13,146.31**	**14,793.45**	**9,793.84**	**10,118.70**	**9,545.75**
व्यय	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
वेतन और भत्ते	3,439.51	4,222.23	4,540.17	4,356.87	4,664.28
स्थापना	907.64	577.55	744.29	1089.08	1649.66
परीक्षा	2,454.29	2,202.51	884.17	1,277.47	1,622.56
निर्माण और रखरखाव	124.22	305.66	196.01	632.71	480.55
अन्य सभी व्यय	740.85	579.08	501.72	411.21	736.99
जमा शीर्ष	2,979.20	1,763.12	1,543.68	1,477.49	1,941.02
विकास शीर्ष	222.19	12.09	583.21	1000.42	322.88
परियोजनाएं	121.71	99.38	23.79	7.02	0.83
स्व-वित्तपोषित योजना	339.61	530.15	447.52	437.72	555.62
कुल व्यय	**11,329.22**	**10,291.77**	**9,464.56**	**10,689.99**	**11,974.39**
शेष/अतिरिक्त	**1,817.09**	**4,501.68**	**329.28**	**-571.29**	**-2,428.64**

(स्रोत: लेखापरीक्षित आय और व्यय विवरण)

[1] विकास शीर्ष में निर्माण, नवीनीकरण एवं उन्नयन उद्देश्य तथा छात्रवृत्ति के लिए आर.यू.एस.ए. अनुदान सहित सभी अनुदान शामिल हैं।

परिशिष्ट-3.1.3

(संदर्भः कंडिका संख्या 3.1.4.4, पृष्ठ संख्या 63)

मृत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लंबित अन्य अग्रिम प्रकरण

स. क्र.	अनुभाग	अग्रिमों की संख्या	लंबित प्रकरणों की सीमा	कुल राशि (₹ में)
1	विश्वविद्यालय प्रेस	2	2004-05 से 2009-10	25,000
2	शैक्षणिक अनुभाग	31	1977-78 से 2008-09	2,66,996
3	जीव विज्ञान विभाग	24	1976-77 से 2009-10	1,34,158
4	गोपनीय अनुभाग	66	1976-77 से 2008-09	9,54,080
5	डी.एस.डब्ल्यू. अनुभाग	8	2004-05 से 2012-13	4,06,938
6	छात्र कल्याण अनुभाग	3	2003-04	75,000
7	बी.यू.आई.टी.	4	2006-07 से 2009-10	1,58,000
8	महिला अध्ययन विभाग	8	2006-07 से 2015-16	5,06,800
9	अरबी विभाग	2	2009-10	67,500
10	जेनेटिक्स विभाग	1	2009-10	10,000
11	भूगोल विभाग	21	1977-78 से 1999-2000	86,650
12	भू-विज्ञान विभाग	8	1995-96 से 2008-09	54,700
13	फार्मेसी विभाग	6	2008-09 से 2013-14	8,42,000
14	भौतिकी विभाग	8	1987-88 से 1995-96	95,788
15	मनोविज्ञान विभाग	1	2006-07	50,000
16	आर.पी.ई.जी. विभाग	9	1978-79 से 2016-17	56,000
17	समाजशास्त्र विभाग	7	1990-91 से 1999-2000	1,37,500
18	डी.पी.ई. अनुभाग	2	1997-98	21,535
19	वाहन सेल	5	2001-02 से 2008-09	46,000
20	अभियांत्रिकी अनुभाग	30	1980-81 से 2011-12	3,45,246
21	स्थापना अनुभाग	4	1975-76 से 2008-09	1,35,343
22	परीक्षा अनुभाग	49	1974-75 से 2017-18	57,733
23	विधि विभाग	1	2008-09	25,000
24	विधि कक्ष	26	1992-93 से 2002-03	2,06,610
25	लिम्नोलॉजी विभाग	2	2005-06 से 2006-07	24,000
26	एन.एस.एस. अनुभाग	1	2007-08	35,000
27	रजिस्ट्रार अनुभाग	27	1986-87 से 2008-09	7,06,982
28	सुरक्षा अनुभाग	1	2009-10	9,000
29	खेल अनुभाग	3	1995-96 से 1999-2000	36,800
30	स्टोर अनुभाग	6	1986-87 से 1998-99	11,700
31	अग्रिम रजिस्टर में अनुभाग उल्लिखित नहीं	20	1985-86 से 2007-08	63,380
योग		**386**		**56,51,439**

परिशिष्ट-3.1.4
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.4.4, पृष्ठ संख्या 63)
लंबित अग्रदाय प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	अनुभाग	अग्रदायों की संख्या	लंबित मामलों की सीमा	कुल राशि (₹ में)
1	शैक्षणिक अनुभाग	2	2001-02 से 2013-14	12,000
2	लेखा अनुभाग	3	1999-2000 से 2018-19	6,500
3	गोपनीय अनुभाग	5	1982-83 से 2008-09	1,30,000
4	डी.सी. सेल	1	2003-04	1,000
5	डी.एस.डब्ल्यू. अनुभाग	7	1991-92 से 2021-22	17,000
6	अतिथि गृह	1	2007-08	50,000
7	बायोसाइंस विभाग	3	1997-98 से 2008-09	8,000
8	अरबी विभाग	1	2017-18	5,000
9	बी.यु.आई.टी	1	2021-22	25,000
10	सी.आर.आई.एम.	2	2004-05 से 2010-11	20,000
11	वाणिज्य विभाग	2	1999-2000	2,000
12	शिक्षा विभाग	2	2014-15	10,000
13	इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	1	2020-21	5,000
14	जेनेटिक्स विभाग	5	1980-81 से 2005-06	7,300
15	भू-विज्ञान विभाग	1	1989-90	500
16	आई.ओ.डी.ई. विभाग	2	2015-16 से 2018-19	10,000
17	लिम्नोलॉजी विभाग	1	1997-98	2,000
18	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	1	1981-82	300
19	फार्मेसी विभाग	3	2004-05 से 2019-20	20,000
20	फारसी विभाग	2	2008-09 से 2017-18	5,000
21	भौतिकी विभाग	2	1984-85	1,000
22	मनोविज्ञान विभाग	1	1991-92	1,000
23	समाजशास्त्र विभाग	3	1998-99 से 2014-15	17,000
24	खेल विभाग	1	2011-12	5,000
25	यु.एस.आई.सी. विभाग	1	2002-03	2,000
26	योग विभाग	1	1998-99	1,000
27	विकास अनुभाग	2	2005-06 से 2008-09	5,000
28	अभियांत्रिकी अनुभाग	6	1976-77 से 2020-21	45,500
29	स्थापना अनुभाग	2	2011-12 से 2015-16	10,000
30	परीक्षा अनुभाग	2	2006-07 से 2007-08	7,000
31	ज्ञान विज्ञान भवन	1	2016-17	5,000
32	स्वास्थ्य केंद्र	2	2008-09 से 2011-12	5,000
33	इंदिरा कन्या छात्रावास	1	2014-15	5,000

स. क्र.	अनुभाग	अग्रदायों की संख्या	लंबित मामलों की सीमा	कुल राशि (₹ में)
34	जनसंपर्क अनुभाग	5	2012-13 से 2018-19	22,000
35	कुलपति कार्यालय	3	2003-04 से 2021-22	35,000
36	विधि कक्ष	2	2002-03 से 2015-16	6,000
37	पुस्तकालय	1	2022-23	5,000
38	अल्पसंख्यक कक्ष	2	1997-98 से 2011-12	5,000
39	मुंशी प्रेम चंद छात्रावास	1	2013-14	5,000
40	नवीन बालिका छात्रावास	1	2016-17	5,000
41	निवेदिता बालिका छात्रावास	2	2009-10 से 2015-16	10,000
42	प्रिंटिंग प्रेस	1	1995-96	5,000
43	संजय गांधी छात्रावास	1	2015-16	5,000
44	रजिस्ट्रार कार्यालय	6	1980-81 से 2014-15	17,500
45	अग्रिम रजिस्टर में अनुभाग का उल्लेख नहीं	3	1999-2000 से 2020-21	65,000
46	सुरक्षा अनुभाग	1	2007-08	1,000
47	स्टोर अनुभाग	2	1996-97 से 2003-04	7,000
48	वेब कक्ष	1	2014-15	10,000
49	वाहन कक्ष	1	2010-11	10,000
योग		**104**		**6,59,600**

परिशिष्ट-3.1.5

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.4.4, पृष्ठ संख्या 63)

विभिन्न एजेंसियों के पास लंबित अग्रिम प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	फर्म/एजेंसी का नाम	अग्रिमों की संख्या	लंबित प्रकरणों की सीमा	कुल लंबित अग्रिम (₹ में)
1	अभिमन्यु इंडेन गैस एजेंसी	01	2009-10	12,099
2	अदानी सॉफ्टवेयर	01	2009-10	1,81,500
3	अमन ट्रैवल्स	01	2014-15	3,00,000
4	अमित एजेंसी	01	2002-03	8,98,800
5	बी.एच.ई.एल.	01	2022-23	25,000
6	सी.आई.एफ.ई	01	2009-10	44,920
7	कमांडो एम.पी.एस.ए.एफ.	02	2015-16	19,000
8	डी.जी.एस. एंड डी.	01	2015-16	2,40,271
9	निदेशक एन.टी.टी.टी.आर.	01	2013-14	20,000
10	निदेशक, ग्रामीण विकास	01	2006-07	5,000
11	आई.सी.ए.आर. मुंबई	01	2019-20	44,920
12	म.प्र. विद्युत निगम	01	2019-20	1,76,682
13	एम.पी. कॉन	01	2019-20	4,95,600
14	बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक लेखापरीक्षा	01	2008-09	7,500
15	राष्ट्रीय बीमा	01	2012-13	21,414
16	पोस्टमास्टर	01	2019-20	50,000
17	सम्भागीय परियोजना यन्त्रिक	3	2014-15	2,64,42,000
18	संचालक व्यवसायी परीक्षा मंडल	02	2002-03 से 2003-04	2,00,000
19	वरिष्ठ विद्युत संभागीय	2	2007-08	9,255
20	वरुण ठाकुर, अधिवक्ता	01	2009-10	2,00,000
21	भोपाल विकास प्राधिकरण	4	2021-22 से 2022-23	3,01,98,454
22	ग्रामीण विकास पर्यावरण	01	2006-07	5,000
23	म.प्र. हाउसिंग बोर्ड भोपाल	09	2012-13 से 2018-19	10,18,28,008
24	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	17	2008-09 से 2013-14	7,00,59,406
योग		**56**		**23,14,84,829**

परिशिष्ट-3.1.6

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.4.4, पृष्ठ संख्या 63)

विभिन्न महाविद्यालयों में परीक्षा के लिए लंबित अग्रिम प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	नाम	अग्रिमों की संख्या	वर्ष	राशि (₹ में)
1	शासकीय गीतांजलि महाविद्यालय, भोपाल	03	2003-04	25,00,000
2	शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, भोपाल	01	2014-15	1,50,000
3	शासकीय जे.एच. महाविद्यालय, बैतूल	03	2012-13 से 2014-15	2,00,000
4	शासकीय एम.एल.बी. महाविद्यालय, भोपाल	01	2014-15	50,000
5	शासकीय एम.वी.एम. महाविद्यालय, भोपाल	01	2018-19	1,00,000
6	शासकीय सरोजिनी नायडू महाविद्यालय, भोपाल	02	2013-14 से 2014-15	70,000
7	एन.एम.वी. महाविद्यालय , नर्मदापुरम	06	1978-79 से 2020-21	27,00,050
8	नेताजी शुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय, सीहोर	01	2014-15	50,000
9	शासकीय नूतन महाविद्यालय भोपाल	08	2002-03 से 2003-04	70,00,000
योग		**26**		**1,28,20,050**

परिशिष्ट-3.1.7

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.4.4, पृष्ठ संख्या 63)

सहायक रजिस्ट्रार को कई बार दिए गए अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	अनुभाग	अग्रिमों की संख्या	लंबित मामलों की सीमा	शेष राशि (₹ में)
1	शैक्षणिक अनुभाग	11	2001-02 से 2003-04	2,13,916
2	विधि कक्ष अनुभाग	25	1992-93 से 2001-02	2,05,610
योग		**36**		**4,19,526**

परिशिष्ट-3.1.8
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.4.10, पृष्ठ संख्या 68)
संबद्धता शुल्क की बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	ज़िला	बकाया							कुल बकाया
			पूर्व वर्षो का	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
1	शासकीय हमीदिया महाविद्यालय	भोपाल	--	--	--	--	--	65,000	65,000	1,30,000
2	शासकीय एम.एल.बी. कन्या महाविद्यालय स्वायत	भोपाल	--	--	--	--	--	--	2,03,550	2,03,550
3	शासकीय एम.वी.एम महाविद्यालय स्वायत	भोपाल	--	--	--	--	--	95,000	3,30,000	4,25,000
4	शासकीय सरोजिनी नायडू बालिका महाविद्यालय शिवाजी नगर	भोपाल	7,44,000	--	--	--	--	--	--	7,44,000
5	शासकीय गीतांजलि महाविद्यालय, बैरसिया रोड	भोपाल	--	--	--	--	--	--	45,000	45,000
6	शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय बैरसिया	भोपाल	--	--	--	--	--	30,000	30,000	60,000
7	बाबू लाल गौर पी.जी. शासकीय महाविद्यालय बी.एच.ई.एल.	भोपाल	1,28,400	--	--	--	--	--	22,500	1,50,900
8	एक्सटोल महाविद्यालय, बावरिया कला	भोपाल	--	--	--	--	--	--	45,000	45,000
9	बोनी एफ.ओं.आई. महाविद्यालय, नरेला शंकरी, अयोध्या नगर	भोपाल	--	--	--	--	37,500		52,500	90,000
10	जय हिंद डिफेंस महाविद्यालय	भोपाल	--	--	--	--	--	2,62,500	1,35,000	3,97,500

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	ज़िला	बकाया							कुल बकाया
			पूर्व वर्षो का	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
11	सरदार अजीत सिंह मेमोरियल बालिका महाविद्यालय, 13 लाला लाजपत राय कॉलोनी	भोपाल	--	--	--	--	--	--	3,97,500	3,97,500
12	भोज महाविद्यालय, 81 आकाश नगर, कोटरा सुल्तानाबाद	भोपाल	6,37,687	--	--	--	--	--	4,57,500	10,95,187
13	महर्षि शिक्षा केंद्र	भोपाल	--	--	--	--	--	--	7,500	7,500
14	कोपल कॉलेज फॉर एक्सीलेंस, नीलबड़	भोपाल	1,58,750	--	--	--	--	--	7,500	1,66,250
15	मिलेनियम इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नाथू बरखेड़ा रोड नीलबड़,	भोपाल	--	--	--	--	--	--	1,72,500	1,72,500
16	गेटवे इंस्टिट्यूट. डाइनेमिक शिक्षा रायसेन रोड	भोपाल	--	--	--	--	--	2,02,500	2,02,500	4,05,000
17	श्री गोपाल दास हिंगोरानी गर्ल्स कॉलेज	भोपाल	--	--	--	--	--	--	127500	1,27,500
18	कैलाश नारायण पटेल कॉलेज ऑफ साइंस	भोपाल	--	--	--	--	--	--	7500	7,500
19	ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक, रायसेन रोड	भोपाल	--	--	--	--	--	--	36500	36,500
20	ए.पी.टी. महाविद्यालय, शक्ति नगर	भोपाल	--	--	--	--	--	22,500	--	22,500
21	गुरुकुल महाविद्यालय, बैरसिया,	भोपाल	--	--	--	--	--		15000	15,000
22	एस.एस. महाविद्यालय, सलैया कोलार रोड	भोपाल	--	--	--	--	--	1,95,000	225000	4,20,000
23	विद्यापीठ शिक्षा संस्थान खजूरी कला	भोपाल	--	--	--	--	--	5,25,00	112500	1,65,000
24	इनोवेटिव कॉमर्स कॉलेज गोविंदपुरा	भोपाल	--	--	--	--	--	--	22500	22,500

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	ज़िला	बकाया							कुल बकाया
			पूर्व वर्षो का	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
25	ट्रूबा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कॉमर्स	भोपाल	--	--	--	--	--	--	157500	1,57,500
26	स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय	भोपाल	--	--	--	--	--	63,000	1,12,500	1,75,500
27	वीर सावरकर शासकीय महाविद्यालय, औबेदुल्लागंज	रायसेन	--	--	--	--	--	--	15,000	15,000
28	शासकीय महाविद्यालय, उदयपुरा, रायसेन	रायसेन	--	--	--	--	--	--	7,500	7,500
29	शासकीय महाविद्यालय, कुरवाई	विदिशा	--	--	--	--	--	--	30,000	30,000
30	शासकीय एल.बी.एस. महाविद्यालय, सिरोंज	विदिशा	--	--	--	--	--	--	30,000	30,000
31	शासकीय कन्या महाविद्यालय सिवनी मालवा	होशंगाबाद	--	--	--	--	--	--	37,500	37,500
32	अनंतम कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट बरेली रायसेन	रायसेन	--	--	--	--	--	--	1,12,500	1,12,500
33	अचीवर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस बाड़ी	रायसेन	1,63,125	--	--	--	--	--	45,000	2,08,125
34	एल.बी.एस. महाविद्यालय, गंज बासौदा,	विदिशा	--	--	--	--	--	--	22,500	22,500
35	बी.एम महाविद्यालय, संघ खाई रोड पेड़ी चौराहा	विदिशा	--	--	--	--	--	--	8,81,250	8,81,250
36	श्री द्वारिका प्रसाद यादव महाविद्यालय सिरोंज	विदिशा	--	1,43,750	56,250	67,500	--	--	--	2,67,500
37	कुशाभाऊ ठाकरे महाविद्यालय, ग्यारसपुर,	विदिशा	--	--	--	--	--	--	7,500	7,500
38	जे पी बी कॉलेज ऑफ टीचर एडु. विदिशा	विदिशा	--	1,28,844	56,250	67,500	--	--	--	2,52,594
39	सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय, होशंगाबाद	होशंगाबाद	--		56,250		--	--	--	56,250

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	ज़िला	बकाया							कुल बकाया
			पूर्व वर्षो का	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
40	शहीद चन्द्रशेखर आज़ाद शासकीय महाविद्यालय कॉलेज	सीहोर	--	--	--	--	--	1,81,250	1,50,000	3,31,250
41	शासकीय गर्ल्स कॉलेज	सीहोर	--	--	--	--	--	--	30,000	30,000
42	शासकीय कॉलेज, बकतारा	सीहोर	--	--	--	--	--	--	75,000	75,000
43	स्वामी विवेकानन्द शासकीय पी. जी. महाविद्यालय	हरदा	--	--	--	--	--	--	90,000	90,000
44	शासकीय महाविद्यालय, नरसिंहगढ़	राजगढ़	55,000	--	--	--	--	--	3,00,000	3,55,000
45	शासकीय महाविद्यालय, सारंगपुर	राजगढ़	--	--	--	--	--	--	1,40,000	1,40,000
46	शासकीय महाविद्यालय राजगढ़	राजगढ़	--	--	--	--	--	--	1,75,000	1,75,000
47	स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, शाहगंज	सीहोर	1,35,000	--	--	--	--	--	--	1,35,000
48	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय इछावर	सीहोर	--	--	--	--	--	--	90,000	90,000
49	उत्कृष्ट महाविद्यालय, खेड़ली सीहोर	सीहोर	82,000	--	--	--	--	--	22,500	1,04,500
50	सतपुड़ा वैली महाविद्यालय, सिराली	हरदा	--	--	--	--	--	--	7,500	7,500
51	अमृत श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस टिमरनी	हरदा	--	--	--	--	--	--	93,000	93,000
52	साई निकेतन महाविद्यालय, रेहटी हरदा	हरदा	30,000	--	--	--	--	--	--	30,000
53	आनंद एक्सीलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्यावरा	राजगढ़	--	--	--	--	--	--	1,27,500	1,27,500
54	क्रिस्ट महाविद्यालय ब्यावरा	राजगढ़	--	--	--	--	--	27,500	60,000	87,500

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	ज़िला	बकाया							कुल बकाया
			पूर्व वर्षो का	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
55	प्रज्ञा सागर महाविद्यालय पचोर		--	--	--	--	--	--	75,000	75,000
56	महात्मा गांधी महाविद्यालय, कुरावर	राजगढ़	--	--	--	--	--	--	7,500	7,500
57	प्रेस्टीज कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक	राजगढ़	2,17,000	--	--	--	--	--	90,000	3,07,000
58	शासकीय महाविद्यालय गोपालपुर	सीहोर	--	--	--	--	--	--	37,500	37,500
59	शासकीय महाविद्यालय सुलथलिया	राजगढ़	--	--	8,250	--	--	--	30,000	38,250
60	शासकीय महाविद्यालय छापीहेड़ा	राजगढ़	--	--	--	--	--	--	37,500	37,500
61	आस्था गर्ल्स महाविद्यालय श्यामपुर	सीहोर	--	--	--	--	--	--	1,20,000	1,20,000
62	एस.एस कॉलेज बिलकिस गंज	सीहोर	--	--	--	--	--	67,500	67,500	1,35,000
63	एम.आर.सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्यामपुर	सीहोर	--	--	--	--	--	--	22,500	22,500
64	विक्टोरिया महाविद्यालय	सीहोर	--	--	--	--	--	--	1,45,000	1,45,000
65	सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट	राजगढ़	3,15,000	--	--	--	--	--	--	3,15,000
	कुल बकाया		**26,65,962**	**2,72,594**	**1,77,000**	**1,35,000**	**3,75,00**	**12,64,250**	**61,71,800**	**1,07,24,106**

परिशिष्ट-3.1.9

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.9.3, पृष्ठ संख्या 80)

छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण प्रश्नावली

स. क्र.	सर्वेक्षण प्रश्नावली
1.	संकाय की शिक्षण क्षमता: विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल और दृष्टिकोण, तथा शंका समाधान क्षमता आदि।
2.	अध्ययन किए गए विषय के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करें। (विषय की व्यापकता और क्या यह क्षेत्र में नवीनतम विकास के अनुसार अद्यतन है और क्या यह आपके अध्ययन क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है)
3.	पाठ्यक्रम सामग्री की गुणवत्ता/
4.	प्रशासनिक कर्मचारियों का व्यवहार
5.	विभाग/महाविद्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर सुविधाएँ
6.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध प्रयोगशाला सुविधाएँ
7.	परिसर का वातावरण
8	महाविद्यालय में आयोजित चिकित्सा शिविर: छात्रों की सामान्य चिकित्सा जाँच, स्वास्थ्य कार्ड बनाना, आदि
9.	विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा उपलब्ध बुनियादी ढाँचा: भवन, खेल का मैदान, छात्रावास आदि
10.	महाविद्यालय में एस.एच.ई. सुरक्षा के लिए सहायता (शारीरिक सुरक्षा, आवश्यकता पड़ने पर परामर्श सुविधा,तथा रैगिंग के प्रकरणों के विरुद्ध की गई कार्रवाई, अलग शौचालय की उपलब्धता, सुविधा केंद्र आदि)
11.	छात्र सुविधाएँ: सुरक्षित पेयजल, कैंटीन, मनोरंजन कक्ष
12.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली पुस्तकालय सुविधाएँ।
	(क्या पुस्तकालय में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं सहित सभी आवश्यक पठन और शोध सामग्री उपलब्ध है और क्या आपको आवश्यक संसाधन आसानी से मिल रहे हैं)
13.	महाविद्यालय में शिकायत निवारण प्रणाली
14.	विश्वविद्यालय/कॉलेज में अध्ययन से संतुष्टि
15.	पाठ्यक्रम की समान्य/समग्र रेटिंग: (बौद्धिक और आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने में मदद मिली, तर्कों का मूल्यांकन करने की क्षमता में सुधार, समस्याओं की पहचान करने, सूत्रीकरण करने और हल करने की क्षमता में वृद्धि, विश्व

स. क्र.	सर्वेक्षण प्रश्नावली
	के ज्ञान का संचार करने की क्षमता, बौद्धिक कौशल, व्यावसायिक कौशल, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना)
16.	महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएँ: खेल और मनोरंजन सुविधाएँ, क्लब और छात्र संगठन
17.	यदि आपको कोई अन्य पाठ्यक्रम करना हो, तो क्या आप इस कॉलेज में वापस आएँगे?
18.	क्या आप इस शैक्षणिक संस्थान की दूसरों से अनुशंसा करेंगे?
19.	विश्वविद्यालय/कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं?
20.	कोविड-19 के संदर्भ में, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन सामग्री/पाठ्यक्रमों की रेटिंग
21.	यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उससे संबंधित बातचीत पर आंतरिक समिति की स्थापना
22.	कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपलब्ध सुविधाएँ
23.	विश्वविद्यालय/कॉलेज में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जागरूकता - छात्रों के लिए चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा पॉलिसी (एम.ऐ.आई.पी.एस.), स्वास्थ्य जाँच आदि।
24.	छात्रवृत्ति की पात्रता और वितरण
25.	पाठ्यक्रम के दौरान उद्योग संपर्क (इंटर्नशिप, कंपनियों द्वारा प्रायोजित परियोजनाएँ, आदि)
26.	पाठ्यक्रम द्वारा मूल्यवर्धन और छात्र की भविष्य की योजनाएँ
27.	पाठ्यक्रम द्वारा रोजगार क्षमता में वृद्धि
28.	कैरियर और परामर्श प्रकोष्ठ और उद्योग से जुड़ाव/नौकरी प्लेसमेंट:

परिशिष्ट-3.1.10

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.10, पृष्ठ संख्या 80)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के चयनित नमूना संबद्ध महाविद्यालय

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	संकाय
1	भोपाल	कैरियर लॉ महाविद्यालय	अशासकीय	विधि
2	भोपाल	चौहान कॉलेज ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	विज्ञान, शिक्षा
3	भोपाल	शासकीय एम.एल.बी. बालिका पी.जी. महाविद्यालय भोपाल	स्वायत्त	कला, विज्ञान, कॉमर्स, तकनीक
4	भोपाल	शासकीय गीतांजलि गर्ल्स महाविद्यालय भोपाल	स्वायत्त	कला, विज्ञान, कॉमर्स, तकनीक
5	भोपाल	शासकीय हमीदिया महाविद्यालय भोपाल	शासकीय	कला, कॉमर्स
6	भोपाल	शासकीय महाविद्यालयमहाविद्यालय नरेला जिला भोपाल	शासकीय	कला, कॉमर्स
7	भोपाल	शासकीय एमवीएम महाविद्यालय भोपाल	शासकीय	विज्ञान
8	भोपाल	शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (पी.जी.बी.टी) भोपाल	शासकीय	शिक्षा
9	भोपाल	व्यावसायिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	अशासकीय	प्रबंधन
10	भोपाल	जय हिंद डिफेंस महाविद्यालय	अशासकीय	कला, कॉमर्स, विज्ञान, विधि
11	भोपाल	जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय	अशासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, शिक्षा , तकनीक
12	भोपाल	कस्तूरबा गर्ल्स महाविद्यालय	अशासकीय	कला, विज्ञान. कॉमर्स
13	भोपाल	कोपल कॉलेज फॉर एक्सीलेंस	अशासकीय	कला, विज्ञान, शिक्षा , प्रबंधन
14	भोपाल	लक्ष्मीपति महाविद्यालय	अशासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, प्रबंधन
15	भोपाल	राजीव गांधी कॉलेज ऑफ लॉ	अशासकीय	विधि
16	भोपाल	राजीव गांधी प्रबंधन संस्थान भोपाल	अशासकीय	प्रबंधन
17	भोपाल	साधु वासवानी महाविद्यालय, बैरागढ़	स्वायत्त	कला, विज्ञान, कॉमर्स, तकनीक, प्रबंधन
18	भोपाल	सरोजिनी नायडू शासकीय गर्ल्स पी.जी. महाविद्यालय	स्वायत्त	कला, विज्ञान, कॉमर्स, तकनीक, प्रबंधन
19	भोपाल	शारदा विहार शिक्षा महाविद्यालय	अशासकीय	कला कॉमर्स शिक्षा

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	संकाय
20	भोपाल	श्री राम महाविद्यालय	अशासकीय	शिक्षा
21	भोपाल	एस.आर.सी भोपाल	अशासकीय	शिक्षा
22	भोपाल	श्री सत्य साईं कॉलेज फॉर वोमेन	स्वायत्त	कला, विज्ञान, कॉमर्स, शिक्षा , विधि
23	भोपाल	एस.एस महाविद्यालय भोपाल	अशासकीय	शिक्षा
24	भोपाल	ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च	अशासकीय	प्रबंधन
25	भोपाल	विद्यादायिनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	अशासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, प्रबंधन, तकनीक, विधि
26	भोपाल	विद्यापीठ प्रबंधन संस्थान	अशासकीय	कॉमर्स, शिक्षा , प्रबंधन
27	हरदा	शासकीय डिग्री महाविद्यालय, टिमरनी	शासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, प्रबंधन, तकनीक
28	हरदा	हरदा डिग्री महाविद्यालय	अशासकीय	प्रबंधन
29	हरदा	सतपुड़ा वैली महाविद्यालय सिराली, हरदा	अशासकीय	कला, कॉमर्स
30	हरदा	स्वामी विवेकानन्द शासकीय पीजी महाविद्यालय हरदा	शासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, प्रबंधन एवं तकनीक
31	नर्मदापुरम	गवर्नमेंट होम एससी महाविद्यालय, नर्मदापुरम	शासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, तकनीक एवं स्वास्थ्य
32	नर्मदापुरम	शासकीय महाविद्यालय पचमढ़ी	शासकीय	कला
33	नर्मदापुरम	शासकीय महाविद्यालय सुखतवा	शासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स
34	नर्मदापुरम	शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय, इटारसी, जिला. नर्मदा पुरम	शासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, तकनीक
35	नर्मदापुरम	एच.एल. अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	शिक्षा
36	नर्मदापुरम	जे.एल.एन. मेमोरियल कॉलेज, सोहागपुर	अशासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, तकनीक
37	नर्मदापुरम	श्री गजानन शिक्षा समिति महाविद्यालय	अशासकीय	कला. कॉमर्स, प्रबंधन , तकनीक
38	रायसेन	शासकीय महाविद्यालय बड़ी रायसेन	शासकीय	कला
39	रायसेन	शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा	शासकीय	कला, कॉमर्स
40	रायसेन	के.पी.एम महाविद्यालय सुल्तानपुर	अशासकीय	विज्ञान, कॉमर्स शिक्षा
41	रायसेन	प्रिंसटन महाविद्यालय उदयपुरा	अशासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	संकाय
42	रायसेन	राजा भोज शासकीय महाविद्यालय, मण्डीदीप	शासकीय	कला, कॉमर्स एवं विज्ञान
43	रायसेन	राजीव गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, औबेदुल्लागंज	अशासकीय	शिक्षा
44	रायसेन	रेनू महाविद्यालय	अशासकीय	शिक्षा
45	रायसेन	वैष्णवी प्रबंधन संस्थान	अशासकीय	प्रबंधन
46	रायसेन	वीर सावरकर शासकीय महाविद्यालय, ओबेदुल्लागंज रायसेन	शासकीय	कला, कॉमर्स, विज्ञान, तकनीक
47	राजगढ़	आदर्श महाविद्यालय	अशासकीय	प्रबंधन
48	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर	शासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स
49	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय सुठालिया	शासकीय	कला, विज्ञान
50	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय, सारंगपुर	शासकीय	कला, कॉमर्स, विज्ञान, तकनीक
51	राजगढ़	प्रज्ञा सागर महाविद्यालय पचोर	अशासकीय	कला, विज्ञान, प्रबंधन
52	राजगढ़	आरजी महाविद्यालय बोड़ा	अशासकीय	कला, विज्ञान
53	सीहोर	अल्फ़ा संस्थान	अशासकीय	प्रबंधन
54	सीहोर	एम्पल ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	कला, विज्ञान, शिक्षा
55	सीहोर	शासकीय महाविद्यालय रेहटी	शासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स
56	सीहोर	शासकीय महाविद्यालय, डोबी	शासकीय	कला
57	सीहोर	शासकीय महाविद्यालय, बुधनी	शासकीय	कला, कॉमर्स. विज्ञान
58	सीहोर	शासकीय गर्ल्स महाविद्यालय	शासकीय	कला, कॉमर्स, प्रबंधन
59	सीहोर	व्यावसायिक अध्ययन का आदर्श महाविद्यालय	अशासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स
60	सीहोर	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	अशासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स, प्रबंधन, तकनीक
61	सीहोर	श्री राजाभोज महाविद्यालय	अशासकीय	कला, कॉमर्स
62	सीहोर	सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय ककरदा रेहटी	अशासकीय	कला
63	सीहोर	सुंदरम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ज्वार	अशासकीय	कला, विज्ञान
64	सीहोर	विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	विज्ञान, शिक्षा
65	विदिशा	बुन्देलखण्ड महाविद्यालय	अशासकीय	कला
66	विदिशा	सी.आई.एस.टी. महाविद्यालय	अशासकीय	तकनीक, प्रबंधन
67	विदिशा	शासकीय महाविद्यालय, नटेरन	शासकीय	कला

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	संकाय
68	विदिशा	शासकीय एलबीएस महाविद्यालय, सिरोंज	शासकीय	कला, कॉमर्स, विज्ञान, तकनीक
69	विदिशा	गुरुदेव श्री विद्यासागर प्रबंधन संस्थान	अशासकीय	प्रबंधन
70	विदिशा	आई.आई.एच.आर.डी. महाविद्यालय	अशासकीय	कला, विज्ञान, कॉमर्स
71	विदिशा	जवाहर लाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय, गंज बासौदा	अशासकीय	शिक्षा
72	विदिशा	एल.बी.एस महाविद्यालय गंजबासौदा	अशासकीय	कला, विज्ञान कॉमर्स, तकनीक
73	विदिशा	नमोकार महाविद्यालय	अशासकीय	शिक्षा
74	विदिशा	प्रेस्टीज महाविद्यालय	अशासकीय	कला, कॉमर्स
75	विदिशा	शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, शमशबाद	अशासकीय	कॉमर्स, तकनीक
76	विदिशा	स्वामी विवेकानन्द डिग्री महाविद्यालय सिरोंज	अशासकीय	कला, विज्ञान, शिक्षा

परिशिष्ट-3.1.11

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.11, पृष्ठ संख्या 83)

अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों के वेतन का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम वेतन	महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला अधिकतम वेतन	भुगतान मोड (नकद/ई-भुगतान/चेक)
1	भोपाल	विद्यादायिनी महाविद्यालय	15,000	46,466	
2	भोपाल	लक्ष्मीपति महाविद्यालय	8,000	35,000	
3	भोपाल	कस्तूरबा गर्ल्स महाविद्यालय	2,800	6,720	
4	नर्मदापुरम	एच.एल. अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इटारसी	12,000	25,000	
5	भोपाल	कैरियर महाविद्यालय ऑफ़ लॉ	2,436	28,975	
6	विदिशा	सी.आई.एस.टी. महाविद्यालय	28,500	28,500	नगद
7	विदिशा	आई.आई.एच.आर.डी महाविद्यालय	5,000	15,000	
8	भोपाल	कोपल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस	6,960	23,628	
9	विदिशा	एल.बी.एस महाविद्यालय, गंज बासौदा	6,600	26,200	
10	विदिशा	नमोकार महाविद्यालय	24,375	29,800	
11	भोपाल	शारदा विहार शिक्षा महाविद्यालय	19,607	35,740	
12	भोपाल	एस.एस. महाविद्यालय	22,000	25,000	नगद
13	भोपाल	श्री राम महाविद्यालय	20,000	32,000	
14	भोपाल	चौहान महाविद्यालय	8,000	14,000	नगद
15	भोपाल	विद्यापीठ शिक्षा संस्थान	21,500	42,000	
16	रायसेन	रेनू महाविद्यालय मंडीदीप	12,600	21,050	
17	रायसेन	वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	20,300	26,000	
18	रायसेन	के.पी.एम महाविद्यालय सुल्तानपुर रायसेन	16,500	16,500	नगद

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम वेतन	महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला अधिकतम वेतन	भुगतान मोड (नकद/ई-भुगतान/चेक)
19	भोपाल	राजीव गांधी विधि कॉलेज (अशासकीय)	4,000	25,460	नगद
20	भोपाल	राजीव गांधी प्रबंधन संस्थान	12,000	17,900	नगद
21	भोपाल	व्यावसायिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	28,000	69,368	
22	सीहोर	आदर्श व्यावसायिक अध्ययन कॉलेज	9,600	18,700	नगद
23	सीहोर	एम्पल ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन	10,000	18,000	नगद
24	सीहोर	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सीहोर	5,000	40,000	
25	सीहोर	विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन	21,500	21,500	नगद
26	विदिशा	बुन्देलखण्ड कॉलेज	प्रदान नहीं किया गया		
27	हरदा	सतपुड़ा वैली कॉलेज, सिराली	6,900	20,000	
28	विदिशा	शहीद भगत सिंह डिग्री कॉलेज, शमसाबाद	8,000	8,000	
29	नर्मदापुरम	श्री गजानन शिक्षा समिति, सोहागपुर	15,500	20,000	
30	विदिशा	स्वामी विवेकानन्द डिग्री कॉलेज, सिरोंज	1,500	4,000	नगद
31	राजगढ़	आदर्श कॉलेज जीरापुर	20,000	23,000	
32	राजगढ़	प्रज्ञा सागर पचोर	15,525	38,000	
33	सीहोर	सुंदरम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडी	6,000	7,000	
34	भोपाल	जवाहर लाल नेहरू कॉलेज	6,000	23,850	
35	भोपाल	एस.आर.सी. कॉलेज	वेतनमान प्रदान किया गया		
36	भोपाल	श्री सत्य साई महिला कॉलेज	8,620	34,478	
37	रायसेन	प्रिंसटन कॉलेज उदयपुरा	6,000	14,000	
38	विदिशा	प्रेस्टीज कॉलेज	उपलब्ध नहीं		
39	विदिशा	गुरुदेव श्री विद्यासागर प्रबंधन संस्थान	15,600	38,000	

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला न्यूनतम वेतन	महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला अधिकतम वेतन	भुगतान मोड (नकद/ई-भुगतान/चेक)
40	नर्मदापुरम	जे.एल.एन. मेमोरियल कॉलेज सोहागपुर	12,384	20,720	
41	भोपाल	जय हिंद डिफेंस कॉलेज	8,000	15,000	
42	हरदा	हरदा डिग्री कॉलेज	प्रदान नहीं किया गया		
43	रायसेन	राजीव गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ओबेदुल्लाह्गंज	6,500	25,000	
44	भोपाल	साधु वासवानी स्वायत्त कॉलेज	9,000	36,671	
45	भोपाल	ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीनोलॉजी एंड रिसर्च	वेतनमान प्रदान किया गया		
46	सीहोर	अल्फा इंस्टीट्यूट कॉलेज, श्यामपुर	10,000	22,000	
47	सीहोर	श्री राजाभोज कॉलेज, सीहोर	6,000	11,000	नगद
48	विदिशा	जवाहर लाल नेहरू स्मृति कॉलेज, गंज बासौदा	वेतनमान प्रदान किया गया		नगद
49	राजगढ़	आर जी कॉलेज, बोड़ा	6,000	15,000	नगद
50	सीहोर	सुभाष चंद्र बोस कॉलेज रेहटी	अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये		

परिशिष्ट-3.1.12
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.12, पृष्ठ संख्या 83)
मान्यता प्राप्त न करने वाले महाविद्यालयों का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	महाविद्यालय स्थापना वर्ष	क्या महाविद्यालय स्थायी रूप से विश्वविद्यालय से संबद्ध है	क्या महाविद्यालय को छह वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मान्यता मिली है
1	भोपाल	कैरियर लॉ कॉलेज	अशासकीय	2000	नहीं	नहीं
2	भोपाल	चौहान महाविद्यालय	अशासकीय	2014	नहीं	नहीं
3	भोपाल	गवर्नमेंट महाविद्यालय नरेला	शासकीय	2016	नहीं	नहीं
4	भोपाल	जय हिंद डिफेंस कॉलेज	अशासकीय	1998	नहीं	नहीं
5	भोपाल	लक्ष्मीपति महाविद्यालय	अशासकीय	2013	नहीं	नहीं
6	भोपाल	राजीव गांधी विधि महाविद्यालय	अशासकीय	2017	नहीं	नहीं
7	भोपाल	राजीव गांधी प्रबंधन संस्थान	अशासकीय	2009	नहीं	नहीं
8	भोपाल	एस.एस. महाविद्यालय	अशासकीय	2016	नहीं	नहीं
9	भोपाल	शारदा विहार शिक्षा महाविद्यालय	अशासकीय	2014	नहीं	नहीं
10	भोपाल	ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च	अशासकीय	2009	नहीं	नहीं
11	भोपाल	विद्यापीठ शिक्षा संस्थान	अशासकीय	2014	नहीं	नहीं
12	भोपाल	विद्यादायिनी विज्ञान, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान	अशासकीय	2009	नहीं	नहीं
13	हरदा	हरदा डिग्री महाविद्यालय	अशासकीय	2000	नहीं	नहीं
14	हरदा	सतपुड़ा वैली महाविद्यालय	अशासकीय	2012	नहीं	नहीं
15	हरदा	स्वामी विवेकानन्द पीजी महाविद्यालय, हरदा	शासकीय	1963	नहीं	हां

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	महाविद्यालय स्थापना वर्ष	क्या महाविद्यालय स्थायी रूप से विश्वविद्यालय से संबद्ध है	क्या महाविद्यालय को छह वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मान्यता मिली है
16	नर्मदापुरम	शासकीय महाविद्यालय पचमढ़ी	शासकीय	1989	नहीं	नहीं
17	नर्मदापुरम	एच एल अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	2002	नहीं	नहीं
18	रायसेन	शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा	शासकीय	1986	नहीं	नहीं
19	रायसेन	केपीएम महाविद्यालय सुल्तानपुर	अशासकीय	2010	नहीं	नहीं
20	रायसेन	प्रिंसटन महाविद्यालय उदयपुरा	अशासकीय	2012	नहीं	नहीं
21	रायसेन	राजा भोज शासकीय महाविद्यालय, मंडी दीप	शासकीय	2012	नहीं	हां
22	रायसेन	राजीव गांधी शिक्षा महाविद्यालय, औबेदुल्लागंज	अशासकीय	2003	नहीं	नहीं
23	रायसेन	रेनू महाविद्यालय मंडीदीप	अशासकीय	1997	नहीं	नहीं
24	रायसेन	वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	अशासकीय	2017	नहीं	नहीं
25	राजगढ़	प्रज्ञा सागर महाविद्यालय, पिछोर	अशासकीय	2013	नहीं	नहीं
26	सीहोर	अल्फा इंस्टीट्यूट कॉलेज, श्यामपुर	अशासकीय	2013	नहीं	नहीं
27	सीहोर	एम्पल ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	2017	नहीं	नहीं
28	सीहोर	आइडियल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (आई.पी.ई.आर.)	अशासकीय	2012	नहीं	नहीं
29	सीहोर	आर.बी.बी.एस. शासकीय महाविद्यालय, डोबी	शासकीय	2012	नहीं	नहीं
30	सीहोर	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	अशासकीय	2011	नहीं	नहीं
31	सीहोर	सुंदरम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जावर	अशासकीय	2014	नहीं	नहीं

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	महाविद्यालय स्थापना वर्ष	क्या महाविद्यालय स्थायी रूप से विश्वविद्यालय से संबद्ध है	क्या महाविद्यालय को छह वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मान्यता मिली है
32	सीहोर	स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय बुधनी	शासकीय	2010	नहीं	नहीं
33	सीहोर	विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	2017	नहीं	नहीं
34	विदिशा	बुन्देलखण्ड महाविद्यालय	अशासकीय	2015	नहीं	नहीं
35	विदिशा	सी.आई.एस.टी. महाविद्यालय	अशासकीय	2010	नहीं	नहीं
36	विदिशा	शासकीय महाविद्यालय नटेरन	शासकीय	2012	नहीं	नहीं
37	विदिशा	आई.आई.एच.आर.डी महाविद्यालय	अशासकीय	2009	नहीं	नहीं
38	विदिशा	नमोकार महाविद्यालय	अशासकीय	2014	नहीं	नहीं
39	विदिशा	शहीद भगत सिंह डिग्री महाविद्यालय	अशासकीय	2004	नहीं	नहीं
40	भोपाल	शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान	शासकीय	1956	नहीं	नहीं
41	भोपाल	श्री राम महाविद्यालय	अशासकीय	2019	नहीं	नहीं
42	रायसेन	राजकीय महाविद्यालय बड़ी	शासकीय	2018	नहीं	नहीं
43	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय, सुठालिया	शासकीय	2018	नहीं	नहीं

परिशिष्ट-3.1.13
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.13, पृष्ठ संख्या 84)
भूमि की कमी वाले महाविद्यालयों का विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	स्ट्रीम का नाम	महाविद्यालय का स्थान	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्र की आवश्यकता (मानदंडों के अनुसार) (एकड़ में)	भूमि क्षेत्र की कमी (एकड़ में)
1	भोपाल	शासकीय महाविद्यालय नरेला भोपाल	शासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.13	2	1.87
2	भोपाल	जय हिंद डिफेंस कॉलेज	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	1.26	2	0.74
3	भोपाल	जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.06	2	1.94
4	भोपाल	कस्तूरबा बालिका महाविद्यालय	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.07	2	1.93
5	भोपाल	राजीव गांधी विधि महाविद्यालय	अशासकीय	विधि	शहरी	0.25	2	1.75
6	हरदा	शासकीय डिग्री महाविद्यालय टिमरनी	शासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	ग्रामीण	2.47	5	2.53
7	हरदा	स्वामी विवेकानन्द पीजी महाविद्यालय, हरदा	शासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	1.14	2	0.86
8	नर्मदापुरम	शासकीय महाविद्यालय पचमढ़ी	शासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.70	2	1.30
9	नर्मदापुरम	शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी	शासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.87	2	1.13
10	नर्मदापुरम	श्री गजानन शिक्षा समिति	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	ग्रामीण	2.00	5	3.00
11	रायसेन	प्रिंसटन महाविद्यालय उदयपुरा	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.16	2	1.84
12	रायसेन	राजा भोज शासकीय महाविद्यालय, मंडीदीप	शासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	ग्रामीण	0.46	5	4.54

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	स्ट्रीम का नाम	महाविद्यालय का स्थान	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्र की आवश्यकता (मानदंडों के अनुसार) (एकड़ में)	भूमि क्षेत्र की कमी (एकड़ में)
13	राजगढ़	प्रज्ञा सागर महाविद्यालय, पिछोर	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	1.15	2	0.85
14	राजगढ़	आर जी महाविद्यालय, बोड़ा	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.35	2	1.65
15	सीहोर	अल्फा इंस्टीट्यूट कॉलेज, श्यामपुर	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	ग्रामीण	3.00	5	2.00
16	सीहोर	आइडियल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.17	2	1.83
17	सीहोर	श्री राजाभोज महाविद्यालय, सीहोर	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	ग्रामीण	3.00	5	2.00
18	सीहोर	सुंदरम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जावर, सीहोर	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	ग्रामीण	0.34	5	4.66
19	विदिशा	बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, विदिशा	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	ग्रामीण	0.11	5	4.89
20	विदिशा	आई.आई.एच.आर.डी. महाविद्यालय	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	शहरी	0.43	2	1.57
21	विदिशा	प्रेस्टीज महाविद्यालय	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम	ग्रामीण	3.10	5	1.90
22	सीहोर	एम्पल ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम, शिक्षा	ग्रामीण	2.17	5+0.62	3.45
23	रायसेन	केपीएम महाविद्यालय सुल्तानपुर रायसेन	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम, शिक्षा	ग्रामीण	3	5+0.62	2.62

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	स्ट्रीम का नाम	महाविद्यालय का स्थान	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	क्षेत्र की आवश्यकता (मानदंडों के अनुसार) (एकड़ में)	भूमि क्षेत्र की कमी (एकड़ में)
24	भोपाल	शारदा विहार शिक्षा महाविद्यालय	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम, शिक्षा	ग्रामीण	3.1	5+0.62	2.52
25	सीहोर	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सीहोर	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम, प्रबंधन	शहरी	0.091	2+0.5	2.409
26	हरदा	सतपुरा वैली महाविद्यालय	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम प्रबंधन	ग्रामीण	1.81	5+0.5	3.69
27	विदिशा	शहीद भगत सिंह डिग्री महाविद्यालय	अशासकीय	सामान्य पाठ्यक्रम, प्रबंधन	ग्रामीण	0.0826	5+0.5	5.4174
28	विदिशा	सीआईएसटी महाविद्यालय	अशासकीय	प्रबंधन , तकनीक	शहरी	0.117	0.5	0.383
29	रायसेन	रेनू महाविद्यालय मण्डीदीप रायसेन	अशासकीय	शिक्षा	शहरी	0.33	0.62	0.29
30	रायसेन	राजीव गांधी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ओबेदुल्लाह्गंज	अशासकीय	शिक्षा	ग्रामीण	0.52	0.62	0.1

परिशिष्ट-3.1.14
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.13, पृष्ठ संख्या 85)
महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	पार्किंग क्षेत्र की उपलब्धता हां/नहीं	खेल के मैदान की उपलब्धता हां/नहीं	बहुउद्देशीय हॉल की उपलब्धता हां/नहीं	सम्मेलन कक्षों की उपलब्धता हां/नहीं	कैंटीन/कैफेटेरिया की उपलब्धता हां/नहीं	गर्ल्स कॉमन रूम की उपलब्धता हां/नहीं
1	भोपाल	कस्तूरबा बालिका महाविद्यालय	अशासकीय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	नर्मदापुरम	एच.एल. अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इटारसी	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
3	नर्मदापुरम	शासकीय महाविद्यालय, सुखतवा	शासकीय	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
4	नर्मदापुरम	शासकीय महाविद्यालय, पचमढ़ी	शासकीय	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
5	विदिशा	सीआईएसटी महाविद्यालय	अशासकीय	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6	विदिशा	आईआईएचआरडी महाविद्यालय	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
7	विदिशा	एलबीएस महाविद्यालय, गंज बासौदा	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
8	विदिशा	नमोकार महाविद्यालय	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
9	भोपाल	शारदा विहार शिक्षा महाविद्यालय	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
10	भोपाल	एस.एस.महाविद्यालय	अशासकीय	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां
11	भोपाल	श्री राम महाविद्यालय	अशासकीय	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं
12	भोपाल	चौहान महाविद्यालय	अशासकीय	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	पार्किंग क्षेत्र की उपलब्धता हां/नहीं	खेल के मैदान की उपलब्धता हां/नहीं	बहुउद्देशीय हॉल की उपलब्धता हां/नहीं	सम्मेलन कक्षों की उपलब्धता हां/नहीं	कैंटीन/कैफेटेरिया की उपलब्धता हां/नहीं	गर्ल्स कॉमन रूम की उपलब्धता हां/नहीं
13	भोपाल	विद्यापीठ शिक्षा संस्थान	अशासकीय	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
14	रायसेन	रेनू महाविद्यालय	अशासकीय	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां
15	रायसेन	वैष्णवी संस्थान रायसेन	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	हां	हां
16	रायसेन	केपीएम महाविद्यालय सुल्तानपुर रायसेन	अशासकीय	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
17	रायसेन	शासकीय महाविद्यालय बाड़ी	शासकीय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
18	रायसेन	शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा	शासकीय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां
19	भोपाल	व्यावसायिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	अशासकीय	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
20	सीहोर	आइडियल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	अशासकीय	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
21	सीहोर	एम्पल ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
22	सीहोर	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सीहोर	अशासकीय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
23	सीहोर	विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बरकेड़ी, सीहोर	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
24	हरदा	सतपुड़ा वैली महाविद्यालय, सिराली	अशासकीय	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	पार्किंग क्षेत्र की उपलब्धता हां/नहीं	खेल के मैदान की उपलब्धता हां/नहीं	बहुउद्देशीय हॉल की उपलब्धता हां/नहीं	सम्मेलन कक्षों की उपलब्धता हां/नहीं	कैंटीन/कैफेटेरिया की उपलब्धता हां/नहीं	गर्ल्स कॉमन रूम की उपलब्धता हां/नहीं
25	विदिशा	शहीद भगत सिंह डिग्री महाविद्यालय, शमसाबाद,	अशासकीय	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां
26	नर्मदापुरम	श्री गजानन शिक्षा समिति, शुहागपुर	अशासकीय	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां
27	विदिशा	स्वामी विवेकानन्द डिग्री महाविद्यालय, सिरोंज	अशासकीय	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
28	हरदा	स्वामी विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदा	शासकीय	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
29	सीहोर	शिक्षा महाविद्यालय, रेहटी	शासकीय	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
30	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय, सुठालिया	शासकीय	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
31	सीहोर	सुंदरम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जावर	अशासकीय	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
32	रायसेन	प्रिंसटन महाविद्यालय उदयपुरा	अशासकीय	हां	नहीं	नहीं		नहीं	हां
33	विदिशा	शासकीय महाविद्यालय नटेरन	शासकीय	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	
34	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय सारंगपुर	शासकीय	नहीं			हां	नहीं	हां

परिशिष्ट-3.1.15

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.14, पृष्ठ संख्या 85)

महाविद्यालयों के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के संबंध में विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	महाविद्यालय का नाम	स्ट्रीम	पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या
1	विदिशा	सी.आई.एस.टी. महाविद्यालय	प्रबंधन , तकनीक	746
2		एस. एस. महाविद्यालय	शिक्षा	363
3	विदिशा	शहीद भगत सिंह डिग्री महाविद्यालय शमशाबाद	कला, कॉमर्स	485
4	सीहोर	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सीहोर	विज्ञान, कला, कॉमर्स, प्रबंधन , तकनीक	341
5	विदिशा	बुंदेलखंड महाविद्यालय	विज्ञान, कला, कॉमर्स	187
6	हरदा	सतपुड़ा वैली महाविद्यालय	कला, कॉमर्स, प्रबंधन	889
7	विदिशा	स्वामी विवेकानन्द डिग्री महाविद्यालय, सिरोंज	विज्ञान, कला, कॉमर्स	529
8	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय सुथालिया	कला, विज्ञान	195
9	राजगढ़	सुंदरम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जवार	कला, विज्ञान	410
10	राजगढ़	आर. जी. महाविद्यालय, बोडा	कला, विज्ञान	719
11	विदिशा	प्रेस्टीज महाविद्यालय, विदिशा	कला, कॉमर्स	300

परिशिष्ट-3.1.16

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.16.1, पृष्ठ संख्या 88)

स्वीकृत एवं कार्यरत गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विवरण

स. क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थ किया गया (वर्षवार)				रिक्त पद (वर्षवार)			
				2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	अधिकारी संवर्ग	कुलपति	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2		रेक्टर	1	0	0	0	0	1	1	1	1
3		रजिस्ट्रार	1	1	0	0	0	0	1	1	1
4		वित्त नियंत्रक	1	1	1	0	1	0	0	1	0
5		उप रजिस्ट्रार	5	5	4	5	4	0	1	0	1
6		परीक्षा नियंत्रक	1	0	0	0	0	1	1	1	1
7		सहायक रजिस्ट्रार	6	6	6	6	5	0	0	0	1
8		कुलपति के सचिव	1	0	1	1	0	1	0	0	1
9		पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	0	0	0	1	1	1	1
10		डीन, महाविद्यालय विकास परिषद (डी.सी.डी.सी)	1	0	0	0	0	1	1	1	1
11		डीन, छात्र कल्याण (डी.एस.डब्ल्यू.)	1	0	0	0	0	1	1	1	1
12		निदेशक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ	1	0	0	0	0	1	1	1	1
13		निदेशक शारीरिक शिक्षा	1	0	0	1	1	1	1	0	0
14		निदेशक पत्राचार	1	0	0	0	0	1	1	1	1
15		कार्यक्रम समन्वयक (एन.एस.एस.)	1	1	1	1	1	0	0	0	0
16		उप निदेशक पत्राचार	1	1	1	1	1	0	0	0	0
17		वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट	1	0	0	0	0	1	1	1	1

स. क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थ किया गया (वर्षवार)				रिक्त पद (वर्षवार)			
				2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
18		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	0	0	0	1	1	1	1
19		सूचना प्रौद्योगिकी प्रेस	1	0	0	0	0	1	1	1	1
20		वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-2	1	1	0	0	0	0	1	1	1
21		प्लेसमेंट अधिकारी	1	1	1	1	1	0	0	0	0
22		प्रोग्रामर (कंप्यूटर विज्ञान विभाग)	1	0	0	0	0	1	1	1	1
23		प्रोग्रामर (कंप्यूटर केंद्र)	2	2	2	2	2	0	0	0	0
24		विश्वविद्यालय यांत्रिक	1	0	0	0	0	1	1	1	1
25		सुरक्षा अधिकारी	1	0	0	0	0	1	1	1	1
26	वर्ग-III, स्थापना	अनुभाग अधिकारी, अधीक्षक, सहायक ग्रेड-I, II और III,	227	178	170	169	148	49	57	58	79
27	तकनीकी संवर्ग की स्थापना	तकनीकी संवर्ग	31 (जबकि 2021-22 तक स्वीकृति 35 थी)	31	30	30	27	9	9	9	10
28	वर्ग-IV संवर्ग की स्थापना	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	160	113	103	101	98	47	57	59	62
29	तकनीकी शिक्षण विभाग की स्थापना	तकनीकी शिक्षण विभाग	59 (जबकि 2020-21 तक स्वीकृति 53 थी)	40	40	41	34	13	13	18	25

स. क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थ किया गया (वर्षवार)				रिक्त पद (वर्षवार)			
				2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
30	केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना	केंद्रीय पुस्तकालय	4	4	4	3	2	0	0	1	2
31	विश्वविद्यालय मुद्रण की स्थापना	विश्वविद्यालय मुद्रणालय	23	12	11	10	9	11	12	13	14
32	शिक्षण विभाग की स्थापना	स्थापना शिक्षण विभाग	33	16	16	14	13	17	17	19	20
33	सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम की स्थापना	निदेशक, सहायक निदेशक, परियोजना अधिकारी	4	2	2	2	2	2	2	2	2
34	राजीव गांधी पीठ की स्थापना	प्राध्यापक, अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ अनुसन्धान अध्येता	5	4	4	4	0	1	1	1	5
35	महिला अध्ययन विभाग की स्थापना	निदेशक, अनुसन्धान अधिकारी	2	2	1	1	1	0	1	1	1
36	दूरस्थ शिक्षा विभाग की स्थापना	दूरस्थ शिक्षा विभाग	17	10	10	11	11	7	7	6	6
	कुल		**600**	**432**	**409**	**405**	**362**	**171**	**193**	**203**	**244**

परिशिष्ट-3.1.17

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.16.4, पृष्ठ संख्या 93)

शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए महाविद्यालयों में उपलब्ध न होने वाली सुविधाओं का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	भवन खंड का नाम	मंजिलों की संख्या	रेलिंग के साथ रैम्प की उपलब्धता	रेलिंग की उपलब्धता	बहुमंजिला भवन में लिफ्ट की उपलब्धता	दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय	दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा
1	भोपाल	कैरियर लॉ कॉलेज	मुख्य भवन	3	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
2	भोपाल	शासकीय हमीदिया कला और कॉमर्स महाविद्यालय	ए-ब्लॉक	2	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
			बी-ब्लॉक	2	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
			ए वी-ब्लॉक	2	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
			पी-ब्लॉक	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
			जी-ब्लॉक	1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
			एच-ब्लॉक	2	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
			नया भवन	2	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
			वर्चुअल	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
3	भोपाल	शासकीय गीतांजलि बालिका महाविद्यालय	पुराना भवन	3	हां	हां	नहीं	हां	हां
			नया भवन	4	हां	हां	हां	हां	हां
4	भोपाल	व्यावसायिक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आई.पी.ई.आर.)	व्यावसायिक शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीडीसीएम)	3	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
5	भोपाल	कस्तूरबा बालिका महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	4	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	भवन खंड का नाम	मंजिलों की संख्या	रेलिंग के साथ रैम्प की उपलब्धता	रेलिंग की उपलब्धता	बहुमंजिला भवन में लिफ्ट की उपलब्धता	दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय	दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा
6	भोपाल	कोपल कॉलेज फॉर एक्सीलेंस	कोपल कॉलेज फॉर एक्सीलेंस	3	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
7	भोपाल	लक्ष्मीपति महाविद्यालय,	बी ब्लॉक	4	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
8	भोपाल	राजीव गांधी लॉ कॉलेज (प्राइवेट)	राजीव गांधी लॉ कॉलेज	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
9	भोपाल	राजीव गांधी प्रबंधन संस्थान	राजीव गांधी प्रबंधन संस्थान	4		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10	भोपाल	एस.एस. महाविद्यालय	एस.एस. महाविद्यालय	4	नहीं	हां	नहीं	हां	हां
11	भोपाल	श्री राम महाविद्यालय	श्री राम महाविद्यालय	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
12	भोपाल	शारदा विहार शिक्षा महाविद्यालय		3	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
13	भोपाल	विद्यापीठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	विद्यापीठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	4	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
14	भोपाल	विद्यादायिनी विज्ञान, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संस्थान	विद्यादायिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी - विधि	5	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
			विद्यादायिनी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी	3	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
15	भोपाल	जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	5	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	भवन खंड का नाम	मंजिलों की संख्या	रेलिंग के साथ रैम्प की उपलब्धता	रेलिंग की उपलब्धता	बहुमंजिला भवन में लिफ्ट की उपलब्धता	दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय	दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा
16	भोपाल	श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय	मुख्य भवन	2	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
17	भोपाल	साधु वासवानी स्वायत्त महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
18	भोपाल	ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीनोलॉजी एंड रिसर्च,	एमबीए	1,2,3	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
19	भोपाल	शासकीय महाविद्यालय, नरेला	वाणिज्यिक कक्ष	1,2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	भोपाल	सरोजनी नायडू शासकीय कन्या महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	1,2,3	हां	हां	हां	हां	हां
21	भोपाल	शासकीय एम.एल.बी. महाविद्यालय	विज्ञान, कला, कॉमर्स	1,2,3	हां	हां	नहीं	हां	हां
22	भोपाल	जय हिंद डिफेंस महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	3 (जी+2)	हां	हां	नहीं	हां	हां
23	भोपाल	शासकीय एमवीएम महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	2 जी+1)	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
24	हरदा	सतपुड़ा वैली महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
25	हरदा	स्वामी विवेकानन्द पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय, हरदा	स्वामी विवेकानंद पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय, हरदा	2	हां	हां	नहीं	हां	हां
26	हरदा	हरदा डिग्री महाविद्यालय, हरदा	महाविद्यालय भवन	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	भवन खंड का नाम	मंजिलों की संख्या	रेलिंग के साथ रैम्प की उपलब्धता	रेलिंग की उपलब्धता	बहुमंजिला भवन में लिफ्ट की उपलब्धता	दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय	दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा
27	हरदा	शासकीय डिग्री महाविद्यालय, हरदा	महाविद्यालय भवन	1,2,3	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
28	नर्मदापुरम	शासकीय महाविद्यालय, पचमढ़ी	महाविद्यालय भवन	1	हां	हां	लागू नहीं	नहीं	नहीं
29	नर्मदापुरम	एचएल अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन	महाविद्यालय भवन 01	3	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
			महाविद्यालय भवन02	2	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
30	नर्मदापुरम	श्री गजानन शिक्षा समिति	श्री गजानन शिक्षा समिति	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां
31	नर्मदापुरम	शासकीय महाविद्यालय, सुखतवा	महाविद्यालय भवन	3	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
32	नर्मदापुरम	शासकीय बालिका महाविद्यालय इटारसी	महाविद्यालय भवन	2 (जी+1)	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
33	नर्मदापुरम	जेएलएन मेमोरियल कॉलेज सोहागपुर	महाविद्यालय भवन	2 (जी+1)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
34	नर्मदापुरम	शासकीय गृह विज्ञान पीजी महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	3 (जी+2)	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
35	रायसेन	रेनू महाविद्यालय मण्डीदीप रायसेन	महाविद्यालय भवन	3	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	भवन खंड का नाम	मंजिलों की संख्या	रेलिंग के साथ रैम्प की उपलब्धता	रेलिंग की उपलब्धता	बहुमंजिला भवन में लिफ्ट की उपलब्धता	दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय	दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा
36	रायसेन	वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायसेन	एमबीए ब्लॉक	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
37	रायसेन	शासकीय महाविद्यालय बड़ी रायसेन	शासकीय गर्ल्स स्कूल बड़ी	1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
38	रायसेन	शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा रायसेन	शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा रायसेन	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
39	रायसेन	केपीएम महाविद्यालय सुल्तानपुर रायसेन	भवन 1	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
40	रायसेन	प्रिंसटन महाविद्यालय उदयपुरा	महाविद्यालय भवन	3	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
41	रायसेन	राजीव गांधी महाविद्यालय शिक्षा	महाविद्यालय भवन	2	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
42	रायसेन	शासकीय वीर सावरकर महाविद्यालय	विज्ञान, कला एवं कॉमर्स	1,2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
43	राजगढ़	आदर्श महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
44	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय, सुठालिया	मुख्य भवन	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
45	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर	शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर	1	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
46	राजगढ़	प्रज्ञा सागर महाविद्यालय, पचोर	महाविद्यालय भवन	3	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं
47	राजगढ़	आरजी महाविद्यालय, बोड़ा	मुख्य भवन	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	भवन खंड का नाम	मंजिलों की संख्या	रेलिंग के साथ रैम्प की उपलब्धता	रेलिंग की उपलब्धता	बहुमंजिला भवन में लिफ्ट की उपलब्धता	दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय	दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा
48	राजगढ़	शासकीय महाविद्यालय, सारंगपुर	पुराना भवन	2	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
			नया विज्ञान भवन	2	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं
49	सीहोर	एम्पल ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन	एम्पल महाविद्यालय	5	हां	हां	नहीं	हां	हां
50	सीहोर	शासकीय महाविद्यालय रेहटी	शासकीय महाविद्यालय रेहटी	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
51	सीहोर	आइडियल कॉलेज ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज	आइडियल कॉलेज	3	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
52	सीहोर	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, सीहोर	सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
53	सीहोर	सुंदरम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज जावर, सीहोर	महाविद्यालय भवन	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
54	सीहोर	विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन	महाविद्यालय भवन	3	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
55	सीहोर	सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय ककरदा रेहटी	महाविद्यालय भवन	विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान पर महाविद्यालय संचालित नहीं था					
56	सीहोर	स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय बुधनी	महाविद्यालय भवन	2 (G+1)	केवल प्रथम तल पर	केवल प्रथम तल पर	नहीं	हां	नहीं
57	सीहोर	अल्फ़ा महाविद्यालय	मुख्य ब्लॉक	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	भवन खंड का नाम	मंजिलों की संख्या	रेलिंग के साथ रैम्प की उपलब्धता	रेलिंग की उपलब्धता	बहुमंजिला भवन में लिफ्ट की उपलब्धता	दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय	दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा
58	सीहोर	शासकीय कन्या महाविद्यालय	मुख्य बिल्डिंग विज्ञान बिल्डिंग, कंप्यूटर प्रयोगशाला	2	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
59	विदिशा	बुंदेलखंड महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	1	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
60	विदिशा	सी.आई.एस.टी. महाविद्यालय	सी.आई.एस.टी. कॉलेज	3	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
61	विदिशा	आई.आई.एच.आर.डी. महाविद्यालय	कक्षाएँ	1	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
62	विदिशा	एल.बी.एस. महाविद्यालय, गंज बसौदा	ब्लॉक-ए	2	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
			ब्लॉक-बी	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
			ब्लॉक-सी (केवल भूतल)	1	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
63	विदिशा	नमोकार महाविद्यालय	शैक्षणिक ब्लॉक	3	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं
64	विदिशा	शहीद भगत सिंह डिग्री महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	1	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
65	विदिशा	स्वामी विवेकानन्द डिग्री महाविद्यालयसिरोंज	महाविद्यालय भवन	2	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं
66	विदिशा	प्रेस्टीज महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	2	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
67	विदिशा	गुरुदेव श्री विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट	प्रबंधन ब्लॉक	2	हां	हां	नहीं	हां	नहीं

स. क्र.	जिले का नाम	महाविद्यालय का नाम	भवन खंड का नाम	मंजिलों की संख्या	रेलिंग के साथ रैम्प की उपलब्धता	रेलिंग की उपलब्धता	बहुमंजिला भवन में लिफ्ट की उपलब्धता	दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय	दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय की सुविधा
68	विदिशा	जवाहर लाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय, गंजबासौदा	बी.एड.	2	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं
69	विदिशा	शासकीय एल.बी.एस. महाविद्यालय, सिरोंज	मुख्य भवन	2	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
70	भोपाल	श्री सत्य साईं महिला महाविद्यालय	मुख्य भवन		हां	हां	नहीं	नहीं	हां
			बी.एड भवन		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
			पुस्तकालय		हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां
			विधि भवन		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
			गृह विज्ञान भवन		हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
71	विदिशा	शासकीय महाविद्यालय,नटेरन	महाविद्यालय भवन		हां	हां	नहीं	हां	नहीं
72	रायसेन	राजा भोज शासकीय महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	1	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	नहीं
73	सीहोर	श्री राजा भोज महाविद्यालय	महाविद्यालय भवन	1	हां	हां	नहीं	हां	हां
74	सीहोर	आर.बी.बी.एस. शासकीय महाविद्यालय, डोबी	महाविद्यालय भवन	1	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
75	भोपाल	उन्नत अध्ययन संस्थान,	महाविद्यालय भवन	2	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
76	भोपाल	चौहान कॉलेज ऑफ एजुकेशन	महाविद्यालय भवन	4	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

परिशिष्ट-3.1.18

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.1.16.5, पृष्ठ संख्या 95)

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दर्शाने वाला विवरण

मूलभूत सुविधाएँ	इंदिरा गांधी बालिका छात्रावास	महारानी लक्ष्मी बाई बालिका छात्रावास	निवेदिता बालिका छात्रावास	जवाहर लाल नेहरू बालक छात्रावास	संजय गांधी बालक छात्रावास	मुंशी प्रेमचंद बालक छात्रावास
सी सी टी वी कैमरे की उपलब्धता	प्रवेश द्वार पर केवल एक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
वाई-फाई की उपलब्धता	केवल भूतल पर	कमरे के अंदर काम नहीं	केवल भूतल पर	हां	हां	बहुत कम आवृत्ति
टी वी की उपलब्धता	काम नहीं कर रहा	काम नहीं	हां	उपलब्ध नहीं	नहीं	हां
विकलाग व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
अग्नि सुरक्षा सुविधा	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
दीवारों में नमी	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
इनडोर गेम की सुविधा	केवल कैरम बोर्ड उपलब्ध है	नहीं	उपलब्ध	नहीं	ना	हां
गर्म पानी की सुविधा	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
आरओ सुविधा की उपलब्धता	नहीं	नहीं	केवल भूतल पर	काम नहीं कर रहा	भूतल पर काम नहीं कर रहा	हां

मूलभूत सुविधाएँ	इंदिरा गांधी बालिका छात्रावास	महारानी लक्ष्मी बाई बालिका छात्रावास	निवेदिता बालिका छात्रावास	जवाहर लाल नेहरू बालक छात्रावास	संजय गांधी बालक छात्रावास	मुंशी प्रेमचंद बालक छात्रावास
वाटर कूलर की उपलब्धता	पहली मंजिल पर काम नहीं कर रहा है	बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रहा	पहली मंजिल पर काम नहीं कर रहा	हां	हां	हां
आलमारी की उपलब्धता	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
अन्य	कुछ कमरों में बिजली के स्विच बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं	-	दो कमरे खराब हालत के कारण उपयोग करने लायक नहीं हैं	पहली मंजिल के शौचालय से भूतल तक पानी का रिसाव, कुछ कमरों में पंखा नहीं है या बहुत धीमा है	-	-

परिशिष्ट-3.2.1

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.2.1, पृष्ठ संख्या 97)

चयनित जिलों और उपखंड/तहसीलों का विवरण

क्र.सं.	चयनित जिले का नाम	प्रत्येक चयनित जिलें के दो उप- खण्ड/तहसील का नाम
1	भोपाल	कोलार, हुज़ूर
2	इन्दौर	कनाडिया, बिचौलीहप्सी
3	ग्वालियर	भितरवार, तानसेन
4	जबलपुर	कुंडम, रांझी
5	धार	डही, पीथमपुर
6	बालाघाट	खैरलांजी, बालाघाट
7	शहडोल	गोहपारू, सोहागपुर
8	दमोह	दमोह, बटियागढ
9	गुना	आरोन, कुंभराज
10	छतरपुर	बिजावर, बक्सवाहा

प्रकरणों के चयन हेतु मापदण्ड

चयन विवरण	चयन का आधार
कॉलोनी विकास अनुमति प्रकरण	चयनित कलेक्ट्रेट/उप-खण्ड कार्यालयों में कुल प्रकरणों का 10 प्रतिशत, अधिकतम 20 प्रकरण।
भूमि व्यपवर्तन प्रकरण	व्यपवर्तित क्षेत्र के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित प्रकरणों की सूची से शीर्ष 25 प्रकरण तथा यादृच्छिक आधार पर 25 प्रकरण।

परिशिष्ट-3.2.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.2.2, पृष्ठ संख्या 99)

लागू नियमों के प्रावधानों के विपरीत भूमि व्यपवर्तन

(क्षेत्रफल वर्गमीटर में)

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
जिला भोपाल, तहसील हुजूर										
1	कनासिया	22041371647	राजेन्द्र सिंह परमार	799/1, 800/1/2, 806, 815	4	48460	48460	कृषि	आवासीय	कृषि
2	छावनी पठार	22039785563	सतीश चन्द्र विश्वकर्मा	22, 23, 29	3	36320	36320	कृषि	आवासीय	कृषि
3	पिपलिया जहिरपीर	22006910386	मोहसीन खान	826, 827, 828, 829, 830, 832, 833, 834, 842	9	35700	35700	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
4	पिपलिया जहिरपीर	22006963888	मीर खान	749/2, 808/1/1/1, 808/1/2/1, 808/1/2/3, 808/1/3/1, 808/1/3/3, 808/1/4, 824	8	34600	34600	कृषि	व्यावसायिक	कृषि, विद्यमान सड़क
5	छावनी पठार	22040959906	जय नारायण चौकसे	256/3, 256/4	2	34210	34210	कृषि	शैक्षणिक	विद्यमान सड़क, कृषि
6	रोलुखेडी	22037298068	अरूण पटेल	45/3/2, 50, 52, 56/1	4	30376	30376	कृषि	आवासीय	कृषि

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
7	रोलुखेडी	22038934044	अर्जुन सिंगरोले	45/2/2, 64/1/2	2	30351	30351	कृषि	आवासीय	कृषि
8	मालीखेडी	22036980778	अभय मिश्रा	220/1, 220/2, 222	3	30100	30100	कृषि	आवासीय	कृषि
9	नीलबाग	22043316707	नीलम वर्मा	131, 132/1, 132/2, 133, 134	5	27800	27800	कृषि	आवासीय एवं व्यावसायिक	कृषि
10	पिपलिया जहिरपीर	22003969175	मैसर्स त्रिदेव लॉजिस्टिक एण्ड वेयरहाउसिंग पार्क	733, 735, 736, 737	4	26800	26800	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
11	नरोन्हा संकल	22004130460	जस्टिन अकारा	30, 39, 40	3	40270	24819	कृषि	शैक्षणिक	विद्यमान सड़क, कृषि
12	डोबरा	22005280406	मनोहर पाटीदार	104, 105/2, 243/2/2, 244/2, 245/1, 246, 305/243/2/1	7	23300	23300	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
13	बंदरखा सड़क	22026155119	सौदान सिंह	217/2, 218 , 220 , 49/2/1 , 50	5	21900	21900	कृषि	आवासीय एवं व्यावसायिक	कृषि
14	कनासिया	22030779778	बृजेश मित्तल	842/1	1	20920	20920	कृषि	आवासीय	कृषि
15	आदमपुर छावनी	22047087509	दुलार सिंह	101	1	28820	20234	कृषि	आवासीय	कृषि

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
16	कुराना	22007886659	गुलशन तोलानी	262/2/2/1, 262/2/2/2, 262/2/2/3	3	20230	20230	कृषि	आवासीय	कृषि
17	गोलखेडी	22005768723	उत्तम कुमार देसवाल	119, 120, 121	3	18100	18100	कृषि	आवासीय	कृषि, विद्यमान सड़क
18	जमोनिया छीर	22005829792	महेश पाटीदार	52, 55/1, 55/2	3	17200	17200	कृषि	आवासीय	कृषि
19	नीलबाग	22025668740	चन्दन मिश्रा	235/1/1/1	1	2150	125	कृषि	आवासीय	कृषि
20	अमझेरा	22044869921	इति प्रजापति	500/1/1	1	18800	222	कृषि	आवासीय	कृषि
21	नीलबाग	22037578371	सुनिता	50/1	1	864	105	कृषि	आवासीय	कृषि
22	नीलबाग	22015461049	आभा	547/1	1	4008	90	कृषि	आवासीय	कृषि
23	लाम्बाखेडा	22016562556	बृजेश कुमार	142/2	1	4040	50	कृषि	आवासीय	कृषि
24	पिपल्या बैखान	22024374851	मिथलेश गावन्दे, रेखा गावन्दे	95/6/1	1	1890	140	कृषि	आवासीय	कृषि
25	इस्लाम नगर	22008942510	नसीमा	264	1	1660	110	कृषि	आवासीय	कृषि
26	अरवलिया	22050207037	पंचम दास	265/1/1/2/1/1	1	1028	55	कृषि	आवासीय	कृषि
27	आरेडी	22026682964	प्रभावती शर्मा	90	1	9100	116	कृषि	आवासीय	कृषि

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
28	पुरामनभवन	22007261011	लीलाकृष्ण	89/1	1	1300	63	कृषि	आवासीय	कृषि
29	नीलबाग	22011128881	अभिषेक द्विवेदी	84/1	1	3182	93	कृषि	आवासीय	कृषि
30	नीलबाग	22021627179	रमेश चन्द्र चौहान	97/1/1/1/1/1/1/1	1	10273	90	कृषि	आवासीय	कृषि
31	लाम्बाखेडा	22009778601	प्रकाश शर्मा	250/1/B	1	5340	155	कृषि	औद्योगिक	कृषि
32	बरखेडाना थू	22038879456	गोवर्धन कुशवाहा	56/2/2/1/1	1	7808	93	कृषि	आवासीय	कृषि
33	नीलबाग	22007925819	काजल लालवानी	534/1/6	1	660	110	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
34	चोपरा कलान	22028495086	जगदीश धुर्वे	159/3/1/1	1	8090	56	कृषि	आवासीय	कृषि
35	पिपलिया बजखान	22005379597	मुकेश मालवीय	433/2/2	1	5100	85	कृषि	आवासीय	कृषि
36	पिपलिया बजखान	22014539129	विनय कुमार सिंह	133/2/1	1	3900	85	कृषि	आवासीय	कृषि
37	नीलबाग	22023109062	रजनी शुक्ला	55	1	1100	94	कृषि	आवासीय	कृषि
38	इसलामपुर	22042261488	सायरा बी	340/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	1	5575	56	कृषि	आवासीय	कृषि

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
39	घाटखेडी	22007768314	महेन्द्र सिंह	184/2	1	4860	122	कृषि	आवासीय	कृषि
40	नीलबाग	22040678743	नीलिमा पल्लवी राम सक्सेना	203/1	1	400	56	कृषि	व्यावसायिक	कृषि, विद्यमान सड़क
41	जमोनिया छीर	22042491441	रूकमणी भलराई	171/3	1	11780	56	कृषि	आवासीय	कृषि
42	नीलबाग	22008484848	शुसीला भारके	81/1/1/1/1/1	1	10925	75	कृषि	आवासीय	कृषि
43	परवलिया सडक	22010595270	जितेन्द्र कुमार	315/1/1/1/1	1	3387	139	कृषि	आवासीय	कृषि, विद्यमान सड़क
44	डोबरा	22049061306	कोमल मीना	82/2	1	400	50	कृषि	व्यावसायिक	विद्यमान सड़क, कृषि
45	कालखेडा	22046547269	ममता शुक्ला	533/1/1/1	1	12020	202	कृषि	आवासीय	कृषि
46	ईंटखेडी सडक	22023452215	गीता देवी विश्वकर्मा	302	1	6800	61	कृषि	आवासीय	कृषि
47	लाम्बाखेडा	22023726832	महेश तीर्थानी	149/2/2/2/1/1	1	729	149	कृषि	व्यावसायिक	विद्यमान सड़क, कृषि
48	श्यामपुर	22024680743	श्रीमती संध्या राय	139/1	1	5000	220	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
49	पिपलिया बैखान	22026370529	सुरेश	406/1	1	4019	81	कृषि	आवासीय	कृषि

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
50	अरेडी	22028475568	सलीता कैवे	82/1	1	1610	93	कृषि	आवासीय	कृषि
51	नीलबाग	22013017245	जयदयाल	97/1/1/1	1	10666	111	कृषि	आवासीय	कृषि
52	नीलबाग	22042650657	मनोज कुमार मिश्रा एवं साधना	526/3/1/1/1/1/1/1/1/1	1	7167	92	कृषि	आवासीय	कृषि
53	मेनडोरी	22019209231	मंजूलता श्रीवास्तव	267/1/2	1	4000	140	कृषि	आवासीय	कृषि
54	अरेडी	22010649145	विजेन्द्र सिंह दायमा	314/2	1	2020	56	कृषि	आवासीय	कृषि
55	पिपलिया बैखान	22043109212	सोनिया रजक	95/5/1/1/1/1/1	1	1602	50	कृषि	आवासीय	कृषि
56	राताताल	22007890184	इगनाटियस डूंगडूंग	557/1/क	1	13440	139	कृषि	आवासीय	कृषि
57	कालखेडा	22036024448	अजमेर सिंह	82/2/10	1	460	100	कृषि	आवासीय	कृषि
58	पिपलिया जहिरपीर	22009028103	श्रीमती चेतना	563/3/1	1	9458	110	कृषि	आवासीय	कृषि
59	अरेडी	22029997452	नीतेश मिश्रा	24/2/1	1	2259	130	कृषि	आवासीय	विद्यमान सड़क, कृषि
60	नीलबाद	22006911075	सतीश चन्द्र शर्मा	533	1	10800	114	कृषि	आवासीय	कृषि
61	कुराना	22011465757	गुलशन तोलानी	262/1/3/1/1	1	3410	100	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
62	लाम्बाखेडा	22023308454	मनोज कुमार एवं संजय	148/1/2/1/1/1/1/1	1	4741	148	कृषि	व्यावसायिक	विद्यमान सड़क, कृषि

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
63	नीलबाद	22007776030	जितेन्द्र कुमार यादव	179/10/1	1	780	160	कृषि	आवासीय	कृषि
64	जमोनिया छीर	22027960839	ममता शर्मा	184/1/2/2/1	1	5977	93	कृषि	आवासीय	कृषि, विद्यमान सड़क
				योग	**116**	**760035**	**506260**			
जिला भोपाल, तहसील कोलार										
1	बाबडिया कला	22042710238	मनीष व्यास	80/1/7/1	1	320	320	आवासीय	व्यावसायिक	प्रस्तावित आवासीय, विद्यमान सड़क
2	बैरागढ़ चिचली	22042725677	आशीष कुमार सिंह	278/4/3/1	1	500	500	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित आवासीय, विद्यमान सड़क
3	बाबडिया कला	22007178467	अतुल कुमार अग्रवाल	7/4/5/3	1	1010	1010	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित आवासीय
4	भैरोपुर	22005608016	योगेश सोनी	86/1	1	500	500	कृषि	शैक्षणिक	प्रस्तावित आवासीय
5	हिनोतिया आलम	22008981744	रंजीत सिंह	185/1/1/1/1	1	15207	74	कृषि	आवासीय	कृषि
6	हिनोतिया आलम	22021824927	राकेश राजपुत	185/1/1/1/1/1/1/1/1/1 /1/1/1	1	14558	74	कृषि	आवासीय	कृषि

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
7	समरधा कलियासोत	22004640184	भगवान दास चौकसे	373/1/1	1	1710	1000	कृषि	व्यावसायिक	कृषि, विद्यमान सड़क
8	मिसरोद	22009038661	तुलसीराम पाटीदार	206/1, 207/1/1	2	2020	650	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित आवासीय, विद्यमान सड़क
9	बाबडिया कला	22012392899	श्रीमती कमला	140/1/1/2	1	1010	405	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित आवासीय, विद्यमान सड़क
10	बाबडिया कला	22030985091	पुष्पेन्द्रपाल सिंह	80/2/1/1, 8/1/2	2	480	480	कृषि	व्यावसायिक	जल निकाय, विद्यमान मनोरंजन, प्रस्तावित आवासीय
11	भैरोपुर	22013027021	सदानन्द श्रोती	374	1	2300	920	कृषि	शैक्षणिक	कृषि
12	भैरोपुर	22013532150	सदानन्द श्रोती	350	1	22600	17600	कृषि	शैक्षणिक	जल निकाय, विद्यमान मनोरंजन, कृषि
13	मक्सी	22020026847	लिसबास मधु पनसे	104/2, 104/3, 105/2, 106/2	4	14220	14220	कृषि	शैक्षणिक	कृषि

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
14	सलैया	22044509081	विरेन्द्र तिवारी	188	1	11900	11900	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित आवासीय
15	भैरोपुर	22013584340	सदानन्द श्रोती	337/1	1	11200	11200	कृषि	शैक्षणिक	जल निकाय, विद्यमान मनोरंजन, कृषि
16	बैरागढ़ चिचली	22004977312	उमेश यादव	355/1	1	10900	10900	कृषि	आवासीय	कृषि
17	समरधा कलियासोत	22030904876	राहुल कुमार स्वामी	224/2/2	1	10120	10120	कृषि	आवासीय	कृषि
18	मिसरोद	22020272526	किशन मोदी	133/2/2	1	10120	10120	कृषि	आवासीय	कृषि
19	भैरोपुर	22013577978	सदानन्द श्रोती	375	1	12700	9320	कृषि	शैक्षणिक	कृषि, विद्यमान मनोरंजन
				योग	**24**	**143375**	**101313**			
जिला इन्दौर, तहसील बिचौलीहप्सी										
1	कलोदकर ताल	22040603143	भूपेन्द्र पाटिल	960/1/2/2	1	1160	1160	कृषि	आवासीय	सड़क 75 मी., कम घनत्व आवासीय, नियंत्रण क्षेत्र 45 मी.

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
2	बडियाकीमा	22006884741	महक बलवानी	460/2	1	4050	1000	कृषि	औद्योगिक एवं खनन	कृषि, सड़क 18 मी.
3	सनावदिया	22011696216	नीतु	760/5	1	5560	500	कृषि	शैक्षणिक	सड़क 75 मी., कृषि
4	उमरियाखुर्द	22047170513	धर्मेन्द्र ठाकुर	302	1	490	100	कृषि	आवासीय	कृषि
5	उमरीखेडा	22047306020	सतनाम कौर सलूजा	21/1, 21/2, 22, 29	4	25750	25750	कृषि	आवासीय	कृषि, कृषि, पी.यू.एफ.
				योग	**8**	**37010**	**28510**			
जिला धार, तहसील पीथमपुर										
1	बरदारी	22024205915	राघवेन्द्र विनिमय प्रा.लि.	114/1, 114/2, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6/1, 116/6/2, 117/2, 117/4, 117/6, 117/7, 118/2, 118/3, 118/5, 118/6, 118/7	17	69350	69350	कृषि	आवासीय	प्रस्तावित सड़क
2	गावला	22003443116	संजय लुनावत	79/2/2/2	1	18810	18810	कृषि	आवासीय	वन, कृषि
3	सिलोटिया	22009079125	धर्मेन्द्र	259/3/2	1	840	840	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित सड़क

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
4	उमरियाखुर्द	22008839211	मोहन सिंह	71/2	1	1050	1050	कृषि	आवासीय	प्रस्तावित सड़क, कृषि
5	सिलोटिया	22033874354	रंजीत सिंह कचनारे	237/3/3	1	930	930	कृषि	औद्योगिक एवं खनन	प्रस्तावित सड़क
				योग	**21**	**90980**	**90980**			
जिला दमोह, तहसील दमोह										
1	महुआखेडा	22014971250	मेसर्स डायमण्ड सिमेंट फैक्ट्री	133, 164, 174, 177, 178, 37	6	21700	21700	कृषि	औद्योगिक एवं खनन	कृषि (37)
2	महुआखेडा	22023890686	शुषमा जैन	192, 193	**2**	21500	21500	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
3	लदनबाग	22050476440	फर्म रब इन्फ्राटेक पार्टनर	57	1	11700	11700	कृषि	आवासीय	कृषि
4	समन्ना रैयतवारी	22023307848	अमित कुमार जैन	54/2, 60/1/1/1/1, 60/3/2	3	4500	4500	कृषि	आवासीय	कृषि
5	इमलाई	22008994110	बलराम राय	529/1	1	2040	2040	कृषि	आवासीय	कृषि
6	सिंगपुर	22026106504	जयालक्ष्मी पसारी	359/1/1	1	3490	400	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
				योग	**14**	**64930**	**61840**			

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
जिला शहडोल, तहसील सोहागपुर										
1	सोहागपुर	22036042803	अतुल कुमार तिवारी	12/1/1	1	11730	11730	कृषि	शैक्षणिक	कृषि, विद्यमान आवासीय
2	कोतमा	1314070600073150000000	सहीदा बेगम	1561	1	11130	11130	कृषि	व्यावसायिक	कृषि
3	कोतमा	22034926022	मृदुल अग्रवाल	86/1/2/1	1	3640	3640	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित वनीकरण
4	जमुआ	22044130820	जगदीश चन्द्र	465/1/1/1/1/1/1/1/2	1	669	669	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर
5	जमुआ	22043909380	निर्भय प्रताप सिंह	465/1/1/1/1/1/1/1/1	1	14192	608	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर
6	जमुई	22018268736	अजय कुमार मुन्द्रा	384/1/1/3	1	1050	558	कृषि	व्यावसायिक	प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर, स्टेडियम
7	केवलारी	1314070600079170000000	शेख मुस्लिम	47/6/2	1	2030	280	कृषि	व्यावसायिक	विद्यमान आवासीय, प्रस्तावित आवासीय.
				योग	**7**	**44441**	**28615**			

स. क्र.	ग्राम	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	सर्वेक्षण क्रमांक	अंतर्निहित सर्वेक्षण क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	व्यपवर्तित क्षेत्रफल	व्यपवर्तन के पूर्व भूमि उपयोग	व्यपवर्तन का उद्देश्य	नगर एवं ग्राम निवेश के अनुसार भूमि उपयोग
जिला जबलपुर, तहसील रांझी										
1	कटियाघाट	22008228709	सरवजीत सिंह मोखा	223	1	19100	19100	कृषि	शैक्षणिक	कृषि, प्रस्तावित आवासीय
				योग	1	19100	19100			
107				**महायोग**	**191**	**11,59,871**	**8,36,618**			

परिशिष्ट -3.2.3
(संदर्भ : कंडिका संख्या 3.2.3, पृष्ठ संख्या 100)
पंचायत उपकर के अवनिर्धारण के कारण राजस्व हानि

(राशि ₹ में)

स.क्र.	जिला	उप-खण्ड	कुल प्रकरण	जांच किए गए प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिसमें पंचायत उपकर आरोपित किया गया है	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम	भू राजस्व	योग	पंचायत उपकर लगाया जाना चाहिए	लगाया गया पंचायत उपकर	अवनिर्धारण/पंचायत उपकर कम लगाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11(8+9)/2	12	13(11-12)
1	भोपाल	हुज़ूर	4132	100	100	1402893	22456132	2483875.5	24940007	12470003.5	1241937.75	11228065.75
		कोलार	723	100	77	829735	15058992	1626661	16685653	8342826.5	813330	7529496.5
2	इन्दौर	बिचौलीहप्सी	565	50	40	1089724	9251075	1170243	10421318	5210659	585121	4625538
		कनाडिया	476	50	33	1187461	1773353	596187.5	2369540	1184770	298093.25	886676.75
3	धार	डही	230	50	30	56280	170010	56670	226680	113340	28334.5	85005.5
		पीथमपुर	291	50	23	69545	217035	63820	280855	140427.5	31910	108517.5
4	गुना	आरोन	317	50	16	118480	340230	113410	453640	226820	56705	170115
		कुंभराज	227	50	13	115700	191812.5	63937.5	255750	127875	31968.25	95906.75
5	शहडोल	सोहागपुर	2710	50	35	423826	1520592	373359	1893951	946975.5	186678.5	760297
		गोहपारू	207	50	29	135494	329970	109990	439960	219980	54995	164985
6	बालाघाट	बालाघाट	3284	50	37	202990	481170	146345	627515	313757.5	73172.5	240585
		खैरलांजी	1263	50	50	124080	236752	79622.5	316374.5	158187.25	39780.75	118406.5

स.क्र.	जिला	उप-खण्ड	कुल प्रकरण	जांच किए गए प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिसमें पंचायत उपकर आरोपित किया गया है	व्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	प्रीमियम	भू राजस्व	योग	पंचायत उपकर लगाया जाना चाहिए	लगाया गया पंचायत उपकर	अवनिर्धारण/पंचायत उपकर कम लगाया गया
7	छतरपुर	बिजावर	759	50	34	90740	254395	84865	339260	169630	42932.5	126697.5
		बक्सवाह	165	50	21	37230	96927.5	32508.5	129436	64718	16254.26	48463.74
8	दमोह	दमोह	2000	50	33	473013	3295724	606876.5	3902600.5	1951300.25	303438.25	1647862
		बटियागढ़	592	50	37	91864	262348.5	87449.5	349798	174899	43724.75	131174.25
9	ग्वालियर	तानसेन	32	32	32	131748	268779	89593	358372	179186	44796.5	134389.5
		भितरवार	264	50	18	122443	312432	104144	416576	208288	52072	156216
10	जबलपुर	कुण्डम	123	50	46	151758	466177	155542	621719	310859.5	77770.25	233089.25
		रांझी	1000	50	1	16350	24525	8175	32700	16350	4087.5	12262.5
		योग	**19360**	**1082**	**705**	**6871354**	**57008431**	**8053274.5**	**65061705**	**32530852.5**	**4027102.51**	**28503749.99**

परिशिष्ट-3.2.4

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.2.4, पृष्ठ संख्या 101)

अव्यपवर्तित भूमि पर कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्रदान करना

स. क्र.	प्रकरण संख्या	जिला	तहसील	ग्राम	कॉलोनाइजर का नाम	विकास अनुमति प्रदान का दिनांक	खसरा क्रमांक जिसके लिए अनुमति दी गई	कुल क्षेत्रफल जिसके लिए अनुमति दी गई (वर्गमीटर में)	कुल अव्यपवर्तित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कॉलम 10 में सम्मिलित सर्वेक्षण क्रमांक	व्यपवर्तन का उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0003/B-121/2022-23	बालाघाट	वारासिवनी	वारा	परम बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स	01-04-2022	289/10	1740	1570	10	आवासीय
2	0015/B-121/2022-23	बालाघाट	वारासिवनी	वारा	संजय सिंह कछवाहा	17-06-2022	622/7, 623/1/1/1/1, 624/13, 620/5, 621/1, 621/12, 623/69, 624/79	11480	1450	2	आवासीय
3	0001/B-121/2022-23	बालाघाट	वारासिवनी	वारासिवनी	परम बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स	01-04-2022	289/1/3	2100	2100	12	आवासीय
4	0002/B-121/2022-23	बालाघाट	वारासिवनी	वारासिवनी	परम बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स	01-04-2022	289/1/2	2320	2320	12	आवासीय
								योग	**7440 (0.744 हेक्टेयर)**	**36**	

परिशिष्ट-3.2.5

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.2.5, पृष्ठ संख्या 102)

अव्यपवर्तित भूमि पर अवैध कॉलोनी के विकास से राजस्व हानि

स. क्र.	जिला	उप-खण्ड	अवैध कॉलोनी की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रीमियम की दर (नगर परिषद के लिए ₹3 प्रति वर्ग मीटर)	प्रीमियम	नगर परिषद के लिए भू-राजस्व की दर ₹1 प्रति वर्ग मीटर	राजस्व	योग (प्रीमियम+ राजस्व)	शास्ति	महायोग
1	2	3	4	5	6	7	8 (6*7)	9	10 (6*9)	11 (8+10)	12 (कॉलम 11 का 50 प्रतिशत)	13 (11+12)
1	धार	कुक्षी	26	31.377	313770	3	941310	1	313770	1255080	627540	1882620
2	गुना	आरोन	15	11.956	119560	3	358680	1	119560	478240	239120	717360
		योग	**41**	**43.333**	**433330**		**1299990**		**433330**	**1733320**	**866660**	**2599980**

परिशिष्ट-3.2.6

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.2.7, पृष्ठ संख्या 103)

विक्रय विलेख/बँटवारे के माध्यम से शासकीय भूमि के पंजीकरण से जुड़े प्रकरण

स.क्र.	आवेदक/क्रेता का नाम	*तहसील/ग्राम*	अंतर्निहित शासकीय सर्वेक्षण क्रमांक	शासकीय भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	भूरियाबाई	*तहसील आरोन, ग्राम घटावदा*	172	0.6380
2	दलूपा पुत्र केसरिया	*तहसील आरोन, ग्राम घटावदा*	163 एवं 172/2	1.359
3	मुन्नाबाई	*तहसील आरोन, ग्राम काकरवाय*	28/1 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज	1.934
4	पहलवान सिंह	*तहसील आरोन, ग्राम रोसिवा*	सर्वेक्षण क्रमांक 73 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज	2.5
5	शिव प्रताप सिंह	*तहसील आरोन, ग्राम घटावदा*	172/1	सर्वेक्षण क्रमांक 172 में क्षेत्रफल सम्मिलित (स.क्र. 1)
			योग	**6.43 हेक्टेयर**

परिशिष्ट-3.3.1

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.3, पृष्ठ संख्या 107)

गैर-अधिसूचित क्षेत्र में विधिसम्मत प्राधिकार के बिना आदिवासी जनजातियों की भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को अंतरण

क्र. सं.	प्रकरण सं.	जिला	तहसील	गाँव	खसरा नं.	विक्रेता का नाम (आदिवासी)	विक्रेता की जाति	खरीददार का नाम (गैर-आदिवासी)	भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमति की तिथि
1	0001/ए-21/2014-15	दमोह	पथरिया	उमराहो	310, 311	कल्याण सिंह गोंड	गोंड	राजकुमारी मिश्रा	0.85	27-01-2015
2	0001/ए-21/2015-16	दमोह	तेंदूखेड़ा	तेंदूखेड़ा	513	बसंत सिंह गोंड	गोंड	हीरालाल साहू	0.332	28-10-2015
3	0002/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	नारगुआन	346,347	पुसाऊ गोंड पुत्र मोतीलाल गोंड	गोंड	मुन्ना चौधरी	0.49	28-12-2011
4	0002/ए-21/2014-15	दमोह	पथरिया	बंसकलां	20/1	मुन्ना गोटे	गोंड	श्रीमती सीतारानी	1.22	29-01-2015
5	0002/ए-21/2015-16	दमोह	तेंदूखेड़ा	तेंदूखेड़ा	646/3	प्रीतम सिंह गोंड	गोंड	सुनील कुमार साहू	1.129	04-11-2015
6	0003/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	अमवाही	391	छन्नूलाल गोंड	गोंड	श्रीमती जमना बाई	1.44	11-01-2012
7	0003/ए-21/2015-16	दमोह	जबेरा	काकरेता	136/1	अभय कुमार गोंड	गोंड	राजेश दुबे	0.55	19-11-2015
8	0004/ए-21/2011-12	दमोह	दमोह	शीशपुर	30, 42/12, 43/3, 43/4	सुब्बी सिंह गोंड	गोंड	अमित प्यासी और भरत सिंह लोधी	1.33	16-01-2012

क्र. सं.	प्रकरण सं.	जिला	तहसील	गाँव	खसरा नं.	विक्रेता का नाम (आदिवासी)	विक्रेता की जाति	खरीददार का नाम (गैर-आदिवासी)	भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमति की तिथि
9	0004/ए-21/2015-16	दमोह	तेंदूखेड़ा	दौनी	377/1	चुन्नीलाल गोंड	गोंड	श्रीमती विमला लोधी	1.8	23-11-2015
10	0005/ए-21/2014-15	दमोह	बटियागढ़	देवगांव	12	किशोरी गोंड	गोंड	दिनेश अत्या	0.2	30-04-2015
11	0005/ए-21/2015-16	दमोह	तेंदूखेड़ा	दौनी	377/1	चुन्नीलाल गोंड	गोंड	मुरली लोधी	2	26-11-2015
12	0006/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	तेंदूखेड़ा	252/3	हलकाई गोंड	गोंड	श्रीमती गीता बाई सोनी	0.32	16-03-2012
13	0006/ए-21/2014-15	दमोह	पथरिया	सुजनीपुर	125/5, 126/2, 132	नन्हेभाई आदिवासी	गोंड	रामचरन तिवारी एवं कल्पना मिश्रा	2	09-06-2015
14	0006/ए-21/2015-16	दमोह	जबेरा	सहसना	22/2'	इटिया गोंड पुत्र नन्ना सिंह गोंड	गोंड	राजकुमार राय	0.6	27-11-2015
15	0007/ए-21/2011-12	दमोह	जबेरा	सलैयाबादी	96/1, 96/2	सुरूप सिंह एवं भूरे सिंह गोंड	गोंड	राज अवस्थी	1.8	20-03-2012
16	0007/ए-21/2014-15	दमोह	बटियागढ़	महुआखेड़ा	335	भड्डू गोंड	गोंड	मिथिलेश विदोलिया	0.55	30-05-2015
17	0007/ए-21/2015-16	दमोह	तेंदूखेड़ा	महगुआन	629	करणसिंह गोंड	गोंड	देवीसिंह लोधी	0.75	27-11-2015
18	0008/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	पणजी	132, 134'	मुसादी गोंड	गोंड	मुनीम और सुशील यादव	2.66	11-05-2012

क्र. सं.	प्रकरण सं.	जिला	तहसील	गाँव	खसरा नं.	विक्रेता का नाम (आदिवासी)	विक्रेता की जाति	खरीददार का नाम (गैर-आदिवासी)	भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमति की तिथि
19	0009/ए-21/2011-12	दमोह	दमोह	हतारी	23, 274, 276	दिब्बू गोंड	गोंड	महेंद्र पटेरिया	1.47	09-04-2012
20	0009/ए-21/2014-15	दमोह	तेंदूखेड़ा	तेंदूखेड़ा	174/1, 174/2, 174/3, 174/4	तांतु गोंड	गोंड	संतोष जैन	0.919	08-07-2015
21	0010/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	टिपानी	95, 97, 98, 206	जग्गू, मदन, मुंगा और अन्नी गोंड	गोंड	राजेंद्र जैन	4.78	28-04-2012
22	0010/ए-21/2014-15	दमोह	बटियागढ़	सेमकाचर	7/2, 95/2, 135/2, 145/2	भुवानी गोंड	गोंड	चित्तर सिंह, बाबूलाल, कृपाल, दिनेश यादव और मेवाबाई यादव	1.56	29-07-2015
23	0011/ए-21/2011-12	दमोह	पटेरा	देवडोगरा	768	कांचेड़ी गोंड	गोंड	श्री माधव सिंह	1.3	05-05-2012
24	0011/ए-21/2014-15	दमोह	बटियागढ़	सेमकाचर	7/3, 101/2, 145/3	सुकाई सिंह गोंड	गोंड	चित्तर सिंह, बाबूलाल, कृपाल, दिनेश	1.13	19-08-2015

क्र. सं.	प्रकरण सं.	जिला	तहसील	गाँव	खसरा नं.	विक्रेता का नाम (आदिवासी)	विक्रेता की जाति	खरीददार का नाम (गैर-आदिवासी)	भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमति की तिथि
								यादव और मेवाबाई यादव		
25	0012/ए-21/2014-15	दमोह	तेंदूखेड़ा	गोपालपुर	319, 323'	हरप्रसाद गोंड	गोंड	राजेंद्र सिंह और वीरबहादुर सिंह लोधी	1.78	15-09-2015
26	0013/ए-21/2014-15	दमोह	तेंदूखेड़ा	खमतारा	247	खेतसिंह गोंड	गोंड	गजराज यादव	1.61	31-08-2015
27	0014/ए-21/2014-15	दमोह	बटियागढ़	सेमकाचर	7/1, 101/1, 135/1, 145/1	गीताबाई गोंड	गोंड	चित्तर सिंह, बाबूलाल, कृपाल, दिनेश यादव और मेवाबाई यादव	2.7	23-09-2015
28	0017/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	तेंदूखेड़ा	646/1	रूपरानी गोंड	गोंड	शरद साहू	1.129	30-07-2012
29	0020/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	अमवाही	165,174, 266, 282, 369, 316	शंकरलाल और मुन्ना गोंड	गोंड	ज्ञानी पुत्र भक्तूपाल	2.16	31-08-2012
30	0021/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	सरस्वागली	81	झमसिंह गोंड	गोंड	श्रीमती अंगूरीबाई जैन	0.96	31-08-2012

क्र. सं.	प्रकरण सं.	जिला	तहसील	गाँव	खसरा नं.	विक्रेता का नाम (आदिवासी)	विक्रेता की जाति	खरीददार का नाम (गैर-आदिवासी)	भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमति की तिथि
31	0022/ए-21/2011-12	दमोह	तेंदूखेड़ा	सर्वकुही	3	राजकुमार और राधाबाई गोंड	गोंड	मुन्नालाल जैन	4.4	31-08-2012
32	0003/ए-21/2011-12	छतरपुर	छतरपुर	पिप्रोकला	1117, 1118, 1119, 1122, 1123	मथुरा, तनई परमा कंदर	कोंडर	श्रीमती प्रियंका राजे	3.555	03-05-2013
33	0081/ए-21/2017-18	छतरपुर	राजनगर	कुंडपुरा	1326/4	मनका तनय कोन्डर	कोंडर	शिवराम द्विवेदी	1.571	04-08-2018
34	0002/ए-21/2011-12	छतरपुर	राजनगर	टिकुरी	1773/1	नाथू, परमानंद, रामेश्वर कोंडर	कोंडर	कबीर फाउंडेशन खजुराहो	0.809	24-01-2013
35	0034/ए-21/2015-16	छतरपुर	छतरपुर	अतरार	1028/2, 1029	धन्नी कोंडर	कोंडर	श्रीमती रामकुमारी यादव	1.197	09-09-2016
36	0059/ए-21/2017-18	छतरपुर	छतरपुर	निवरिया	1198, 1199, 1200,	श्रीमती कारीबाई कोंडर	कोंडर	बल्लू सेन, बाबू सेन और रामबागस सेन	0.712	03-05-2018

क्र. सं.	प्रकरण सं.	जिला	तहसील	गाँव	खसरा नं.	विक्रेता का नाम (आदिवासी)	विक्रेता की जाति	खरीददार का नाम (गैर-आदिवासी)	भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमति की तिथि
					1204, 1298					
37	0062/ए-21/2018-19	छतरपुर	छतरपुर	पिप्रोकला	945	भगवती, राजेश, रामकुंवर, लालता, सुकृति, रज्जोकोंदर	कोंडर	सुशील शिवहरे	1.684	27-02-2019
38	0071/ए-21/2017-18	छतरपुर	बिजावर	सताई	777, 778, 779, 780, 804	चंगा और सुकना कोंडर	कोंडर	माहेश्वरी प्रसाद अग्निहोत्री और आशाराम शुक्ला	1.114	05-06-2018
39	0093/ए-21/2017-18	छतरपुर	छतरपुर	पिप्रोकलां	940/2/3	हीरालाला तनय कोंडर	कोंडर	श्रीमती देवकुंवर	0.395	25-09-2018
								कुल	**56.956**	

परिशिष्ट-3.3.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.3, पृष्ठ संख्या 108)

धारा 170 बी के तहत दर्ज किए गए आपत्ति वाले प्रकरणों का सारांश

क्र. सं.	राजस्व प्रकरण संख्या/	सम्मिलित पक्ष	राजस्व अधिकारी का निर्णय	दस्तावेज जो लेखापरीक्षा के आधार हैं	लेखापरीक्षा संवीक्षा/टिप्पणियां
1	19/ए-23/2016-17 सर्वे नंबर 142/12 (0.065 हेक्टेयर)	धनबाई पत्नी स्वर्गीय दलपत सिंह परस्ते (आदिवासी) बनाम श्रीमती मीरा बाई बेलदार (गैर-आदिवासी)	खसरा संख्या 142/12 (क्षेत्र- 0.065 हैक्टेयर) व्यपवर्तित की गई भूमि है और श्रीमती मीरा बाई ने आवेदक (धनबाई) से उपरोक्त भूमि नहीं खरीदी थी	1. अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ़ राइड्स) 1972-73	• अधिकार अभिलेख के अनुसार भूमि तेजा कोल पुत्र करण कोल (आदिवासी) के कब्जे में थी, • चूंकि भूमि अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जनजाति के व्यक्ति की थी, इसलिए म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 165(6) के अनुसार उक्त भूमि का हस्तांतरण संभव नहीं था।
2	69/ए-23/2016-17 एसडीओ सोहागपुर सर्वे नंबर 837 (0.121 हेक्टेयर)	कपुरिया पुत्री मोलाई बैगा (आदिवासी) बनाम रामखेलावन सिंह (गैर-आदिवासी)	एक अन्य पूर्व प्रकरण (संख्या 21/ए-23/2016-17) में आदेश (जुलाई 2018) पारित किया गया था, जिसमें आवेदक (श्रीमती मुन्नी बैगा) द्वारा प्रस्तुत एक सहमति शपथ-पत्र था, जिसमें आवेदक ने इस तथ्य पर सहमति दी थी कि नया खसरा संख्या 781 (2.25 एकड़), 782 (0.60 एकड़) और 783 (0.25	1. विवादित खसरा सर्वेक्षण संख्या 837 है । 2. अधिकार अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ़ राइड्स) 1972-73	• अधिकार अभिलेख के अनुसार खसरा संख्या 837 मोलाई बैगा के नाम से दर्ज है और वर्तमान खसरा रामखेलावन सिंह के नाम पर दर्ज है। • राजस्व मामले की नस्ती में यह सत्यापित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि हस्तांतरिती/अधिग्राही को उक्त भूमि का कब्ज़ा कैसे मिला। • चूंकि भूमि अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जनजाति के व्यक्ति की थी,

क्र. सं.	राजस्व प्रकरण संख्या/	सम्मिलित पक्ष	राजस्व अधिकारी का निर्णय	दस्तावेज जो लेखापरीक्षा के आधार हैं	लेखापरीक्षा संवीक्षा/टिप्पणियां
			एकड़) उसके पूर्वजों द्वारा वर्ष 1937 में रामलाल ब्राह्मण को बेचा था।		इसलिए म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 165(6) के अनुसार उक्त भूमि का हस्तांतरण संभव नहीं था।
3	92/ए-23/2016-17 एसडीओ सोहागपुर सर्वे नंबर 78/2 (5.11 हेक्टेयर)	संतोष कुमार पनिका (अदिवासी) बनाम इन्द्रजीत सिंह मिश्रा (गैर-आदिवासी)	राजस्व निरीक्षक (वृत्त धनपुरी जिला शहडोल) का प्रतिवेदन (फरवरी, 2020) जिसमें केवल वर्तमान खसरा यानी 78/2/ए (क्षेत्रफल 2.092 हेक्टेयर) की तथ्यात्मक स्थिति बतायी गयी है जैसे उक्त खसरा संतोष कुमार और भरतलाल पनिका के नाम पर दर्ज है, खसरा 782/2/बी/1/1/1/1/1 (क्षेत्रफल - 0.033 हेक्टेयर) सुरेश और दीपक के नाम पर दर्ज है और खसरा नंबर 78/2/3 (क्षेत्रफल-0.255 हेक्टेयर) शिव कुमार पुत्र हुकुमचंद केसरवानी के नाम पर दर्ज है।	1. खतौनी 1958-1959 में खसरा क्रमांक 78 का कुल क्षेत्रफल 11.70 एकड़ दर्ज पाया गया।	• राजस्व मामले की नस्ती में यह सत्यापित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था कि खतौनी 1958-1959 के अनुसार खसरा नंबर 78 को कैसे विभाजित किया गया और राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में दिखाये गये व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया गया। • राजस्व मामले की नस्ती में आदिवासी से गैर-आदिवासी व्यक्ति को हस्तांतरण की वैधता की जांच करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था। • चूंकि भूमि अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी जनजाति के व्यक्ति की थी, इसलिए म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 165(6) के अनुसार उक्त भूमि का हस्तांतरण संभव नहीं था।

परिशिष्ट-3.4.1
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.4.5.5, पृष्ठ संख्या 121)
जिला-वार चंदा निगरानी की मांग, प्राप्ति एवं बकाया शेष

क्र. सं.	जिला	जिलों में वक्फों की कुल संख्या	चंदा निगरानी का भुगतान करने वाले वक्फों की संख्या	प्रारंभिक शेष	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल		बकाया शेष	% संग्रह
					मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति		
1	आगर	साजापुर के साथ विलय	8	60256	17906	16545	24681	15605	49952	32794	49742	25960	202537	90904	111633	44.88
2	अलीराजपुर	4	4	49055	2092	0	2092	0	2092	0	2092	0	57423	0	57423	0.00
3	अनूपपुर	13	5	60860	17095	46200	36208	31244	49320	27100	65943	13244	229426	117788	111638	51.34
4	अशोकनगर	गुना के साथ विलय	25	130784	19600	0	21210	9650	29400	5000	31150	11000	232144	25650	206494	11.05
5	बालाघाट	164	27	943736	259181	285050	290764	362800	339686	88000	284482	499557	2117849	1235407	882442	58.33
6	बड़वानी	120	11	842641	70028	0	65511	0	54401	0	63821	3500	1096402	3500	1092902	0.32
7	बैतूल	121	16	706122	745522	50000	109203	0	164076	39000	165735	4623	1890658	93623	1797035	4.95
8	भिंड	212	27	257270	109122	134575	108907	34850	114215	99600	112134	148174	701648	417199	284449	59.46
9	भोपाल	794	114	2379485	1110445	1251139	2477798	751423	2855601	1472231	2604029	2160870	11427358	5635663	5791695	49.32
10	बुरहानपुर	566	110	1170988	582592	460276	623490	466920	657891	557925	647172	533169	3682133	2018290	1663843	54.81
11	छतरपुर	250	27	112140	94112	99424	133505	86203	137751	130152	96875	23469	574383	339248	235135	59.06

क्र. सं.	जिला	जिलों में वक्फों की कुल संख्या	चंदा निगरानी का भुगतान करने वाले वक्फों की संख्या	प्रारंभिक शेष	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल		बकाया शेष	% संग्रह
					मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति		
12	छिंदवाड़ा	182	26	563771	31641	700	2763238	274605 8	2347823	860200	1287861	2836459	6994334	6443417	550917	92.12
13	दमोह	117	19	351452	35819	36334	37352	36500	48370	24460	51043	0	524036	97294	426742	18.57
14	दतिया	69	23	177477	18060	12985	18900	0	25200	0	33950	0	273587	12985	260602	4.75
15	देवास	577	75	799898	90809	17080	106038	97300	97965	125956	103579	45350	1198289	285686	912603	23.84
16	धार	635	27	764483	154468	92450	164484	73500	159708	102397	194352	99108	1437495	367455	1070040	25.56
17	डिंडोरी	23	3	9100	700	0	700	0	700	0	700	0	11900	0	11900	0.00
18	गुना	366	22	350898	74719	59952	97072	11000	83951	7800	97099	200000	703739	278752	424987	39.61
19	ग्वालियर	453	72	854681	356682	662264	403080	271132	481520	273237	536256	421940	2632219	1628573	1003646	61.87
20	हरदा	149	23	400503	234353	216498	237853	211458	201265	117677	201265	106320	1275239	651953	623286	51.12
21	होशंगाबाद	143	29	967792	194195	222079	191958	44325	185136	188950	199098	192980	1738179	648334	1089845	37.30
22	इंदौर	645	93	1835548	1945829	1929205	1625796	194545 5	1621589	1472693	1634353	727633	8663115	6074986	2588129	70.12
23	जबलपुर	230	78	-258316	1899651	229819	1450429	790557	1350457	3045334	1278977	545385	5721198	4611095	1110103	80.60
24	झाबुआ	129	5	56737	3598	0	3598	0	3598	0	3598	0	71129	0	71129	0.00
25	कटनी	84	35	363286	127305	94000	128750	85000	106785	94139	140358	90098	866484	363237	503247	41.92
26	खंडवा	194	38	367031	121154	125343	131965	66612	120305	165764	120445	91897	860900	449616	411284	52.23
27	खरगोन	302	25	362451	31150	0	31150	33300	35630	28000	35630	0	496011	61300	434711	12.36
28	मंदसौर	525	33	1140779	270117	512700	263276	308940	314856	183750	344175	261448	2333203	1266838	1066365	54.30
29	मंडला	90	19	147531	21336	6500	21336	28000	21336	13000	24836	0	236375	47500	188875	20.10

क्र. सं.	जिला	जिलों में वक्फों की कुल संख्या	चंदा निगरानी का भुगतान करने वाले वक्फों की संख्या	प्रारंभिक शेष	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल		बकाया शेष	% संग्रह
					मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति		
30	मुरैना	186	15	199835	35314	9000	31536	21113	41247	39273	43075	38898	351007	108284	242723	30.85
31	नरसिंहपुर	131	18	394648	170591	119484	153786	63351	138601	92150	140666	191907	998292	466892	531400	46.77
32	नीमच	253	17	135390	63476	18618	72912	10252	75222	44380	82867	102075	429867	175325	254542	40.79
33	निवाड़ी	टीकमगढ़ के साथ विलय	1	3150	350	0	350	0	350	0	350	0	4550	0	4550	0.00
34	पन्ना	144	9	7350	5950	0	5950	8400	10076	8500	12813	5750	42139	22650	19489	53.75
35	रायसेन	670	53	582905	226534	478128	291096	60010	245444	27050	217318	451089	1563297	1016277	547020	65.01
36	राजगढ़	420	43	1846964	647917	562500	520599	692000	501437	134640	510980	552493	4027897	1941633	2086264	48.20
37	रतलाम	477	96	1701853	1998120	2290604	1852960	190491 2	1452681	1270923	1711722	1473793	8717336	6940232	1777104	79.61
38	रीवा	181	21	296614	264712	262579	298420	218500	252992	236598	269253	194822	1381991	912499	469492	66.03
39	सागर	260	58	563416	479848	590080	544408	378690	561826	471596	637670	618102	2787168	2058468	728700	73.86
40	शाजापुर	1118	26	440123	117605	128040	170935	8000	190367	130040	192944	153750	1111974	419830	692144	37.76
41	सतना	231	13	303922	33037	45884	44969	10000	45514	22470	42574	57000	470016	135354	334662	28.80
42	सीहोर	706	59	1619689	163415	35060	175263	37500	174061	20314	174488	178250	2306916	271124	2035792	11.75
43	सिवनी	272	44	720402	182189	267737	180099	80440	211317	62130	184017	250830	1478024	661137	816887	44.73
44	शहडोल	69	8	-495	64798	37661	58033	35095	55257	96280	61826	68136	239419	237172	2247	99.06
45	श्योपुर	96	24	296184	96042	64678	105686	62820	94588	40517	93144	40520	685644	208535	477109	30.41
46	शिवपुरी	259	39	403736	76029	57271	85009	2200	90702	28804	95804	30800	751280	119075	632205	15.85
47	सीधी	102	1	-16223	9100	0	9100	0	9100	0	9100	30000	20177	30000	-9823	148.68

क्र. सं.	जिला	जिलों में वक्फों की कुल संख्या	चंदा निगरानी का भुगतान करने वाले वक्फों की संख्या	प्रारंभिक शेष	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल		बकाया शेष	% संग्रह
					मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति	मांग	प्राप्ति		
48	सिंगरौली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
49	टीकमगढ़	208	29	312649	83712	144258	93160	7100	129778	117153	153961	138720	773260	407231	366029	52.66
50	उज्जैन	1060	190	1947070	823201	900620	788725	327950	869110	570326	908790	657078	5336896	2455974	2880922	46.02
51	उमरिया	42	3	15134	14181	12227	14174	0	11155	15000	11155	10000	65799	37227	28572	56.58
52	विदिशा	925	75	1216858	224923	140930	220569	139241	226957	305217	243709	207222	2133016	792610	1340406	37.16
	कुल	**14967**	**1861**	**28959613**	**14420325**	**12726477**	**17288083**	**12575406**	**17048361**	**12888520**	**16208976**	**14493419**	**93925358**	**52683822**	**41241536**	**56.09**

परिशिष्ट-3.4.2

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.4.6.1 एवं 3.4.6.6, पृष्ठ संख्या 126 एवं 144)

नमूना जांच की गई वक्फ संपत्तियों के संबंध में राजस्व अधिकारियों के उत्तरों की स्थिति

क्रम संख्या	जिलों का नाम	वक्फ संपत्तियों की संख्या	शासकीय संपत्ति	नोटिस/आदेश प्राप्त होने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई	बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
उन जिलों की स्थिति जहां राजस्व अधिकारियों को वक्फ नोटिस/पंजीकरण आदेश प्राप्त नहीं हुए						
1.	आगर मालवा	01	01	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
2.	बालाघाट	02	01	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
3.	छतरपुर	03	03	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
4.	देवास	03	03	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
5.	हरदा	01	01	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
6.	इंदौर	01	00	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	वक्फ सर्वे जिला
7.	जबलपुर	02	00	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	वक्फ सर्वे जिला
8.	मंदसौर	01	00	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	वक्फ सर्वे जिला
9.	रायसेन	02	01	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
10.	रतलाम	01	00	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	वक्फ सर्वे जिला
11.	शिवपुरी	04	00	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
12.	टीकमगढ़	02	02	लागू नहीं	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
	कुल	23				
उन जिलों की स्थिति जहां राजस्व अधिकारियों को वक्फ नोटिस/पंजीकरण आदेश प्राप्त हुए हैं						

क्रम संख्या	जिलों का नाम	वक्फ संपत्तियों की संख्या	शासकीय संपत्ति	नोटिस/आदेश प्राप्त होने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई	बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
1.	भोपाल	15	10	एक संपत्ति में आपत्ति उठाई गई। अन्य मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई।	वक्फ के रूप में पंजीकृत	जिस मामले में आपत्ति उठाई गई थी, बोर्ड ने यह स्वीकार करने के बाद भी कि आवेदक संपत्ति को वक्फ साबित करने में विफल रहा, इसे वक्फ के रूप में पंजीकृत किया
2.	धार	02	00	एक संपत्ति में आपत्ति उठाई गई।	वक्फ के रूप में पंजीकृत	बोर्ड ने आपत्ति को समयबद्ध वर्जित मामला बताकर खारिज कर दिया क्योंकि बोर्ड में आपत्ति 04 दिन देर से प्राप्त हुई थी
3.	डिंडोरी (वक्फ सर्वे जिला)	02	01	बोर्ड के पक्ष में सरकारी संपत्ति का नामांतरण किया।	वक्फ के रूप में पंजीकृत	निजी संपत्ति के दूसरे मामले में वक्फ नोटिस/पंजीकरण आदेश प्राप्त नहीं हुआ था।
4.	विदिशा	04	03	कोई कार्रवाई नहीं की गई	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
	कुल	**23**				

उन जिलों की स्थिति जहां राजस्व अधिकारियों का जवाब लंबित है

क्रम संख्या	**जिलों का नाम**	**वक्फ संपत्तियों की संख्या**	**सरकारी संपत्ति**	**नोटिस/आदेश प्राप्त होने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई**	**बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई**	**टिप्पणियां**
1.	अनूपपुर	02	02	प्रतिक्रिया का इंतजार है	वक्फ के रूप में पंजीकृत	
2.	भिंड	01	01			
3.	बुरहानपुर	01	00			
4.	गुना	01	01			
5.	ग्वालियर	02	02			
6.	झाबुआ	01	00			
7.	कटनी	01	01			
8.	खरगोन	02	01			
9.	नर्मदापुरम	01	01			

क्रम संख्या	जिलों का नाम	वक्फ संपत्तियों की संख्या	शासकीय संपत्ति	नोटिस/आदेश प्राप्त होने के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई	बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई	अभ्युक्तियां
10.	नरसिंहपुर	01	00			
11.	राजगढ़	01	00			
12.	रीवा	01	01			
13.	सागर	03	01			
14.	सतना	01	00			
15.	सीहोर	01	01			
16.	सिवनी	01	00			
17.	श्योपुर	01	01			
	कुल	**22**				

परिशिष्ट-3.4.3
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.4.6.2, पृष्ठ संख्या 127)
धारा 36 के तहत नमूना जांच की गई वक्फ पंजीकरण फाइलों का विवरण

क्र. सं.	औँकफ़ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला / तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / बोर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी	उद्देश्य	संपत्ति का खसरा नंबर	गांव/कॉलोनी का नाम	बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	784	भोपाल / हुज़ूर	मस्जिद खुदादाद नगर	श्री अजहर खान पुत्र स्वर्गीय इमाम खान और श्री शाहिद शेख, निवासी संजय नगर, भोपाल	01.12.2018/ 24.08.2021 / 22.04.2022	शासन (शासन द्वारा दिया गया पट्टा)	मस्जिद	43	संजय नगर	213.13 वर्ग फुट।	19.80
2	929	विदिशा / विदिशा	मस्जिद जुबेदा बी ग्राम सुलुस हलाली बांध विदिशा	श्री निसार अहमद पुत्र ज़ीन खान निवासी गांव सुलुस	18.04.2022 / 03-01-2023	वन विभाग, म.प्र. शासन	मस्जिद	204	तहसील विदिशा, विदिशा	0.041 हेक्टेयर	410
3	700	सीहोर / श्यामपुर,	कब्रस्तान ग्राम पान विहार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर	श्री रफीक खान पुत्र वाहिद खान निवासी गांव पान विहार तहसील श्यामपुर, सीहोर	12.05.2015 / 24.08.2017	शासन	क़ब्रिस्तान	228	गांव पान विहार, तहसील श्यामपुर, सीहोर	99 डेसिमल	4006.02015
4	626	धार / धार	मस्जिद बेग़म रज़िया खान हैदरी	श्री शाहिद जामा खान पुत्र शाह जामा खान	05.06.2018	वल्लभदास पुत्र पन्नालाल		54	इस्लामपुरा	7200 वर्ग फुट।	668.8963 211

क्र. सं.	औँकफ़ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला / तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / बोर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी	उद्देश्य	संपत्ति का खसरा नंबर	गांव/कॉलोनी का नाम	बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
				निवासी 151 राजेंद्र मार्ग, मुरादपुरा धार	19.11.2018		मस्जिद और मदरसा				
5	256	शिवपुरी / करेरा	वक्फ काजीताल की पुरानी मस्जिद मकबरा, कब्रिस्तान मजार, तहसील करैरा जिला, शिवपुरी	तदैव	25.03.2021 / 02.08.2021	1787 अब्दुल समद, मजारे आलम, अब्दुल जलील पुत्र काजी मोहम्मद 1/2 और मोहम्मद अख्तर, पुत्र शौकत, मुजफ्फर पुत्र अब्दुल बशीर और 1786 सुंदरा, हीरा पुत्र गज्जू 1/2, ममता पुत्र कल्ला एवं अन्य 1/4, रामकुबर सावित्री पुत्री खुमान, रजकू बेवा खुमान एवं अन्य 1/4	कब्रिस्तान और मस्जिद	1786 और 1787	कस्बा करेरा	0.376 और 0.021, कुल 0.397 हेक्टेयर	3970
6	673	रायसेन / रायसेन	वक्फ मस्जिद अब्दुल ग़फ़्फ़ार व मदरसा खुर्शीद अहमद ग्राम सुखसेन तहसील व जिला रायसेन	श्री सैयद शोएब अहमद जाफरी पुत्र खुर्शीद अहमद जाफरी निवासी गांव सुनारी, मेन रोड सलामतपुर, रायसेन	13.07.2022 / 23.12.2022	खुर्शीद अहमद पुत्र खलील अहमद ग्राम सलामतपुर (कैफियत में बंधक मध्य मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक)	मस्जिद और मदरसा	1/1/5	सुखेसेन	2700 वर्ग फुट	250.83612

क्र. सं.	ऑंकफ़ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला / तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / बोर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी	उद्देश्य	संपत्ति का खसरा नंबर	गांव/कॉलोनी का नाम	बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
7	785	भोपाल हुज़ूर	कब्रिस्तान फखरुबन गांव मिसरोद	श्री हुसैन अहमद सिद्दीकी पुत्र मुश्ताक अहमद सिद्दीकी निवासी 183 अशोक कॉलोनी नूरमहल रोड भोपाल	01.12.2021 09.11.2022	शासन	क़ब्रिस्तान	357/274	मिसरोद	0.36 हेक्टेयर	3600
8	779	भोपाल हुज़ूर	दो पक्के मजार मैदान, बर्फ फैक्ट्री अल्पना टॉकीज के पास भोपाल	सचिव औकाफ-ए-अम्मा भोपाल	01-09-2017 22-05-2018	नर्मदा वैली रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स कंपनी (प्रा.) लिमिटेड को पट्टे पर दी गई शासकीय भूमि	मजार	484/1-02	भोपाल टॉकीज से हमीदिया रोड तक (सड़क पर)	900 वर्ग फुट।	83.61204013

परिशिष्ट-3.4.4
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.4.6.3 (क), पृष्ठ संख्या 139)
धारा 41 के तहत नमूना जांच की गई वक्फ पंजीकरण फाइलों का विवरण

क्रम संख्या	ऑंकफ़ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / बोर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	उद्देश्य	प्रॉपर्टी का खसरा नंबर	गांव/कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1	779	मंदसौर	दरगाह मेहताब शाह वाली कटाई	श्री उस्मान खान अध्यक्ष, अंजुमन-ए-इस्लाम मंदसौर अपने वकील के माध्यम से	14-03-2004 / 22-09-2007	गोर्धन दास, गिरधर दास और रतन पारख, छाया पति संतोष जायसवाल	दरगाह	पुराना 81,82,83 वर्तमान में 125,126	किदयानी	0.073 हेक्टेयर	730

परिशिष्ट-3.4.5

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.4.6.6, पृष्ठ संख्या 144)

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली शासकीय भूमि का विवरण

क्र. सं.	औँकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
1	114	आगर, सुसनर	हैला मुस्लिम समाज कब्रिस्तान ग्राम जमुनिया	मो. अखलाक पुत्र अशरफ, निवासी डाक बांग्ला रोड मस्जिद के पास	10-12-2024 / 19-09-2018	शासन	36	33/2	जमुनिया	0.4 हेक्टेयर	4000	400	1600000	आगर मालवा क्रम संख्या 985, पृष्ठ 145
2	117	अनूपपुर, कोटमा	वक्फ कब्रिस्तान कल्याणपुर कोटमा	श्री रोशन अली वारसी पुत्र स्वर्गीय मो. हसन, निवासी	23-02-2018 / 12-09-2018	शासकीय (कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि)	36	296/14	कल्याणपुर	0.81 हेक्टेयर	8100	300	2430000	अनूपपुर क्रम संख्या 260 पृष्ठ 43

क्र. सं.	औंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
				इस्लामगंज कोटमा										
3	118	अनूपपुर, बिजुरी	मस्जिद रज़ा	श्री शमशेर अली निवासी बिजुरी अनूपपुर	12-07-2018 / 12-09-2018	शासन	36	539/1	गुलाब ग्राउंड बिजुरी	1568 वर्ग फुट	145.67	9600	1398432	अनूपपुर क्रम संख्या 301 पृष्ठ 50
4	167	बालाघाट, बालाघाट	वक्फ अंजुमन सुन्नी हनफी मस्जिद ग्राम कोसमी जिला	तदैव	21-01-2020 / 21-10-2021	शासन	36	241/16	कोसमी	0.014 हेक्टेयर	140	7400	1036000	बालाघाट, 93 और 659
5	212	भिंड, मेहगांव			22-02-2011	शासन	36	एन / ए	चिरौल		2000	600	1200000	

क्र. सं.	औक़फ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
			मजार मेवाती बाबा	श्री निरंजन भाई मंसूरी पुत्र सरदार खान निवासी ग्राम चिरौल, पोस्ट कटरौल, तहसील मेहगांव, जिला भिंड	05-01-2012					0.2 हेक्टेयर				भिंड क्रम संख्या 2046 पृष्ठ 289
6	780	भोपाल, हुजुर	मस्जिद हिनोतिया (ग्राम पंचायत से एनओसी)	श्री आरिफ हसीब पुत्र सैयद अब्दुल हसीब निवासी गली शेख	05-10-2016 / 28-08-2018	शासन	36	118	हिनोटियाँ जागीर	2500 वर्ग फुट	232.26	1100	255486	भोपाल, 394 और 3502

क्र. सं.	औंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
				बत्ती, इब्राहिम पुरा भोपाल										
7	781	भोपाल, हुजुर	मदीना मस्जिद महावड़िया (ग्राम पंचायत से एनओसी)	श्री हाजी इदरीस पुत्र सुलेमान खान निवासी ग्राम महावडिया, काला पानी पंचायत विकास खंड, तहसील हुजूर भोपाल	13-06-2019 / 24-12-2019	ग्राम पंचायत	36	एन / ए	महावादिया	900 वर्ग फुट	83.61	4400	367884	भोपाल, 439 और 3874
8	777	भोपाल, हुजुर			07-09-2017		36	8		1.3 एकड़	5261.1	10400	54715440	

क्र. सं.	औँकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
			कब्रिस्तान कमलानगर	श्री हफीज खान निवासी गणगौर बावड़ी, काजी कैंप, बैरसिया रोड, भोपाल	26-12-2017	शासन (राज्य शासन द्वारा कब्रिस्तान के लिए आवंटित भूमि)			कमलानगर, निशातपुरा, नारियल खेड़ा					भोपाल, 117 और 924
9	773	भोपाल / हुज़ूर	कब्रिस्तान कानासेया	श्री नजाकत खान पुत्र शौकत खान निवासी गांव कानासेया तहसील हुज़ूर भोपाल	06-10-2016 / 12-09-2017	शासन (शहर के बाहर नजूल भूमि)	41	455	कानासेया	0.01 हेक्टेयर	100	4100	410000	भोपाल, 412 और 3659
	773	भोपाल, हुजुर		तदैव	06-10-2016		41	668	कानासेया		16100	4100	66010000	

क्र. सं.	औकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
			कब्रिस्तान काना सेया		12-09-2017	शासन (शहर के बाहर नजूल भूमि)				1.61 हेक्टेयर				भोपाल, 412 और 3659
10	776	भोपाल, हुजुर	कब्रिस्तान लतीफ नगर ग्राम निशातपुरा नारियल खेड़ा भोपाल	सचिव, मुतवल्ली समिति, औकाफ-ए-अम्मा, भोपाल	01-09-2017 / 15-11-2017	शासन	36	139/38	लतीफ नगर, ग्राम निशातपुरा, नारियल खेड़ा, भोपाल	0.54 हेक्टेयर	21.85	10400	227240	भोपाल, 117 और 922
11	782	भोपाल, हुजुर	कब्रिस्तान ग्राम नयापुरा लालघाटी तहसील हुजूर भोपाल	श्री असगर खान पुत्र अब्दुल रहमान निवासी	03-10-2019 / 14-09-2020	शासन (कब्रिस्तान)	36	53	गांव नयापुरा, लालघाटी	0.089 हेक्टेयर	890	10400	9256000	भोपाल, 354 और 3120

क्र. सं.	औंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
				लालघाटी, भोपाल										
12	773	भोपाल, हुजुर	मस्जिद मदरसा रतिबाध	श्री शेख नवाब, पुत्र शेख चाँद, निवासी नाज्द मस्जिद, मोहम्मदी ग्राम, समदगढ़	23-06-2014 / 28-08-2017	शासन	36	57 नया	समदगढ़, रतिबाध	2.25 एकड़	9105.75	3600	32780700	भोपाल, 440 और 3887
13	750				14-02-2019		36	503	बहादरपुर		408.77	4000	163508	

क्र. सं.	ऑंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
		बुरहानपुर, बुरहानपुर	मदीना मस्जिद मदरसा	श्री हाजी जफर पुत्र गुलशेर खान निवासी ग्राम बहादरपुर, दुबन मोहल्ला तहसील बुरहानपुर	17-02-2020	मदीना मस्जिद मदरसा (ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र के अनुसार)				4400 वर्ग फुट				बुरहानपुर क्रम संख्या 325 पृष्ठ 89
14	248	छतरपुर, बक्सवाहा	वक्फ ईदगाह ग्राम मगराई तहसील बक्सवाहा	श्री मोहम्मद अली अफेयर करीम निवासी रजा हॉल, पुलिस लाइन के पास जेल रोड	19-09-2016 / 27-08-2018	शासन (कैफियत कॉलम 12 में ईदगाह का उल्लेख किया गया है)	36	621	मगराई	0.251 हेक्टेयर	2510	500	1255000	छतरपुर क्र. सं. 527 पृष्ठ 79

क्र. सं.	औंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
15	249	छतरपुर, छतरपुर	वक्फ कब्रिस्तान मौजा पलोथा	श्री नासिर खान सचिव, जिला वक्फ समिति, वार्ड नंबर 33, बेनीगंज महल मार्ग	13-07-2020 / 27-10-2021	शासन (कलेक्टर के आदेश 30.06.2015 के तहत कब्रिस्तान के लिए आरक्षित)	36	748/2/2	मौजा पलोथा	5 हेक्टेयर	50000	1800	90000000	छतरपुर क्र. सं. 794 पृ. 115
16	250	छतरपुर, नौगांव	दरगाह हजरत सैयद वली, कब्रिस्तान और कुआं	श्री नासिर खान सचिव, जिला वक्फ समिति, वार्ड नंबर 33, बेनीगंज महल मार्ग	28-09-2020 / 21-02-2022	शासन (कैफियत कॉलम 12 में दरगाह, कब्रिस्तान और कुआँ अंकित)	36	2693	मौजा मऊ	0.387 हेक्टेयर	3870	800	3096000	छतरपुर क्र. सं. 1886 पृ. 282

क्र. सं.	औकाफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
17	572	देवास, खातेगांव	कब्रिस्तान गांव धायाली	श्री भूरा खान पुत्र इमारत खान निवासी ग्राम धायाली	01-02-2021 27-10-2021	शासन	36	158	ध्याली	0.21 हेक्टेयर	2100	2500	5250000	देवास क्र. सं. 1626 पृ. 221
18	573	देवास, देवास	कब्रिस्तान मौजा भेसुनी	श्री शाहिद मोदी पुत्र सफाल हुसैन मोदी निवासी 276 ए.बी. रोड देवास	02-07-2020 27-10-2021	शासन	36	53	भेसुनी	0.4 हेक्टेयर	4000	2500	10000000	देवास क्र. सं. 840 पृ. 109
19	574	देवास, देवास	कब्रिस्तान काली मस्जिद	श्री शाहिद मोदी पुत्र सबल हुसैन मोदी निवासी	17-02-2020 27-10-2021	शासन	36	18	शंकरगढ़	0.008 हेक्टेयर	80	7200	576000	देवास क्र. सं. 450 पृ. 62

क्र. सं.	औंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
				276 ए.बी. रोड देवास										
20	364	गुना, गुना	मस्जिद फतेहगढ़	श्री राशिद खान पुत्र मकसूद खान निवासी घोषीपुरा गुना	04-05-2002 / 14-08-2003	ग्राम पंचायत	40	191	फतेहगढ़	1800 वर्ग फुट	167.22	4000	668880	गुना क्रम संख्या 1618 पृष्ठ 221
21	451	ग्वालियर, ग्वालियर	मस्जिद कब्रिस्तान बडागांव	श्री रहीस अली पुत्र शौकत अली निवासी खुरेरी, मोरार, ग्वालियर	20-06-2019 / 01-10-2021	शासन	36	328	बड़ागांव	0.178 हेक्टेयर	1780	9600	17088000	ग्वालियर पृष्ठ 255 क्र.सं. 1918

क्र. सं.	औकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
22	270	हरदा, हरदा	जामा मस्जिद आवास कॉलोनी, झाडपा	श्री राशिद खान पुत्र शहीद खान और अन्य निवासी गांव झाडपा, हरदा	11-09-2017 / 31-10-2017	शासन	36	366/2 (खसरा नंबर 366/1 वक्फ आदेश में दिखाया गया है)	झाडपा	3200 वर्ग फुट	297.29	900	267561	हरदा, पृष्ठ 59, क्र. सं. 426
23	315	कटनी, कटनी	दरगाह सैयद बाबा	तस्लीम बानो पुत्री हनीफ खान निवासी महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड कटनी	15-02-2018 / 23-05-2018	शासन (दरगाह सैयद बाबा 0.003 आरे में कैफियत में लिखे गए)	36	1073	एन / ए	0.003 के रूप में स्पष्ट नहीं है क्योंकि खसरा में उल्लिखित आरे (हिंदी) और पंजीकरण पत्र में	30	80000	2400000	कटनी पृ. क्र. 100 क्रम संख्या, 671

क्र. सं.	औॅकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
										हेक्टेयर उल्लिखित है।				
24	बी416	खरगोन, महेश्वर	कब्रिस्तान मंडलेश्वर	तदैव	26-07-2006 / 26-07-2007	शासन (ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र और कैफियत में कब्रिस्तान)	36	260/15	मंडलेश्वर	15184 वर्ग फुट	1410.63	5200	7335276	खरगोन पृ.सं. 294, क्र. सं. 2109
25	269				20-02-2015		41		देवगांव		46050	5200		

क्र. सं.	ऑंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
		नर्मदापुरम (होशंगाबाद), सोहागपुर	5 कब्रस्तान ग्राम देव गांव, पिपरिया, तहसील सुहागपुर, जिला। होशंगाबाद	श्री इमरान अहमद अध्यक्ष अंजुमन इस्लाम पिपरिया होशंगाबाद	23-03-2015	मध्य प्रदेश शासन		22/1,22/2,2 46/1,246/2, 245/5		4.605 हेक्टेयर			23946000 0	नर्मदापुरम पृष्ठ सं. 163 क्र. सं. 1112
26	672	रायसेन, गोहरगंज	मजार अली बाबा वाके गोहरगंज जिला रायसेन	श्रीमती फरहाना सुल्तान बेग पत्नी लुकमान बेग निवासी छोटी मस्जिद तहसील गोहरगंज रायसेन	11-10-2017 / 26-12-2017	शासन (कैफियत में दरगाह)	36	545/1/1/1	गोहरगंज	0.96 हेक्टेयर	9600	3600	34560000	रायसेन पृष्ठ सं. 194 क्र.सं. 1381

क्र. सं.	ऑंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
27	181	रीवा, जावा	वक्फ कब्रिस्तान ग्राम सितलाहा तहसील जावा जिला रीवा	श्री नूर मोहम्मद पुत्र रजा मोहम्मद निवासी सितलाहा तहसील जावा रीवा	23-09-2016 / 31-08-2017	शासन (आदेश 31.08.2016 के तहत कलेक्टर रीवा द्वारा आवंटित भूमि	41	162	सितलाहा	0.11 हेक्टेयर	1100	1800	1980000	पृ. सं. 210 क्र.सं. 1800
28	258	सागर, मल्थोन	वक्फ कब्रिस्तान मोजा खिरियाडांग तहसील मल्थोन जिला सागर	अभिलेखों में नहीं पाया गया (वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 31.08.2017 में केवल कलेक्टर के	20-06-2016 / 31-08-2017	शासन।	41	25	मोजा खिरिया डांग	0.2 हेक्टेयर	2000	400	800000	पृष्ठ सं. 293 क्र. सं. 2015

क्र. सं.	ऑंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
				पत्र दिनांक 20.06.2014 का उल्लेख किया गया है)										
29	279	श्योपुर, श्योपुर	6 मजार अराज़ी पुराना बस स्टैंड	श्री अल्ला नूर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी पाली रोड श्योपुर कलां	10-04-2007 26-06-2008	पुलिस विभाग (किस्म अराज़ी कॉलम में कब्रिस्तान)	36	713	पुराना बस स्टैंड	0.094 हेक्टेयर	940	43200	40608000	पृष्ठ सं. 74 क्र. सं. 519
30	207	टीकमगढ़, टीकमगढ़	कब्रिस्तान ग्राम मजना भाटा तहसील टीकमगढ़	शेख रईस अध्यक्ष जिला वक्फ समिति टीकमगढ़	30-01-2018 13-03-2018	डीएम कोर्ट के आदेश दिनांक 09-05-05 के	41	139/2	माजना भाटा	0.393 हेक्टेयर	3930	600	2358000	पृष्ठ सं. 273 क्र. सं. 1530

क्र. सं.	औँकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
						अनुसार शासन कब्रिस्तान के लिए रिजर्व भूमि								
31	208	टीकमगढ़, टीकमगढ़	मस्जिद चिस्तियाँ कुंडेश्वर	श्री शेख लतीफ, पुत्र शेख वफाती, डॉ. शरीफ खान, पूर्व अध्यक्ष, जिला वक्फ समिति टीकमगढ़ के माध्यम से	12-07-2019 / 07-02-2022	खसरा के अनुसार शासकीय भूमि लेकिन आवेदक ने इसे अपनी पैतृक भूमि के रूप में दावा किया (ग्राम पंचायत ने	36	39	कुंडेश्वर (शिवपुरी)	2856 वर्ग फुट	265.33	2000	530660	पृष्ठ सं. 301 क्र. सं. 1674

क्र. सं.	औंकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
						वक्फ के रूप में भूमि के पंजीकरण के लिए पत्र 15.11.2021 के माध्यम से एनओसी दिया)								
32	926	विदिशा, शमशाबाद	कब्रिस्तान वक्फ डांगरवारा तहसील शमशाबाद जिला विदिशा	श्री मोहम्मद सईद पुत्र मो. शरीफ, डांगरवाड़ा, तहसील, शमशाबाद	01-12-2018 / 21-11-2019	खसरा के अनुसार शासन	36	खसरा नंबर 24/2	डांगरवाड़, तहसील शमशाबाद, विदिशा	1.045 हेक्टेयर	10450	1600	16720000	विदिशा, 230 और 1607

क्र. सं.	औँकफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	जिला और तहसील	संपत्ति का नाम	आवेदक का नाम	वक्फ बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तिथि / वक्फ रिकॉर्ड में पंजीकरण की तिथि	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी	धारा के तहत पंजीकरण	संपत्ति का खसरा क्र.	गांव/ कॉलोनी का नाम	संपत्ति का क्षेत्रफल	संपत्ति का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	कलेक्टर दिशानिर्देश (घरेलू भूमि-भूखंड आवास) वर्ग मीटर में क्षेत्र की दर (₹ में)	वर्तमान में भूमि का मूल्य (2022-23) (₹ में)	कलेक्टर दिशानिर्देश जिले का नाम, पृष्ठ संख्या एवं संपत्ति क्षेत्र की क्रम संख्या
33	0927	विदिशा, कुरवाई	वक्फ कब्रिस्तान कस्बा कोरवाई विदिशा	श्री मुश्ताक-उल-हक निवासी कुरवाई	18-10-2019 / 25-04-2022	शासन नजूल भूमि आबादी	36	1751, अबादी	कसबा कुरवाई, विदिशा	2.038 हेक्टेयर	20380	6160	125540800	विदिशा, 94 और 658
								1751, नजुल	कसबा कुरवाई, विदिशा	0.209 हेक्टेयर	2090	6160	12874400	विदिशा, 94 और 658
									कुल		**209639.48**		**770725991**	

परिशिष्ट-3.4.6
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.4.7.3, पृष्ठ संख्या 149)
मार्च 2023 की स्थिति में बोर्ड में स्वीकृत पद एवं पदस्थ कर्मियों की संख्या

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत बल	रिक्त पदों की संख्या
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1	1	0
2	सहायक सचिव	1	1	0
3	विशेष अधिकारी	1	0	1
4	सहायक विशेष अधिकारी	1	0	1
5	जांच अधिकारी	1	0	1
6	राजस्व अधिकारी	1	0	1
7	लेखा अधिकारी	1	0	1
8	कार्यालय अधीक्षक	1	1	0
9	वरिष्ठ लेखापरीक्षक	1	1	0
10	लेखापरीक्षक	6	1	5
11	लेखाकार	1	0	1
12	सहायक लेखाकार	1	0	1
13	प्रवर श्रेणी लिपिक	6	3	3
14	अवर श्रेणी लिपिक	28	23	5
15	आशुलिपिक	1	0	1
16	सर्वेक्षक	1	0	1
17	पटवारी	1	0	1
18	कानूनी सलाहकार (भोपाल)	1	0	1
19	कानूनी सलाहकार (अन्य जिले)	2	0	2
20	निरीक्षक (भोपाल)	4	3	1
21	निरीक्षक (अन्य जिले)	8	0	8
22	अन्य	13	6	7
कुल		**82**	**40**	**42**

(स्रोत: बोर्ड से प्राप्त आंकड़े)

परिशिष्ट-3.4.7

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.4.8, पृष्ठ संख्या 153)

वक्फों की सूची जहां संयुक्त सर्वेक्षण किया गया

क्रम संख्या	जिले का नाम	औकाफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	वक्फ का नाम	अभ्युक्तियाँ
1	ग्वालियर	451	वक्फ कब्रिस्तान व मस्जिद ग्राम बड़गांव खरेरी तहसील मिरर जिला ग्वालियर	संयुक्त सर्वेक्षण में जानकारी नहीं दी गई
2	जबलपुर	316	मस्जिद खदीजातुल कुबरा जिला जबलपुर	
3		037	अंजुमन इस्लामिया मढ़ाताल जिला जबलपुर	
4		317	वक्फ अल-हुसैन अहले सुन्नत वल जमात, मसलेक, आला हजरत जिला जबलपुर।	
5	डिंडोरी	112	मस्जिद ग्राम शाहपुर तहसील व जिला डिंडोरी	
6		113	मस्जिद मदरसा ग्राम सैलवार तहसील व जिला डिंडोर	
7	इंदौर	641	इमारत पुख्ता अलल औलाद वक्फ अस्ना अशरी (रफ्का जाफरी), ग्रीन पार्क कॉलोनी, इंदौर	
8		428	दरगाह नाहर शाह वाली खजराना तहसील इंदौर	
9	धार	626	वक्फ मस्जिद बेगम रजिया खान हैदरी इस्लामपुरा गुलमोहर कॉलोनी जिला धार	
10		627	वक्फ मस्जिद नामराह बसंत विहार कॉलोनी जिला धार	
11	रतलाम	001	वक्फ हुसैन टेकरी शरीफ	
12		बी085	शिया दाऊदी बोहरा जमात जिला रतलाम	संयुक्त सर्वेक्षण में जानकारी नहीं दी गई
13		470	मस्जिद मदरसा पचान दानीपुरा जिला रतलाम	संयुक्त सर्वेक्षण में जानकारी नहीं दी गई
14	मंदसौर	779	दरगाह मेहताब शाह वली कटाई	
15		बी009	शिया दाऊदी बोहरा जमात जिला मंदसौर	संयुक्त सर्वेक्षण में जानकारी नहीं दी गई
16	भोपाल	774	वक्फ कब्रस्तान कनासैया तहसील हुजूर जिला भोपाल	

क्रम संख्या	जिले का नाम	औकाफ रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या	वक्फ का नाम	अभ्युक्तियाँ
17		775	मक्का मस्जिद मदरसा दीनियत नीम वाली सड़क, जिंसी जहांगीराबाद	
18		776	कब्रिस्तान लतीफ नगर ग्राम निशातपुरा नारियल खेड़ा भोपाल	
19		777	कब्रिस्तान कमला नगर निशातपुरा नारियल खेड़ा भोपाल	
20		779	वक्फ 2 पक्के मजार मैदान वाके बर्फ फैक्ट्री अल्पना टॉकीज, भोपाल	
21		782	कब्रिस्तान ग्राम नयापुरा, लालघाटी तहसील, हुजूर, भोपाल	
22		784	वक्फ मस्जिद खुदादाद वाके लांडिया तालाब संजय नगर, भोपाल	
23		786	वक्फ मस्जिद कुतुबी, प्रोफेसर कॉलोनी, भोपाल	
24		778	वक्फ मकान नं. 1/4-7, बड़वाली मस्जिद रोड नदाफपुरा पोस्ट ऑफिस, जहांगीराबाद, भोपाल	

संक्षिप्तों की शब्दावली

क्रम संख्या	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
1	ए.आर.टी.ओ.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
2	सी.एफ.एम.एस.	केंद्रीय कोष प्रबंधन प्रणाली
3	आयोग	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
4	सी.टी.डी.	वाणिज्यिक कर विभाग
5	सी.टी.ओ.	वाणिज्यिक कर अधिकारी
6	डी.पी.सी.	विभागीय पदोन्नति समिति
7	ई.एम.डी.	निविदा प्रतिभूति
8	जी.ए.डी.	सामान्य प्रशासन विभाग
9	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
10	एच.ई.डी.	उच्च शिक्षा विभाग
11	आई.एफ.एम.आई.एस.	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली
12	आई.जी.आर.एस.	पंजीकरण और स्टाम्प महानिरीक्षक
13	एल.ओ.आई.	आशय पत्र
14	एम.ए.पी.आई.टी.	मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए एजेंसी
15	ओ.बी.सी.	अन्य पिछड़ा वर्ग
16	ओ.एम.आर. शीट	ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन पत्रक
17	ओ.एस.डी.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
18	पी.आई.यू.	परियोजना कार्यान्वयन इकाई
19	पी.आर.डी.डी.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
20	आर.एफ.पी.	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
21	एस.सी.	अनुसूचित जाति
22	एस.पी.ए.	सेवा प्रदाता एजेंसी
23	एस.टी.	अनुसूचित जनजाति
24	टी.डी.एस.	स्रोत पर कर कटौती
25	यू.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
26	यू.आर.	अनारक्षित
27	व्यापम	व्यावसायिक परीक्षा मंडल
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा		
28	ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
29	बी.डी.ए.	भोपाल विकास प्राधिकरण
30	बी.यू.आई.टी.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रोद्योगिकी संस्थान
31	सी.जी.पी.ए.	संचयी ग्रेड पॉइंट औसत
32	सी.डी.सी.	महाविद्यालय विकास परिषद
33	सी.आर.आई.एम.	चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रबंधन संस्थान

क्रम संख्या	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
34	डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
35	डी.आर.एस.	विभागीय अनुसंधान सहायता
36	डी.एस.ए.	विशेष सहायता विभाग
37	जी.डी.ए.	सामान्य विकास सहायता
38	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
39	एच.ई.डी.	उच्च शिक्षा विभाग
40	आई.ओ.डी.ई.	मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थान
41	आई.यू.एम.एस.	एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली
42	एल.आई.सी.	जीवन बीमा निगम
43	एम.ओ.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
44	एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
45	एम.पी.एम.के.वी.वी.सी.एल.	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
46	एन.ए.ए.सी.	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
47	एन.आई.आर.एफ.	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
48	पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग
49	आर.यू.एस.ए.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
50	एस.ए.पी.	विशेष सहायता कार्यक्रम
51	यू.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र
52	यू.जी.सी.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
53	यू.एम.एस.	विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली
भूमि व्यपवर्तन पर लेखापरीक्षा		
54	सी.एल.आर.	आयुक्त, भू-अभिलेख
55	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
56	एम.पी.एल.आर.सी.	मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता
57	पी.एस.	प्रमुख सचिव
58	एस.डी.ओ.	उप-खण्ड अधिकारी
59	एस.क्यू.एम.	वर्ग मीटर
60	एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण
61	टी.एंड.सी.पी.	नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा		
62	ए.सी.एस.	अपर मुख्य सचिव
63	सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी
64	सी.डब्ल्यू.सी.	केंद्रीय वक्फ परिषद
65	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
66	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
67	एल.डी.सी.	अवर श्रेणी लिपिक

क्रम संख्या	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
68	एम.पी.एस.डब्ल्यू.टी.	मध्य प्रदेश राज्य वक्फ न्यायाधिकरण
69	एम.पी.	सांसद
70	एम.एल.ए.	विधायक
71	एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण पत्र
72	एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम	प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi